त्रयोदश माला, खंड 15, अंक 14

NOT TO BE ISSUED

FOR REFERENCE ONLY.

बुधवार, 14 मार्च, 2001
23 फाल्गुन, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 2 51
11/9/2001

(खण्ड 15 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डॉ० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 15, छत्रा सत्र, 2001/1922 (शक)]

अंक 14, बुधवार, 14 मार्च, 2001/23 फाल्गुन, 1922 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	241 से 260 . . .	1-23
अतारांकित प्रश्न संख्या	2475 से 2704 .	23-355
सभा पटल पर रखे गए पत्र	. .	357-358

लोक सभा

बुधवार, 14 मार्च, 2001/23 फाल्गुन, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह, सरदार बूटा सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

भारतीय किसानों को राजसहायता

*241. **डा० सुशील कुमार इंदौरा :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य के बारे में जानकारी है कि विकसित देशों में किसानों को भारी राजसहायता दी जाती है जिससे खाद्यान्नों का निर्यात करने वाले भारतीय किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो यूरोपीय संघ, जापान, कनाडा, संयुक्त राज्य अमरीका और ब्राजील में किसानों को कितने प्रतिशत राजसहायता दी जाती है; और

(ग) इसकी भारतीय किसानों को दी जाने वाली राजसहायता से किस प्रकार तुलना की जा सकती है ?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) वास्तव में, विकसित देशों में किसानों को दी जा रही कृषि राजसहायता से भारत समेत विकासशील देशों का कृषि निर्यात प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।

विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों द्वारा दायर अधिसूचनाओं के अनुसार, यूरोपीय समुदाय, जापान, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, और ब्राजील द्वारा अपने-अपने किसानों को दी जा रही राजसहायता की प्रमात्रा का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है। इन अधिसूचनाओं में राजसहायता की प्रमात्रा को प्रतिशत-रूप में नहीं दर्शाया गया है।

घरेलू सहायता

(मिलियन अमेरिकी डालर में)

क्र०सं०	देश	1995	1996	1997
1.	कनाडा	3020.1	2732.7	..
2.	यूरोपीय समुदाय	116537.7	114606.1	..
3.	जापान	69607.3	54912.8	47748.3
4.	ब्राजील	5537.1	3232.8	4045.7
5.	संयुक्त राज्य अमेरिका	60926.1	58875.9	58295.7

निर्यात राजसहायता

(मिलियन अमेरिकी डालर मे)

क्र०सं०	देश	1995	1996	1997	1998
1.	कनाडा	37.6	4.2	..	..
2.	यूरोपीय समुदाय	6292.0	6683.8	4915.4	5843.1
3.	जापान	0	0	0	0
4.	ब्राजील	0	0	0	0
5.	संयुक्त राज्य अमेरिका	25.6	121.5	112.2	146.7

".." *कोई अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है।*

भारत ने कुल 8406 मिलियन अमेरिकी डालर हेतु घरेलू सहायता की अधिसूचना जारी की है। इसमें वर्ष 1995 की ऋणात्मक उत्पादन विशिष्ट सहायता के अलावा आय व संसाधन की दृष्टि से गरीब किसानों को दी जाने वाली सहायता भी शामिल है।

[अनुवाद]

यूरेनियम की तस्करी

*242. डा० (श्रीमती) सी० सुगुणा कुमारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष यूरेनियम की तस्करी के राज्य वार और वर्षवार कितने मामले पकड़े गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार न्यायालयों में इससे संबंधित कितने मामले दर्ज किए गए और कितने लोगों पर मुकदमा चलाया गया;

(ग) क्या बड़ी मात्रा में तस्करी का यूरेनियम नवम्बर, 2000 में, केरल में जब्त किया गया था;

(घ) यदि हाँ, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यूरेनियम की तस्करी की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) यूरेनियम की तस्करी के किसी भी मामले का पता नहीं लगा है।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

मोबाइल फोन के प्रयोग से विकिरण का खतरा

*243. श्री पवन कुमार बंसल :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्ययनों से यह पता चला है कि मोबाइल फोनों के प्रयोक्ताओं को इसके विकिरण से खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे खतरों को रोकने/कम करने के उपाय तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी.पी. ठाकुर) : (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य अभिकरणों के आज तक प्रकाशित साहित्य के अनुसार मानवों पर मोबाइल फोनों के उपयोग के प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है। इन फोनों के उपयोग से सम्बद्ध स्वास्थ्य खतरों के बारे में भी इस समय कोई पर्याप्त सूचना नहीं है।

भारत-अमरीका संबंध

*244. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी :
श्री किरीट सोमैया :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 14 फरवरी 2001 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' प्रकाशित समाचार के अनुसार अमरीका नीति-निर्धारकों और विद्वानों ने उच्चस्तरीय अमरीकी सरकार से भारत सरकार के साथ बातचीत करने के लिए नई और अधिक उपयुक्त नीति तैयार करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा अमरीका की नई सरकार के साथ संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) दि एशिया फाउन्डेशन एक गैर सरकारी अमरीकी संस्था जो एशिया और अमरीका तथा एशियाई देशों के बीच संबंधों का अध्ययन कर रहा है, ने एशिया में अमरीका की भूमिका अमरीकी विचारधारा नामक एक रिपोर्ट फरवरी, 2001 में प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ अमरीका तथा भारत के बीच संबंधों के बारे में लेखकों के विचार हैं।

अन्य विचारों में इस बात की भी सिफारिश की गई है कि नये प्रशासन को नियमित वार्ता के जरिए भारत के साथ संबंधों का फिलहाल विस्तार करना चाहिए। सरकार ने कई अन्य गैर सरकारी अमरीकी संस्थाओं की रिपोर्ट भी देखी हैं जिन्होंने भी इस प्रकार की सिफारिशें की हैं। सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीकी कांग्रेस सहित अमरीका में भारत और अमरीका के बीच घनिष्ठ संबंध के लिए व्यापक, द्विदलीय समर्थन है।

(ग) सरकार ने अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव अभियान तथा 20 जनवरी, 2001 को राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात दोनों बार बुश प्रशासन के सदस्यों के साथ संपर्क स्थापित किया। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बुश ने पत्र-व्यवहार किया तथा टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सुरक्षा नीति से सम्बद्ध म्यूनिख सम्मेलन में 3 फरवरी, 2001 को अमरीकी डिफेंस सेक्रेटरी डोनल रम्सफिल्ड से मुलाकात की; वाशिंगटन स्थित हमारे राजदूत ने भी अमरीकी विदेश मंत्री कॉलिन पोवेल और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कोन्डोलीजा राइस से उपयोगी बातचीत की। अमरीकी विदेश मंत्री से मुलाकात करने के लिए मैं अप्रैल के पहले सप्ताह में वाशिंगटन की यात्रा पर जाऊंगा।

राष्ट्रपति बुश ने दोनों देशों के बीच मजबूत तथा परस्पर लाभकारी संबंध संवर्धित करने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने राष्ट्रपति का पद

संभालने से पहले भारत-अमरीकी संबंधों में हुई प्रगति के लिए अपना आभार व्यक्त किया है तथा उस प्रगति को जारी रखने की अपनी वचनबद्धता से भी अवगत कराया है।

"पेरेंट लेवल ब्रीडिंग स्टॉक" का आयात

*245. **श्री वाई० वी० राव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मुर्गी पालन उद्योग में "पेरेंट लेवल ब्रीडिंग स्टॉक' के आयात के मुद्दे पर विचार करने के लिए राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने ऐसे अनुरोध किए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस संबंध में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने पर सहमत हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने तथा जनक स्तर के प्रजनन स्टॉक के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए अगस्त, 1999 तथा जनवरी, 2000 में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से दो अनुरोध प्राप्त हुए थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मौजूदा आयात नीति के अनुसार कुक्कुट के जनक स्तर के प्रजनन स्टॉक का आयात प्रतिबंधित सूची में है। जनक स्तर के प्रजनन स्टॉक के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के अनुरोध पर विचार किया गया था और इसे स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि यह महसूस किया गया था कि यह प्रतिबंध व्यापार में उदारीकरण की उस नीति के विरुद्ध होगा जिसके लिए सरकार वचनबद्ध है।

[हिन्दी]

जोत भूमि क्षेत्र में कमी

*246. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** :
श्री गुनीपाटी रामैया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान धान, गेहूं, गन्ना और आलू समेत दालों और तिलहनों की फसलों की जोत भूमि क्षेत्र में निरंतर गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि कृषि भू क्षेत्र के विस्तार की गुंजाइश बहुत ही सीमित है, अत: खाद्यान्न और तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वयनाधीन कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अंतर्गत मुख्य जोर उन्नत फार्म विधियों को और क्षेत्रीय दृष्टि से भिन्न विकास परक कार्यनीतियों को अपनाकर उत्पादकता वृद्धि पर दिया जा रहा है जिससे विद्यमान बाधाओं के बावजूद अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके।

[अनुवाद]

धान के खेतों को नुकसान

*247. **श्री दिनेश चन्द्र यादव** :
श्री रामजीवन सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर परमाणु-ऊर्जा परियोजना चरण 3 एवं 4 के रिएक्टर-स्थल से लगातार बारीक "स्टोनडस्ट" के वातवरण में निरन्तर फैलते रहने से, धान के खेतों को भारी नुकसान पहुंच रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना स्थल के समीप स्थित ग्राम में खेतों तथा फसलों को पहुंचे नुकसान का कोई आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रभावित किसानों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) इस परियोजना का निर्माण करने वाले मुख्य ठेकेदारों द्वारा स्थापित की गई स्टोन क्रशिंग इकाइयाँ विघलीयन इकाइयों और धुलाई सुविधाओं से सुसज्जित हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पत्थर के महीन धूल-कण आसपास के क्षेत्रों में न फैलें। अत: तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना तीन एवं चार से धान के खेतों अथवा फसलों को कोई क्षति नहीं पहुंचती है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

लघु उद्योग क्षेत्र में विदेशी सहभागिता

*248. डा० वी. सरोजा : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस शर्त के अध्यधीन कि लघु उद्योग क्षेत्र में प्रबंध नियंत्रण भारतीय शेयर मालिकों के पास रहेगा, विदेशी सहभागिता की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्तमान सीमा से पूंजी बाजार में पहुंच सरल हो जाती है तथा इसमें आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, अनुषंगीकरण एवं उप-संविदा की अनुमति है।

सूचना प्रौद्योगिकी नीति की समीक्षा

*249. श्री आर० एस० पाटिल :
डा० चरणदास महंत :

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी ने भारत को विश्व की सूचना-महाशक्ति बना दिया है;

(ख) क्या सरकार ने कोई सूचना प्रौद्योगिकी नीति तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस नीति में मूल रूप से किस बात पर बल दिया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार गरीबी, पिछड़ेपन और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का है;

(ङ) यदि हां, तो आगामी वर्षों में इस क्षेत्र में कितने रोजगार के सृजन होने की संभावना है; और

(च) कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा को देश के सभी गांवों तक ले जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (च) सरकार सूचना प्रौद्योगिकी को भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास के एक शक्तिशाली क्षेत्र के रूप में देखती है। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर विकास कार्यदल ने वर्ष 2008 तक भारत को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख स्थान हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार के पास उपलब्ध विभिन्न अनुमानों के अनुसार वर्ष 2008 तक सॉफ्टवेयर कारोबार का बाजार 100 बिलियन डॉलर हो जाने का अनुमान है।

देश में, सूचना प्रौद्योगिकी का वह क्षेत्र जिसमें मुख्य रूप से ध्यान दिया जाना है वह सूचना प्रौद्योगिकी को अधिक प्रासंगिक बनाना तथा जनता तक पहुँचना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने कई नीतिगत उपाय किए हैं जिनमें देश के सुदूर पूर्वोत्तर राज्यों में सामुदायिक सूचना केन्द्रों की स्थापना करना और राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार में इलैक्ट्रानिक शासन की भूमिका को बढ़ाना शामिल है। सरकार नागरिक उन्मुखी प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे सूचना की बेहतर प्राप्ति तथा और अधिक पारदर्शिता एवं कुशलता हासिल होगी।

जहां तक रोजगार का संबंध है, सरकार के पास उपलब्ध वर्तमान अनुमानों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं सहित सॉफ्टवेयर सेवाओं तथा इलैट्रॉनिक व्यवसाय क्षेत्रों में वर्ष 2007 तक 23.67 लाख व्यवसायविदों की आवश्यकता होगी। यह आशा की जाती है कि कम्प्यूटर शिक्षा के प्रसार के परिणामस्वरूप द्वितीयक रोजगार में वृद्धि होगी और इलेक्ट्रॉनिक शासन क्षमता की स्थापना से सूचना प्रौद्योगिकी कियॉस्क तथा साइबर कैफे के रूप में इंटरनेट का प्रयोग बढ़ेगा। इनका प्रभाव आगे रोजगार पर पड़ेगा।

शिक्षण क्षेत्र में कार्य योजना का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान में सुधार करना है। इसमें अगले पाँच वर्षों में देशभर के प्रत्येक ब्लॉक के कुछ स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षण सुविधाओं की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। इसमें समाज के दलित वर्गों के विद्यार्थियों को सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की भी योजना है।

थैलेस्मिया रोग के मामलों में वृद्धि

*250. डा० रमेश चंद तोमर :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 11 जनवरी, 2001 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित समाचार के अनुसार देश में थैलेस्मिया रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या थैलेस्मिया रोग की औषधियां बहुत महंगी हैं जो कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकारों को कोई सहायता प्रदान की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी० पी० ठाकुर) : (क) से (ङ) (I) देश में थैलेस्मिया की व्यापतता के संबंध में कोई केन्द्रीकृत या राज्यवार रजिस्ट्री नहीं है। अनुमान लगाया गया है कि देश में प्रत्येक वर्ष दस हजार बच्चे थेलेस्मिया के साथ जन्म लेते हैं।

(II) (क) उपचार की लागत प्रत्येक बच्चे के लिए प्रति वर्ष 30,000 से 1,00000 रुपए के बीच होती है। कई थैलेस्मिया सोसाइटियां नि:शुल्क या कम लागत पर चेलेटर औषध उपलब्ध करा रही हैं।

(ख) गंभीर थैलेस्मिया हेतु रोगमुक्ति इलाज अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के द्वारा किया जाता है। यह सुविधा क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वेल्लौर में उपलब्ध हैं जिसकी प्रत्येक रोगी लागत दर लगभग 10 लाख रुपए है।

(III) स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि स्थापित की गई है। गैर-योजना व्यय समिति ने 17 अक्तूबर, 1996 में आयोजित अपनी बैठक में निधि की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया। तद्नुसार राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि भारत के राजपत्र (असाधारण) में यथाप्रकाशित दिनांक 13.1.1997 के संकल्प सं. एफ 7.2.96-वित्त-II के तहत स्थापित की गई है और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। इसकी स्थापना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 5 करोड़ रुपए के प्रारंभिक अंशदान से की गई थी। भारत या विदेश से एफ सी आर के अनुमोदन से किसी व्यक्ति द्वारा इस निधि में अंशदान किया जा सकता है। भारत से या विदेश से प्राइवेट या सार्वजनिक क्षेत्र में निगमित निकाय और परोपकारी संगठन भी इस निधि में अंशदान कर सकते हैं। इस निधि में किए गए सभी अंशदान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-छ के अंतर्गत आयकर भुगतान से मुक्त हैं।

(IV) सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासकों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 11.11.96 के पत्र के तहत अपने राज्यों संघ क्षेत्रों में रुग्णता सहायता निधि स्थापित करने की सलाह दी गई है राज्यों/संघ क्षेत्रों को राज्य निधि सोसाइटी में राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों द्वारा किए गए अंशदान का 50 प्रतिशत तक सहायता अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल जैसे गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा एवं प्रतिशत रखने वाले राज्यों के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपए और अन्य राज्यों/संघ क्षेत्रों के लिए 2 करोड़ रुपए होता है। राज्य संघ क्षेत्र स्तर के निधि दाताओं से भी अंशदान प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि के संबंध में बताया गया है।

राज्य संघ क्षेत्र स्तर के रुग्णता सहायता निधि अपने संबंधित राज्य/संघ क्षेत्र में रह रहे रोगियों को व्यक्तिगत मामले में 1.5 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता जारी करेंगे और जहां वित्तीय सहायता की मात्रा 1.5 लाख रुपए से बढ़ने की संभावना रहती है वे ऐसे मामलों को राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि को अग्रेषित करेंगे।

(V) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले जीवन को खतरे में डालने वाली बीमारियों से पीड़ित रोगियों को यह निधि किसी सुपर-स्पेशिएलिटी अस्पतालों/संस्थान अथवा अन्य सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ऐसे रोगियों को वित्तीय सहायता 'एक बार' के अनुदान के रूप में दी जाएगी जिसे उस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को दिया जाएगा जिस अस्पताल में उपचार किया जा रहा है/किया जा चुका है। जरूरतमंद रोगियों के लिए सहायता को तेज करने के प्रयास के रूप में स्कीम को संशोधित (जनवरी, 1998 में) किया गया है और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, जिपमेर, पांडिचेरी के चिकित्सा अधीक्षक के पास संबंधित अस्पताल/संस्थान में उपचार के लिए आए पात्र रोगी को 50,000 रुपए की मंजूरी (11.1.2001 से 25,000 रुपए के स्थान पर प्रतिस्थापित) देने के लिए 10 लाख रुपए अग्रिम रूप में रखे गए हैं। जब संबंधित अस्पताल संस्थान से अग्रिम राशि के उपयोग की सूचना मिलेगी तो इसकी पुन: पूर्ति कर दी जाएगी। निम्हांस, बंगलौर और सी एन सी आई, कलकत्ता को भी बाद में इस योजना में शामिल किया जा चुका है। (संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ और गांधी स्मारक तथा सम्बद्ध अस्पताल (के जी एम सी), लखनऊ को भी हाल ही में 15-15 लाख रुपए (प्रत्येक को) दिए गए हैं।)

(VI) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस स्कीम का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए ताकि निर्धन रोगी यह उपचार प्राप्त कर सकें।

[हिन्दी]

अन्नावरी रिपोर्ट

*251. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फसलों को हुई क्षति के आंकलन के बारे में 'अन्नावरी रिपोर्ट' की जानकारी है;

(ख) यदि हां तो 'अन्नावरी रिपोर्ट' किस वर्ष में कार्यान्वित की गई;

(ग) क्या इस रिपोर्ट में अपनाए गए मानदण्ड पुराने हो चुके हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ङ) वैज्ञानिक ढंग से तैयार इस यादृच्छिक नमूना सर्वेक्षण के पहले, विभिन्न राज्यों में लागू भू राजस्व व्यवस्था के लिए फसल उत्पादन सांख्यिकी तैयार करने में अन्नावरी या परम्परागत प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। इस पद्धति के अंतर्गत, प्रति हेक्टेअर उपज का आंकलन देखकर ही कर लिया जाता था या इसका आंकलन सामान्य रूप से होने वाली उपज और परिस्थिति विशेष कारक के आधार पर कर लिया जाता था। परिस्थिति विशेष कारक का मतलब सामान्य उपज की तुलना में किसी दिये गये मौसम में फसल की उपज का अनुमान लगाने से है और इसे आना के रूप में निर्धारित किया जाता है। आना पहले प्रचलित एक सिक्का प्रणाली थी। चूंकि यह प्रणाली परिस्थिति विशेष कारकों के निर्धारण पर निर्भर करती थी, अत: इस प्रकार की सांख्यिकी अधिक विश्वसनीय नहीं मानी जाती थी। अत: अब अधिकांश राज्य प्रमुख फसलों के मामले में फसल उत्पादन का आंकलन करने में परम्परागत सरकारी पद्धति के स्थान पर वैज्ञानिक ढंग से तैयार यादृच्छिक फसल कटाई नमूना सर्वेक्षण की पद्धति को अपनाने लगे हैं।

[अनुवाद]

कुष्ठ, प्लेग और क्षय रोग का उन्मूलन

*252. **श्री बी० के० पार्थसारथी :**
श्री पी० डी० एलानगोवन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुष्ठ प्लेग और क्षय रोग पर नियंत्रण पा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या विभिन्न नियंत्रण परियोजनाओं के क्रियान्वयन का कोई वास्तविक मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) इन रोगों के उन्मूलन और कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) संशोधित कुष्ठ उन्मूलन अभियान के अंतर्गत पता लगाए गए मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी० पी० ठाकुर) : (क) से (च) भारत में कुष्ठ रोगियों की संख्या 1981 में 40 लाख थी जो दिसम्बर, 2000 में कम होकर 4.0 लाख रह गई है। इस रोग की व्यापकता दर 1981 में प्रति 10,000 जनसंख्या पर 57 थी जो कम होकर दिसम्बर, 2000 में प्रति 10,000 जनसंख्या पर 4.03 रह गई है। नए रोगियों में विरूपता दर 1993-94 में 7 प्रतिशत से कम होकर इस समय 2.58 प्रतिशत है। दस राज्यों-नागालैंड, पंजाब, हरियाणा, हिमांचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, जम्मू और कश्मरी और राजस्थान ने उन्मूलन स्तर प्राप्त कर लिया हैं पांच राज्य-असम, गुजरात, केरल अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप इस स्तर को प्राप्त करने के बहुत निकट हैं। इस समय यह रोग मुख्य रूप से 7 राज्यों-बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में व्याप्त है।

मानव प्लेग फैलने से 1994 में बीड़ (महाराष्ट्र) और सूरत (गुजरात) प्रभावित हुए। 1994 में फैले इस रोग पर तत्काल काबू पा लिया गया और तब से देश में मानव प्लेग की कोई सूचना नहीं है।

पिछले कई वर्षों में देश में क्षय रोगियों की संख्या क्रमोवेश स्थिर रही है। प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख नए रोगी होते हैं। क्षय रोग नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने 1962 में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम आरम्भ किया था जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक रोगियों का पता लगाना और उनका कारगर ढंग से उपचार करना था ताकि संक्रामक रोगियों को असंक्रामक किया जा सके। वर्ष 1992 में इस कार्यक्रम की समीक्षा करने के बाद वर्ष 1993 में संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम नामक नई कार्यनीति आरम्भ की गई। इसका उद्देश्य 85 प्रतिशत नए स्पूटम स्मीयर (पॉजीटिव) रोगियों को रोग मुक्त करना और कम से कम 70 प्रतिशत ऐसे रोगियों का पता लगाना था। संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को अब तक सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है और स्वस्थ होने की दर 80 प्रतिशत से अधिक रही है। पिछले 2 वर्षों में संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण के अन्तर्गत कवरेज में तेजी से वृद्धि हुई है और 2002 तक इसके 50 करोड़ तक पहुंचने की सम्भावना है।

वर्ष 2000 में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का एक स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया। मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार थे :

- कुष्ठ की व्यापतता दर 1994 में प्रति 10,000 जनसंख्या पर 10.7 से कम होकर मार्च, 2000 में प्रति 10,000 पर 5.2 हो गई है।
- उपचार प्राप्त कर रहे कुष्ठ रोगियों की प्रतिशतता 98.5 प्रतिशत से बढ़कर 99.7 प्रतिशत हो गई है।
- जन जागरुकता बढ़ाने और अभियान दृष्टिकोण के कारण नये कुष्ठ रोगियों का पता लगाने की दर 1993-94 में प्रति 10,000 पर 5.6 से बढ़कर 1999-2000 में प्रति 10,000 पर 7.0 हो गई है।
- उच्च स्थानिकमारी वाले राज्यों में प्रति 10,000 पर 10 से अधिक की पंजीकृत व्यापतता दर वाले जिलों की प्रतिशतता 1995 में 52.8 प्रतिशत से कम होकर 1999 में 10.8 प्रतिशत हो गई है। अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के घटते हुए रूझान देखे गए हैं।

- सभी जिलों में बहु-औषध चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

1994 में प्लेग के प्रकोप के बाद भारत सरकार ने इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए एक तकनीकी परामर्शी समिति का गठन किया। इस समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियों में से एक संस्तुति रोग निगरानी का सुदृढ़ीकरण थी। भारत सरकार ने 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय संचारी रोग निगरानी कार्यक्रम प्रायोगिक आधार पर शुरू किया। इस समय वही कार्यक्रम 20 राज्यों के 45 जिलों में चल रहा है। नौवीं योजनावधि के शेष 2 वर्षों के दौरान 100 जिलों को कवर करने के लिए उसका विस्तार किया जा रहा है। भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फरवरी, 2000 में संयुक्त रूप से संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा की है। समीक्षा में यह पाया गया कि भारत में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन सफल रहा है। रोग निदान सही और औषध आपूर्ति नियमित है।

कुष्ठ कार्यक्रम के अंतर्गत देश के सभी जिलों में बहु औषध-चिकित्सा सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। स्थानिकमारी वाले राज्यों में नियमित और संविदीय कुष्ठ स्टाफ ये सेवाएं प्रदान करते हैं। कम प्रभावित और सामान्य राज्यों में कुष्ठ सेवाओं को सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या के साथ समेकित किया जा रहा है।

राज्य सरकारों द्वारा आबंटित किए गए क्षेत्रों में सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायतानुदान दिया जाता है। कुष्ठ से प्रभावित रोगियों को चिकित्सीय पुनर्वास प्रदान करने के लिए पुनर्निर्माण शल्यचिकित्सा योजना (आर. एस.एस.) चल रही है जिसके अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को कुष्ठ संबंधी विरूपताओं के लिए पुनर्निमाण शल्य-चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करने के लिए नियत दर से प्रतिपूर्ति की जाती है। कुष्ठ से ठीक हुए व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास के लिए "शारीरिक आयोग्यता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने की योजना" नामक योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय गैर सरकारी संगठनों को सहायता देता है।

कुष्ठ के छुपे हुए रोगियों का पता लगाने के लिए संशोधित कुष्ठ उन्मूलन अभियान के दो दौरों से 1998-99 में 4.63 लाख रोगियों और 1999-2000 में 2.12 लाख रोगियों का पता चला है। आदिवासी, पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में कुष्ठ उन्मूलन के लिए विशेष कार्य परियोजना चलाई जाती है।

संशोधित कुष्ठ उन्मूलन अभियान के अंतर्गत पता लगाए गए रोगियों का ब्यौरा देने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

संशोधित कुष्ठ उन्मूलन अभियान के अंतर्गत पता लगाए गए रोगियों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पहला संशोधित कुष्ठ उन्मूलन अभियान	दूसरा संशोधित कुष्ठ उन्मूलन अभियान
1.	उत्तर प्रदेश	57247	41016
2.	मध्य प्रदेश	20248	11272
3.	उड़ीसा	62844	27197
4.	बिहार	206495	80496
5.	प० बंगाल	39275	17167
6.	गुजरात	3648	712
7.	असम	4054	1081
8.	आन्ध्र प्रदेश	18742	7919
9.	महाराष्ट्र	20858	8352
10.	तमिलनाडु	12796	12603
11.	कर्नाटक	9881	3752
12.	केरल	1834	315
13.	अरूणाचल प्रदेश	153	53
14.	गोआ	72	16
15.	मणिपुर	222	लागू नहीं
16.	मेघालय	194	लागू नहीं
17.	मिजोरम	89	26
18.	नागालैंड	26	30
19.	हरियाणा	302	लागू नहीं
20.	पंजाब	629	120
21.	राजस्थान	1009	8
22.	सिक्किम	61	लागू नहीं
23.	हि. प्रदेश	155	लागू नहीं
24.	त्रिपुरा	392	लागू नहीं
25	जम्मू प्रभाग	857	लागू नहीं
26.	कश्मीर प्रभाग	152	लागू नहीं

1	2	3	4
27.	अ.एवं नि. द्वीप समूह	सूचना अप्राप्त	लागू नहीं
28.	चंडीगढ़	112	लागू नहीं
29.	दादरा एवं नगर हवेली	149	लागू नहीं
30.	दमन एवं द्वीव	79	लागू नहीं
31.	दिल्ली	723	लागू नहीं
32.	लक्षद्वीप	42	लागू नहीं
33.	पांडिचेरी	254	568
	योग	463594	212703

केन्द्रीय सतर्कता-आयोग की रिपोर्ट

*253. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता-आयोग ने सरकार से अपनी विभिन्न रिपोर्टों पर संसद में चर्चा कराए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सतर्कता-आयोग द्वारा सरकार को प्रस्तुत की गई रिपोर्टों में क्या-क्या मुख्य सिफारिशें और सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन रिपोर्टों पर क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) केन्द्रीय सतर्कता-आयोग की वर्ष 1996, 1997, और 1998 की वार्षिक रिपोर्टें संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा विशेष मामलों में उपर्युक्त आयोग की सलाह नहीं माने जाने के कारणों के स्पष्टीकरण-परक ज्ञापनों सहित, क्रमश: 22.7.1998, 10.3.1999 और 3.5.2000 को लोकसभा के पटल पर पहले ही रख दी गई हैं। हाल ही में, जनवरी 2001 में केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने सरकार और लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के विचारार्थ यह सुझाव दिया है कि क्या लोक लेखा-समिति अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में गठित समिति (सी.ओ.पी.यू.) की तर्ज पर ही, संसद को प्रस्तुत, केन्द्रीय सतर्कता-आयोग की वार्षिक रिपोर्ट की जांच पड़ताल करने की दृष्टि से एक अलग संसदीय समिति गठित की जा सकती है। उपर्युक्त मामला, लोक-सभा-सचिवालय द्वारा गृह-मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के विचारार्थ भेज दिया गया है।

केन्द्रीय सतर्कता-आयोग ने अपनी वर्ष, 1996 की रिपोर्ट में विभिन्न क्षेत्रों में सतर्कता से संबंधित कामकाज के संचालन में सुधार लाने की दृष्टि से, कोडीकृत मैन्युअलों की आवश्यकता, मुख्य सतर्कता-अधिकारियों के पद भरे जाने, आदि जैसे सुझाव दिए हैं। इस के अतिरिक्त, उपर्युक्त आयोग ने अपनी वर्ष 1997 और वर्ष, 1998 की रिपोर्टों में एक अलग अध्याय के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन कुछ संगठनों के संबंध में प्रणालीगत सुधार करने की दृष्टि से, उनकी कार्य-विधियाँ और कार्रवाइयाँ कारगर और दोष रहित बनाना सुझाया है ताकि अनेक अनियमितताएँ नहीं होने दी जा सकें। उपर्युक्त आयोग के इन सुझावों/उसकी इन सिफारिशों पर, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा, यदि आवश्यक हो तो आयोग के परामर्श से अमल किया जाना है।

खाद्यान्न उत्पादन

*254. **श्री अनन्त नायक :**
श्री त्रिलोचन कानूनगो :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खाद्यान्न उत्पादन को दोगुना करने के लिए कोई दीर्घकालीन योजना शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि देश की व्यापक कृषि क्षमता का पूर्ण दोहन नहीं किया गया है।

(घ) यदि हां, तो दोहन न की गई क्षमता का दोहन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रस्तावित विभिन्न रणनीतियां कौन-कौन सी हैं ?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। योजना आयोग ने पहले वर्ष 2007-08 तक 300 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य का सुझाव दिया था जिसमें 130.0 मिलियन मीटरी टन चावल, 109.0 मिलियन मी. टन गेहूं, 41.0 मिलियन मी. टन मोटे अनाज तथा 20.0 मिलियन मी. टन दलहन शामिल हैं जो ग्यारहवीं योजना के प्रथम वर्ष का खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य है।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और वर्ष 1999-2000 के दौरान 208.8 मिलियन मी. टन खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। यह उपलब्धि आदानों के विवेकपूर्ण उपयोग तथा फसल उत्पादन हेतु कृषि क्षमता का परिणाम हैं। राज्यों के प्रयासों में मदद करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित

की जा रही हैं। चावल, गेहूं तथा मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम, विशेष पटसन विकास कार्यक्रम, गन्ना आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों का सतत विकास, तिलहन, दलहन एवं मक्का प्रौद्योगिकी मिशन, वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना, गेहूं, चावल तथा मोटे अनाज संबंधी बीज मिनिकिट कार्यक्रम, क्षारीय मृदा सुधार एवं विकास उर्वरकों का सन्तुलित एवं समेकित उपयोग तथा छोटे और सीमान्त किसानों में कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन देना महत्वपूर्ण स्कीमें हैं।

कृषि उत्पादन में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने की दृष्टि से, योजना, आयोग द्वारा सुझाए गए प्रक्षेपण निम्नवत हैं :

मद	1996-97	2001-02	2006-07
निवल बुआई क्षेत्र (मि० है०)	142	142	142
सकल फसल क्षेत्र (मि० है०)	191	203	213
फसलन तीव्रता (%)	134	143	150
सकल सिंचित क्षेत्र (मि० है०)	76	89	106
सकल फसल क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सकल सिंचित क्षेत्र	40	44	50

क्षेत्र यथावत रहा अत: कृषि के प्रयोजनार्थ अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों में परियोजना क्षेत्रों के आधार पर केन्द्रीय प्रायोजित पनधारा प्रबंध स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

(ङ) खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रस्तावित नीतियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्यों को अधिक सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से 27 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का विलय करके उनका कार्यान्वयन वृहद प्रबन्ध पद्धति से किया जाएगा। राज्यों की कृषि जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त क्षेत्रीय रूप से भिन्न प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए राज्यों के प्रयासों में मदद/सहायता करने की परिकल्पना की गयी है।

विवरण

खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रस्ताविक कार्य नीतियां

(i) अनाज फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए अलग-अलग फसल के स्थान पर फसल प्रणाली दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। हरी खाद के निर्माण तथा कम्पोस्ट एवं अन्य जैविक स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

(ii) किस्म प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना तथा बायोटिक एवं एबायोटिक प्रतिरोध वाली अधिक उपज देने वाली स्थानीय नई किस्मों का प्रचार-प्रसार।

(iii) किसानों के संसाधन आधार में सुधार करना और यथासमय एवं कारगर कृषि प्रचालनों के लिए कार्यक्षम जल प्रबन्ध उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना।

(iv) किसानों के खेतों पर प्रदर्शन के आयोजन एवं महिलाओं सहित किसानों, खेतिहर मजदूरों को प्रशिक्षण के माध्यम से उन्नत फसल प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना।

(v) सतत कृषि उत्पादन के लिए समेकित पोषक तत्व प्रबन्ध को प्रोत्साहन।

(vi) कीटों तथा रोगों के नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबन्ध प्रणाली को अपनाने पर जोर देना तथा फसलों में खर-पतवार के नियंत्रण के लिए खर-पतवार नाशियों का उपयोग करना।

(vii) गैर मौद्रिक आदानों जैसे यथासमय बुआई, इष्टतम पौध संख्या को बनाए रखना, उर्वरकों का कुशल प्रयोग तथा आवश्यकता आधारित पौध संरक्षण उपायों को समुचित रूप से अपनाने पर अधिक बल देना।

(viii) किसानों का ध्यान नई प्रौद्योगिकी की ओर आकृष्ट करने के लिए विस्तार शिक्षण प्रयासों को सुदृढ़ बनाया जाएगा।

(ix) लवणीय क्षारीय जलमग्न तथा अम्लीय मृदा के सुधार तथा स्वस्थाने नमी संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण, भूमिगत जल के भराव तथा उन्नत वारानी कृषि प्रौद्योगिकी हेतु अनुसंधान उपाय किए जा रहे हैं।

(x) चावल, मक्का पर्ल कदन्न, सॉरघम तथा अरहर की अधिक उपज देने वाली संकर किस्मों के विकास, विभिन्न कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में खेती के लिए बायोटिक तथा एबायोटिक दबाव के संबंध में अन्तर्निहित प्रतिरोध क्षमता वाली विभिन्न अनाज एवं दलहन फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास हेतु अनुसंधान किया जाता है।

(xi) पनधारा से पानी के बहाव तथा मिट्टी को होने वाले नुकसान को रोकने, भूमि की क्षमता तथा नमी संरक्षण में सुधार, ग्रहण क्षेत्र में जनचेतना जागृत करने तथा सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए संसाधनों को इष्टतम बनाने के लिए विकासात्मक प्रयास किए जा रहे हैं।

(xii) फसल उत्पादन बढ़ाने एवं उन्नत भूमि उत्पादकता हेतु क्षारीय मृदा सुधार।

सऊदी अरब की जेलों में बंद भारतीय कैदी

*255. **श्री के० मुरलीधरन :**
श्री एस० अवय कुमार :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब की जेलों में अनेक भारतीय कैदी बंद हैं;

(ख) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है और; और

(ग) इन कैदियों को क्या कानूनी सहायता उपलब्ध कराई गई है और उनकी रिहाई के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 31.12.2000 को सऊदी अरब के जेलों में कैद भारतीयों की संख्या 1677 थी।

(ख) कैद किये गये व्यक्तियों को तथाकथित रूप से चोरी, शराब पीने, स्थानीय श्रम कानूनों के उल्लंघन, हत्या, तस्करी और ऐसे ही अन्य अपराधों का दोषी पाया गया है।

(ग) सऊदी अरब में न्यायिक प्रक्रिया और दण्ड शरियत के आधार पर निर्धारित की जाती है। तदनुसार न्यायालय में किसी वकील के जाने की अनुमति नहीं है। तथापि, जैसे ही भारतीय मिशन को किसी भारतीय राष्ट्रिक की गिरफ्तारी के बारे में सूचना मिलती है वह कौंसली सहायता के लिए औपचारिक अनुरोध करता है। मिशन संबंधित व्यक्तियों की ओर से, यदि आरोपी अथवा उसके सगे संबंधी चाहें तो, स्थानीय सरकार को क्षमा याचना पत्र देता है और मानवीय आधार पर भारतीय कैदियों की रिहाई के लिए सऊदी सरकार से संपर्क करता है। मिशन रमजान के मुकद्दस महीने के दौरान शाही क्षमा के लिए कैदियों के नामों की सिफारिश करता है।

कीटनाशकों के अवशिष्टों की जांच

*256. **श्री राम प्रसाद सिंह :**
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं की कीटनाशकों के अवशिष्टों की जांच हेतु कोई योजना/कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कीटनाशकों के अवशिष्टों के बारे में क्या निगरानी की जा रही हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में जैव कृषि के लाभों का आंकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी जहां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1984-85 के दौरान नाशक जीवनाशी अवशिष्टों पर एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना प्रारंभ की थी। देश में इसके सत्रह समन्वयक केन्द्र हैं जिनमें से 15 विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में और शेष दो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में स्थित हैं। इन सभी केन्द्रों का समन्वयक केन्द्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में स्थित है।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नाशक जीवनाशियों के सुरक्षित उपयोग के लिए विशेषज्ञों की देख रेख में बहुस्थानिक खेत परीक्षणों के आधार पर 'प्रोटोकॉल' का विकास करना है ताकि एक बार जब इन सिफारिशों को अपना लिया जाए तो खाद्य पदार्थों में नाशक जीवनाशियों का अवशिष्ट अंश निर्धारित सुरक्षित सीमाओं के अंदर ही रहे। नाशक जीवनाशियों के अवशिष्टों पर निगरानी रखना एक ऐसा मुद्दा है जिसका समाधान नियमित रूप से खेत के परीक्षण के परिचालन के माध्यम से किया जा रहा है। कृषि उत्पादों, जल तथा मृदा में नाशक जीवनाशियों के अवशिष्टों की मात्रा भी देखी जा रही है।

(ग) और (घ) भारत सरकार जैविक खेती के महत्व के प्रति सचेत है। तदनुसार, जैविक खेती के आंकड़े/सूचना संकलन और जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए सुझाए गए उपायों से संबंधित प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन करने के लिए जैविक खेती पर एक कार्य बल का गठन किया गया है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

*257. **डा० मन्दा जगन्नाथ** : **क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह सुनिश्चित करती है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों का उपयोग संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान दिशा-निर्देशों के उललंघन के जिन मामलों का पता चला है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) निधियां जिस प्रयोजनार्थ स्वीकृत की गई थीं इसी प्रयोजन के लिए उनका उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

विनिवेश विभाग के राज्यमंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत जिलाध्यक्षों को सांसदों द्वारा अनुशंसित कार्यों का कार्यान्वयन सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार करना होता है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जिलाध्यक्षों/राज्य सरकारों को इस संबंध में समय-समय पर सुझाव देता है।

(ख) वर्ष 1999 तथा 2000 में दिशा निर्देशों के कथित उल्लंघन के 49 मामले सांसदों द्वारा इस मंत्रालय की जानकारी में लाए गए थे। ये उल्लंघन मुख्यत: सांसदों की अनुशंसा के बिना अथवा उनके

प्रतिनिधियों की अनुशंसा पर कार्यों को शुरू करने, गैर-अनुमेय कार्यों के निष्पादन, निजी ठेकेदारों को कार्य सौंपने, निधियों के दुरुपयोग तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्य का बोर्ड न लगाने से संबंधित हैं।

(ग) जब भी दिशा निर्देशों के उल्लंघन का कोई दृष्टांत सरकार की जानकारी में लाया जाता है, संबंधित सरकार/संघ शासित क्षेत्र से मामले की जांच करने तथा उपचारी कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

संतरे की फसल

*258. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संतरे की फसल किसानों के लिए खुशहाली के स्थान पर अधिक नुकसानदेह साबित हुई है;

(ख) क्या देश में विशेषकर महाराष्ट्र में संतरे की उपलब्धता इस वर्ष 66 प्रतिशत तक नीचे आ गई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या संतरा उत्पादक किसान पानी की कमी और कीटों के खतरे के कारण संतरे की फसल उगाना बंद करने पर विचार कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, चालू वर्ष के दौरान, खासकर महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में संतरा उत्पादन में कुछ कमी आई हैं। जलवायु संबंधी परिवर्तन, रोगों का आक्रमण और जल स्तर में कमी इसके मुख्य कारण हैं।

(घ) जी, नहीं। बहरहाल, महाराष्ट्र में संतरे की फसल हेतु क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम में गिरावट की प्रवृत्ति पायी गयी है।

(ङ) सरकार कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों के अनुपूरण/संपूरण के लिए कृषि में वृहत् प्रबंधन संबंधी के केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर रही हैं, जिस के अंतर्गत, नर्सरियों की स्थापना, पुराने बागानों के पुनरूद्धार, पादप स्वास्थ्य निदानशालाओं, रोग पूर्वानुमान एककों तथा टिशू/पत्ता विश्लेषण प्रयोगशालाओं की स्थापना जैसे कार्यकलापों के लिए सहायता दी जा रही है। इसके अलावा, स्कीम के अंतर्गत टपका सिंचाई के लिए भी सहायता दी जा रही है। महाराष्ट्र सरकार भी बागवानी कार्यक्रमों से जुड़ी अपनी रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत पादपरक्षण उपायों, टपका सिंचाई और गुणवत्ता पौधरोपण सामग्री की आपूर्ति के लिए किसानों को सहायता दे रही है।

[हिन्दी]

मूत्र चिकित्सा

*259. श्री महेश्वर सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के अनेक भागों में मूत्र-चिकित्सा का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मूत्र-चिकित्सा की प्रभाविता का पता लगाने के लिए अनुसंधान की अनुमति देने और इस संबंध में की गई प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करने का है; और

(ग) मूत्र-चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने की संभावना हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी० पी० ठाकुर) : (क) और (ख) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् से एकत्रित की गई सूचना से विश्व के कई भागों में मूत्र चिकित्सा के व्यापक प्रचलन के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

आयुर्वेद में 8 जानवरों और आदमी के मूत्र का भी औषधीय उद्देश्य के लिए वर्णन किया गया है। कुछ व्यवसायियों ने इस चिकित्सा को शुरू किए जाने हेतु इस चिकित्सा के वैज्ञानिक वैधीकरण के लिए अनुरोध किया है जिसके लिए अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता है।

(ग) इस चिकित्सा के बारे में किसी भी प्रकार की जागरूकता पैदा करने से पहले किए गए दावों का मूल्यांकन किया जाना है।

गुर्दा और हृदय रोग

*260. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सकार ने देश में हृदय और गुर्दा रोगियों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन रोगों से प्रभावित निर्धन रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंध ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी० पी० ठाकुर): (क) और (ख) भारत में गुर्दे और हृदय रोगों से ग्रस्त लोगों की संख्या संबंधी कोई राष्ट्रव्यापी आंकड़े एकत्र नहीं किए गए हैं। तथापि, कुछ अस्पतालों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए एक प्रश्नावली सर्वेक्षण से पता चला कि भारत में वर्ष में चिरकारी गुर्दापात (किडनी फेल्योर) के लगभग 2 लाख रोगियों का विभिन्न मेडिकल कालेजों एवं अन्य अस्पतालों में उपचार किया जा रहा है।

गत दशक के दौरान देश में किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप यह अनुमान है कि भारत में हृदवाहिका रोगों से ग्रस्त लगभग 40 मिलियन रोगी हैं।

(ग) और (घ) विशिष्ट उपचार/आपरेशन करवाने के लिए तथा दीनहीन रोगियों को प्रति मामले में 20,000/- रुपए तक की वित्तीय सहायता स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान से दी जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर बीमारी सहायता निधि से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाले रोगियों को व्यक्तिगत मामले में 1.50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता विमुक्त की जाती है। राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न मेडिकल कालेजों के चिकित्सा अधीक्षकों के पास 10 से 30 लाख रुपए तक की अग्रिम राशि रखी गई है।

भ्रष्टाचार

2475. श्री रघुनाथ झा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने भ्रष्ट अधिकारियों की सूची उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए दिल्ली सरकार को भेजी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आई.ए.एस. तथा पी.सी.एस. अधिकारियों, उनकी वर्तमान अधिकारिक स्थिति तथा उनके विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्यवाही/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली सरकार ने ग्राम सभा की भूमि के गैर-कानूनी रूप से आवंटन करने के लिए कुछ अधिकारियों के विरुद्ध सी.बी. आई. जांच के आदेश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मानव जेनोम अध्ययन का लाभ

2476. श्री जय प्रकाश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए मानव जेनोम अध्ययन के लाभ प्राप्त करने के लिए किसी परियोजना को मंजूरी दी है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) इस उद्देश्य के लिए परियोजना-वार कितना-कितना धन आबंटित किया गया, और

(घ) जैव-सूचना केन्द्रों की स्थापना के संबंध में सरकार का क्या मत है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (घ) पिछले दशक के दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और जैव तकनीकी विभाग ने मानव आनुवांशिकी एवं जिनोम विश्लेषण के क्षेत्र में बड़े कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। तथापि हाल ही में मानव जिनमो मानचित्र (मैप) की हाल की घोषणा से यह अनिवार्य बन गया है कि जिनोमिक ज्ञान की व्याख्या और स्वास्थ्य विज्ञान के लिए इसे लागू करने को प्राथमिकता दी जाए। इसलिए परिषद ने बहुत से अनुसंधान संस्थानों से अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित किए और औषध एवं वैक्सीन के विकास सहित स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में 100 से अधिक प्रस्तावों पर विचार किया। विभिन्न संस्थाओं और वैज्ञानिक एजेंसियो से लिए गए विशेषज्ञों की समिति द्वारा लगभग 42 प्रस्ताव संस्तुत किए गए हैं। एक बार मंजूरी होने के बाद उच्च अधिकार प्राप्त समिति इन सभी अध्ययनों की प्रगति की निगरानी करेगी।

हाल ही में घोषित मानव जिनोम श्रृंखलाओं (सिक्वेंसिज) एवं विश्लेषण से उपलब्ध डी० एन० श्रृंखला सूचना पर आधारित अगली कार्यनीति को विकसित करने के लिए कार्यात्मक जिनेमिक्स, फार्माकोजेनेटिक्स, डिजायनिंग तथा प्रथानिर्मित औषधों, विभिन्न संक्रमणों के आणविक निदान विधियों, आनुवांशिक विकार और विषाक्त जीव की पहचान करने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सूक्ष्म जीवीय जिनोमिक्स के क्षेत्रों में और औषध विकास के लक्ष्य तय करने के संबंध में कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है।

परिषद देश में मेडिकल कालेजों और अन्य चिकित्सा संस्थानों में जैव सूचना विज्ञान केन्द्रों के नैटवर्क स्थापित करने तथा देश में अन्य केन्द्रों में सूचना को प्रसारित करने का प्रस्ताव भी करती हैं। इस उद्देश्य के लिए पहले चरण में छह संस्थानों की पहचान की गई है। भविष्य में देश में अन्य केन्द्रों तक नेटवर्किंग का विस्तार किया जाएगा। जैव सूचना-विज्ञान नेटवर्क के 55 केन्द्रों के अलावा जैव तकनीकी विभाग

ने विख्यात अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस के मूल्यांकन हेतु चार साइटें स्थापित की हैं।

[अनुवाद]

कृषि अनुसंधान और शिक्षा

2477. **श्री महबूब जहेदी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2000-2001 के लिए कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए आवंटन में भारी कटौती की गई है।

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और पिछले तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या अनुसंधान तथा शिक्षा के स्तर पर भारी कटौती से 1999-2000 के दौरान लगभग सभी प्रमुख योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) वर्ष 2000-2001 के योजना बजट में 629.55 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव था लेकिन संशोधित बजट अनुमान तैयार करते समय इसे घटाकर 550.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के तथ्य और तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
1997-98	331.17	331.17	323.30
1998-99	531.17	445.00	427.72
1999-2000	573.50	504.00	498.47

(ग) और (घ) योजना आयोग और वित्त मंत्रालय देश की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए बजट में कटौती करते हैं। धनराशि की उपलब्धता की सीमा को ध्यान में रखते हुए कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं से संबंधित आवश्यकताओं की प्राथमिकताओं को पुन: निर्धारित किया है ताकि इन पर ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(ङ) विभाग द्वारा इस मामले के बारे में योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से निरन्तर बातचीत चल रही है ताकि अधिक धनराशि आवंटित करवाई जा सके।

भारतीय मूल के व्यक्तियों के हितों की रक्षा

2478. **श्री सुरेश रामराव जाधव** :
डा० जसवंतसिंह यादव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मूल के व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय संघ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने हितों की रक्षा के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) भारतीय मूल के लोगों के सार्वभौमिक संगठन (गोपियो) का छठा अधिसमय 6 और 7 जनवरी, 2001 को नई दिल्ली में हुआ था। अधिसमय में पारित संकल्पों की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है। ये संकल्प भारतीय समुदाय की उच्च स्तरीय को सौंप दिए गए हैं जो सरकार को उपयुक्त सिफारिशें भेजेगा।

विवरण

6 और 7 जनवरी, 2001 को नई दिल्ली में आयोजित गोपियो के छठे अधिसमय में पारित संकल्पों की प्रति

1. गोपियो अपराधियों के एक समूह द्वारा 1987 के संविधान के अंतर्गत श्री महेन्द्र चौधरी के नेतृत्व में लोकतान्त्रिक ढंग से चुनी गई सरकार का तख्ता पलटे जाने की निन्दा करता है। गोपियो इस बात पर बल देता है कि लोकतान्त्रिक ढंग से बनाए गए 1997 के संविधान के अंतर्गत विधियत रूप से चुनी गई सरकार बहाल की जाए। गोपियो लोकतान्त्रिक ढंग से बनाए गए 1997 के संविधान की बहाली के लिए सभी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थाओं से अपने संसाधनों का उपयोग करने का अनुरोध करता है।

2. गोपियो अन्तर्राष्ट्रीय नेपाल की सरकार से नेपाल में भारतीय मूल के लोगों और अन्य विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच शताब्दी पुराने शान्तिपूर्ण और भाई चारे के संबंधों को बहाल करने तथा उन्हें बनाए रखने की अपील करता है। यह भारत और नेपाल के बीच मतभेद पैदा करने के लिए दिसम्बर 2000 में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा नेपाल में हाल ही में की गई हिंसात्मक कार्रवाई की निन्दा करता है। गोपियो सभी सम्बद्ध पक्षों से यह अनुरोध करता है कि वे ऐसी घैर भावपूर्ण कार्रवाइयों से भ्रमित न हों और उन पर निगरानी रखने के लिए और नेपाल के विभिन्न समुदायों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाएं।

3. गोपियो का यह मानना है कि भारत सरकार द्वारा भारतीय

मूल के लोग (पी आई ओ) कार्ड का जारी करना भारत की अर्थव्यवस्था में भारतीय मूल के लोगों की भागीदारी को सुचारू रखने तथा अपनी भारतीय सांस्कृतिक विरासत को निरन्तर पोषित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। गोपियो भारत सरकार से अनुरोध करता है कि पी आइ ओ कार्ड शुल्क को संशोधित करके 1000 अमरीकी डालर के स्थान पर 100 अमरीकी डालर किया जाए और उनकी पात्रता को वंशक्रम में चार पीढ़ियों तक सीमित न रखा जाए।

4. गोपियो भारत सरकार से भारतीय मूल के लोगों का विश्वविद्यालय खोलने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध करता है, जिसके लिए वे अनेक वर्षों से अनुरोध कर रहा है। गोपियो का यह भी विचार है कि भारतीय मूल के लोगों का विश्वविद्यालय भारतीय मूल के लोगों के समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण ''थिन्क-टैंक सेण्टर'' होगा।

5. गोपियो भारत सरकार से अनुरोध करता है कि श्रीलंका में भारतीय मूल के लोगों को अन्य देशों के समतुल्य समझा जाए और उन्हें पी आई ओ कार्ड सुविधा दी जाए।

6. गोपियो भारत के साथ भारतीय मूल के लोगों वाले कैरीबियाई देशों के पारस्परिक क्रियाकलापों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता की पुष्टि करता है। यह भारत और मारीशस की सरकार द्वारा कैरीबियाई देशों से भारत को सीधी उड़ान शुरू किए जाने को सरल बनाने के लिए सभी संभव उपाय करने का अनुरोध करता है।

लघु उद्योगों का अध्ययन

2479. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य में 2.5 लाख लघु उद्योगों की दशा का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी सिफारिशें पहले ही प्रस्तुत कर दी हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार लघु उद्योगों को सहायता देने में राज्य सरकार की सहायता करने पर सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

शीत गृह

2480. श्री गंता श्रीनिवास राव :
श्री एस० पी० लेपचा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कमी वाले क्षेत्रों के लिए अधिक क्षमता वाले शीत गृहों के निर्माण पर विचार कर रही है;

(ख) नए शीत गृह बनाने के वर्तमान लक्ष्य की प्राप्ति की संभावना क्या है;

(ग) इस क्षेत्र में सरकार के दीर्घावधि लक्ष्य क्या हैं; और

(घ) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रसंस्करण का वर्तमान स्तर क्या है और इसे किस प्रकार बढ़ाये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) सरकार ने नौंवी योजनावधि के दौरान नये शीतागारों के लिए 12 लाख मी. टन, पुराने शीतागारों के आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापना के लिए 8 लाख मी. टन और प्याज भंडारण हेतु 4.5 लाख मी. टन क्षमता का लक्ष्य रखा है। बागवानी उत्पादों हेतु शीतागारों के निर्माण/विस्तार/आधुनीकीकरण हेतु पूंजी स्कीम राजसहायता संबंधी स्कीम के अनुसार योजनावधि के अंत तक लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिये जाने की आशा है।

(घ) इस समय, फलों और सब्जियों के उत्पादन में से लगभग 2 प्रतिशत से भी कम प्रंस्सकरित किया जाता है जिसे खाद्य प्रंस्सकरण उद्योग विभाग की मध्यस्थता से 10 वर्षों में बढ़ाकर लगभग 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

'सूंस' डाल्फिनों की संख्या में कमी

2481. श्री तूफानी सरोज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगा नदी के बेसिन में पाई जाने वाली 'सूंस' नामक डाल्फिन की प्रजाति लगभग लुप्त होने के कगार पर है और उनकी संख्या में लगातार कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 'सूंस' डाल्फिन की संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थानों ने गंगा नदी में पाई जाने वाली 'सूंस' डाल्फिन पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

[अनुवाद]

नौकरशाही की जिम्मेदारी तथा कार्यकुशलता

2482. **श्री सुबोध राय :**
श्री एन० एन० कृष्णदास :
श्री पी० मोहन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौकरशाही की जिम्मेदारी तथा कार्यकुशलता में सुधार लाने के संबंध में पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें क्या हैं और उनमें से कितनी सरकार द्वारा लागू की जा रही हैं; और

(ख) शेष सिफारिशों, यदि कोई हैं, को लागू न किए जाने के क्या कारण हैं ?

विनिवेश विभाग के राज्यमंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्यमंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने 'प्रशासन में कार्य-कुशलता बढ़ाना' नामक शीर्षक के अंतर्गत प्रशासन में कार्य-कुशलता को बेहतर बनाने के लिए अनेक सिफारिशें/सुझाव दिये हैं जिनका उसने अपनी रिपोर्ट (खण्ड-I) के भाग-II में उल्लेख किया है। जवाबदेही के बारे में आयोग की सिफारिशें/सुझाव उनकी रिपोर्ट (खण्ड-I) के भाग-III में "मानव संसाधन विकास" नामक शीर्षक के अंतर्गत दिये गये हैं। इन सिफारिशों के संदर्भ में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी मुख्य-मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :-

(i) सरकार ने विभिन्न संगठनों की कार्य-कुशता में सुधार लाने के लिये कानूनों, नियमों और कार्यविधियों के सरलीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। सरकार ने सेवा की सुपुर्दगी में सुधार करने और सरकार के कार्य-निष्पादन में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से कानूनों, विनियमों, कार्यविधियों और विधायी प्रक्रियाओं को निरस्त करने/उनमें संशोधन करने हेतु सिफारिशें करने के लिए मई, 1998 में प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा से संबंधित एक आयोग का गठन किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1998 में प्रस्तुत की। उसकी महत्वपूर्ण सिफारिशों में केन्द्रीय कानूनों के लगभग 50 प्रतिशत (2500 में से 1382) कानूनों को निरस्त करना, सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासनिक कानूनों का दस्तावेजीकरण एक साध्य वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का विकास आदि शामिल हैं। अधिकांश मंत्रालयों/विभागों ने उनके द्वारा नियंत्रित अधिनियमों में उपयुक्त संशोधन/फेरबदल करने के संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। अखिल भारतीय स्तर पर लागू होने वाले तथा निरस्त न किये गये केन्द्रीय अधिनियमों को 'निकनेट' और 'इंटरनेट' पर प्रदर्शित कर दिया गया है।

(ii) व्यापक जन-सपंर्क वाले अनेक मंत्रालयों/विभागों/संगठनों ने पहले ही नागरिक चार्टर बना लिये हैं जिनमें मोटे तौर पर यह उल्लेख किया गया है कि एक निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर जनता किस तरह की सेवा पाने की हकदार होगी। 65 मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सरकार के संगठनों द्वारा सूचना और सुविधा या सहायता काउंटर स्थापित कर लिये गये हैं ताकि उनके द्वारा संबंधित संगठनों की कार्यविधियों, कार्यक्रमों और स्कीमों तथा व्यक्तिगत मामलों की स्थिति से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

(iii) सूचना की स्वतंत्रता विधेयक, 2000 लोकसभा में 25 जुलाई, 2000 को पेश कर दिया गया।

(iv) अभी हाल ही में सतर्कता तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये भी कदम उठाये गये हैं। इनमें केन्द्रीय सतर्कता आयोग की संस्था को सुदृढ़ करने के उपाय भी शामिल हैं।

(v) मामलों पर विचार के लिये स्तरों को कम करने संबंधी विषय पर भी समय-समय पर सरकार ने ध्यान दिया है। इस विषय में सरकार का यह सुविचारित दृष्टिकोण रहा है कि विचार के स्तरों की संख्या निर्धारित करने के लिये कोई कड़ा फार्मूला नहीं बनाया जा सकता। लेकिन, यह प्रयास किया जाना चाहिये कि स्तरों की संख्या कम रहे।

(vi) मंत्रालयों और विभागों द्वारा क्षेत्रीय यूनिटों और सरकार के अन्य स्तरों को शक्तियों के प्रत्यायोजन किये जाने और विकेन्द्रीकरण के लिये भी कदम उठाये गये हैं ताकि निम्नतम प्रचालनात्मक स्तरों पर निर्णय लिये जा सकें और सेवा सुपुर्दगी की जा सके।

(vii) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में एक वरिष्ठ अधिकारी के अधीन एक विकेन्द्रीकृत लोक शिकायत तथा स्टाफ शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/ विभागों/संगठनों से इस तंत्र को सुदृढ़ करने का अनुरोध किया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) जनता तथा कर्मचारियों की शिकायतें सुनने और उन्हें प्राप्त करने के लिये निर्धारित घंटों में पदनामित शिकायत अधिकारी की उपलब्धता।

(ख) जनता तथा स्टाफ से संबंधित कार्यों के निपटान के लिये समय-सीमाएँ निर्धारित करना और इनका कड़ाई से अनुपालन करना।

(ग) समाचार-पत्रों में प्रकाशित शिकायतों को चुनना और उनकी

पायली भेजने तथा अंतिम निपटान के लिये शीघ्र कार्रवाई करना।

(घ) शिकायतों की तिमाही/मासिक तथा साप्ताहिक आधार पर सचिव के स्तर तक मॉनीटरिंग करना।

ई गवर्नेंस के न्यूनतम एजेन्डा के भाग के रूप में एक कंप्यूटरीकृत वेब आधारित लोक शिकायत निवारण तथा मॉनीटरिंग प्रणाली का विकास किया गया है और यह मंत्रालयों/विभागों में शिकायतों के प्रभावी में पंजीकरण, संचालन और मॉनीटरिंग के लिये कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा सरकार में लोक शिकायत निवारण तंत्र की मौजूदगी के बारे में समाचार-पत्रों के माध्यम से वार्षिक आधार पर व्यापक प्रचार भी किया जाता है।

(viii) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को एक योजना स्कीम के अंतर्गत निधियाँ प्रदान करके सरकारी कार्यालयों को आधुनिक बनाने के लिये एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है ताकि कार्यात्मक ले-आउट और लोगों को अच्छी सेवाएं उपलब्ध कराने के माध्यम से तथा आधुनिक उपकरणों के प्रयोग एवं प्रभावी रिकार्ड प्रबंधन के द्वारा कागजी कार्रवाई में कमी करके कार्य के वातावरण में सुधार लाने संबंधी प्रयासों को समर्थन दिया जा सके।

(ix) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग संगठन और पद्धति संबंधी कार्य-कलापों में भी मंत्रालयों/विभागों को सहायता प्रदान करता है जिनमें कार्य के निपटान में विचार के स्तरों को कम से कम करना, मामलों के निपटान आदि के लिये समय-सीमाएँ निर्धारित करना आदि शामिल हैं।

(x) मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की कुछ शक्तियाँ, प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को भारत सरकार (कार्य संचालन) नियमावली, 1961 में उचित संशोधनों के द्वारा प्रत्यायोजित की गई है। अब मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति का अनुमोदन केवल उन्हीं पदों पर नियुक्ति के लिये अपेक्षित है जिनका वेतन (भत्तों को छोड़कर) अथवा जिनके वेतनमान का अधिकतम (भत्तों को छोड़कर) प्रतिमाह 6700/- रुपये (संशोधन पूर्व) अथवा इससे अधिक हो। इस प्रकार, उप सचिव/निदेशक को नियुक्त करने की शक्तियाँ प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं।

(xi) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति के मार्गदर्शन में, केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में कार्यान्वयन हेतु ई-गवर्नेंस से संबंधित व्यापक कार्यकलापों का सेट तैयार किया है। संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधकों के रूप में पदनामित किया गया है और उन्हें संबंधित मंत्रालय/विभाग में न्यूनतम एजेन्डा के कार्यान्वयन एवं 'वेबसाइट' के रखरखाव पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

(xii) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की आकस्मिक छुट्टियों की संख्या 1 जनवरी, 1998 से एक वर्ष में 12 से घटाकर 8 कर दी गई है।

(xiii) भारत के पदासीन राष्ट्रपति अथवा भारत के पदासीन प्रधान मंत्री के निधन के सिवाय अन्य किसी की मृत्यु पर अब कोई छुट्टी घोषित करना अपेक्षित नहीं होगा।

(xiv) सरकार ने ठेका श्रम (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 में संशोधन करने की कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि उसके उन्मूलन भाग को समाप्त कर दिया जाए और ठेके पर नियुक्त श्रमिक के कल्याण को सुनिश्चित करने की दृष्टि से कड़े प्रावधानों से युक्त अधिनियम के विनियामक भाग को रख लिया जाए। एक बार विधान अधिनियमित हो जाने के बाद बहुत से कार्य, जिन्हें केन्द्र सरकार के विभागों द्वारा गैर-नीतिगत क्षेत्रों में किया जाता है, उन्हें बाहरी माध्यम से करवाया जा सकता है।

(xv) अभी हाल ही में तीन विभागों, यथा औद्योगिक विकास विभाग, चीनी और खाद्य तेल विभाग तथा पूर्ति विभाग को समाप्त किया गया है/मिला दिया गया है। इसके अतिरिक्त 1 अक्तूबर, 2000 से दूर-संचार सेवा तथा दूर-संचार प्रचालन विभागों को निगमित कर दिया गया है। सरकार ने हाल में आयकर विभाग के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी अनुमोदित कर दिया है ताकि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल द्वारा प्रत्यक्ष कर प्रशासन में कार्य-कुशलता और प्रभावकारिता को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्रवाई से बचत प्राप्त होने और प्रत्यक्ष कर राजस्व में वृद्धि के संदर्भ में उत्पादकता में वृद्धि होने की संभावना है।

(xvi) भारत सरकार के सिविल प्रशासनिक कार्यालयों में सप्ताह में पांच दिन के सप्ताह की कार्य प्रणाली को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। लेकिन वे विभाग जिनके कार्य खास तौर पर जन संपर्क वाले हैं अथवा वाणिज्यिक प्रकृति के हैं एवं वे वर्तमान में पांच दिन के सप्ताह के आधार पर कार्य कर रहे हैं, उनके मौजूदा प्रबंधों की समीक्षा करनी होगी और जहा-कहीं भी व्यावहारिक हो, उन्हें छः दिन के सप्ताह की प्रणाली में परिवर्तित करना होगा।

(xvii) कार्य-निष्पादन से संबद्ध वेतनवृद्धि योजना लागू करने तथा वर्ग 'घ' कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें पुनः लागू करना आदि से संबंधित आयोग की सिफारिशें/ सुझाव सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किये गये हैं।

रुग्ण इकाइयों का पुनरुद्धार

2483. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अर्धक्षम रूग्ण इकायों के पुनरुद्धार के लिए सांविधिक प्रावधान लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) जी, नहीं। रूग्ण लघु उद्योग इकाईयों को पुनर्जीवित करने के संबंध में बी.आई.एफ.आर. प्रकार का प्राधिकरण रखा जाने संबंधी नायक समिति की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि यह महसूस किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के कार्यान्वयन सहित राज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समितियों (एस.एल.आई.आई.सी.) की समीक्षा ही पर्याप्त होगी।

[हिन्दी]

राजस्थान में लक्ष्यों की प्राप्ति

2484. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में लघु उद्योगों के विकास के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार विशेषकर राजस्थान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां। देश में नवीं योजना का सांकेतिक लक्ष्य लघु उद्योगों के उत्पादन के सम्बन्ध में 7,25,000 करोड़ रुपये, रोजगार के संबंध में 1.85 करोड़ और निर्यात के संबंध में 78900 करोड़ रुपये था। लघु उद्योग और ग्रामोद्योग क्षेत्र के विकास के लिए 4304 करोड़ रुपये का परिव्यय उद्दिष्ट किया गया था।

(ख) से (घ) उत्पादन के संबंध में 2000-01 के अंत तक प्रक्षेपित उपलब्धि 6,58,934 करोड़ रुपए थी और रोजगार के संबंध में 1.83 करोड़ थी। निर्यात के क्षेत्र में मार्च, 2000 के अंत तक प्रक्षेपित उपलब्धियां 53975 करोड़ रुपए की थी। लघु उद्योगों के विकास के लिए राज्य वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए।

[अनुवाद]

अतिरिक्त संसाधन जुटाना

2485. श्री सुबोध मोहिते : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए योजना तैयार करने के लिए राज्यों की 'अपनी धनराशि' अंशदान में काफी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस प्रवृत्ति को किस प्रकार रोकने का प्रस्ताव है?

विनिवेश विभाग के राज्यमंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य की अपनी निधियाँ (राज्य-वार) को इंगित करते हुए एक विवरण संलग्न है।

(ग) राज्यों को, कर और गैर-कर राजस्वों के जुटाव व्यय प्रबंधन में सुधारों, उधारों पर निर्भरता कम करने, राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों में सुधार तथा विद्युत, परिवहन इत्यादि में क्षेत्रकीय सुधारों सहित उपायों के व्यापक प्रकारों के माध्यम से, अपनी निधियों को बढ़ाने के परामर्श दिये जा रहे हैं।

विवरण

राज्यों की अपनी निधियाँ

(वर्ष 1996-97 की कीमतों पर करोड़ रु०)

राज्य	नौवीं योजना अनुमान	1997-98 (वास्तविक)	1998-99(पी ए)	1999-200 (एल ई)	कुल 1997-98 से 1999-2000 तक
1	2	3	4	5	6
विशेष श्रेणी राज्य					
अरूणाचल प्रदेश	558.57	-39.43	-93.19	-110.43	-243.05

1	2	3	4	5	6
असम	-1,787.43	-654.98	-635.81	-1,635.81	-2,926.61
हिमाचल प्रदेश	-1,956.64	-625.23	-842.60	-1,070.81	-2,538.63
जम्मू व कश्मीर	-312.27	-1,990.25	-2,129.08	-2,422.75	-6,542.08
मणिपुर	-192.98	-188.45	-198.04	-488.44	-874.94
मेघालय	-232.40	-136.45	-192.12	-192.92	-521.49
मिजोरम	-443.02	-148.97	-136.26	-215.26	-500.49
नागालैण्ड	-569.49	-234.59	-214.09	-270.64	-719.32
सिक्किम	-250.12	-74.00	-202.46	-175.48	-451.94
त्रिपुरा	-441.54	-108.59	-236.28	-443.53	-788.39
कुल (10 एससीएस)	-5,627.32	-4,200.93	-4,879.93	-7,026.07	-16,106.93
गैर विशेष श्रेणी राज्य					
आन्ध्र प्रदेश	396.80	-1,664.19	-1,128.71	-4,872.83	-7,665.73
बिहार	-1,478.49	-1,120.99	-988.65	-2,567.06	-4,676.69
गोआ	375.98	7.45	-99.57	-133.75	-225.88
गुजरात	7,676.67	999.40	227.30	486.28	1,712.98
हरियाणा	-336.84	-303.56	-400.81	-750.34	-1,454.71
कर्नाटक	7,379.00	1,575.20	772.11	-26.07	2,321.24
केरल	2,205.20	1,497.79	-112.43	-273.38	1,111.99
मध्य प्रदेश	336.35	704.55	-606.55	-3,187.61	-3,089.61
महाराष्ट्र	1,263.71	616.17	-1,165.98	-3,990.59	-4,540.39
उड़ीसा	-949.87	-589.07	-1,129.05	-1,256.58	-2,975.00
पंजाब	-1,836.37	-1,435.88	-2,397.22	-2,775.50	-6,608.60
राजस्थान	1,283.95	-786.46	-2,978.68	-3,988.37	-7,753.52
तमिलनाडु	2,956.15	160.97	-1,292.09	-2,132.46	-3,263.57
उत्तर प्रदेश	49.87	-3,496.66	-4,324.59	-6,623.22	-14,444.46
पश्चिम बंगाल	-9,880.60	-1,955.06	-3,887.00	-6,096.74	-11,938.80
कुल (15 एनएससीएस)	9,441.51	-5,790.33	-19,511.90	-38,188.52	-63,490.75
कुल 25 राज्य	3,814.19	-9,991.25	-24,391.84	-45,214.59	-79,579.68

नोट : राज्यों की अपनी निधियों में बी सी आर, एसएलपीईज का अंशदान, एमसीआर, विशेष टीएफसी अनुदान, डीसी-सीएम बैठक में सहमत एआरएम, अधिशेष का समायोजन और स्थानीय निकायों से निवल अधिशेष, शामिल हैं।

लघु उद्योगों की संख्या

2486. श्री एस० पी० लेपचा : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों से देश में राज्य-वार कुल कितने लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग हैं, और

(ख) 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 में इन उद्योगों का सकल घरेलू उत्पाद में कितना अंश था ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1998-1999, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान कुल पंजीकृत लघु इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। मार्च, 1999 के अंत तक खादी तथा ग्रामोद्योग (के. वी.आई.) क्षेत्र के अंतर्गत 5,149 पंजीकृत संस्थान, 30,130 कोओपरेटिव सोसाईटियां तथा 7,98,435 व्यक्ति कार्यरत हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) सकल घरेलू उत्पाद (1993-94 मूल्य) में इन उद्योगों का अंशदान 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 में अनुमानत: लगभग 8 प्रतिशत है।

विवरण-I

लघु इकाइयों (सीडी) की अखिल भारतीय संचित संख्या, जिन्हें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, उद्योग निदेशालयों द्वारा वित्त वर्ष तक स्थाई पंजीकरण दिया गया है, को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1998-1999	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
				Pj
01.	आन्ध्र प्रदेश	124950	128321	135738
02.	असम	23136	24109	25503
03.	बिहार	119107	123750 P	130903
04.	गुजरात	164785	174899	185008
05.	हरियाणा	82543 P	83448 P	88271
06.	हिमाचल प्रदेश	15941	16602	17562
07.	जम्मू एवं कश्मीर	28976	30289	32040
08.	केरल	184166	202325	214019
09.	मध्य प्रदेश	267954 P	273248 P	289042
10.	महाराष्ट्र	135016	143457	151749
11.	मणिपुर	5439	5588	5911
12.	मेघालय	2514	2711	2868
13.	नागालैण्ड	813	1059	1120
14.	उड़ीसा	18732	19513	20641
15.	पंजाब	151180	152768	161598
16.	राजस्थान	80229	83651	88486
17.	तमिलनाडु	284943	313861	332002
18.	त्रिपुरा	5999	6056	6406
19.	उत्तर प्रदेश	361033	380607 P	402606
20.	पश्चिम बंगाल	150327	151340	160087
21.	सिक्किम	312	330	349
22.	अण्डमान और निकोबार	1151	1180	1248
23.	अरूणाचल प्रदेश	959	971	1027
24.	चण्डीगढ़	3007	3042	3218
25.	दादरा एवं नगर हवेली	870	978	1035
26.	दिल्ली	25306	25342	26807
27.	गोवा	5761	5921	6263
28.	लक्षद्वीप	63	72	76
29.	मिजोरम	4028	4413	4668
30.	पांडिचेरी	4722	4873	5155
31.	दमन एवं द्वीप	1455	1597	1594
	अखिल भारतीय जोड़	2406092	2526175	2672188

पी.अनंतिम, पीजे प्रक्षेपित

विवरण-II

दिनांक 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार के.वी.आई. क्षेत्र के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थानों, कोआपरेटिव सोसाइटियों तथा व्यक्तियों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पंजीकृत संस्थानों की संख्या	कोआपरेटिव सोसाईटियों की संख्या	व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5
01.	आन्ध्र प्रदेश	284	2427	115910
02.	असम	35	298	7517

1	2	3	4	5
03.	बिहार	86	3065	43259
04.	गुजरात	35	897	4222
05.	हरियाणा	362	433	29625
06.	हिमाचल प्रदेश	60	2	17885
07.	जम्मू एवं कश्मीर	22	1264	21492
08.	कर्नाटक	312	3822	15060
08.	केरल	38	1880	12813
09.	मध्य प्रदेश	135	886	19696
10.	महाराष्ट्र	967	2136	37272
11.	मणिपुर	17	293	14003
12.	मेघालय	1	13	7043
13.	नागालैण्ड	5	—	10862
14.	उड़ीसा	77	3531	349
15.	पंजाब	152	794	40778
16.	राजस्थान	110	1586	111673
17.	तमिलनाडु	131	3219	38246
18.	त्रिपुरा	5	-	171
19.	उत्तर प्रदेश	2098	3174	145682
20.	पश्चिम बंगाल	183	260	85365
21.	सिक्किम	—	1	1717
22.	अण्डमान एवं निकोबार	—	—	485
23.	अरूणाचल प्रदेश	2	1	145
24.	चण्डीगढ़	—	15	418
25.	दादरा एवं नगर हवेली	—	—	1
26.	दिल्ली	10	24	5612
27.	गोवा	21	1	4366
28.	लक्षद्वीप	—	8	17
29.	मिजोरम	—	98	4520
30.	पांडिचेरी	1	2	2231
31.	दमन एवं द्वीप	—	—	—
	अखिल भारतीय जोड़	5149	30130	798435

[हिन्दी]

कृषि के लिए निधियां

2487. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कृषि के लिए वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्य-वार कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ख) उक्त राशि किन योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई थी;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने उक्त राशि का उपयोग कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 के दौरान कृषि विकास के लिए आबंटित/निर्मुक्त निधियों का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) उपरोक्त निर्मुक्तियों से प्रभावित प्रमुख स्कीमों की सूची संलग्न विवरण-II में है।

(ग) इन निर्मुक्तियों के सन्दर्भ में राज्य सरकारों द्वारा उपयोग की गयी धनराशि का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दर्शाया गया है।

(घ) और (ङ) प्रस्तावों के विलम्ब से प्रस्तुत करने और प्रचालनात्मक बाधाओं के कारण कभी-कभी राज्य सरकारें निधियों का सम्पूर्ण निधियों का उपयोग नहीं कर पाती हैं।

विवरण-I

वर्ष 1999-2000 के दौरान कृषि विकास हेतु राज्य सरकारों को आबंटित/निर्मुक्त निधियों का विस्तृत विवरण

(लाख रुपये)

क्र०स०	राज्य का नाम	निर्मुक्ति
1.	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	8217.88
2.	अरूणाचल प्रदेश	592.55
3.	असम	543.11
4.	बिहार	519.65
5.	गोआ	200.07

1	2	3
6.	गुजरात	5507.6
7.	हरियाणा	2939.4
8.	हिमाचल प्रदेश	1240.16
9.	जम्मू और कश्मीर	1088.36
10.	कर्नाटक	8758.48
11.	केरल	3181.32
12.	मध्य प्रदेश	8201.21
13.	महाराष्ट्र	12176.94
14.	मणिपुर	1125.58
15.	मेघालय	759.02
16.	मिजोरम	1311.77
17.	नागालैण्ड	1586.02
18.	उड़ीसा	4725.85
19.	पंजाब	2960.32
20.	राजस्थान	9791.82
21.	सिक्किम	560.85
22.	तमिलनाडु	6308.6
23.	त्रिपुरा	1124.08
24.	उत्तर प्रदेश	10738.75
25.	पश्चिम बंगाल	1650.08
	कुल	95809.47

विवरण-II

वर्ष 1999-2000 के दौरान कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की सूची

अनुबंध-II

क्र०स०	स्कीमों का नाम	राज्य जहां क्रियान्वयित की गयी
1	2	3
1.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-चावल	आन्ध्र प्रदेश, असम, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गोआ, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, उडीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
2.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-गेहूं	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश
3.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-मोटे अनाज	गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और सिक्किम
4.	गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत विकास	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, उडीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
5.	गहन कपास विकास कार्यक्रम/कपास प्रौद्योगिकी मिशन	आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उडीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश
6.	विशेष जूट विकास कार्यक्रम	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, उडीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
7.	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना	सभी राज्य

1	2	3
8.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड, उडीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
9.	त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम	आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड, उडीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
10.	वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना	सभी राज्य
11.	उर्वरकों का संतुलित एवं समेकित उपयोग	उत्तर-पूर्व राज्यों को छोड़कर सभी राज्य
12.	छोटे किसानों में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना	सभी राज्य
13.	नदी घाटी परियोजनाओं के आबाद क्षेत्र और बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उडीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा
14.	कृषि में प्लास्टिक का प्रयोग	सभी राज्य
15.	समेकित काजू विकास कार्यक्रम	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उडीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
16.	समेकित मसाला विकास कार्यक्रम	सभी राज्य

विवरण-III

वर्ष 1999-2000 के दौरान की गयी निर्मुक्तियों के संदर्भ में उपयोग की गयी धनराशि का विस्तृत विवरण

(लाख रु०)

क्र०स०	राज्य का नाम	की गयी निर्मुक्तियां	किया गया व्यय
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	8217.88	8614.52
2.	अरूणाचल प्रदेश	592.55	363.08
3.	असम	543.11	498.85
4.	बिहार	519.65	225.85
5.	गोआ	200.07	120.54
6.	गुजरात	5507.6	3948.64
7.	हरियाणा	2939.4	2386.23
8.	हिमाचल प्रदेश	1240.16	842.52
9.	जम्मू और कश्मीर	1088.36	881.24
10.	कर्नाटक	8758.48	5762.07
11.	केरल	3181.32	2565.18
12.	मध्य प्रदेश	8201.21	8016.4
13.	महाराष्ट्र	12176.9	12254.06
14.	मणिपुर	1125.58	665.22
15.	मेघालय	759.02	381.15
16.	मिजोरम	1311.77	1181.08
17.	नागालैण्ड	1586.02	1397.91
18.	उड़ीसा	4725.85	2542.86
19.	पंजाब	2960.32	2044.34
20.	राजस्थान	9791.82	5985.46

1	2	3	4
21.	सिक्किम	560.85	390.85
22.	तमिलनाडु	6308.6	6575.82
23.	त्रिपुरा	1124.08	616.69
24.	उत्तर प्रदेश	10738.8	11736.45
25.	पश्चिम बंगाल	1650.08	1197.28
	कुल	95809.5	81194.31

[अनुवाद]

अधिक्रमण

2488. श्री संतोष मोहन देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रिमण्डलीय नियुक्ति-समिति ने निर्णय लिया है कि उप सचिव, निदेशक तथा समकक्ष पदों/वेतनमानों पर पदोन्नति के समय अधिकारियों में से अधिक्रमण नहीं किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय अखिल भारतीय सेवाओं तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के पदों पर लागू है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे आदेश कब तक जारी किए जाने की संभावना है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) मंत्रिमण्डल की नियुक्ति-समिति ने यह निदेश दिया है कि केन्द्रीय सेवाओं में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे गए अधिकारियों की पदोन्नति में कोई भी अधिक्रमण नहीं हो। पदोन्नतियाँ विनियमित किए जाने की दृष्टि से, मंत्रिमण्डल की नियुक्ति-समिति के इस निदेश के अनुसार, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन किया जाना अपेक्षित है। उपर्युक्त दृष्टि से अपेक्षित अनुमोदन लिए जाने और तत्पश्चात् औपचारिक आदेश जारी किए जाने की दृष्टि से मामले की जांच-पड़ताल कर ली गई है और अपेक्षित प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। पदोन्नतियाँ विनियमित करने वाले मार्गदर्शी सिद्धांत, केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के उप सचिव के स्तर तक के अधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में लागू होते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नतियाँ विनियमित करने वाले मार्गदर्शी सिद्धांत, पहले से ही मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति के उपर्युक्त निदेश के अनुरूप हैं।

मूंगफली का उत्पादन

2489. श्री सी० श्रीनिवासन :
श्री तिरूनावक्करसू :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मूंगफली के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में मूंगफली का राज्य-वार उत्पादन कितना हुआ; और

(ग) देश में मूंगफली के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) प्रमुख मूंगफली उत्पादक राज्यों में सूखे जैसी स्थिति के कारण वर्ष 1998-1999 के उत्पादन की तुलना में वर्ष 1999-2000 के दौरान मूंगफली के उत्पादन में गिरावट आयी है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान राज्यवार मूंगफली उत्पादन संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) देश में मूंगफली उत्पादन बढ़ाने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत उत्पादकों को राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि उन्हें बड़े पैमाने पर मूंगफली की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

विवरण

पिछले दो वर्षों अर्थात 1998-1999 और 1999-2000 के दौरान राज्यवार मूंगफली उत्पादन

(000 मि० मी० टन)

राज्य/संघ क्षेत्र	1998-1999	1999-2000
1	2	3
आंध्र प्रदेश	2155.0	1119.9
बिहार	6.1	6.4
गोआ	2.5	2.2
गुजरात	2577.8	717.5
हरियाणा	1.1	0.7
हिमाचल प्रदेश	0.4	0.4
जम्मू और कश्मीर	—	—
कर्नाटक	1192.1	791.0
केरल	7.0	5.4

1	2	3
मध्य प्रदेश	267.5	252.8
महाराष्ट्र	633.6	545.2
नागालैण्ड	3.0	3.6
उडीसा	72.2	72.6
पंजाब	5.0	6.0
राजस्थान	362.0	264.0
तमिलनाडु	1569.8	1884.6
त्रिपुरा	1.7	1.7
उत्तर प्रदेश	84.8	94.9
पश्चिम बंगाल	37.9	39.6
पांडिचेरी	2.1	1.9
अखिल भारत	8981.60	5310.4

लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पैकेज

2490. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर विभिन्न पैकेज दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो पैकेज-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र ने 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान जनवरी तक देश के औद्योगिक विकास में कोई योगदान किया है;

(घ) यदि हां, तो 31 जनवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) लघु, अति लघु और ग्रामोद्योगों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के लिए नीतिगत उपाय 6 अगस्त, 1991 को घोषित किए गए थे जिससे कि लघु उद्योग क्षेत्र की जीवनशक्ति और संवृद्धि को प्रोत्साहन मिल सके और इस अर्थव्यवस्था को विशेष रूप से उत्पादन रोजगार और निर्यातों में संवृद्धि के संबंध में अपनी पूर्ण शक्ति से योगदान देने योग्य बनाया जा सके।

लघु उद्योगों और अति लघु क्षेत्र के लिए व्यापक नीतिगत पैकेज की घोषणा 30 अगस्त, 2000 को की गई थी ताकि इस क्षेत्र को सुदृढ़ बनाया जा सके और घरेलू तथा वैश्विक दोनों स्तरों पर इसकी प्रतियोगितात्मकता को बढ़ाया जा सके। नीतिगत पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं : क्रेडिट तक सरलता से पहुंच 25 लाख रुपये तक के समपार्श्विक रहित संयुक्त ऋणों की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी उन्नयन और सुधरी हुई आधारभूत संरचना हेतु पूंजी राज सहायता।

(ग) और (घ) औद्योगिक उत्पादन के प्रति लघु उद्योग का योगदान वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान क्रमश: 39.55 प्रतिशत और 39.53 प्रतिशत था। 2001-01 के लिये आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है। लघु उद्योग क्षेत्र के औद्योगिक उत्पादन में योगदान के राज्यवार आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

2491. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को पूरी तरह लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक क्या उपलब्धि रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) राष्ट्रीय बीमा योजना देश में व्यापक फसल बीमा स्कीम को प्रतिस्थापित करके वर्ष 1999-2000 मौसम से लागू की गई है। प्रथम दो फसल मौसमों (रबी 1999-2000 और खरीफ, 2000) में महाराष्ट्र राज्य सहित 16 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने इस स्कीम का कार्यान्वयन किया।

(ख) विशेषकर महाराष्ट्र में रबी 1999-2000 के दौरान धान, गेहूं, ज्वार, चना, सूरजमुखी, मूंगफली, कुसुम और गन्ना को कवर किया गया है तथा खरीफ 2000 में धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मूंगफली, रामतिल, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, हरी मूंग, काला चना, तूर, गन्ना और कपास को शामिल किया गया है।

दो फसल मौसमों के दौरान किसानों, क्षेत्र कवरेज आदि के संबंध में शेष क्रियान्वयक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की तुलना में महाराष्ट्र में स्कीम की कवरेज की प्रगति इस प्रकार है :

	महाराष्ट्र	शेष क्रियान्वयक राज्य/संघ शासित क्षेत्र
किसान	2140359	8442244
क्षेत्र (है)	2376382	13194268
बीमित रकम (लाख रु०)	151070	668463
प्रिमियम (लाख रु०)	3587	19523

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में वैज्ञानिकों के दौरे

2492. श्री वाई० एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र के निदेशक की अध्यक्षता में सात-सदस्यीय वैज्ञानिक दल तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश में अनंतपुर, बक्कारामसमुद्रम, रामगिरि तथा चेन्नेकोतापल्ली मंडलों में बुडनेकोसिस प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस स्थिति में बुडनेकोसिस को रोकना संभव नहीं है परन्तु एहतियाती उपायों से इसे अगले वर्ष होने से रोका जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या जिला कृषि विभाग ने कुल 7.63 लाख हैक्टर के 10 प्रतिशत की हानि प्रदर्शित की है;

(घ) यदि हां, तो वैज्ञानिकों द्वारा अन्य क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र जूनागढ़ के निदेशक की अध्यक्षता में छः सदस्यीय वैज्ञानिक दल ने अनन्तपुर में बुडनेकोसिस प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। जिन क्षेत्रों/मण्डलों का दौरा किया उनमें कल्याणदुर्ग क्षेत्र (सेटूलर, ब्रह्मसमुन्दरम, कुन्डूरपी) बथालापल्ली (बथालापल्ली तथा संजीवपुरम), मुन्डीगुप्पा (शनाविरीपल्ली तथा गुम्माकुन्टा), कादिरी शामिल थे।

(ख) वैज्ञानिकों ने यह पाया कि चूंकि फसल के जल्दी पकने की भावना है इसलिए रोग फैलने की आगे संभावना नहीं है और इस प्रकार फसल में इस अवस्था में कोई पौध संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। तथापि पछेती बुआई तथा आने वाली रबी फसल को कीटनाशी अथवा वानस्पतिक (नीम आधारित उत्पाद) की अनुशंसित मात्रा से संरक्षण किया जा सकता है चाहे इन क्षेत्रों में इसका कितना भी प्रकोप हुआ हो।

(ग) उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि अनन्तपुर जिले में विषाणु का प्रकोप ज्यादा था जहां 7.84 लाख हैक्टर क्षेत्र में से 2.31 लाख हैक्टर क्षेत्र रोग से प्रभावित था।

(घ) अन्य सिफारिशें इस प्रकार से हैं :-

किसानों को सामुदायिक आधार पर उपयुक्त छिड़काव यंत्र उपलब्ध कराने चाहिए।

अनन्तपुर के साथ लगे क्षेत्रों की फसलों में भी रोग के प्रकोप/वाहक की निगरानी की जाए।

हालांकि ए. एन. जी. आर. ए. यू. हैदराबाद द्वारा सिफारिश की गई है तथापि कम पौध संख्या के कारणों की जांच करने और आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

विश्वविद्यालय अनुसंधान केन्द्रों द्वारा थ्रिप्स की प्रतिदिन के आधार पर लगातार निगरानी का कार्य तत्काल किया जाना चाहिए। प्रजातियों में इसके विवरण की प्रकृति और मात्रा की पहचान जरूरी है जो कि प्रमुख 'वेक्टर' के रूप में क्रियाशील रहती है।

फसल प्रणालियों के बीच पारस्परिक संबंधों, विशेषकर अन्तर फसल की भूमिका और थ्रिप्स तथा मूंगफली, कलिका नेकोसिस विषाणु (पी बी एन वी) की भूमि को भली प्रकार समझा जाना है क्योंकि यह विश्वविद्यालय संबंधित क्षेत्र में अन्तर फसल/अन्य प्रजातियों को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है।

मूंगफली की अब तक जारी की गई सभी किस्मों का थ्रिप्स तथा पी बी एन पी के प्रतिरोधी की दृष्टि से परीक्षण करने की आवश्यकता है। खेती के लिए उपयुक्त जननद्रव्य तथा जंगली प्रजातियों की भली प्रकार छंटाई की जानी चाहिए।

रोग के स्रोत के रूप में विशिष्ट क्षेत्रों में सहपोषक थ्रिप्स तथा पी बी एन वी की भूमिका निर्धारित की जा सकती है। इसी प्रकार थ्रिप्स के प्राकृतिक शत्रुओं की पहचान किये जाने की भी आवश्यकता है।

मध्यम अवधि के पूर्वानुमान के लिए मौसम-वाहक-विषाणु-पोषक संबंध भी विकसित किये जाने चाहिए। यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर आरंभ होना चाहिए।

किसी क्षेत्र विशेष में उगाये जाने वाली प्रमुख फसलों के अलावा किसी अन्य फसल में उपरोक्त दोनों को प्रसार किस सीमा तक हो सकता है, इसका भी ठीक-ठीक निर्धारण किया जाना चाहिए।

अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (मूंगफली) प्रणाली के द्वारा पूरे भारत वर्ष में थ्रिप्स तथा पी बी एन वी के विषाणुओं की निगरानी का कार्य शुरू किया जाना चाहिए।

विशिष्ट रोगों वाले क्षेत्रों में विषाणुओं के गुण निर्धारण का कार्य शुरू करने की आवश्यकता है।

प्रतिरोधी किस्मों के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि कवच प्रोटीन जीन तथा प्रति स्थापित जीन हस्तान्तरण प्रौद्योगिकी का उपयोग हो सकता है।

कृषि प्रणाली में विविधीकरण लाने से किसान किसी रोग के होने वाले आकस्मिक प्रकोप का सामना करने में समर्थ होंगे।

(ङ) (I) पीनट बड नीकोसिस विषाणु की प्रतिक्रिया के लिए अनन्तपुर जिलों सहित हाट स्पाट में अखिल भारतीय अनुसंधान परियोजना (मूंगफली) के अन्तर्गत मूंगफली के जारी कल्टीवर्स की जांच की जा रही है।

(II) नियंत्रण उपायों सहित रोग के विभिन्न पहलूओं के अध्ययन के लिए एक राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना को, जिसका शीर्षक "मूंगफली के तना नेकोसिस रोग के नियंत्रण के लिए एक समेकित दृष्टिकोण" है, 42.574 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

(III) कृषि तथा सहकारिता विभाग ने कार्य योजना बनाने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है ताकि कीटव्याधियों की निगरानी की जा सके और प्रमुख फसलों में लगने वाले नाशीजीव से होने वाले रोगों के लिए किसानों को चेतावनी देने के लिए एक स्थान विशिष्ट रोग व्याधि निगरानी प्रणाली की स्थापना के लिए कार्य योजना का सुझाव दिया जा सके। यह कार्यदल नाशीजीव और रोगों के नियंत्रण के विभिन्न उपायों के प्रचार संबंधी कार्य की योजना तैयार करने तथा नाशीजीव और रोगों के नियमित जैविक निगरानी के लिए राज्य विस्तार प्रणाली को क्रियाशील बनाने के लिए भी सुझाव देना।

एड्स जागरूकता कार्यक्रम

2493. श्री एम० के० सुब्बा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एड्स जागरुकता और नियंत्रण कार्यक्रम संवादहीनता तथा लक्षित आबादी तक पहुंचने में मीडिया और प्रचार माध्यमों की असफलता के कारण असम, सिक्किम तथा अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में अपने लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण और निवारण कार्यक्रम तथा संबंधित राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियां लक्षित श्रोताओं तक पहुंचने के लिए मीडिया का प्रभावी रूप से उपयोग कर रही हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े की तुलना से पता चलता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में एस आई वी/एड्स के बारे में जागरुकता/जानकारी बढ़ी है।

एड्स की जानकारी

एक तुलनात्मक विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2(1998-99) 15-49 आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं की प्रतिशत जिन्हें एड्स की जानकारी है	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1(1992-93)	
1.	अरूणाचल प्रदेश	60.40	16.20	16.20
2.	असम	33.70	8.40	
3.	मणिपुर	92.90	72.50	
4.	मेघालय	44.20	26.70	
5.	मिजोरम	93.20	84.80	
6.	नागालैण्ड	72.40	40.90	
7.	सिक्किम	53.60	—	
8.	त्रिपुरा	53.60	13.20	

* प्रेस में जाने के समय क्षेत्र कार्य चल रहा था

** एड्स के बारे में जानकारी पर प्रश्न सिर्फ 13 राज्यों में किए गए

(ग) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलाप किए हैं।

इलैक्ट्रानिक मीडिया

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन एच आई वी/एड्स निवारण एवं नियंत्रण संबंधी संदेशों के प्रसारण के लिए प्राइम टाइम के दौरान दूरदर्शन और प्राइवेट सेटेलाइट चैनल की व्यापक पहुंच का उपयोग कर रहा है। इनमें यौन संचारित रोगों, रक्त निरापदता और स्वैच्छिक रक्तदान के संबंध में संदेश शामिल हैं। कुछ विशिष्ट कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:

माधुरी दीक्षित स्पॉट का प्रसारण

लोकप्रिय फिल्मी सितारे माधुरी दीक्षित को चित्रित करते हुए प्रख्यात फिल्म निर्माता श्री जब्बार पटेल द्वारा बनाए गए स्पाट प्राइम टाइम चैनलों पर प्रसारित किए गए हैं। इसका उद्देश्य जागरुकता पैदा करना और परिवार में एच आई वी/एड्स के कठिन विषय पर चर्चा करने के

लिए महिलाओं को शक्ति प्रदान करना और संक्रमण को आगे और फैलने से रोकना है।

युवाओं के लिए अभियान

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण ने एच आई वी के प्रति युवाओं की असुरक्षा पर प्रकाश डालते हुए दो श्रव्य और दो दृश्य स्पाट तैयार किए। ये स्पाट थाम्पसन सोशल द्वारा सजीव फार्मेट में तैयार किए गए और नवम्बर 15 दिसम्बर, 31, 2000 से दूरदर्शन, सैटेलाइट दूरदर्शन और रेडियो पर प्रसारित किए गए। प्रेस विज्ञापनें भी इस अभियान के भाग के रूप में तैयार किए गए। नए कार्यकलाप चलाने से पहले अब इस अभियान के प्रभाव का मूल्यांकन करने का प्रस्ताव है।

आकाशवाणी

ग्रामीण और प्रवासी युवाओं के लिए नाटक रूप ने एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है। 'जियो और जीनो दो' जून, 1998 से आकाशवाणी के 30 वाणिज्यिक प्रसारण स्टेशनों पर प्रसारित किया जा रहा है। 10 मिनट का कार्यक्रम मंगलवार संख्या 8 बजे 12 भाषाओं में प्रसारित किया जाता है।

आकाशवाणी एफ एम

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन शहरी युवाओं तक पहुंचने में मनोरंजन एवं शिक्षा को मिश्रित करने के लिए एफ एम चैनल का उपयोग कर रहा है। एक घंटे का 'नाको फिल्म हिट पैरेड' नामक कार्यक्रम दिल्ली में आकाशवाणी चैनल पर प्रत्येक सप्ताह एक घंटे के लिए प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम को बड़ी संख्या में लोगों से व्यापक एवं सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है जो चिकित्सा सलाह एवं परामर्श प्राप्त करने के लिए दिए गए टेलीफोन नम्बर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं।

ग्रामीण पहुंच और प्रेस कार्यकलाप

वर्ष 1994 से भारत सरकार का गीत एवं नाटक प्रभाग एड्स जागरुकता अभियान में लगा हुआ है। इसने कई नुक्कड़ नाटक, गीत एवं नाटक तैयार किए हैं और कई राज्यों में नाटक के स्थानीय दलों को शामिल करके 400 विभिन्न स्थानों पर अभिनय किया है। क्षेत्र प्रचार निदेशालय ने भी अभियान में भाग लिया है। इसके सभी 260 क्षेत्र एककों ने एड्स जागरुकता के लिए सेमिनारों, वाद-विवाद/निबंध और क्विज प्रतियोगिताओं जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किया है। पैनल चर्चा, फिचर्स, फोन-इन कार्यक्रम आदि की व्यवस्था करके देश के विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों के माध्यम से बड़ी संख्या में कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।

भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो ने एच आई वी/एड्स विषय से क्षेत्रीय प्रेस को अवगत कराने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

राष्ट्रीय एड्स टेलीफोन हेल्पलाइन

एच आई वी/एड्स से संबंधित विषयों में जानकारी और परामर्श प्रदान करने के लिए एक शुल्क मुक्त राष्ट्रीय एड्स टेलीफोन हेल्पलाइन की स्थापना की गई है। यह चार अंकों का कम्प्यूटरीकृत नम्बर 1097 है जिसमें वाइस रिस्पॉस सिस्टम है जो टेलीफोन हॉटलाइन से जुड़ा है। यह बहुत लोकप्रिय सेवा है क्योंकि इसमें टेलीफोन करने वाले व्यक्ति की गोपनीयता बनी रहती है और उसे बिना अपनी पहचान बताए अपने सन्देह का स्पष्टीकरण मिल जाता है और वैयक्ति परामर्श प्राप्त होता है। टेलीफोन हेल्पलाइन सेवा देशभर के 35 शहरों/नगरों में उपलब्ध है।

स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम

युवा लोग एच आई वी/एड्स के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं। स्कूल एड्स शिक्षा महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है जिसमें जागरुकता स्तर बढ़ाने, जोड़ों के दवाब का प्रतिरोध करने, तथा सुरक्षित और उत्तरदायी जीवन शैली विकसित करने के लिए युवा छात्रों का उपयोग करने का बल दिया जाता है इस कार्यक्रम को पारिवारिक मूल्यों और विपरीत लिंग के प्रति सम्मान दिखाने की बात से सुदृढ़ किया गया है। कार्यकलापों में शिक्षकों और छात्रों में जोड़ों को शिक्षा देने, भूमिका निभाने, भाषण, चर्चा, प्रश्न पेटी और यदि आवश्यक हो तो रेफरल सेवाओं तक पहुंच शामिल है।

यूनिसेफ और महाराष्ट्र में स्थित गैर सरकारी संगठन सेवाधाम के परामर्श से जिसने कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू किया है, कार्यक्रम के लिए एक प्रशिक्षण मॉडयूल तैयार किया गया है।

यूनीवर्सिटी टांक एड्स प्रोजेक्ट

यूनीवर्सिटी टांक एड्स प्रोजेक्ट अक्तूबर, 1991 में आरम्भ की गई थी और यह राष्ट्रीय सेवा योजना, युवा कार्य और खेल विभाग तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के बीच एक सहयोगी सहभागिता है। परियोजना में कार्यशालाओं, संगोष्टियों और छात्रों और युवाओं के लिए विशेष रूप से तैयार की गई लिखित सामग्री के माध्यम से एच आई वी/एड्स से संबंधित विषयों पर जानकारी प्रदान करना शामिल हैं। परियोजना के मूल्यांकन से पता चलता है कि यह देशभर की 7595 संस्थाओं और 6.5 मिलियन युवाओं तक पहुंचा है।

इसके अतिरिक्त बल दिए जाने वाले लक्षित कार्यकलाप कार्यक्रम जो असुरक्षित और उपेक्षित समूहों तक पहुंचते हैं, भी सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन राज्यों में 44 ऐसे लक्षित कार्यकलाप इस समय किए जा रहे हैं।

पौध संगरोध का आधुनिकीकरण

2494. श्री अनंत गंगाराम गीते : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में पौध संगरोध सुविधाओं तथा पौध संरक्षण में प्रशिक्षण के आधुनिकीकरण कार्यक्रम की प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी उपलब्धियां हासिल की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद यैसो नाईक) : (क) नई बीज विकास नीति के संदर्भ में पादप संगरोध सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के कार्यक्रम की प्रगति के संबंध में पादप संगरोध केन्द्र, मुम्बई को आधुनिकीकरण के लिए मुख्य केन्द्र में से एक के रूप में अभिज्ञात किया गया है। क्षेत्रीय पादप संगरोध केन्द्र, मुम्बई के कर्मचारियों को आधुनिक उपकरण तथा साथ ही विदेश में प्रशिक्षण दिया गया है। जहां तक महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में पादप रक्षण/समेकित कृमि प्रबंध में प्रशिक्षण का प्रश्न है, राज्य सरकार वर्ष 1994 से समेकित कृमि प्रबंध दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रही है तथा कृषक क्षेत्रीय विद्यालयों/समेकित कृमि प्रबंध प्रदर्शन के जरिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। वर्ष 1999-2000 के दौरान किसानों के प्रशिक्षण में राज्य की जिलेवार उपलब्धि का उल्लेख संलग्न विवरण-I में किया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पादप रक्षण/समेकित कृमि प्रबंध में राज्यवार उपलब्धियां संलग्न विवरण-II में दर्शायी गई है।

विवरण-I

महाराष्ट्र में वर्ष 1999-2000 के दौरान जिलेवार कृषक प्रशिक्षण दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	जिला	प्रशिक्षित किसान
1	2	3
1.	थाने	—
2.	रायगढ़	10
3.	रत्नागिरि	8
4.	सिंधुगढ़	11
5.	नासिक	36
6.	धुले	34
7.	जलगाँव	45
8.	अहमदनगर	32
9.	पूणे	29
10.	शोलापुर	47
11.	सतारा	35
12.	संगली	38
13.	कोल्हापुर	30
14.	औरंगाबाद	43
15.	जलना	36
16.	बीड़	20
17.	लातुर	16
18.	ओसमानाबाद	22
19.	नांदेण	21
20.	प्रभान	19
21.	बुलधाना	50
22.	अकोला	21
23.	अमरावती	23
24.	योतमल	29
25.	वर्धा	268
26.	नागपुर	398
27.	बंधारा	196
28.	चन्द्रपुर	41
29.	गरछीरोली	52
	कुल	1610

विवरण-II

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान राज्यों में मौसम पर्यापत प्रशिक्षण और कृषक क्षेत्रीय विद्यालयों के जरिए राष्ट्रीय पादप रक्षण प्रबंध संस्थान में पादप रक्षण/आई.पी.एम. में कृषि अधिकारियों के प्रशिक्षण में राज्यवार उपलब्धि

क्र० सं०	राज्य/सं०शा० क्षेत्र	प्रशिक्षित कृषि अधिकारियों की संख्या 1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	419	335	295
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	—	—
3.	असम	121	95	42

1	2	3	4	5
4.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	20	30	20
5.	बिहार	135	85	69
6.	गोआ	24	26	25
7.	गुजरात	92	24	83
8.	हरियाणा	93	95	36
9.	हिमाचल प्रदेश	63	62	56
10.	जम्मू और कश्मीर	86	82	66
11.	कर्नाटक	384	264	161
12.	केरल	26	15	25
13.	मध्य प्रदेश	170	168	194
14.	महाराष्ट्र	204	207	151
15.	मिजोरम	57	85	25
16.	नागालैण्ड	24	86	31
17.	उडीसा	132	124	183
18.	पंजाब	182	142	111
19.	राजस्थान	113	38	20
20.	सिक्किम	40	34	34
21.	तमिलनाडु	215	123	159
22.	उत्तर प्रदेश	330	162	87
23.	पश्चिम बंगाल	100	111	130
24.	पांडिचेरी	5	1	3
25.	दिल्ली	—	—	—
26.	मणिपुर	—	15	—
27.	मेघालय	—	—	—
28.	त्रिपुरा	24	57	—
	कुल	3060	2466	2006

[हिन्दी]

'एड्स' पर व्यय

2495. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान 'एड्स' संबंधी विभिन्न जागृति अभियानों पर कितना व्यय किया गया तथा वर्ष 2001-2002 के दौरान कितनी अनुमानित धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है,

(ख) सरकार द्वारा एच.आई.वी. के लिए एलीसा परीक्षण हेतु प्रति व्यक्ति औसतन कितना व्यय किया गया,

(ग) क्या सरकार इस अभियान को प्रोत्साहन करने के लिए देश के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में सीरिंजों और सुइयों को नि:शुल्क या लागत आधार पर उपलब्ध करवाने पर विचार कर रही है,

(घ) यदि हां, तो कब तक, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) गत 4 वर्षों के दौरान एड्स जागरुकता हेतु निधियों का निर्धारित आबंटन और वर्ष 2001-2002 के लिए अनुमान इस प्रकार हैं :-

	(लाख रुपए में)
1997-98	3907.32
1998-99	3955.39
1999-2000	6347.27
2000-2001	7450.00
20001-20002	7760.00

(ख) एच.आई.वी. हेतु एलिशा जांच करने के लिए सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति औसत व्यय लगभग 50 रुपए है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। भारत सरकार ने सभी स्वास्थ्य परिचर्या क्रियाकलापों में सार्वभौमिक जैव-सुरक्षा सावधानियां सुनिश्चित करने के लिए विसंक्रमित सिरिंजों एवं सुईयों के प्रयोग के बारे में चिकित्सा और परा-चिकित्सा कार्यकर्ताओं को सुग्राही बनाने हेतु एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है।

[अनुवाद]

तेल के उत्पादन में कमी

2496. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष खरीफ तिलहन फसल आशा से कम हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस कमी ने तेल उत्पादन को किस सीमा तक प्रभावित किया;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रारम्भिक तिलहनों को बदलने के लिए राइस-ब्रॉन, बिनोला आदि के उपयोग को प्रोत्साहित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो केवल कच्चे माल के घरेलू स्रोतों का उपयोग करने की नीति तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) देश के कई राज्यों में सूखे जैसी स्थिति के कारण पिछले खरीफ मौसम के दौरान तिलहन उत्पादन की तुलना में इस वर्ष खरीफ तिलहन उत्पादन में मामूली कमी आई है।

(ग) चूंकि चालू खरीफ मौसम अभी समाप्त नहीं हुआ है, अत: तिलहन और खाद्य तेलों के उत्पादन में कमी का जायजा लेना संभव नहीं है।

(घ) और (ङ) कुल वार्षिक तिलहन के अलावा चावल की भूसी, कपास के बीज, आम की गुठली आदि के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। साबुन, रनेहक आदि में ऐसे तेलों के उपयोग के लिए मिलवालों (मिलर्स) और निर्माताओं को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

चावल की किस्में

2497. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक ने 2000-2001 में आन्ध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्रों में उपयोग हेतु चावल की कोई नई किस्में तैयार कीं,

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश के पर्याप्त सिंचित क्षेत्रों में लगाई गई उक्त नई किस्मों का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा बीज की कितनी मात्रा की आपूर्ति की गई; और

(घ) अब तक इससे क्या प्रगति हासिल हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक ने उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों के लिए उपयुक्त तीन नई किस्में नामत: पूजा, शारदा और दुर्गा विकसित की हैं। यह जांच की जा रही है कि क्या ये किस्में आन्ध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं।

(ख) केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक ने आन्ध्र प्रदेश के भली प्रकार से सिंचित प्रदेशों के लिए कोई नई किस्म विकसित नहीं की है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

उच्च शिशु मृत्यु-दर

2498. श्री तिरुनावकरसू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य विकासशील देशों की तुलना में देश में शिशु मृत्यु दर अभी भी बहुत ऊंची है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) स्टेट आफ दी वर्ल्ड पापुलेशन, 1999 के अनुसार भारत और कुछेक पड़ोसी देशों की अनुमानित शिशु मृत्यु-दर संलग्न विवरण-I में दी जाती है।

(ख) नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार प्रमुख राज्यों की वर्ष 1999 की शिशु मृत्यु-दर के अनन्तिम अनुमान संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

(ग) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत शिशु मृत्यु-दर कम करने के लिए वेक्सीन से रोके जा सकने वाले छह रोगों के विरुद्ध रोगप्रतिरक्षण, अतिसार और तीव्र श्वसनीय संक्रमणों के कारण मौतों की रोकथाम, अनिवार्य नवजात परिचर्या की व्यवस्था, विटामिन ए और लौह की कमी के लिए रोग निरोधक प्रदान किए जा रहे हैं।

विवरण-I

विकासशील देशों में शिशु मृत्यु-दर

विकासशील देश	शिशु मृत्यु-दर
अफगानिस्तान	152
बंगलादेश	79
भारत	72
नेपाल	83
पाकिस्तान	74
श्रीलंका	18
कम विकसित क्षेत्र	63

स्रोत : दी स्टेट आफ दी वर्ल्ड पापूलेशन, 1999

विवरण-II

शिशु मृत्यु-दर 1999 (अनन्तिम)
(प्रमुख राज्य)

राज्य	शिशु मृत्यु-दर
आन्ध्र प्रदेश	66
असम	76
बिहार	66
गुजरात	63
हरियाणा	68
कर्नाटक	58
केरल	14
मध्य प्रदेश	91
महाराष्ट्र	48
उडीसा	97
पंजाब	53
राजस्थान	81
तमिलनाडु	52
उत्तर प्रदेश	84
पश्चिम बंगाल	52

स्रोत : नमूना पंजीयन पद्धति

संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का अनुसमर्थन

2499. **श्री विजय हान्दिक :**
श्री चन्द्रभूषण सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्पीड़न तथा अन्य क्रूर, अमानवीय व्यवहार या दण्ड के विरुद्ध आयोजित संयुक्त राष्ट्र, अभिसमय का अनुसमर्थन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) भारत ने उत्पीड़न और अन्य क्रूर, अमानवीय व्यवहार अथवा दण्ड के विरुद्ध संयुक्त अभिसमय पर 14 अक्टूबर, 1997 को हस्ताक्षर किया। तथापि, भारत ने अभी तक इस अभिसमय का अनुसमर्थन नहीं किया है क्योंकि अपने कानून को अभिसमय के प्रावधानों के अनुरूप लाने के लिए संशोधन करने की आवश्यकता की जांच की जा रही है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी वैसे ही यदि आवश्यक हुआ तो कानून में आवश्यक संशोधन कर दिया जाएगा, तब सरकार इस अभिसमय का अनुसमर्थन करने की स्थिति में होगी।

[हिन्दी]

सार्क देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध

2500. **डा० संजय पासवान** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों के दौरान सार्क देशों के साथ विशेषकर नेपाल के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने के संबंध में हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : भारत के दक्षिण एशिया के देशों के साथ दीर्घकालिक सांस्कृतिक संबंध है। भारत सरकार इन सम्पर्कों को बढ़ाने और इन्हें और सुदृढ़ करने के प्रति वचनबद्ध है।

बड़ी संख्या में सार्क देशों के छात्रों को भारत में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पढ़ने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष इन देशों में आने वाले छात्रों को लगभग 300 द्विपक्षीय छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इनमें से 100 छात्रवृत्तियां नेपाल के लिए हैं। इसके अलावा, भारत ने सार्क देशों के छात्रों के लिए इग्नू द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए 100 सुदूर शिक्षा छात्रवृत्तियां सर्वसम्मति से प्रदान की हैं। बड़ी संख्या में इन छात्रवृत्तियों का लाभ नेपाल के छात्र उठाते हैं।

भारत और नेपाल दोनों के बीच शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदानों को विकसित करने के लिए दोनों सरकारों के अनुमोदन से 1991 में भारत-नेपाल बी.पी. कोइराला फाउंडेशन की स्थापना की गई। इसी प्रकार भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को विकसित करने के लिए 1998 में भारत-श्रीलंका फाउंडेशन की स्थापना की गई। कोलम्बो में एक भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना की गई। बांग्लादेश के साथ एक सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम भी चल रहा है।

काठमांडू, नेपाल में एक नेपाल-भारत सांस्कृतिक केन्द्र पुस्तकालय की स्थापना की गई जिसमें बड़ी संख्या में भारत से सम्बद्ध पुस्तकें और दस्तावेजों का संग्रह है। इसके अलावा भारत नेपाल और दक्षिण एशिया के अन्य देशों में पुस्तकालयों के लिए बड़ी संख्या में पुस्तकें भेंट दे रहा है।

भारत इस वर्ष उत्तराई में भूटान की बौद्ध परम्परा पर एक विशेष प्रदर्शनी की मेजबानी करेगा।

सार्क देशों के साथ द्विपक्षीय आधार पर बड़ी संख्या में सांस्कृतिक मंडलियों का आदान-प्रदान किया गया। श्रीलंका में 1999 में पहला सार्क फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें भारत ने भाग

लिया। भारत ने काठमांडू में 1999 में सम्पन्न दक्षिण एशिया संघ खेलकूद में एक बड़ा दल भेजा। सार्क श्रव्य-दृश्य आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत सार्क क्षेत्र के देशों के बीच रेडियो और दूरदर्शन कार्यक्रमों का नियमित रूप से आदान-प्रदान किया जाता है।

बागवानी तकनीकी आयोग की नियुक्ति

2501. **श्री पवन सिंह घाटोवार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बागवानी तकनीकी आयोग की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो इस तकनीकी कमिशन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस तकनीकी आयोग को किस तिथि को नियुक्त किया गया है; और

(घ) इस आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) जी, नहीं। केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कोई बागवानी तकनीकी आयोग नियुक्त नहीं किया है। किन्तु सरकार ने 21 फरवरी, 2001 को 'सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन' नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का अनुमोदन किया है। स्कीम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

समाभिरूपता प्राप्त करने और वर्तमान कार्यक्रम का समग्र समेकन करके कई चालू स्कीमों के जरिए सहक्रियाशीलता का निर्माण करने तथा उपयुक्त नए कार्यक्रमों द्वारा अंतर कम करने, उत्पादन, कटाई पश्चात् और खपत श्रृंखला में सभी कड़ियों के लिए पर्याप्त, उपयुक्त, समय पर तथा समवर्ती ध्यान सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी मिशन में प्रयास किया गया है। इसे आगे बढ़ाने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग की वर्तमान स्कीमें, जो कृषि के विकास के लिए कार्य कर रही है, किन्तु बागवानी से भी संबंधित है, उन्हें समाभिरूप कर दिया गया है।

सभी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रौद्योगिकी मिशन में 4 मिनिमिशन हैं। मिनिमिशन I प्रौद्योगिकी सृजन और परिष्करण पर केन्द्रित होगा तथा इसका समन्वय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद करेगा। मिनिमिशन II का लक्ष्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है। मिनिमिशन III का लक्ष्य कटाई पश्चात प्रबंध, विपणन और निर्यात है।

इन दोनों मिनिमिशनों का समन्वय कृषि और सहकारिता विभाग करेगा। मिनिमिशन IV का लक्ष्य प्रसंस्करण और संसाधित उत्पादों का प्रवर्धन है जिसका समन्वय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग करेगा।

कृषि शिक्षा

2502. **श्री पी० आर० खूंटे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे जैसे कृषि प्रधान देश में शिक्षा के अन्य क्षेत्रों और विश्व के अन्य देशों की तुलना में कृषि संबंधी शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार कृषि संबंधी शिक्षा के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वर्ष 2000 के दौरान आवश्यक मानवशक्ति आकलन अध्ययन किया है तथा अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर और रोजगार की मौजूदा स्थिति के अनुसार वर्ष 2010 तक स्नातकों की संख्या में कमी आने की कोई संभावना नहीं है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का बजट

2503. **राजकुमारी रत्ना सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत वर्ष में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बजट आवंटनों में कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे कृषि संबंधी अनुसंधान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में कृषि के महत्व के मद्देनजर कृषि संबंधी अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग और वित्त मंत्रालय देश की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए बजट में कटौती करते हैं।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने धनराशि की उपलब्धता

संबंधी सीमा के मद्देनजर विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के लिए अपनी प्राथमिकताओं को फिर से तय किया है ताकि इन पर ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव न पड़ें।

(घ) नौवीं योजना के लिए आवंटित कुल धनराशि प्राप्त करने संबंधी मामले पर योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से बातचीत करते हुए कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के लिए विश्व बैंक से 861.30 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त करने में सफलता मिली है।

[अनुवाद]

पद आधारित रोस्टर

2504. श्री रमेश सी० जीगाजीनागी : क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री 16 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3753 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबंधित सूचना एकत्रित कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों में चाय बागान

2505. श्री पी० आर० किन्डिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में चाय बागवानी के तहत कितना क्षेत्र हैं;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 'टी बोर्ड' द्वारा राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और कितना व्यय किया गया;

(ग) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में चाय बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और चाय उत्पादकों के लिए उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बोर्ड द्वारा प्रत्येक चाय उत्पादक के प्रोत्साहन के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में चाय की खेती के अन्तर्गत कुल क्षेत्र 17215 हेक्टेयर है। सिक्किम में चाय की खेती के अंतर्गत क्षेत्र 202 हेक्टेयर है।

(ख) योजना शीर्ष के अन्तर्गत नौवीं योजनावधि के दौरान अब तक चाय बोर्ड के बजट आवंटन निम्नवत है :-

(करोड़ रुपये)

1997-98	28.00
1998-99	17.00
1999-2000	17.68
2000-2001	49.00*

*इसमें मूल्य राजसहायता स्कीम के लिए आवंटित 17.00 करोड़ रुपये शामिल हैं।

आवंटित बजट का लगभग 50 प्रतिशत उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर व्यय किया जाता है। नौवीं योजनावधि के दौरान अब तक उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर किए गए व्यय का राज्यवार ब्यौरा निम्नवत है :-

(लाख रुपये)

राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
असम (काबरी अगलांग तथा एन.सी. हिल्स सहित)	713.47	848.85	702.05	655.49
त्रिपुरा	23.29	154.69	78.81	25.59
अरूणाचल प्रदेश	68.71	32.27	66.06	55.06
नागालैण्ड	7.31	7.89	3.41	19.10
मेघालय	—	—	4.01	1.07
मणिपुर	9.08	—	—	7.62
मिजोरम	—	9.48	—	9.48

(ग) चाय बोर्ड द्वारा निम्नलिखित के लिए चाय उत्पादकों को प्रोत्साहन दिए जाते हैं :-

* चाय क्षेत्र में विस्तार।
* पुराने तथा गैर किफायती प्रखण्डों का पुन:रोपण।
* मौजूदा चाय क्षेत्र का पुनरुद्धार एवं चेकबन्दी।
* पुरानी तथा नकारा चाय मशीनरी के प्रतिस्थापन के माध्यम से गुणवत्ता में सुधार।
* चाय बागानों में सिंचाई सुविधाओं का सृजन।
* असम कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से छोटे उत्पादकों को परामर्श सेवाएं प्रदान करना।

* टी.आर.ए. के माध्यम से बड़े उत्पादकों को अनुसंधान तथा विकास सहायता।

* भारतीय रोपण प्रबंध संस्थान के माध्यम से रोपण प्रबंधकों के लिए प्रबंध प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

* नीलगिरि के छोटे चाय बागानों में उत्तर-पूर्व के छोटे किसानों के अध्ययन दौरों का आयोजन।

* टी.आर.ए. के माध्यम से छोटे उत्पादकों के लिए चाय की खेती के आधुनिक पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

चाय बोर्ड की अन्य स्कीमों के अलावा 'झूम नियंत्रण के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों में चाय विकास स्कीम' नामक एक विशेष स्कीम भी उत्तर-पूर्व में कार्यान्वित की जा रही है।

(घ) और (ङ) चालू योजनावधि के दौरान चाय बोर्ड द्वारा प्रचालित चाय विकास योजना स्कीम से संबंधित एक पुस्तिका जिसमें उद्देश्यों, अर्हता मानदण्डों, प्रचालन पद्धति आदि का उल्लेख है, चाय उद्योग में परिचालित की गई है। समय-समय पर आयोजित संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के माध्यम से भी उत्पादकों को इन स्कीमों की जानकारी दी जाती है। बोर्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बारे में कुछ विशेष बातें ये हैं :-

(1) चाय बागान चाय बोर्ड से पंजीकृत हों।

(2) रोपण के लिए क्षेत्र रोपण की दृष्टि से उपयुक्त हो। इस उद्देश्य हेतु रोपण उपयुक्त मृदा विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त की जानी होती है।

(3) आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में परामर्श सहायता हेतु बड़े उत्पादक (10.12 हेक्टेयर से अधिक) चाय अनुसंधान संगठन, जोरहाट के सदस्य होने चाहिए।

(4) रोपण क्षेत्र दर्शाने वाले सर्वेक्षण मानचित्र प्रस्तुत किया जाए।

(5) निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर व्यवहार्यता का जायजा लेने के लिए बोर्ड के उत्तर-पूर्व स्थित क्षेत्रीय कार्यालय अनुमोदन पूर्व निरीक्षण करेंगे।

(6) रोपण अथवा चाय मशीनरी के लिए ऋण सहायता हेतु भुगतान क्षमता का जायजा लेने के लिए आवेदक कम्पनी की वित्तीय स्थिति की तस्दीक की जाती है।

(7) सम्भावित बड़े तथा छोटे उत्पादकों को उन्नत किस्म की रोपण सामग्री की आपूर्ति के लिए चाय नर्सरी की स्थापना हेतु राज्य सरकार के शीर्ष अधिकरणों को नर्सरी अनुदान दिया जाता है।

उच्च पदों में भ्रष्टाचार

2506. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री रघुनाथ झा :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :
श्रीमती कान्ति सिंह :
श्री मंजय लाल :
श्री भैरू लाल मीणा :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या प्रधानं मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उच्च पदों में भ्रष्टाचार और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक मूल्य की संपत्तियों के मामलों में राज्य-वार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे मामलों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों सहित केन्द्र सरकार के कितने अधिकारी लिप्त पाए गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो, केन्द्रीय सतर्कता आयोग और अन्य केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा कितने मामलों की जांच पड़ताल की गई और कितने मामले मुकदमें के लिए भेजे गए और कितने मामलों में विभागीय कार्रवाई की गई;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले हैं जिनके अभियोजन के लिए सरकार ने अनुमति दे दी है और कितने मामलों को अभी अनुमति दी जानी है; और

(ङ) उच्च पदों से भ्रष्टाचार का निवारण करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले निवारणात्मक/उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) उच्च पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के भ्रष्टाचार और अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसम्पतियाँ रखने के मामलों का राज्य-वार ब्यौरा, केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता। फिर भी, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्ष के दौरान, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों सहित, राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसम्पत्तियाँ रखने के 103 मामले दर्ज किए गए। उपर्युक्त मामलों का वर्ष 1998, 1999 और 2000 का वर्ष-वार ब्यौरा, क्रमश: 24, 39 और 40 रहा।

(ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए मामलों, सुनवाई हेतु भेजे गए मामलों और विभागीय कार्रवाई हेतु सूचित किए गए मामलों की कुल संख्या नीचे दी जा रही है:

	1998	1999	2000
दर्ज किए गए मामलों की संख्या	1156	1186	1116
सुनवाई हेतु भेजे गए मामलों की संख्या	579	627	634
नियमित विभागीय कार्रवाई हेतु भेजे गए मामलों की संख्या	372	307	283

(घ) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दी गई अभियोजन की मंजूरी से संबंधित जानकारी, केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती। फिर भी, इस समय, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा अन्वेषित मामलों में से, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों से संबंधित 109 मामले, संबंधित मंत्रालयों/विभागों में अभियोजन की मंजूरी दिए जाने हेतु लम्बित चल रहे हैं।

(ङ) लोक-सेवाओं में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार के उन्मूलन की आवश्यकता के प्रति सरकार पूर्ण रूप से सचेत है। मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अपने-अपने संगठन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के उत्तरदायी हैं। इस बारे में सरकार, निगरानी, निवारण तथा दण्डात्मक/निवारक कार्रवाई की एक त्रिसूत्रीय रणनीति अपनाती है। यह मानते हुए कि निवारक-सतर्कता एक महत्वपूर्ण पहलू, लोक-प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, नागरिक चार्टर लाने और सुविधा केन्द्र स्थापित करने जैसे प्रशासनिक सुधार के उपाय किए जाने आरम्भ कर दिए गए हैं। कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा और उनके सरलीकरण का कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है। लोक-सेवकों की सेवा शर्तें नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार, भ्रष्टाचार निवारण-अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उनके विरुद्ध की जा रही दंडात्मक कार्रवाई भी, एक निवारक के रूप में कार्य करती है। अनुशासनिक मामलों का शीघ्र निबटाया जाना सुनिश्चित करने का दायित्व, संबंधित मंत्रालय/विभाग का होता है। फिर भी, प्रशासन में कदाचार रोकने की दृष्टि से, लोक-सेवाओं में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान, एक सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है। इस बारे में बनाई गई नीतियाँ, बदलते परिवेश के प्रति और अधिक प्रभावी और संवेदनशील बनाने की दृष्टि से समय समय पर संशोधित की जाती हैं। इस बारे में महत्वपूर्ण पहलकदमी के तौर पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय सतर्कता-आयोग को सांविधिक दरजा देने की दृष्टि से लोक-सभा में केन्द्रीय सतर्कता-आयोग-विधेयक, 1999 को पेश करना और सरकार के काम-काज के संचालन में और अधिक पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाने की दृष्टि से सूचना का स्वातंत्र्य-विधेयक, 2000 पेश करना है।

[हिन्दी]

जम्मू एवं कश्मीर में चिकित्सालयों हेतु विश्व बैंक सहायता

2507. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या विश्व बैंक जम्मू और कश्मीर में अपोलो चिकित्सालयों और औषधालयों की स्थापना करने के लिए धन राशि उपलब्ध करवा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान चिकित्सालयों और औषधालयों की स्थापना के लिए विश्व बैंक से प्राप्त अनुदानों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) इस मंत्रालय के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

[अनुवाद]

राहत सामग्री का वितरण

2508. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :**
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री जी० पुट्टास्वामी गौडा :
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :
श्री रामदास आठवले :
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :
श्री उत्तमराव पाटील
श्री आर० एस० पाटिल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा उपलब्ध कराई गई राहत सामग्री ठीक प्रकार से नहीं पहुंच पायी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को कुछ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों/राहत सामग्री के वितरण में साम्प्रदायिक आधार पर भेदभाव के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने प्रस्तावित हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) निचले स्तर तक राहत पहुंचाने और राहत उपाय करने की मूल जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार से प्राप्त सूचनानुसार प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य बड़े पैमाने पर किये गये हैं।

(ग) से (ङ) राज्य ने सूचित किया है कि धर्म अथवा सम्प्रदाय के आधार पर राहत सामग्री के वितरण में कोई भेदभाव नहीं बरता गया है।

जनसंख्या नियंत्रण

2509. **श्रीमती कान्ति सिंह :**
डा० (श्रीमती) सुधा यादव :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री विजय गोयल :
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री के० करूणाकरन :
डा० वी० सरोजा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण अभियान की असफलता के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन करवाया है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार प्रोत्साहनों और हतोसाहनों के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ नरम प्रकार के कानूनों को लाने पर विचार कर रही है,

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मोटे तौर पर रूपरेखा क्या है.

(घ) क्या संचार माध्यमों में छोटे परिवारों को समृद्ध और खुशहाल दिखाए जाने जैसे बाह्य प्रभावों के कारण निरक्षर परिवारों की जनसंख्या वृद्धि में गिरावट दर्ज की गई है,

(ङ) यदि हां, तो क्या इस प्रकार पड़ने वाले प्रभाव को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) देश में मौजूदा जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं :-

(i) प्रजनन आयु वर्ग के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों (अनुमानित योगदान 60 प्रतिशत) की बड़ी संख्या

(ii) गर्भ निरोधन की पूरी न हो रही जरूरतों (अनुमानित योगदान 20 प्रतिशत) के कारण उच्च मृत्यु दर

(iii) मौजदा उच्च शिशु मृत्यु-दर (अनुमानित योगदान लगभग 20 प्रतिशत) के कारण उच्च प्रजनन इच्छा।

राज्यों की वर्तमान जनसंख्या और देश की जनसंख्या की बढ़ोतरी में वर्ष 1996 से 2016 के दौरान अंशदान की क्षमता में अंतर है।

अनुमानों के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उत्तरांचल में जहां 1996 में भारत की कुल जनसंख्या का 44 प्रतिशत भाग था, वह 2016 में बढ़कर कुल जनसंख्या का 49 प्रतिशत हो जाएगा। अर्थ 1996-2016 के दौरान देश की जनसंख्या में कुल वृद्धि का इन राज्यों का अंशदान 55 प्रतिशत होगा। इन राज्यों द्वारा किए जाने वाले कार्य के आधार पर ही देश में जनसंख्या स्थिर होने का समय और उसका आकार निर्भर करेगा।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा फरवरी, 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 अपनाई गई है जिसे वर्तमान में कार्यान्वित किया जा रहा है। नीति में उल्लिखित कार्यनीतिक विषयों के कार्यान्वयन द्वारा यह आशा है कि सन् 2045 तक देश में जनसंख्या स्थिरीकरण को हासिल कर लिया जाएगा। छोटे परिवार के मानदण्ड को अपनाने के लिए नीति में निम्नलिखित संवर्धनात्मक और प्रेरणात्मक उपाय शामिल किए गए हैं:-

(i) छोटे परिवार के मानदंड का व्यापक प्रचार करने, शिशु मृत्यु-दर और जन्म दर में कमी लाने और प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पूरी कराकर साक्षरता को बढ़ावा देने में अनुकरणीय कार्य निष्पादन के लिए पंचायतों और जिला परिषदों को पुरिष्कृत किया जाएगा और उन्हें सम्मानित किया जाएगा।

(ii) बालिका की जीवन-रक्षा और परिचर्या को बढ़ावा देने के लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जाने वाली बालिका समृद्धि योजना चलती रहेगी। 1 या 2 जन्म क्रम में बालिका के जन्म पर 500 रुपए का नकद प्रोत्साहन दिया जाता है।

(iii) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जाने वाली मातृत्व लाभ योजना चलती रहेगी। 19 वर्ष की आयु के बाद मां बनने वाली महिलाओं को सिर्फ पहले या दूसरे बच्चे के जन्म पर 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। भविष्य में नकद पुरस्कार के संवितरण को प्रसव-पूर्व जांच, प्रशिक्षित जन्म परिचर द्वारा संस्थागत प्रसव, जन्म के पंजीकरण और बीसीजी टीकाकरण के साथ जोड़ा जाएगा।

(iv) परिवार कल्याण से सम्बद्ध एक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की जाएगी। गरीबी रेखा के नीचे वाले वे दम्पति, जो बंध्यकरण करा लेते हैं और जिनके दो से अधिक जीवित बच्चे नहीं हैं, 5000 रुपए तक के (बच्चों सहित) स्वास्थ्य बीमा (अस्पताल में भर्ती होने) के लिए और बंध्यकरण कराने वाले पति/पत्नी के लिए एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, के पात्र होंगे।

(v) गरीबी रेखा के नीचे वाले वे दम्पति, जो विवाह की कानूनी आयु के बाद विवाह करते हैं जो विवाह का पंजीकरण कराते हैं, जिनका पहला बच्चा मां की 21 वर्ष की आयु के बाद पैदा होता है, जो छोटे परिवार के मानदंड को

स्वीकार करते हैं, जो दूसरे बच्चे के जन्म के बाद परिवार नियोजन का स्थायी (टर्मिनल) तरीका अपनाते हैं, उनको पुरस्कृत किया जाएगा।

(vi) ग्रामीण स्तर के स्व-सहायता दलों, जो सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करते हैं, द्वारा आय सर्जक कार्यकलापों के लिए एक सचल प्रचालनात्मक (रिवोल्विंग) निधि स्थापित की जाएगी।

(vii) ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में शिशु सदन और बाल परिचर्या केन्द्र खेले जाएंगे। यह वैतनिक रोजगार में महिलाओं की भागीदारी को सुकर बनायेगा और उसे बढ़ावा देगा।

(viii) विविध प्रसव केन्द्रों में परामर्शी सेवाओं सहित बहनीय विकल्प सुलभ कराये जाएंगे ताकि स्वीकारकर्त्ताओं द्वारा स्वैच्छिक और सोची-समझी सहमति दी जा सके।

(ix) सुरक्षित गर्भपात की सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा और इनका विस्तार किया जाएगा।

(x) नई सामाजिक विपणन योजनाओं के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं को बहनीय बनाया जाएगा।

(xi) ग्रामीण स्तरों पर स्थानीय उद्यमियों को उदार ऋण प्रदान किया जाएगा और रेफरल परिवहन की मौजूदा व्यवस्थाओं को अनुपूरित करने के लिए एम्बूलेंस सेवाएं चलाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।

(xii) लड़कियों के लिए स्व-रोजगार प्रदायक बढ़ी हुई व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(xiii) बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1976 को कड़ाई से लागू करना।

(xiv) प्रसवपूर्व निदान तकनीकी अधिनियम, 1994 को कड़ाई से लागू करना।

(xv) सहायक नर्स-धात्रियों की गतिशीलता को सुनिश्चित करने के लिए उदार ऋणों में वृद्धि की जाएगी।

(घ) से (च) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-II रिपोर्ट में बताया गया है कि अनपढ़ लोगों में भी प्रजननता में कमी आई है। इसका श्रेय मुख्य रूप से छोटे परिवार के मानदण्ड के बारे में जागरुकता अभियान को जाता है। जागरुकता अभियान को निम्नलिखित के जरिए तेज किया जा रहा है :-

(i) छोटे परिवार के मानदण्ड, जन्म में अंतर, रोग प्रतिरक्षण आदि के बारे में इलैक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया के जरिए हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में व्यापक प्रचार किया जा रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मीडिया एकक और कई सामाजिक विपणन संगठन तथा गैर-सरकारी संगठन सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण प्रयासों को सुदृढ़ करने में लगे हैं।

(ii) महिला स्वास्थ्य संघों के सुदृढ़ीकरण, राज्य स्तरीय सेमिनारों, सांस्कृतिक शो, प्रदर्शनी, सड़कों के किनारे पर विज्ञापन के बोर्ड आदि सहित विभिन्न अन्य सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलाप साथ-साथ किए जाते हैं। कार्यक्रम के लिए सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण में जिला साक्षरता समितियों को शामिल करके स्कीम के जरिए स्थान विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। इसके अंतर्गत 227 जिलों को कवर किया गया है।

(iii) परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मेले आयोजित करके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सभी विभागों को शामिल किया जाता है। जनांकिकीय रूप से कमजोर राज्यों में कई मेले आयोजित किए गए हैं। मेले में एक ही जगह एवं एक ही समय में व्यापक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं एक ही जगह प्रदान की जाती है। यह जनसंख्या के विभिन्न वर्गों की आपूरित आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है। इसके प्रति लोगों को जबरदस्त अनुक्रिया रही है एवं उन्होंने इसकी सहराना भी की है।

(iv) देश के कवर न किए गए क्षेत्रों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आधारित प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कैम्प नियमित अन्तराल पर आयोजित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों और नकदी फसलों के मूल्यों में गिरावट

2510. प्रो० रासासिंह रावत :
श्री टी०टी०वी० दिनाकरन :
श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खाद्यान्नों और नकदी फसलों के मूल्य लगातार गिरते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं

(ग) क्या सरकार इस स्थिति को रोकने के लिए कुछ ठोस उपाय करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) पिछले एक वर्ष के दौरान अथवा इसके आसपास कुछ खाद्यान्नों और नकदी फसलों के मूल्यों में गिरावट आई है। देश में कुछ स्थानों पर धान, गेहूँ, सोयाबीन, सूरजमुखी, खोपरा, तोरिया/सरसों आदि के बाजार मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों से नीचे गिरने की सूचना मिली है। खाद्यान्नों की बढ़ी हुई उपलब्धता, खाद्य तेलों का आयात और कम अंतरराष्ट्रीय मूल्य आदि मूल्यों में गिरावट के कारण हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने देश में पहले ही आवश्यक उपाय किए हैं और इन उपायों में न्यूनतम समर्थन मूल्यों और मंडी हस्तक्षेप स्कीम का कियान्वयन, कृषि जिंसों की खरीद, समरूप विनिर्देशों में छूट, आयातों को हतोत्साहित करके तथा निर्यातों को बढ़ावा देकर और व्यापार को एक साधन के रूप में प्रयोग करना शामिल है।

[अनुवाद]

नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 में संशोधन

2511. **प्रो० ए०के० प्रेमाजम** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में संशोधन करने का है,

(ख) क्या इस प्रस्तावित संशोधन की जांच कर ली गई है और संशोधन संबंधी विधेयक संसद के चालू सत्र में पुर:स्थापित कर दिया जाएगा, और

(ग) यदि नहीं, तो इस विधेयक को कब तक पुर:स्थापित कर दिए जाने की संभावना है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्यमंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इस स्तर पर इस संबंध में विधेयक पेश करने के लिए कोई समय सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

बागवानी व्यापार के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान और सूचना ग्रिड की स्थापना

2512. **श्री अनंत गुढे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उद्योगों और सरकार द्वारा संयुक्त रूप से बागवानी व्यापार के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान और सूचना ग्रिड की स्थापना करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आधारभूत अवसंरचना और संस्थात्मक ढांचे नेटवर्क को उन्नत/विस्तृत करने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) बागवानी व्यापार हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान और सूचना ग्रिड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु कृषि एवं सहकारिता विभाग ने कुशल तथा समय पर उपयोग हेतु बाजार सूचना/आंकड़ों के त्वरित संकलन और प्रसार हेतु राष्ट्रव्यापी तंत्र स्थापित करने के लिए कृषि विपणन सूचना तंत्र हेतु एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम का अनुमोदन किया है। इस स्कीम के अधीन, देश में सभी महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद मंडियों और राज्य कृषि विपणन बोर्डों/विभागों को कम्प्यूटर तंत्र से जोड़ा जाएगा। यह स्कीम राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के परामर्श से विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। यह स्कीम अन्य बातों के साथ-साथ किसानों को अपने उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता करेगी।

आरक्षित सूची से निकाल दिया जाना

2513. **श्री टी०एम० सेल्वागनपति** :
श्रीमती सुशीला सरोज :

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अप्रैल, 2001 तक लघु उद्योग क्षेत्र के कुछ मदों को आरक्षित सूची से निकालने के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने उन लघु उद्योग इकाइयों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए हैं जो कुछ ऐसी मदों का विनिर्माण करती है जिनसे आयात के विरुद्ध मिलने वाले संरक्षण को वापिस लिए जाने की संभावना है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) केन्द्रीय बजट 2001-2002 में चमड़े के सामान, जूतों और खिलौनों से संबंधित 14 मदों को अनारक्षित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि इन क्षेत्रों में उच्चतर निवेश तथा प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण करना संभव हो सके।

(ग) सरकार ने लघु क्षेत्र के हित की सुरक्षा के लिए 30.8.2000 को एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की है। पैकेज में बढ़ा हुआ राजकोषीय ऋण क्रेडिट समर्थन, प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण के लिए बेहतर आधारभूत एवं विपणन सुविधाएं प्रदान करना शामिल हैं। नीति पैकेज का मुख्य उद्देश्य लघु क्षेत्र को सुदृढ़ करना तथा घरेलू एवं विश्वव्यापी तौर पर उनकी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना है।

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

2514. **श्रीमती हेमा गम्भांग :**
मोहम्मद अनवारूल हक :
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक केन्द्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने प्रत्येक योजना के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित और जारी की;

(ग) उक्त अवधि के दौरान की योजना अवधि के प्रत्येक वर्ष में हर राज्य सरकार ने कितनी राशि का वास्तव में उपयोग किया; और

(घ) नौंवी योजना अवधि की बकाया अवधि के लिए कितनी वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

2515. **श्री रमेश चेन्नितला :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र का विविधीकरण करने और इसमें और अधिक पूंजी निवेश करके इसे निर्यातोन्मुखी बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो देश के कुल निर्यात में कृषि का योगदान कितने प्रतिशत है; और

(ग) केरल से कितने प्रतिशत समुद्री उत्पादों का निर्यात किया जाता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी हां,

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय निर्यात में कृषि निर्यात का हिस्सा 14.69 प्रतिशत था।

(ग) केरल सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

जिनोम परियोजना

2516. **डा० जसवंतसिंह यादव :**
श्री ए० नरेन्द्र :
श्री तारा चन्द भगोरा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भारत में औंगधि की खोज और अन्य स्वास्थ्य संबंधी अध्ययनों में संलग्न वैज्ञानिकों के लाभार्थ अंतर्राष्ट्रीय मानव जीन संबंधी परियोजना (इन्टरनेशल ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट) के ज्ञान का उपयोग करने हेतु पहल करने का निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इस परियोजना की देख-रेख हेतु उच्चाधिकार समिति गठित की गई है,

(घ) क्या सरकार का विचार जीवन संबंधी (जिनोम) जानकारी को 'डाउन लोड' करके चिकित्सा विज्ञानियों में वितरित करने हेतु विभिन्न जैव-सूचना विज्ञान केन्द्र (बायो इन्फॉर्मेटिक्स सेन्टर्स) स्थापित करने का है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जीनिमिक के क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता देती आ रही है। तथापि, मानव जीनोम मानचित्र (मैप) की हाल की घोषणा स यह अनिवार्य बन गया है कि जिनोमिक ज्ञान की व्याख्या और स्वास्थ्य विज्ञान के लिए इसे लागू करने को प्राथमिकता दी जाए। इसलिए परिषद ने बहुत से अनुसंधान संस्थानों से अनुसंधान प्रस्ताव आमन्त्रित किए हैं और औषध एवं वैकसीन के विकास सहित स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में 100 से अधिक प्रस्तावों पर विचार किया गया। विभिन्न संस्थानों और वैज्ञानिक एजेन्सियों से लिए गए विशेषज्ञों की समिति द्वारा लगभग 42 प्रस्ताव संस्तुत किए गए हैं। एक बार मंजूरी होने के बाद एक उच्च अधिकार-प्राप्त समिति इन सभी अध्ययनों की प्रगति की निगरानी करेगी।

परिषद देश में मेडिकल कालेजों और अन्य चिकित्सा संस्थानों में जैव सूचना विज्ञान केन्द्रों के नेटवर्क स्थापित करने और देश में अन्य केन्द्रों को सूचना प्रसारित करने का भी प्रस्ताव रखती है। इस उद्देश्य के लिए पहले चरण में ये छह संस्थानों की पहचान की गई है। भविष्य में देश में अन्य केन्द्रों तक नेटवर्किंग का विस्तार किया जाएगा। जैव सूचना विज्ञान नेटवर्क के 55 केन्द्रों के अलावा जैव तकनीकी विभाग ने जिनोमिक में अनुसंधान और विकास प्रयासों को सरल बनाने के लिए विख्यात अन्तर्राष्ट्रीय डाटाबेस के मूल्यांकन हेतु चार साइटें स्थापित की हैं।

[अनुवाद]

रूसी संघ के उपप्रधान मंत्री का दौरा

2517. **श्री ई० एम० सुदर्शन नाच्चीयपन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रूसी संघ के उप प्रधान मंत्री ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई चर्चाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका क्या निष्कर्ष रहा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी हां। रूसी परिसंघ के उप प्रधान मंत्री महामान्य श्री इल्या क्लोबानोव ने 14-15 फरवरी, 2001 को भारत की राजकीय यात्रा की।

(ख) और (ग) रूसी परिसंघ के उप प्रधान मंत्री की यह यात्रा भारत और रूसी परिसंघ के बीच उच्चस्तरीय यात्राओं के आदान-प्रदान की परम्परा से प्रेरित थी। उप प्रधान मंत्री क्लेबानोव ने रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, नागर विमानन मंत्री तथा प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। यह विचार विमर्श द्विपक्षीय सैन्य तकनीकी सहयोग; व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा सांस्कृतिक सहयोग, नागर विमानन के क्षेत्र में सहयोग और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर विचारों के आदान-प्रदान से संबंधित था। इस यात्रा के दौरान भारत और रूसी परिसंघ के बीच हवाई सुरक्षा के संवर्द्धन से सम्बद्ध एक करार और भारत और रूसी परिसंघ के बीच 310 टी-90 एस/एस के टैंकों और मिसाइलों की प्रौद्योगिकी की प्राप्ति और हस्तांतरण से सम्बद्ध करार सम्पन्न किए गए।

बासमती चावल का उत्पादन

2518. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बासमती चावल केन्द उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई नई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश के, विशेषकर महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्रों के बासमती उगाने वाले सीमान्त और छोटे किसानों को आसानी से बीज उपलब्ध कराने और सहायता दिलाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अधिक उपज देने वाली बासमती प्रकार की किस्मों और उसके लिए उपयुक्त उत्पादन-संरक्षण प्रौद्योगिकियों का विकास किया है। बासमती चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर खेती के लिए जनक बीज उत्पादन का कार्य भी किया जा रहा है।

(ख) बेहतर किस्मों में पूसा बासमती 1, हरियाणा बासमती 1, रणबीर बासमती व कस्तूरी शामिल हैं। तारोरी बासमती व बासमती 370 जैसी पारम्परिक किस्मों की तुलना में इन किस्मों में उपज की क्षमता अधिक हैं और इनकी पौध की ऊंचाई भी कम होती है। तथापि बेहतर किस्मों और उत्पादन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजना के तत्वावधान में गहन अनुसंधान कार्य चल रहा है और कपूरथला (पंजाब), कौल (हरियाणा), पंतनगर (उत्तर प्रदेश), नई दिल्ली तथा आर एस पुरा (जम्मू व कश्मीर) में बासमती चावल के बारे में सक्रिय अनुसंधान कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

(ग) जी, हां। चावल बुवाई वाले क्षेत्रों के सीमांत व छोटे किसानों के लिए बेहतर किस्मों के गुणता बीज उपलब्ध कराने के लिए सम्मिलित प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में बासमती चावल नहीं उगाया जाता है।

(घ) कृषि व सहकारिता विभाग समेकित अनाज विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत स्थान विशिष्ट फसल किस्मों के प्रमाणित बीज वितरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यह चावल बीज मिनिकिट कार्यक्रम भी क्रियान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत 'मिनिकिट्स' में नई जारी किस्मों के बीजों का वितरण किया जाता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पनधारा विकास योजना

2519. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री अनंत गंगाराम गीते :
क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास योजना के अंतर्गत कार्य आरंभ किया गया;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना के अंतर्गत कई राज्यों में अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम वर्ष 1990-91 के दौरान 25 राज्यों (अब 28 राज्यों) और दो संघ शासित क्षेत्रों में शुरू की गई। वास्तविक लक्ष्यों और विकसित किए गए क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, मेघालय, पश्चिम बंगाल राज्यों और दादरा और नगर हवेली संघ शासित क्षेत्रों को छोड़कर अधिकतर राज्यों ने वांछित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। उक्त अवधि के दौरान 28 लाख है, के लक्षित क्षेत्र के मुकाबले 42.23 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का विकास किया गया।

विवरण

आठवीं योजना के दौरान क्रियान्वित वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना की वास्तविक स्थिति

(क्षेत्र हे० में)

क्र० सं०	राज्य/सं०शा० क्षेत्र का नाम	आठवी योजना का लक्ष्य	वास्तविक विकसित क्षेत्र (1990-91 व 1991-92 में विकसित क्षेत्र सहित)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	197150	176939
2.	अरूणाचल प्रदेश	2800	1970
3.	असम	60200	70221
4.	बिहार	137200	23189
5.	गोवा	3070	2100
6.	गुजरात	208025	292579
7.	हरियाणा	40600	20272
8.	हिमाचल प्रदेश	14000	34309
9.	जम्मू व कश्मीर	12050	14044
10.	कर्नाटक	250600	485109
11.	केरल	54025	88276
12.	मध्य प्रदेश	458375	660202
13.	महाराष्ट्र	455000	879886
14.	मणिपुर	1975	8682
15.	मेघालय	3925	2877
16.	मिजोरम	1675	18198
17.	नागालैंड	3625	14510
18.	उड़ीसा	136350	297000
19.	पंजाब	15950	18035
20.	राजस्थान	339950	547931
21.	सिक्किम	1675	7626
22.	तमिलनाडु	89025	172657
23.	त्रिपुरा	6175	7694
24.	उत्तर प्रदेश	208600	303683
25.	प० बंगाल	95250	73436
26.	दादरा व नगर हवेली	575	84
27.	अण्डमान व निकोबार द्वीप	825	1735
	अन्य	1525	0
	कुल	2800200	4223244

[अनुवाद]

विषाक्त चाय

2520. श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को संदेह है कि बाजार में विषाक्त चाय बेची जा रही है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में उक्त चाय के कोई नमूने जब्त किए गए हैं,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) उक्त विषाक्त चाय का विपणन रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, आंध्र प्रदेश द्वारा नकली चाय के स्टाक जब्त किए जाने के बारे में सूचना मिली है।

(घ) सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को देश में बेची जा रही चाय की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखने तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

मंत्रालयों का कम्प्यूटरीकरण

2521. **श्रीमती डी० एम० विजया कुमारी :** क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण आरंभ करके इन्हें कागजरहित ई-कार्यालयों में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मंत्रालयों/कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण को प्रयोग में लाया जा रहा है; और

(ग) बाकी मंत्रालयों का कम्प्यूटरीकरण कब तक कर लिया जाएगा?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ग) सरकार का प्रस्ताव अपने संव्यवहार तथा कामकाज को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में बढ़ाना है। मंत्रालयों तथा विभागों का कम्प्यूटरीकरण एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

घटिया किस्म के रेबीज-रोधी टीके

2522. **श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अस्पतालों में प्रयोग की जाने वाली रेबीज-रोधी टीके साधारणत: घटिया स्तर के हैं और उनके दुष्प्रभाव के कारण रोगियों को अन्य बीमारियां हो जाती हैं और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू० एच० ओ०) ने भी इन टीकों पर प्रतिबंध लगा दिया है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कसौली में जानक गुणवत्ता का घोषित किए जाने के पश्चात एंटी-रेबीज वैक्सीन (ए.आर.वी.) निर्माता संस्थानों द्वारा सरकारी अस्पतालों को एंटीरेबीज वैक्सीन जारी की जाती है। सरकारी अस्पतालों में उपयोग की जाने वाली ए.आर.वी., रोगियों को नि:शुल्क दी जाती है और यह एक न्यूरल टिस्यू वैक्सीन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मत है कि जहां पर आर्थिक अथवा तकनीकी रूप से संभव हो, इस वैक्सीन का सीमित उपयोग किया जाना चाहिए अथवा इसका पूरी तरह से परित्याता कर दिया जाना चाहिए। वैक्सीन उत्पादन बोर्ड ने भी एन.टी.वी. के उत्पादन को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने की संस्तुति की है। ह्यूमेन बायोलाजिकल इंस्टीट्यूट, उद्योगमंडलम (सार्वजनिक क्षेत्र का संस्थान) और चिरोन बहरिंग वैक्सीन लिमिटेड, अंकलेश्वर (निजी क्षेत्र का एक संस्थान) में टिस्यु कल्चर ए. आर. वी. (टी.सी.ए.आर.वी.) का उत्पादन पहले ही शुरू किया जा चुका है। टी.सी.ए.आर.वी. का उत्पादन करने के लिए और अधिक संख्या में ए.आर.वी. निर्माता संस्थानों को सज्जित करने हेतु सरकार प्रयास कर रही है।

[अनुवाद]

अनाथों को गोद लेने के संबंध में यूनिसेफ की चेतावनी

2523. **श्री जी०एस० बसवराज :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री वाई० एस० विवेकानन्द रेड्डी :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'यूनिसेफ' ने भारत को हाल ही में गुजरात में आए भूकंप में अनाथ हुए बच्चों को विदेशियों द्वारा गोद लिए जाने के विरुद्ध चेतावनी दी है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या 'यूनिसेफ' ने समुदाय के भीतर ही परिवार और मित्रों द्वारा गोद लेने जैसे विकल्पों को प्राथमिकता देने के लिए कहा है,

(घ) क्या भारत सरकार इससे सहमत हैं,

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा 'यूनिसेफ' के सुझाव को पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया है/लागू करने का प्रस्ताव है,

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश तैयार किए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) गुजरात सरकार तथा इस मंत्रालय का पहले ही यह दृष्टिकोण रहा है कि गुजरात भूकंप से अनाथ हुए बच्चों का पुनर्वास उन्हें गुजरात में ही जीवित बचे संबंधियों के साथ रखकर किया जाएगा। इन बच्चों के दतक ग्रहण पर केवल अंतिम उपाय के रूप में विचार किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण पर केवल अन्य उपायों के समाप्त होने के बाद तथा इससे संबंधित विद्यमान दिशा निर्देशों के अनुसार विचार किया जाएगा।

गरीबी अनुपात का अनुमान

2524. **श्री के० येरननायडू :**
श्री राम नायडू दग्गुबाटि :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने लाकड़ावाला फार्मूले के आधार पर

गरीबी के अनुपात का अनुमान लगाने के मामले में कतिपय सुझावों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

विनिवेश विभाग के राज्यमंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्यमंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग को, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और उडीसा राज्य सरकारों से गरीबी के आंकलन की प्रणाली के चयन के मामले में, अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य सरकारों ने जोर दिया है कि राज्य राजकोष द्वारा वित्तपोषित खाद्य सब्सिडी स्कीम के लागत दबाव परिणाम के प्रभाव को हटा दिया जाए। बाद में, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया कि अनुमान कृतिक बल प्रणाली के नाम से जानी जाने वाली गरीबी आंकलन की पूर्ववर्ती प्रणाली के अनुसार लगाए जाएं। उड़ीसा सरकार ने अनुरोध किया है कि राज्य में गरीबी आकलन हेतु राष्ट्रीय स्तर गरीबी रेखा अपनाई जाए।

(ग) अभ्यावेदनों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, योजना आयोग ने विशेषज्ञ दल प्रणाली (लाकड़ावाला फार्मूला) को जारी रखने का निर्णय लिया है। तथापि, राज्य-प्रायोजित खाद्य सब्सिडी स्कीम के प्रभाव को हटाकर योजना आयोग ने लक्षित सार्वजनिक वितरण स्कीम (टीपीडीएस) के अंतर्गत खाद्यान्नों के आबंटन के मामले में विशिष्ट उपयोग हेतु आन्ध्र प्रदेश के गरीबी अनुपात को 22.19 प्रतिशत से 25.68 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है।

लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण

2525. श्री कालवा श्रीनिवासुलु :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वित्तीय संस्थाओं, विशेषकर बैंकों द्वारा प्रत्याभूत ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए लघु उद्योगों को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराए जाने वाले कुल ऋणों में से लघु उद्योगों को दिए जाने वाले ऋणों का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या इन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस समय लघु उद्योगों को उपलब्ध कराए जा रहे ऋणों का औसत प्रतिशत कितना है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) भातरीय बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के संबंध में लघु उद्योगों (एस.एस.आई.) को उधार दिए जाने के संबंध में अलग से कोई लक्ष्य नियत नहीं किया जाता है। बैंकों द्वारा अग्रता क्षेत्र के तहत 40 प्रतिशत के समग्र लक्ष्य में लघु उद्योगों के अग्रिमों को शामिल किया गया है। तथापि, इसका सुनिश्चिय करने के लिए कि लघु उद्योग अति लघु इकाईयों की क्रेडिट आवश्यकता को नजर अन्दाज न करें, यह निहित किया गया है कि बैंक लघु उद्योग जो कि संयंत्र और मशीनरी में 5 लाख रुपये तक का निवेश करते हैं, उन लघु उद्योग क्षेत्र की इकाईयों को अपने अग्रिमों में से कम से कम 40 प्रतिशत उधार दें और इन इकाईयों को जिनका संयंत्र और मशीनरी में निवेश 5 लाख रुपये और 25 लाख रुपये के बीच में है, उन इकाईयों को 20 प्रतिशत प्रदान करें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में विदेशी बैंकों को लघु उद्योगों को ऋण देने के लिए 10 प्रतिशत का निवल बैंक क्रेडिट लक्ष्य तय किया गया है। मार्च, 2000 के अंत तक उन्होंने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है और इसका प्रतिशत 10.24 बनता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) 31 मार्च, 2000 की स्थिति अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का उनके कुल निबल बैंक क्रेडिट का लघु उद्योग क्षेत्र को निबल क्रेडिट 15.63 प्रतिशत था।

[हिन्दी]

अधिकतम सीमा हटाया जाना

2526. श्री रामदास आठवले : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान सृजित पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती और पदोन्नति पर लगाई गई 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा को तत्काल हटाने के लिए एक कार्यालय-ज्ञापन जारी करने और जहां कहीं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों द्वारा धारित पदों की संख्या निर्धारित प्रतिशत से कम है उसे बकाया रिक्त पदों का सृजन करके उन्हें भरने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न सामाजिक संगठनों से अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर्नाटक में मक्का का उत्पादन

2527. श्री आर० एल० जालप्पा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में कुल कितना मीट्रिक टन मक्का का उत्पादन हुआ;

(ख) कर्नाटक में मक्का उगाने के लिए कुल कितनी भूमि को उपयोग में लाया गया; और

(ग) इस समय कर्नाटक से मक्का का कितना निर्यात होता है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) कर्नाटक में पिछले तीन वर्षों के दौरान मक्का का कुल उत्पादन और मक्का के अधीन क्षेत्र निम्नवत है :

क्र० सं०	वर्ष	उत्पादन (हजार टन)	क्षेत्र/भूमि (1000 हे०)
1.	1997-87	1510.9	561.4
2.	1998-99	1671.3	512.4
3.	1999-00	1688.0	608.0

(ग) इस मंत्रालय में मक्का के राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते। बहरहाल, मक्का सहित मोटे अनाज के मुक्त निर्यात की अनुमति है, बशर्ते विदेशी निर्यात महानिदेशालय द्वारा घोषित मात्रात्मक सीमा (उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार और कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार के परामर्श से वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्णित) तथा कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेड़ा) द्वारा पंजीकरण-सह-आवंटन प्रमाणपत्र की निर्मुक्ति के अधीन है। वर्ष 2000 2001 के लिए मक्का सहित मोटे अनाजों के लिए 50,000 मी० टन की सीमा निर्धारित की गई है।

[हिन्दी]

परिवार नियोजन कार्यक्रम

2528. श्री रामशकल :
डा० अशोक पटेल :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री प्रभात सामन्तराय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न परिवार नियोजन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की कोई मध्यावधि समीक्षा की है,

(ख) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रत्येक राज्य का निष्पादन क्या रहा,

(ग) क्या देश में परिवार नियोजन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी हां। योजना आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) का मध्यावधि मूल्यांकन किया है जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र भी शामिल है।

(ख) विभिन्न परिवार नियोजन कार्यक्रमों के कार्यनिष्पादन के बारे में मध्यावधि मूल्यांकन में कोई राज्यवार निष्कर्ष नहीं दिए गए हैं। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न परिवार नियोजन तरीकों के कार्यनिष्पादन/उपलब्धियां संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ग) और (घ) परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न संवर्धनात्मक और प्रेरक उपाय संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों में नसबंदी के बारे में राज्यवार उपलब्धियां

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य	उपलब्धि 1997-98	1998-99*	1999-2000*	1997-98 की तुलना में 98-99	1998-99 की तुलना में 99-2000 में
1	2	3	4	5	6	7
I.	बड़े राज्य					
1.	आन्ध्र प्रदेश	629031	733391	790380	16.6	7.8
2.	असम	12050	14171	35880	17.6	82.6
3.	बिहार	195716	135127	215857	-31.0	59.7
4.	गुजरात	242364	250379	260223	3.3	3.9
5.	हरियाणा	94042	91219	96443	-3.0	5.7
6.	कर्नाटक	395624	372574	413092	-5.8	10.9
7.	केरल	139804	140285	154168	0.3	9.9
8.	मध्य प्रदेश	367092	358492	407658	-2.3	13.7
9.	महाराष्ट्र	571476	532714	558176	-6.8	4.8
10.	उड़ीसा	127046	123091	108465	-3.1	-11.9
11.	पंजाब	108625	113935	126061	4.9	10.6
12.	राजस्थान	224140	229019	226272	2.2	-1.2
13.	तमिलनाडु	332991	335967	373695	0.9	11.2
14.	उत्तर प्रदेश	307799	346333	377746	12.5	9.1
15.	पश्चिम बंगाल	321969	269861	289076	-16.2	7.1
II.	छोटे राज्य/संघ राज्य					
1.	अरूणाचल प्रदेश	2353	1983	1596	-15.7	-19.5
2.	दिल्ली	37699	35159	42241	-6.7	20.1
3.	गोवा	4158	4358	5101	4.8	17.0
4.	हिमाचल प्रदेश	32474	30760	31783	-5.3	3.3
5.	जम्मू एवं कश्मीर	12510	11471	11040	-8.3	-3.8
6.	मणिपुर	2640	2895	1321	9.7	-54.4
7.	मेघालय	1061	1304	1710	22.9	31.1
8.	मिजोरम	2223	2085	3238	-6.2	55.3

1	2	3	4	5	6	7
9.	नागालैंड	545	1552	1233	184.8	-20.6
10.	सिक्किम	1113	1104	1348	-0.8	22.1
11.	त्रिपुरा	8449	6949	8165	-17.8	17.5
12.	अंण्डमान निकोबार द्वीप समूह	1966	1977	1943	0.6	-1.7
13.	चंडीगढ़	3062	3335	3474	8.9	4.2
14.	दादरा एवं नगर हवेली	479	587	704	22.5	19.9
15.	दमण व दीव	536	433	458	-19.2	5.8
16.	लक्षद्वीप	33	33	38	0.0	15.2
17.	पांडिचेरी	9705	9452	11617	-2.6	22.9
III.	अन्य अभिकरण					
1.	रक्षा मंत्रालय	18888	17761	18074	-6.0	1.8
2.	रेलवे मंत्रालय	28851	26970	22294	-6.5	-17.3
	समस्त भारत	4238514	4206726	4590570	-0.7	9.1

*आंकड़े अनन्तिम

पिछले तीन वर्षों में आई० यू० डी० के बारे में राज्यवार उपलब्धियां

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य	उपलब्धि 1997-98	1998-99*	1999-2000*	प्रतिशत परिवर्तन 1997-98 की तुलना में 98-99 में	1998-99 की तुलना में 99-2000 में
1	2	3	4	5	6	7
I.	बड़े राज्य					
1.	आन्ध्र प्रदेश	302021	292272	292498	-3.2	0.1
2.	असम	37632	35333	39169	-6.1	10.9
3.	बिहार	222744	178358	227067	-19.9	27.3
4.	गुजरात	401736	413198	414350	2.9	0.3
5.	हरियाणा	162944	160717	162763	-1.4	1.3
6.	कर्नाटक	372341	341509	371617	-8.3	8.8
7.	केरल	79407	81759	83143	3.0	1.7
8.	मध्य प्रदेश	617928	581980	579555	-5.8	-0.4
9.	महाराष्ट्र	418711	402450	411008	-3.9	2.1

1	2	3	4	5	6	7
10.	उडीसा	245693	215209	188567	-12.4	-12.4
11.	पंजाब	372731	378622	394631	1.6	4.2
12.	राजस्थान	224100	234629	238720	4.7	1.7
13.	तमिलनाडु	409155	416693	439144	1.8	5.4
14.	उत्तर प्रदेश	2029897	2098987	2099609	3.4	0.0
15.	पश्चिम बंगाल	101711	906960	86918	-10.6	-4.4
II.	छोटे राज्य/संघ राज्य					
1.	अरूणाचल प्रदेश	2585	2601	2554	0.6	-1.8
2.	दिल्ली	66871	60573	61807	-9.4	2.0
3.	गोवा	2806	2764	2950	-1.5	6.7
4.	हिमाचल प्रदेश	36658	35897	34752	-2.1	-3.2
5.	जम्मू एवं कश्मीर	12926	9988	13537	-22.7	35.5
6.	मणिपुर	11376	8793	6625	-22.7	-24.7
7.	मेघालय	2102	2604	2846	23.9	9.3
8.	मिजोरम	1744	1313	1721	-24.7	31.1
9.	नागालैंड	1135	945	2011	-16.7	112.8
10.	सिक्किम	1362	994	1175	-27.0	18.2
11.	त्रिपुरा	4671	4042	4134	-13.5	2.3
12.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	1145	1202	924	5.0	-23.1
13.	चंडीगढ़	5717	6019	5267	5.3	-12.5
14.	दादरा और नगर हवेली	264	186	299	-29.5	60.8
15.	दमन व दीव	256	234	241	-8.6	3.0
16.	लक्षद्वीप	43	41	52	20.6	26.8
17.	पांडिचेरी	3477	3743	4142	7.7	10.7
III.	अन्य अभिकरण					
1.	रक्षा मंत्रालय	9116	7873	7074	-13.6	-10.1
2.	रेलवे मंत्रालय	9908	10070	10471	1.6	4.0
	समस्त भारत	6172904	6082558	6191341	-1.5	1.8

*आंकड़े अनन्तिम

पिछले तीन वर्षों में कण्डोम के बारे में राज्यवार उपलब्धियां

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य	उपलब्धियां			प्रतिशत परिवर्तन	
		1997-98	1998-99*	1999-2000*	1997-98 की तुलना में 1998-99 में	1998-99 की तुलना में 1999-2000 में
1	2	3	4	5	6	7
I.	बड़े राज्य					
1.	आन्ध्र प्रदेश	575724	621692	630194	8.0	1.4
2.	असम	29934	35978	30829	20.2	-14.3
3.	बिहार	78571	102899	311899	31.0	203.1
4.	गुजरात	823499	890295	883545	8.1	-0.8
5.	हरियाणा	411069	368257	358143	-10.4	-2.7
6.	कर्नाटक	323021	277151	269299	-14.2	-2.8
7.	केरल	182683	185569	142869	1.6	-23.0
8.	मध्य प्रदेश	1658832	1553629	1404116	-6.3	-9.6
9.	महाराष्ट्र	592367	585288	511429	-1.2	-12.6
10.	उड़ीसा	265419	305767	270587	15.2	-11.5
11.	पंजाब	538313	439391	412890	-18.4	-6.0
12.	राजस्थान	869431	995378	963804	14.5	-3.2
13.	तमिलनाडु	188895	256033	274502	35.5	7.2
14.	उत्तर प्रदेश	2044696	1926196	1871433	-5.8	-2.8
15.	पश्चिम बंगाल	402968	383421	349256	-4.9	-8.9
II.	छोटे राज्य/संघ राज्य					
1.	अरूणाचल प्रदेश	1116	1452	1370	30.1	-5.6
2.	दिल्ली	222504	232256	189351	4.4	18.5
3.	गोवा	10819	9334	180	-13.7	-98.1
4.	हिमाचल प्रदेश	65639	64324	68018	-2.0	5.7
5.	जम्मू एवं कश्मीर	13747	9351	12278	-32.0	31.3
6.	मणिपुर	5875	4604	5657	-21.6	22.9
7.	मेघालय	915	1291	191	41.1	-85.2
8.	मिजोरम	1313	1133	1496	-13.7	32.0
9.	नागालैंड	1	14	94	1300.0	571.4

1	2	3	4	5	6	7
10.	सिक्किम	487	942	1367	93.4	45.1
11.	त्रिपुरा	25299	21691	17633	-14.3	-18.7
12.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	2521	2082	1995	-17.4	-4.2
13.	चंडीगढ़	7511	7761	6833	3.3	12.0
14.	दादरा और नगर हवेली	0	10	9	#DIV/0!	10.0
15.	दमन व दीव	1380	1185	1151	-14.1	2.9
16.	लक्षद्वीप	289	622	435	115.2	-30.1
17.	पांडिचेरी	7707	7871	8682	2.1	10.3
III.	**अन्य अभिकरण**					
1.	रक्षा मंत्रालय	33676	29061	23321	-13.7	-19.8
2.	रेलवे मंत्रालय	72981	66800	56301	-8.5	-15.7
3.	वाणिज्य विपणन	7336528	8059306	9278486	9.9	15.1
	समस्त भारत	16795730	17448034	18359642	3.9	5.2

*आंकड़े अनन्तिम

पिछले तीन वर्षों में मुख्य सेवन गोली के बारे में राज्यवार उपलब्धियां

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य	उपलब्धि 1997-98	उपलब्धि 1998-99*	उपलब्धि 1999-2000*	प्रतिशत परिवर्तन 1997-98 की तुलना में 1998-99 में	प्रतिशत परिवर्तन 1998-99 की तुलना में 1999-2000 में
1	2	3	4	5	6	7
I.	बड़े राज्य					
1.	आन्ध्र प्रदेश	259087	245529	249578	-5.2	1.6
2.	असम	31009	24358	26149	-21.4	7.4
3.	बिहार	56380	57620	210153	2.2	264.7
4.	गुजरात	161910	172984	177125	6.8	2.4
5.	हरियाणा	59225	60954	65175	2.9	6.9
6.	कर्नाटक	156013	150150	148107	-3.8	-1.4
7.	केरल	32507	30235	30046	-7.0	-0.6
8.	मध्य प्रदेश	560166	586914	623084	4.8	6.2
9.	महाराष्ट्र	375187	358821	360257	-4.4	0.4
10.	उड़ीसा	110505	108380	114102	-1.9	5.3

1	2	3	4	5	6	7
11.	पंजाब	98402	94618	115009	-3.8	21.6
12.	राजस्थान	313664	374280	426787	19.3	14.0
13.	तमिलनाडु	192417	188419	204214	-2.1	8.4
14.	उत्तर प्रदेश	764044	791977	836333	3.7	5.6
15.	पश्चिम बंगाल	332638	326343	330111	-1.9	1.2
II.	छोटे राज्य/संघ राज्य					
1.	अरूणाचल प्रदेश	2761	1804	2098	-34.7	16.3
2.	दिल्ली	10471	11777	8648	12.5	26.6
3.	गोवा	2140	2101	268	-1.8	87.2
4.	हिमाचल प्रदेश	23264	23494	24785	1.0	5.5
5.	जम्मू व कश्मीर	4176	4500	5269	7.8	71.1
6.	मणिपुर	3109	2477	1447	-20.3	41.6
7.	मेघालय	1251	1904	1718	56.7	9.8
8.	मिजोरम	2043	1658	2232	-18.8	34.6
9.	नागालैंड	126	198	468	57.1	136.4
10.	सिक्किम	2882	2805	2349	-2.7	16.3
11.	त्रिपुरा	25659	26803	21230	4.5	20.8
12.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	805	873	633	8.4	27.5
13.	चंडीगढ़	147	195	297	32.7	5203
14.	दादरा और नगर हवेली	198	141	90	28.8	-36.2
15.	दमन व दीव	304	257	248	-15.5	-3.5
16.	लक्षद्वीप	160	187	100	16.9	-46.5
17.	पांडिचेरी	869	862	1143	-0.8	32.6
III.	अन्य अभिकरण					
1.	रक्षा मंत्रालय	5801	3580	3854	-38.3	7.7
2.	रेलवे मंत्रालय	3755	3984	4321	6.1	8.5
3.	व्यावसायिक विपणन	2801754	3283123	3861215	17.2	17.6
	समस्त भारत	6394793	6944305	7858643	8.6	13.2

*आंकड़े अनन्तिम

विवरण-II

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार छोटे परिवार के मानदंडों को अपनाने के लिए संवर्धनात्मक और प्रेरणात्मक उपाय

(i) छोटे परिवार के मानदंड का व्यापक प्रचार करने, शिशु मृत्यु-दर और जन्म दर मे कमी लाने और प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पूरी कराकर साक्षरता को बढ़ावा देने में अनुकरणीय कार्यनिष्पादन के लिए पंचायतों और जिला परिषदों को पुरस्कृत किया जाएगा और उन्हें सम्मानित किया जाएगा।

(ii) बालिका की जीवन रक्षा और परिचर्या को बढ़ावा देने के लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जाने वाली बालिका समृद्धि योजना चलती रहेगी। 1 या 2 जन्म क्रम में बालिका के जन्म पर 500 रुपए का नकद प्रोत्साहन दिया जाता है।

(iii) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जाने वाली मातृत्व लाभ योजना चलती रहेगी। 19 वर्ष की आयु के बाद मां बनने वाली महिलाओं को सिर्फ पहले या दूसरे बच्चे के जन्म पर 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। भविष्य में नकद पुरस्कार के संवितरण को प्रसव-पूर्व जांच, प्रशिक्षित जन्म परिचर द्वारा संस्थागत प्रसव, जन्म के पंजीकरण और बीसीजी टीकाकरण के साथ जोड़ा जाएगा।

(iv) परिवार कल्याण से सम्बद्ध एक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की जाएगी। गरीबी रेखा के नीचे वाले वे दम्पति, जो बंध्यकरण करा लेते हैं और जिनके दो से अधिक जीवित बच्चे नहीं हैं, 5000 रुपए तक के (बच्चों सहित) स्वास्थ्य बीमा (अस्पातल में भर्ती होने) के लिए और बंध्यकरण कराने वाले पति पत्नी के लिए एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, के पात्र होंगे।

(v) गरीबी रेखा के नीचे वाले वे दम्पति, जो विवाह की कानूनी आयु के बाद विवाह करते हैं जो विवाह का पंजीकरण कराते हैं, जिनका पहला बच्चा मां की 21 वर्ष की आयु के बाद पैदा होता है, जो छोटे परिवार के मानदंड को स्वीकार करते हैं, जो दूसरे बच्चे के जन्म के बाद परिवार नियोजन का स्थायी (टर्मिनल) तरीका अपनाते हैं, उनको पुरस्कृत किया जाएगा।

(vi) ग्रामीण स्तर के स्व-सहायता दलों, जो सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करते हैं, द्वारा आय सर्जक कार्यकलापों के लिए एक सचल प्रचालनात्मक (रिवोल्विंग) निधि स्थापित की जाएगी।

(vii) ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में शिशु सदन और बाल परिचर्या केन्द्र खोले जाएंगे। यह वैतनिक रोजगार में महिलाओं की भागीदारी को सुकर बनायेगा और उसे बढ़ावा देगा।

(viii) विविध प्रसव केन्द्रों में परामर्शी सेवाओं सहित वहनीय विकल्प सुलभ कराये जाएंगे ताकि स्वीकारकर्त्ताओं द्वारा स्वैच्छिक और सोची-समझी सहमति दी जा सके;

(ix) सुरक्षित गर्भपात की सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा और इनका विस्तार किया जाएगा।

(x) नई सामाजिक विपणन योजनाओं के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं को वहनीय बनाया जाएगा।

(xi) ग्रामीण स्तरों पर स्थानीय उद्यमियों को उदार ऋण प्रदान किया जाएगा और रेफरल परिवहन की मौजूदा व्यवस्थाओं को अनुपूरित करने के लिए एम्बूलेंस सेवाएं चलाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।

(xii) लड़कियों के लिए स्व-रोजगार प्रदायक बढ़ी हुई व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(xiii) बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1976 को कड़ाई से लागू करना।

(xiv) प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 को कड़ाई से लागू करना।

(xv) सहायक नर्स-धात्रियों की गतिशीलता को सुनिश्चित करने के लिए उदार ऋणों में वृद्धि की जाएगी।

(xvi) 42वें संविधान संशोधन ने 1971 की जनगणना के स्तरों पर (जनसंख्या आधार पर) लोक सभा में प्रतिनिधियों की संख्या स्थिर कर दी है। इस समय प्रतिनिधियों की संख्या का यह स्थिरीकरण 2001 तक वैध है और जनसंख्या स्थिरीकरण के कार्य पर निर्भीकता से कार्यवाई करने के लिए इस कदम ने राज्य सरकारों के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य किया है। प्रतिनिधियों की संख्या के इस स्थिरीकरण को 2026 तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

कृषि विपणन तंत्र

2529. श्रीमती शीला गौतम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि विपणन तंत्र को सुदृढ़ करने, इसका उन्नयन और विस्तार करने हेतु नए उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में कितनी राशि का आवंटन किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने देश में वर्तमान कृषि विपणन तंत्र में सुधार हेतु बागवानी उत्पादों के लिए शीतागारों और भण्डारों के निर्माण/विस्तार/ आधुनिकीकरण के लिए दो नई स्कीम नामत: कृषि विपणन सूचना तंत्र स्कीम और पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम का अनुमोदन किया है। कृषि विपणन सूचना तंत्र की स्कीम के अधीन कुशल तथा समय पर उपयोग हेतु मण्डी सूचना/आंकडों के त्वरित सकंलन और प्रसार हेतु राष्ट्रव्यापी सूचना तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस स्कीम के अधीन समस्त देश में फैले हुए सभी महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद मंडियों और राज्य कृषि विपणन बोर्डों/विभागों को कम्प्यूटर तंत्र से जोड़ा जाएगा। जबकि शीतागारों और भण्डारों के निर्माण/विस्तार/ आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम के अधीन राजसहायता 25 प्रतिशत है, यह 50 लाख प्रति परियोजना की सीमा के अधीन है तथापि पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए राजसहायता 33.33 प्रतिशत के उच्च स्तर पर निर्धारित किया गया है जो 60 लाख रुपये की सीमा के अधीन है।

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान कृषि विपणन सूचना तंत्र की स्कीम के अधीन 2.35 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है तथा इन शीतागारों की स्थापना के लिए 78 करोड़ रुपये की राजसहायता दी गई है।

[अनुवाद]

'ड्रिप' सिंचाई योजना

2530. श्री चिंतामन वनगा :
श्री रामदास रुपला गावीत :
प्रो० रासासिंह रावत :
श्री राजो सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में 'ड्रिप' सिंचाई प्रणाली की अधिष्ठापना हेतु कोई 'ड्रिप' सिंचाई योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया;

(घ) क्या कुछ राज्यों ने इस योजना के लिए अतिरिक्त प्रावधान की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) कृषि में प्लास्टिक के उपयोग से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन आठवीं योजना से टपका सिंचाई के लिए सहायता दी जाती थी। वर्ष 2000-2001 से टपका सिंचाई घटक को कृषि में वृहत् प्रबंधन कार्य योजनाओं के जरिए राज्यों के प्रयासों में मदद/सहायता संबंधी केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम में मिला दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्लास्टिकल्चर के अधीन आवंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (च) महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों से अतिरिक्त निधियों के प्रावधान की मांग आती रही है। वृहत् प्रबंधन स्कीम के अधीन् राज्य सरकारें अपने कार्यकलापों का प्राथमिकीकरण कर सकती हैं और अपनी कार्ययोजनओं में वांछित निधियां आवंटित कर सकती है।

विवरण

प्लास्टिकल्चर स्कीम के अंतर्गत राज्यवार सहायता

(लाख रु०)

क्र०सं०	राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1070.00	1410.75	1277.50
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	46.00	34.62
3.	असम	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	3.00	19.00	7.00
6.	गुजरात	100.00	141.49	230.20
7.	हरियाणा	44.00	155.42	61.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू व कश्मीर	570.00	262.00	236.00
10.	कर्नाटक	2234.00	2995.00	2372.45
11.	केरल	304.00	415.65	364.12
12.	मध्य प्रदेश	80.00	183.10	221.10
13.	महाराष्ट्र	2447.00	3194.13	2704.75
14.	मणिपुर	24.00	63.00	30.00
15.	मेघालय	0.00	45.00	0.00

1	2	3	4	5
16.	मिजोरम	38.00	88.00	38.00
17.	नागालैंड	70.00	96.60	41.80
18.	उड़ीसा	125.00	0.00	214.80
19.	पंजाब	0.00	93.00	30.00
20.	राजस्थान	287.00	270.00	310.77
21.	सिक्किम	38.00	45.32	43.00
22.	तमिलनाडु	515.00	1095.00	1052.25
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	115.59	234.57
25.	प० बंगाल	0.00	0.00	0.00
26.	दादरा व नगर हवेली	8.50	0.00	3.00
27.	दमन व द्वीप	8.50	5.00	0.00
28.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
29.	लक्ष्य द्वीप	4.50	5.00	3.00
30.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00
31.	अ० व नि० द्वीप	0.00	0.00	0.00
32.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00
	कुल	7970.5	10744.05	9510.00

यूनान के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा

2531. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में यूनान के प्रधान मंत्री ने अपनी भारत यात्रा के दौरान 'भूकम्प राजनय' को अंगीकार करके पाकिस्तान के साथ तनाव कम करने और विवादों का समाधान करने का आग्रह किया था;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) नई दिल्ली (6 फरवरी, 2001) में यूनानी राजदूतावास में यूनान के प्रधान मंत्री के प्रेस कांफ्रेस के दौरान एक यूनानी पत्रकार द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच उसी तरह का 'भूकंप राजनय' जारी नहीं है जो यूनान और तुर्की के बीच हुआ था, यूनान के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह स्वाभाविक है कि भूकंप के दुखद परिणामों को भुगतने वाले एक राष्ट्र को अपने पड़ोसी राष्ट्र की ओर से सहानुभूति मिले।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

2532. श्री मोहन रावले : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का क्रियान्वयन महाराष्ट्र सहित पूरे देश में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से तबाही से होने वाले नुकसान के लिए बनाए जाने वाले समग्र कोष में राज्य सरकार का एक तिहाई और केन्द्र सरकार का दो तिहाई अंश रखने संबंधी आग्रह किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां। महाराष्ट्र राज्य सहित सम्पूर्ण देश में रबी 1999-2000 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार सहित कुछ राज्यों ने बीमा दावे के भुगतान के कारण वित्तीय देयताओं का केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 1:1 के बजाए 2:1 के अनुपात में भागीदारी करने का सुझाव दिया है।

(ग) स्कीम के विस्तारित क्षेत्र के कारण पर्याप्त संभावित दावे के दायित्वों को देखते हुए तथा स्वस्थ बीमा पद्धतियों के अनुपालनार्थ वित्तीय देयताओं को 1:1 अनुपात में ही रखने का निर्णय लिया गया है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग के उत्पादों पर छूट संबंधी नीति

2533. श्री वरंकला राधाकृष्णन : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को प्रत्येक वर्ष के शुरू होने के पूर्व ही खादी ग्रामोद्योगों के उत्पादों पर छूट संबंधी नीति की घोषणा के संबंध में केरल सरकार से निवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) वर्ष की शुरूआत में ही भारत सरकार को खादी के संबंध में छूट नीति की घोषणा करने के बारे में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। छूट नीति की घोषणा प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्रालय के परामर्श से की जाती है और प्रयास यह

किया जाता है कि इसकी घोषणा वर्ष की शुरूआत में ही की जाए चालू वर्ष अर्थात् 2000-2001 के लिए छूट नीति की घोषणा 1 जून, 2000 को की गई थी।

अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए बकाया रिक्तियां

2534. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** 16 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3755 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और लोकसभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कृषि अनुसंधान केन्द्र

2535. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या महाराष्ट्र में कृषि अनुसंधान केन्द्रों के कार्य-निष्पादन की महालेखा परीक्षक द्वारा जांच की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त जांच विशेषकर शोलापुर जिलों में शबरी अनुसंधान केन्द्र की जांच के दौरान उठायी गयी आपत्तियों पर की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की लेखा-परीक्षा प्रधान निदेशक, लेखा-परीक्षा (वैज्ञानिक विभाग), नई दिल्ली द्वारा की जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य	संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/परियोजना निदेशालयों/अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के नाम	स्थान
1	2	3
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय स्टेशन/अनुसंधान केन्द्र	पोर्ट ब्लेयर
	केन्द्रीय रोपण फ्रसल अनुसंधान संस्थान	पोर्ट ब्लेयर
आन्ध्र प्रदेश	केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान	हैदराबाद
	केन्द्रीय तम्बाकू अनसंधान संस्थान	राजामुन्द्री
	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी	हैदराबाद
	राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केन्द्र	हैदराबाद
	राष्ट्रीय तेल-ताड़ अनुसंधान केन्द्र	पैदावेगी
	राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केन्द्र	हैदराबाद
	तिलहान अनुसंधान परियोजना निदेशालय	हैदराबाद
	चावल अनुसंधान परियोजना निदेशालय	हैदराबाद
	मुर्गी पालन अनुसंधान परियोजना निदेशालय	हैदराबाद

1	2	3
	अ०भा०स०अ०प० – बारानी कृषि	हैदराबाद
	अ०भा०स०अ०प० – ज्वार	हैदराबाद
	अ०भा०स०अ०प० – तम्बाकू	राजामुन्द्री
	अ०भा०स०अ०प० – अलसी	हैदराबाद
	अ०भा०स०अ०प० – तिल और रामतिल	हैदराबाद
	अ०भा०स०अ०प० – कृषि मौसम विज्ञान	हैदराबाद
	नेटवर्क – आर्थिक पक्षी विज्ञान	हैदराबाद
	क्षेत्रीय स्टेशन / अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय अन्तःस्थलीय मात्सिकी प्रग्रहण अनुसंधान संस्थान	इलूरू
	केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन संस्थान	विजयवाड़ा
	केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन संस्थान – ओ आर पी केन्द्र	कंकीपाडु
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	गुंटूर
	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	काकीनाड़ा
	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान	विशाखापट्टनम
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	काकीनाड़ा
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान सस्थान	विशाखापट्टनम
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	गुंटूर
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	जीलुगुमिल्ली
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	कन्डुकुर
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	हैदराबाद
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	हैदराबाद
	गन्ना प्रजनन संस्थान	कव्वूर
	गन्ना प्रजनन संस्थान	कव्वूर
अरूणाचल प्रदेश	राष्ट्रीय यॉक अनुसंधान केन्द्र	दिरांग
	क्षेत्रीय स्टेशन / अनुसंधान केन्द्र	
	उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा० कृ० अ० प० का अनुसंधान परिसर	पश्चिम सियांग
असम	क्षेत्रीय स्टेशन / अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान	गेरुआ
	केन्द्रीय पटसन एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान	बम्रा

1	2	3
	केन्द्रीय अन्त:स्थलीय मात्स्यिकी प्रग्रहण अनुसंधान संस्थान	गुवाहाटी
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	कोहीकोच्ची
	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि नियोजन ब्यूरो	जोरहट
बिहार	जल प्रबंध परियोजना निदेशालय	पटना
	क्षेत्रीय स्टेशन / अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन संस्थान – ओ आर पी केन्द्र	रांची
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	पटना
	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान	हजारीबाग
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	पूसा
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	पूसा
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	रांची
	गन्ना प्रजनन संस्थान	मोतीपुर
गोवा	भा० कृ० अ० प० का अनुसंधान परिसर, गोवा	गोवा
गुजरात	राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र, जूनागढ़	जूनागढ़
	राष्ट्रीय औषधीय और संगधीय पौध अनुसंधान केन्द्र	आनन्द
	अ०भा०स०अ०प० – मूंगफली	जूनागढ़
	क्षेत्रीय स्टेशन / अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान क्षेत्र	भुज
	केन्द्रीय अन्त:स्थलीय मात्स्यिकी प्रग्रहण अनुसंधान संस्थान	वडोदरा
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	सूरत
	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान	वेरावल
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	वेरावल
	केन्द्रीय मृदा एंव जल संरक्षण अनुसंधान एंवं प्रशिक्षण संस्थान	वसाड
	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान	आनन्द
	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	गोधरा
हरियाणा	केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान	हिसार
	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान	करनौल
	राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो	करनाल
	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान	करनाल

1	2	3
	राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र (रा०डे०अ०सं० का हिस्सा)	करनाल
	राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र	हिसार
	गेहूं अनुसंधान परियोजना निदेशालय	करनाल
	अ०भा०स०अ०प० – शुष्क फल	हिसार
	अ०भा०स०अ०प० – बल्ड प्रोटेस्टा	हिसार
	अ०भा०स०अ०प० – भैंस	हिसार
	अ०भा०स०अ०प० – मधुमक्खी	हिसार
	अ०भा०स०अ०प० – क्षारीय प्रभावित मृदा और खारे जल उपयोग प्रबंध	करनाल
	अ०भा०स०अ०प० – तोरिया एवं सरसो	हिसार
	देशी दुग्ध उत्पादों में प्रसंस्करण का उन्नयन के लिए अनुसंधान एवं विकास सहायता	करनाल
	जल निकासी प्रबंधन पर इंडो-डच ओ आर पी	करनाल
	क्षेत्रीय स्टेशन / अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय अन्त:स्थलीय मात्स्यिकी प्रग्रहण अनुसंधान संस्थान	करनाल
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	हिसार
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुंसधान संस्थान	सिरसा
	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान	सिरसा
	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	रोहतक
	भारतीय कृषि अनुसंधान संसथान	करनाल
	गन्ना प्रजनन संस्थान	करनाल
हिमाचल प्रदेश	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	शिमला
	राष्ट्रीय खुम्ब अनुसंधान केन्द्र	सोलन
	अ०भा०स०अ०प० – सूक्ष्म जैविक अपघटन	पालमपुर
	अ०भा०स०अ०प० – खुम्बी	सोलन
	अ०भा०स०अ०प० – आलू	शिमला
	क्षेत्रीय स्टेशन / अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	कुफरी
	केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान	गरसा, कुल्लू
	केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान	कुल्लू
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	कटराइन

1	2	3
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	टुटीकंडी शिमला
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	अमरावती, शिमला
	भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान	पालमपुर
	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	पालमपुर
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	शिमला
	गेहूं अनुसंधान परियोजना निदेशालय	शिमला
	गेहूं अनुसंधान परियोजना निदेशालय	लाहुल
जम्मू एवं कश्मीर	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान	श्रीनगर
	क्षेत्रीय स्टेशन / अनुसंधान केन्द्र	
	भारतीय पशु चिकितसा अनुसंधान संस्थान	सपोरे, श्रीनगर
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	श्रीनगर
झारखण्ड	भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान	रांची
	क्षेत्रीय स्टेशन / अनुसंधान केन्द्र	
	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	रांची
	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	बंगलौर
	राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया संस्थान	बंगलौर
	राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र	पुत्तुर
	जैविक नियंत्रण परियोजना निदेशालय	बंगलौर
	पशु रोग एवं मानिटरिंग सर्विलेन्स परियोजना निदेशालय	बंगलौर
	अ०भा०स०अ०प० – कटिबंधीय फल	बंगलौर
	अ०भा०स०अ०प० – पान	बंगलौर
	अ०भा०स०अ०प० – काजू	विट्टल
	अ०भा०स०अ०प० – छोटे मोटे अनाज	बंगलौर
	नेटवर्क – कृषि एकेलॉजी	बंगलौर
	क्षेत्रीय स्टेशन / अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय अन्तःस्थलीय मात्स्यिकी प्रग्रहण अनुसंधान संस्थान	बंगलौर
	केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन संस्थान	बंगलौर
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	धारवाड़
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	करवार

1	2	3
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	बंगलौर
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	हेरेहल्दी
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान	बेल्लारी
	केंन्द्रीय तम्बाकू अनुसधान संस्थान	हुनसूर
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	धारवाड़
	भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान	धारवाड़
	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	चेथाली
	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	हेब्बल
	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	बंगलौर
	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान	बंगलौर
	गन्ना प्रजनन संस्थान	जामगुन्डी
केरल	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान	कोचीन
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	कोचीन
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	कासरगोड
	केन्द्रीय कन्द फसल अनुसंधान संस्थान	तिरूवनन्तपुरम
	भारतीय मसाला अनुसंधन संस्थान	कालीकट
	अ०भा०स०अ०प० – ताड़	कासरगोड
	अ०भा०स०अ०प० – मसाले	कालीकट
	क्षेत्रीय स्टेशन / अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय अन्त: स्थलीय मात्स्यिकी प्रग्रहण अनुसंधान संस्थान	अलापुज्जा
	केन्द्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान – ओ आर पी केन्द्र	कोलमपरम्बा
	केन्द्रीय खारा जल जीव पालन संस्थान	नरक्कल
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	कालीकट
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	विजिंजिनजम
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	कयानगुलम
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	विटटल
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	कन्नारा
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	डी के डिस्टिक
	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान	अपनगल्ला

1	2	3
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	त्रिचूर
	गन्ना प्रजनन संस्थान	कन्नानौर
लक्ष्यद्वीप	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान	कालीकट
	क्षेत्रीय स्टेशन / अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	मिनीकाय
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	मिनीकाय
मध्य प्रदेश	केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान	भोपाल
	भारतीय चारगाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान	झांसी
	भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान	भोपाल
	राष्ट्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान केन्द्र	झांसी
	राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधन केन्द्र	इन्दौर
	राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान केन्द्र	जबलपुर
	अ०भा०स०अ०प० – कृषिवानिकी	झांसी
	अ०भा०स०अ०प० – कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता	भोपाल
	अ०भा०स०अ०प० – कृषि उपकरण मशीनरी	भोपाल
	अ०भा०सु०अ०प० – चारा फसलें	झांसी
	अ०भा०स०अ०प० – मानव अभियांत्रिकी एवं सुरक्षा अध्ययन	भोपाल
	अ०भा०स०अ०प० – सूक्ष्म गोण पोषण	भोपाल
	अ०भा०स०अ०प० – पावर टिलर	भोपाल
	अ०भा०स०अ०प० – ऊर्जा स्रोतों नवीनीकरण	भोपाल
	अ०भा०स०अ०प० – मृदा परीक्षण फसल	भोपाल
	अ०भा०स०अ०प० – सोयाबीन	इन्दौर
	अ०भा०स०अ०प० – पशु ऊर्जा का उपयोग	भोपाल
	अ०भा०स०अ०प० – खरपतवार नियंत्रण	जबलपुर
	अ०भा०स०अ०प० – सफेद सुडी	दुर्गापुर
	नेटवर्क प्रणाली – फसल पर आधारित पशु उत्पादन प्रणाली	झांसी
	आर.एन.ए.एम. चरण	भोपाल
	क्षेत्रीय स्टेशन / अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय अन्त:स्थलीय मात्स्यिकी प्रग्रहण अनुसंधान संस्थान	होशंगाबाद
	केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन संस्थान	अकोला

1	2	3
	केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन संस्थान–ओ.आर.पी. केन्द्र	बालघाट
	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	पाथरखेड़ा
	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान	होशंगाबाद
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	ग्वालियर
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	दतिया
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	इन्दौर
	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	भोपाल
	राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो	आई जी के वी अम्बिकानगर
महाराष्ट्र	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान	नागपुर
	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	मुम्बई
	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	नागपुर
	राष्ट्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केन्द्र	नागपुर
	राष्ट्रीय द्राक्ष अनुसंधान केन्द्र	पुणे
	राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केन्द्र	गोदरा (नासिक)
	अ०भा०स०अ०प० – कपास	नागपुर
	अ०भा०स०अ०प० – छोटे मोटे अनाज	पुणे
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	मुम्बई
	क्षेत्रीय स्टेशन / अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन संस्थान	बान्दा
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	नागपुर
	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	मुम्बई
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	मुम्बई
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	पुणे
	राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केन्द्र	सोलापुर
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन केन्द्र	अकोला
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	अमरावती
	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	नागपुर
मणिपुर	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय	इम्फाल
	उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा०कृ०अ०प० का अनुसंधान परिसर	इम्फाल
मिजोरम	उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा०कृ०अ०प० का अनुसंधान परिसर	कोलासाईब

1	2	3
मेघालय	उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा०कृ०अ०प० का अनुसंधान परिसर	बड़ापानी
	क्षेत्रीय स्टेशन / अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	शिलांग
	उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा०कृ०अ०प० का अनुसंधान परिसर	प० गारो पहाड़ी
	राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो	शिलांग
नागालैण्ड	राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र	झरनापानी
	उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा०कृ०अ०प० का अनुसंधान परिसर	खानाखुडू
नई दिल्ली	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	नई दिल्ली
	भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय कृषि पर आधारित सूक्ष्म आर्गेनिज्म ब्यूरो	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसधान केन्द्र	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय पौध जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंध अनुसंधान केन्द्र	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय डी०एन०ए० फिंगर प्रिंटिंग अनुसंधान केन्द्र	नई दिल्ली
	मक्का अनुसंधान परियोजना निदेशालय	नई दिल्ली
	अ०भा०स०अ०प० – कृषि उप-उत्पाद	नई दिल्ली
	अ०भा०स०अ०प० – कृषि निकासी	नई दिल्ली
	अ०भा०स०अ०प० – एरिड लिग्यूम्स	नई दिल्ली
	अ०भा०स०अ०प० – जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण	नई दिल्ली
	अ०भा०स०अ०प० – भूमि एवं जल प्रबंध का प्रभावकारी अभियांत्रिकी मापीकरण	नई दिल्ली
	अ०भा०स०अ०प० – पुष्पोत्पाद	नई दिल्ली
	अ०भा०स०अ०प० – दीर्घावधि उर्वरक परीक्षण	नई दिल्ली
	अ०भा०स०अ०प० – औषधीय एवं संगधीय पौधे	नई दिल्ली
	अ०भा०स०अ०प० – सूत्रकृमि	नई दिल्ली
	अ०भा०स०अ०प० – कुओं के माध्यम से अनुकूल भूमिगत पानी का उपयोग	नई दिल्ली
	अ०भा०स०अ०प० – कीटनाशी अपशिष्ट	नई दिल्ली
	अ०भा०स०अ०प० – बागवानी फसलों का कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी	नई दिल्ली
	अ०भा०स०अ०प० – अल्प दोहित एवं प्रयोगाधीन पौधे	नई दिल्ली

1	2	3
	अ०भा०स०अ०प० – गृह विज्ञान	नई दिल्ली
	अ०भा०स०अ०प० – भारतीय मृदा का जुताई प्रबंधन	नई दिल्ली
	समेकित कृषि विज्ञान केन्द्र	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय बीज परियोजना	नई दिल्ली
	नेटवर्क प्रणाली – सूक्ष्म पोषण	नई दिल्ली
	नेटवर्क प्रणाली – पशु आनुवंशिक संसाधन	नई दिल्ली
	नेटवर्क प्रणाली – भ्रूण स्थानान्तरण प्रौद्योगिकी	नई दिल्ली
	कृषि मानव संसाधन विकास (पश्चिम बंगाल)	नई दिल्ली
	इंडो – इजराइल प्रदर्शनी परियोजना (भा०कृ०अ०स०)	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एन ए टी पी)	नई दिल्ली
	क्षेत्रीय स्टेशन / अनुसंधान केन्द्र	
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	ईसापुर
	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	नई दिल्ली
उड़ीसा	केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन संस्थान	भुवनेश्वर
	केन्द्रीय धान अनुसंधान संस्थान	कटक
	कृषि में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र	भुवनेश्वर
	पूर्वी क्षेत्र के लिए जल प्रौद्योगिकी केन्द्र	भुवनेश्वर
	अ०भा०स०अ०प० – केन्द्रीय फसलें	भुवनेश्वर
	जल जन्तु के लिए कार्बनिक छीजन का प्रसंस्करण एवं उपयोग पर ओ आर पी	भुवनेश्वर
	क्षेत्रीय स्टेशन / अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान	भुवनेश्वर
	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान	बुर्ला
	केन्द्रीय खारा जल जीव पालन संस्थान	पुरी
	केन्द्रीय पटसन एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान	बमरा
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	कोरापुट
	केन्द्रीय कन्द फसल अनुसंधान संस्थान	भुवनेश्वर
	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	भुवनेश्वर
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	कटक
पंजाब	केन्द्रीय कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान संस्थान	लुधियाना

1	2	3
	अ०भा०स०अ०प० – कृषि में प्लास्टिक का प्रयोग	लुधियाना
	अ०भा०स०अ०प० – कटाई और कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी	लुधियाना
	क्षेत्रीय स्टेशन / अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान	लुधियाना
	केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान	नभा
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	लुधियाना
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	जालन्धर
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	चंडीगढ़
राजस्थान	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	जोधपुर
	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान	बीकानेर
	केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान	अविकानगर
	केन्द्रीय ऊंट अनुसंधान केन्द्र	बीकानेर
	राष्ट्रीय तोरिया एवं सरसों अनुसंधान केन्द्र	भरतपुर
	राष्ट्रीय बीज ममाला अनुसंधान केन्द्र	अजमेर
	अ०भा०स०अ०प० – भेड़	अविकानगर
	अ०भा०स०अ०प० – छोटे अनाज	जोधपुर
	नेटवर्क – सड़न नियंत्रण	जोधपुर
	क्षेत्रीय स्टेशन / अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	पाली
	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	जैसलमेर
	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	बीकानेर
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	श्रीगंगानगर
	केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान	बीकानेर
	केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान	बीकानेर
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	कोटा
	भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान	अविकानगर
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	आर ग य मंडौर
	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	उदयपुर
सिक्किम	राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केन्द्र	टडोंग

1	2	3
	उ०पू० पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा०कृ०अ०प० का अनुसंधान परिसर	गंगटोक
तमिलनाडु	केन्द्रीय खारा जल जीव पालन संस्थान	चेन्नई
	गन्ना प्रजनन संस्थान	कोयम्बटूर
	राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र	तिरूचिरापल्ली
	क्षेत्रीय स्टेशन / अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय अन्त:स्थलीय मात्स्यिकी प्रग्रहण अनुसंधान संस्थान	कोयम्बटूर
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	कोयम्बटूर
	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान	कोयम्बटूर
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	मंडपम
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	टुटोकोरिन
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	मद्रास
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	ऊटी
	केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान	कोडीकन्नाल
	केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केन्द्र	मन्नावेनुर
	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	उधगमंडलम
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	वेदासुंडूर
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	वेलिंग्टन
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	एडुथुरई
त्रिपुरा	क्षेत्रीय स्टेशन / अनुसंधान संस्थान	
	उ०पू० पहाड़ी क्षेत्र के लिए भा०कृ०अ०प० का अनुसंधान परिसर	लेम्बूचेरा
उत्तर प्रदेश	केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान	इज्जतनगर
	केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान	मखदुम
	केन्द्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान	लखनऊ
	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान	कानपुर
	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान	लखनऊ
	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान	वाराणसी
	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	इज्जतनगर
	राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	लखनऊ
	राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र (भा.प.चि.अ.सं. का हिस्सा)	इज्जतनगर

1	2	3
	फसल प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय	मोदीपुरम
	मवेशी अनुसंधान परियोजना निदेशालय	मेरठ
	खुरपका एवं मुहपका रोग परियोजना निदेशालय	इज्जतनगर
	अ०भा०स०अ०प० – चना	कानपुर
	अ०भा०स०अ०प० – गैस्टोइनटैस्टिनल पैरासिटिज्म	इज्जतनगर
	अ०भा०स०अ०प० – बकरी	मखदुम
	अ०भा०स०अ०प० – हीमोरेजिक सैप्टिकेमिया	इज्जतनगर
	अ०भा०स०अ०प० – गुड़ एवं खांडसारी	लखनऊ
	अ०भा०स०अ०प० – सुअर	इज्जतनगर
	अ०भा०स०अ०प० – अरहर	कानपुर
	अ०भा०स०अ०प० – दालें (मूलांप)	कानपुर
	अ०भा०स०अ०प० – शर्करा फसलें	लखनऊ
	अ०भा०स०अ०प० – सब्जी अनुसंधान	वाराणसी
	अ०भा०स०अ०प० – दियारा भूमि का सुधार एवं प्रबंधन	मोदीपुरम
	अ०भा०स०अ०प० – उष्ण कटिबंधीय फल	लखनऊ
	अ०भा०स०अ०प० – सब्जी बीज परियोजना (राष्ट्रीय बीज परियोजना)	वाराणसी
	क्षेत्रीय स्टेशन / अनुसंधान केन्द्र	
	केन्दीय अन्त:स्थलीय मात्स्यिकी प्रग्रहण अनुसंधान संस्थान	इलाहाबाद
	केन्दीय मीठा जल जीव पालन संस्थान – ओ आर पी केन्द्र	इलाहाबाद
	केन्दीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	चिन्हट
	केन्दीय आलू अनुसंधान संस्थान	मोदीपुरम
	केन्दीय पटसन एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान	प्रतापगढ़
	केन्दीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	आगरा
उत्तरांचल	केन्दीय शीतोष बागवानी संस्थान	मुक्तेश्वर
	केन्दीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	देहरादून
	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	मुक्तेश्वर
	राष्ट्रीय शीत जल मात्स्यिकी अनुसंधान केन्द्र	भीमताल (नैनीताल)
	राष्ट्रीय शीत जल मात्स्यिकी अनुसंधान केन्द्र	चम्बावत
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	भोवाली
	विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	अल्मोड़ा
पश्चिम बंगाल	केन्दीय अन्त: स्थलीय मात्स्यिकी प्रग्रहण अनुसंधान संस्थान	बैरकपुर

1	2	3
	केन्द्रीय पटसन एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान	बैरकपुर
	राष्ट्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	कोलकात्ता
	अ०भा०स०अ०प० – पटसन	बैरकपुर
	क्षेत्रीय स्टेशन / अनुसंधान केन्द्र	
	केन्द्रीय अन्त:स्थलीय मात्स्यिकी प्रग्रहण अनुसंधान संस्थान	माल्दा
	केन्द्रीय अन्त:स्थलीय मात्स्यिकी प्रग्रहण अनुसंधान संस्थान	कोलकात्ता
	केन्द्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान	रहारा
	केन्द्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान	कल्याणी
	केन्द्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान – ओ आर पी केन्द्र	कोलकात्ता
	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	कोलकात्ता
	केन्द्रीय खारा जल जीव पालन संस्थान	काकद्वीप
	केन्द्रीय उपोषण उद्यान संस्थान	माल्दा
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	जलपाईगुड़ी
	केन्द्रीय पटसन एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान	बुड बुड
	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान	कैनिंग टाऊन
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	दिनहाता
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	कलिमपोंग
	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	कोलकात्ता
	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	कोलकात्ता
	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान	कल्याणी
	राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान संस्थान	दार्जलिंग

[अनुवाद]

परिवार नियोजन कार्यक्रम

2536. श्री ए० नरेन्द्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तारीख तक सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए राज्य-वार कुल कितनी अनुदान सहायता राशि दी गई,

(ख) क्या कई राज्य सरकारों ने ऐसी अनुदान सहायता राशि का पूरा उपयोग नहीं किया है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है, और अनुदान सहायता राशि का पूरा उपयोग न करने के क्या कारण हैं, और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्देश/दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) गत 3 वर्षों के दौरान राज्यों को जारी किए गए सहायता अनुदान का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) से (घ) राज्य सरकारें विभिन्न स्तरों पर बुनियादी ढांचे हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पैटर्न के अनुसार खर्च करती है। शुरू में सहायता वेतन आदि के लिए आकलित आवश्यकता के आधार पर दी जाती है और राज्य महालेखाकारों द्वारा दिए गए अंकेक्षित लेखा विवरण के आधार पर अंतिम रूप नियत की जाती है। चूंकि अनुदान समुपयोजन अपेक्षा के आधार पर दिया जाता है इसलिए सामान्यतया राज्य सरकारों के पास राशि शेष नहीं रहती है।

विवरण

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत बकाया राशि सहित सहायता अनुदान (नकद व सामग्री)

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	1997-1998			1998-1999			1999-2000			2000-2001 (12.3.2001 तक)		
		नकद	सामग्री	कुल	नकद	सामग्री	कुल	नकद	सामग्री	कुल	नकद	सामग्री	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	8838.71	2387.25	11225.96	11652.79	2961.41	14614.20	16609.39	3023.31	19632.70	17363.99	839.20	18203.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	147.73	89.65	237.38	144.026	75.75	219.81	231.20	103.35	334.55	256.18	60.29	316.47
3.	असम	3284.70	1165.61	4450.31	3260.45	1177.35	4437.80	7071.23	1421.68	8492.91	6466.42	554.44	7020.86
4.	बिहार	9864.51	2727.31	12621.82	8792.62	4025.28	12817.90	28435.89	4868.39	33304.28	13087.72	2443.35	15531.07
5.	गोवा	168.13	38.70	206.63	184.83	58.94	243.77	243.44	82.50	325.94	269.68	15.34	285.02
6.	गुजरात	9446.00	1877.12	11323.12	10503.85	2108.13	12611.98	14612.87	2600.21	17213.08	7201.05	1170.60	8571.65
7.	हरियाणा	3521.84	722.46	4244.30	2746.01	906.66	3652.67	3388.16	1019.59	4407.75	3878.80	358.54	4237.34
8.	हिमाचल प्रदेश	1123.72	307.30	1431.02	1973.97	399.57	2373.54	2069.01	338.33	2407.34	2778.77	116.66	2895.43
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1873.62	264.16	2137.78	1600.73	455.77	2056.50	1803.64	458.21	2261.85	1913.98	89.47	2003.45
10.	कर्नाटक	5185.49	1275.84	6461.33	7681.02	2111.95	9792.97	16978.35	2107.70	19086.05	12602.34	736.94	13339.28
11.	केरल	2981.46	973.70	3955.16	4190.43	1313.51	5503.94	5487.87	1376.24	6864.11	5478.14	251.61	5729.75
12.	मध्य प्रदेश	6765.22	3227.78	9993.30	8566.68	4587.46	13153.54	11373.95	4988.02	16361.97	10820.86	1993.26	12814.12
13.	महाराष्ट्र	8289.64	2388.04	10677.68	11164.04	3872.20	15036.24	11971.24	3924.85	15896.09	13758.03	1085.16	14844.19
14.	मणिपुर	452.95	132.90	585.85	622.26	108.80	731.06	907.39	147.96	1055.35	978.87	29.53	1008.40
15.	मेघालय	300.91	96.13	397.04	328.75	140.78	469.53	598.21	152.50	750.71	641.79	14.82	656.61
16.	मिजोरम	221.36	74.68	296.04	239.11	68.77	307.88	368.47	75.80	444.27	456.13	4.66	460.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	नागालैंड	209.05	59.19	268.24	247.96	90.31	338.27	402.78	97.73	500.51	457.72	2.78	460.50
18.	उड़ीसा	4821.63	1337.46	6159.09	4710.89	1773.73	6484.62	6053.65	1765.56	7891.21	6005.45	753.73	6759.18
19.	पंजाब	2451.93	1117.79	3569.72	2558.65	1125.51	3684.16	2941.14	1246.95	4188.09	3122.93	250.34	3373.27
20.	राजस्थान	7299.73	2176.96	9476.69	8492.29	2688.55	11180.84	14307.20	3238.37	17545.57	14506.55	1170.47	15677.02
21.	सिक्किम	218.87	46.00	264.87	307.72	41.68	349.40	416.73	68.33	485.06	653.55	9.56	663.11
22.	तमिलनाडु	10835.89	1924.08	12759.97	9197.30	2582.39	11779.69	21270.03	1833.16	23103.19	18095.49	485.49	18580.98
23.	त्रिपुरा	411.50	161.28	572.78	1781.61	193.98	1975.59	833.48	177.00	1000.48	1683.73	24.59	1708.32
30.	उत्तर प्रदेश	19276.48	5797.10	25073.58	42482.52	8773.56	51256.08	26295.63	10356.72	36652.35	22669.33	4474.59	27143.92
31.	पश्चिम बंगाल	5201.99	2505.16	7707.15	11122.85	3172.95	14295.80	9003.46	2944.78	11948.24	10813.82	1158.53	11972.17
	कुल राज्य	113223.36	32873.65	146097.01	154552.79	44814.99	199367.78	203664.41	48417.24	252081.65	175961.32	18094.77	194056.09
मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र													
1.	पांडिचेरी	138.53	35.49	174.02	137.85	54.55	192.40	148.13	38.19	186.32	432.42	10.30	442.72
2.	दिल्ली	719.82	435.59	1155.41	1012.59	473.35	1485.94	2092.19	698.88	2791.07	1147.21	398.03	1545.24
बिना मण्डल वाले संघ राजय क्षेत्रों के लिए													
1.	अन्दि० द्वीप समूह	100.34	22.06	122.40	104.60	19.00	123.60	179.45	28.19	207.64	208.40	3.06	211.46
2.	दादरा एंव नगर हवेली	34.41	5.55	39.96	59.31	9.98	69.29	56.15	10.43	66.58	64.70	0.06	64.76
3.	चण्डीगढ़	96.25	17.08	113.33	131.33	57.72	189.05	180.30	55.44	235.74	199.55	16.21	215.76
4.	लक्षद्वीप	13.25	5.91	19.16	30.05	5.01	35.06	28.50	6.87	35.37	40.90	0.43	41.33
5.	दमन एवं द्वीप	32.25	12.15	44.40	43.50	8.55	52.05	77.50	11.07	88.57	90.00		90.00
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	134.85	533.83	1668.68	1519.23	628.16	2147.39	2762.22	849.07	3611.29	2183.18	428.09	2611.27
	कुल योग	114358.21	33407.48	147765.69	15607 .02	45443.15	201515.17	206426.63	49266.31	255692.94	178144.50	18522.86	196667.36

अनुदान नौवीं योजना के दौरान

[हिन्दी]

सुनिश्चित पदोन्नति योजना

2537. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सहायक कैडर में सीधी भर्ती से आए उम्मीदवारों तथा पदोन्नति प्राप्त कर आए व्यक्तियों के पारस्परिक वरिष्ठता क्रम के निर्धारण के लिए क्या नियम बनाए गए/दिशा-निर्देश दिए गए;

(ख) क्या सीधी भर्ती से आए सहायक 12 वर्ष की सेवा पूरी होने पर अनुभाग अधिकारी की श्रेणी में सुनिश्चित पदोन्नति योजना (ए.सी.पी.) के अंतर्गत उच्च वेतमान के पात्र हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सहायक की श्रेणी में पदोन्नत कर्मचारी 12 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी होने और सीधी भर्ती से आए सहायकों से वरिष्ठ होने के बावजूद सुनिश्चित पदोन्नति योजना के लाभों से वंचित हैं;

(घ) क्या सरकार इसे विसंगति समझती है, और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के सहायकों के ग्रेड में भर्ती निम्नलिखित तरीके से की जाती है :-

- किसी संवर्ग में सहायकों के ग्रेड की 50 प्रतिशत नियमित रिक्तियाँ, कर्मचारी-चयन-आयोग द्वारा इस प्रयोजन से समय-समय पर आयोजित की गई प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर, सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती हैं; और
- शेष 50 प्रतिशत रिक्तियाँ, उस संवर्ग में सहायकों के ग्रेड की प्रवर-सूची में शामिल किए गए उच्च श्रेणी-लिपिकों की नियमित नियुक्ति द्वारा भरी जाती हैं।

केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के सहायकों के ग्रेड में, सीधी भर्ती के माध्यम सें भर्ती किए गए सहायकों और पदोन्नत सहायकों की आपसी वरिष्ठता, केन्द्रीय सचिवालय-सेवा-नियम, 1962 के नियम 18 और उसके अधीन चौथी अनुसूची के विनियम 3 के अनुसार 1:1 अनुपात में नियंत्रित की जाती है। तद्नुसार, ग्रेड में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त सहायकों और ग्रेड की प्रवर-सूची से ग्रेड में नियमित रूप से सहायकों के रूप में नियुक्त उच्च श्रेणी-लिपिकों की आपसी वरिष्ठता, ग्रेड में सीधी भर्ती के लिए और प्रवर-सूची में शामिल व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित नियमित रिक्तियों के कोटे के अनुसार निर्धारित की जानी अपेक्षित होती है।

(ख) जी, हां।

(ग) पदोन्नत सहायक, सामान्यत: अवर श्रेणी-लिपिकों के रूप में सेवा करना आरंभ करते हैं। ऐसे सहायकों ने इस प्रकार, अपने सेवा-काल में अवर श्रेणी-लिपिक के पद से उच्च श्रेणी-लिपिक के पद पर और उच्च श्रेणी-लिपिक के पद से सहायक के पद पर, पहले ही दो पदोन्नतियाँ अर्जित कर ली हैं, अत: वे सुनिश्चित कैरिअर-प्रोन्नयन की योजना के अंतर्गत कोई और लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। उपर्युक्त योजना में किसी कर्मचारी को उसके सेवा-काल के दौरान, 12 वर्ष और 24 वर्ष की सेवा के पश्चात् दो वित्तीय उन्नयन दिए जाने का प्रावधान है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-म्यांमार संबंध

2538. डा० अशोक पटेल :
श्री त्रिलोचन कानूनगो :
श्री रामपाल सिंह :
श्री किरीट सोमैया :
श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री बाबूभाई के० कटारा :
श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उनके म्यांमार के दौरे के समय उनके द्वारा भारत-म्यांमार सीमा के साथ लगे राजमार्ग का उद्घाटन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर अब तक कितना व्यय हुआ और भविष्य में कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित अन्य समझौतों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी हां।

(ख) मणिपुर सीमा पर तामु से कालेम्यां तथा कलेवा तक म्यांमा के साथ-साथ 160.5 किलोमीटर लम्बी सड़क है। इसे सीमा सड़क संगठन ने बनाया है। इसका निर्माण कार्य अक्तूबर, 1997 में शुरू हुआ था और यह दिसम्बर, 2000 में पूरा हो गया। इस सड़क का उद्घाटन विदेश मंत्री तथा म्यांमा संघ के निर्माण मंत्री ने 13 फरवरी, 2001 को संयुक्त रूप से किया था।

(ग) इस परियोजना की अनुमानित अन्तिम लागत 101.73 करोड़ रुपए है। 91.96 करोड़ रुपए का खर्च किया गया।

(घ) विदेश मंत्री की हाल की म्यामां की यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

उच्चाधिकार प्राप्त समिति

2539. श्री एम० चिन्नासामी : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योग विकास संगठनों और लघु उद्योगों के लिए उचित संगठनात्मक ढांचे की सिफारिश हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (लघु उद्योग), भारत सरका की अध्यक्षता में एक ग्रुप का गठन किया गया है जो इस मंत्रालय के सहस्त्राब्दि हेतु मिशन के अनुसार लघु उद्योग विकास संगठन (सीडो) तथा लघु उद्योग सेवा संस्थान (एस.आई.एस.आई) के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संगठनात्मक संचरना की सिफारिश करेंगें।

मौजूदा कृषि नीति की समीक्षा

2540. श्री नरेश पुगलिया :
श्री रामशकल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों और कई संगठनों ने नई कृषि नीति का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नई कृषि नीति की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त समीक्षा के प्रमुख बिन्दु क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) इस समय नई कृषि नीति की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रसूति मृत्यु अनुपात

2541. श्री पी० एस० गड्वी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन की हाल की रिपोर्ट के अनुसार गर्भावस्था संबंधी मृत्यु में भारत किस स्थान पर है;

(ख) हमारे पड़ोसी देशों की प्रसूति मृत्यु अनुपात की तुलना में भारत में वर्तमान प्रसूति मृत्यु अनुपात कितना है,

(ग) वर्ष 2000-2001 के लिए इस संबंध में राज्यवार आंकड़े क्या हैं,

(घ) क्या वर्ष 1997-1998 के आंकड़ों की तुलना में वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रसूति मृत्यु अनुपात में कमी आई है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) मातृ मृत्यु दर अनुपात 1999, विश्व स्वास्थ्य संगठन की विमेन ऑफ साऊथ-ईस्ट एशिया-ए हैल्थ प्रोफाइल नामक रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ है। इस प्रकाशन के अनुसार 8 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भारत में तीसरा निम्नतम मातृ मृत्यु दर अनुपात है। पापूलेशन रिफरेन्स ब्यूरो, सयुंक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रकाशित 1997 विश्व जनसंख्या का पत्रक के अनुसार 198 देशों में मातृ मृत्यु दर अनुपात के अवरोही क्रम में भारत का 47वां स्थान है।

(ख) तुलनीय अवधि के लिए पड़ोसी देशों के मातृ मृत्यु दर अनुपात का अनुमान उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1990 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन/यूनीसेफ के अनुमानों पर तथा इन देशों के राष्ट्रीय अनुमानों पर आधारित उपलब्ध मातृ मृत्यु दर अनुपात की तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है :

देश	प्रत्येक 100,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर विश्व स्वास्थ्य संगठन/ युनीसेफ अनुमान (1990)	प्रत्येक 1000,00 जीवित जन्मों पर मात्र मृत्यु दर राष्ट्रीय अनुमान
1	2	3
बंगला देश	850	449 (1994)
भूटान	1600	380 (1994)
भारत	570	407 (1998)
इंडोनेशिया	650	390 (1994)
म्यांमार(बर्मा)	580	100 शहरी (1994-95)
		180 (ग्रामीण) (1994-95)

1	2	3
नेपाल	1500	539 (1990-96)
श्रीलंका	140	24 (1995)
थाईलैंड	200	43.9 (1996)
पाकिस्तान	340	लागू नहीं

(ग) से (ङ) भारत के महापंजीयक द्वारा मातृ मृत्यु दर अनुपात के अद्यतन प्रकाशित अनुमान वर्ष 1998 के लिए हैं। भारत और बड़े राज्यों की वर्ष 1997 और 1998 के लिए मातृ मृत्यु दर अनुपात को दर्शाता एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मातृ मृत्यु दर

भारत और बड़े राज्य

स्रोत महापंजीयक, भारत (एस आर एस, 1997,1998)

बड़े राज्य	मातृ मृत्यु दर (1997)	मातृ मृत्यु दर (1998)
भारत	408	407
आंध्र प्रदेश	154	150
असम	401	409
बिहार	451	452
गुजरात	29	28
हरियाणा	105	103
कर्नाटक	195	195
केरल	195	198
मध्य प्रदेश	498	498
महाराष्ट्र	135	135
उडीसा	361	367
पंजाब	196	199
राजस्थान	677	670
तमिलनाडु	76	79
उत्तर प्रदेश	707	707
पश्चिम बंगाल	264	266

साइबर अपराध

2542. **श्री विजय गोयल :**
श्री राजीव प्रताप रूडी :
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कम्प्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आई.एस.आई. ने कम्प्यूटर वाइरस का ईजाद किया है जैसा कि 4 जनवरी, 2001 के 'राष्ट्रीय सहारा' दैनिक में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि वेबसाइट हैकर की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है जो प्रधानमंत्री कार्यालय, बी.ए.आर.सी., विदेश संचार निगम लिमिटेड आदि के वेबसाइटों में पहुंचकर उनमें कूटित सूचनाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 बनाने के पश्चात् दिल्ली और अन्य राज्यों में साइबर अपराध के कितने मामले पंजीकृत किए गए और इन परिस्थितियों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में क्या प्रावधान किए गए हैं; और

(च) इस संबंध में अब तक क्या सफलता प्राप्त की गई ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) कम्प्यूटर वाइरस एक विश्वव्यापी तथ्य है। जैसाकि उल्लिखित समाचार में छपा है, वाइरसों की नई-नई किस्में विभिन्न स्रोतों से इंटरनेट पर निरन्तर जारी हो रही हैं। सरकार को पाकिस्तानी एजेंसियों की ओर से सूचना हरण की घटनाओं की जानकारी मिली है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अधिनियमित होने के पश्चात दिल्ली पुलिस में एक मामला दर्ज हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 65 तथा 66 में सूचना हरण तथा कम्प्यूटर स्रोत दस्तावेजों में हेरफेर जैसे साइबर अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं।

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद संबंधी प्रारूप अभिसमय

2543. **श्री सुशील कुमार शिंदे :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने इस वर्ष जनवरी में संयुक्त राष्ट्रसंघ में अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप अभिसमय को प्रायोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रारूप का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उन प्रारूपों को स्वीकार कर लिया गया एवं उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने इसमें उल्लिखित संयुक्त प्रतिबंधों को क्रियान्वित करने पर सहमति व्यक्त की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी हां। 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 51वें सत्र में भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबद्ध व्यापक अभिसमय का प्रारूप परिचालित किया था। 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 54वें सत्र में यह सहमति हुई कि भारतीय प्रारूप को सितम्बर 2000 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबद्ध तदर्थ समिति में विचारार्थ रखा जाएगा।

(ख) प्रारूप अभिसयम की प्रस्तावना में यह स्वीकार किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों तथा राज्यों द्वारा सीधे तौर पर अथवा परोक्ष तौर पर किए गए अथवा समर्थित कृत्यों का शमन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा राज्यों की क्षेत्रीय अखण्डता के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद आठ में राज्य पक्षकारों को अपने अपने क्षेत्रों में आतंकवादी संस्थापनाओं और प्रशिक्षण कैम्पों की स्थापना तथा संचालन को रोकने के लिए सभी व्यवहारिक कदम उठाने के लिए उत्तरदायी ठहराने का प्रावधान है। प्रारूप अभिसमय में उन कृत्यों को भी शामिल किया गया है कि जिनसे सम्पत्ति और राज्य अथवा सरकारी सुविधाओं को नुकसान हो अथवा किसी सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को ऐसा करने के लिए मजबूर करे अथवा ऐसे किसी कृत्य को करने से रोके। अभिसमय में आदेशात्मक उत्तरदायित्व तथा राजनीतिक अपवाद खण्ड को शामिल किया गया है, इसमें कहा गया है कि राजनीतिक, दार्शनिक, वैचारिक, रंगभेद, जातीय, धार्मिक अथवा किसी अन्य विचारधारा द्वारा आतंकवाद के कृत्यों को किसी भी परिस्थिति में न्यायोचित नहीं ठहराया जाएगा।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से सम्बद्ध व्यापक अभिसमय का प्रारूप अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। इस पर 25 सितम्बर से 6 अक्टूबर 2000 तथा 12-23 फरवरी 2001 की वार्ताओं के दो दौरों में विचार किया गया है। वार्ता का तीसरा दौर अक्टूबर 2001 में होगा।

ग्रामीण औद्योगिकरण

2544. श्री अन्नासाहेब एम० के० पाटील : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौंवी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण औद्योगिकरण के लिए निधारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए एवं अब तक कितनी उपलब्धि प्राप्त की गई; और

(ग) योजना अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण औद्योगिकीकरण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। तथापि, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए मार्जिन मनी प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

गुर्दों का व्यापार

2545. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्रीमती मिनाती सेन :
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :
डा० रामचन्द्र डोम :
श्री जी० एस० बसवराज :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुर्दा व्यापार के मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है।

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं,

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार गुर्दा व्यापार से संबंधित कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं और प्राधिकारियों द्वारा प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई,

(घ) इस संबंध में अब तक गिरफ्तार किए गए शल्य चिकित्सकों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं तथा शेष लोगों को कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा,

(ङ) क्या सरकार का विचार गुर्दा व्यापार को हतोत्साहित करने के लिए कानून बनाने का है, और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 13(2) के अंतर्गत राज्य सरकारों के पास अधिनियम के प्रयोजन के

लिए समुचित प्राधिकारी के रूप में एक या अधिक अधिकारियों को अधिसूचना द्वारा नियुक्त करने की शक्तियाँ हैं। ऐसे समुचित प्राधिकारियों के पास अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन की किसी शिकायत की जांच करने की शक्तियां प्राप्त हैं जिनमें गुर्दे की बिक्री और खरीद भी शामिल है। ऐसे मामलों के राज्यवार ब्यौरे यदि कोई हों, तो सम्बन्धित राज्य सरकारों के पास उपलब्ध है।

(ङ) और (च) ऐसे किसी कार्यकलापों को निरुत्साहित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 18 से 21 के अन्तर्गत उपबन्ध मौजूद हैं।

अनुसंधान कार्य के लिए निधि

2546. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान कार्यों को अपर्याप्त धनराशि के कारण हरित क्रांति और श्वेत क्रांति में तेजी नहीं लाई जा सकी;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि में अनुसंधान कार्यों के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या कृषि निर्देशन कार्यक्रम के लिए धनराशि प्रदान किया जाना बन्द कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं। पिछले वर्षों में हरित क्रान्ति तथा श्वेत क्रांति से क्रमश: 2.9 प्रतिशत तथा 4.7 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर प्राप्त हुई है।

(ख) अनुसंधान प्रतिष्ठानों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए कुल व्यय का विवरण निम्नलिखित है :

(रु० करोड़ में)

वर्ष	योजना	गैर योजना	कृषि उत्पाद उपकर	कुल
1997-98	323.01	351.04	21.32	695.37
1998-99	427.72	516.54	28.22	972.48
1999 2000	455.00	790.63	30.22	1275.85

(ग) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कृषि निदर्शन कार्यक्रम जैसा कोई कार्यक्रम नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वर्णांधता का उपचार

2547. श्री धर्मराज सिंह पटेल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वर्णांध लोगों के उपचार के लिए किसी तरह का अध्ययन कराया जा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके उपचार अध्ययन द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान कितने लोग लाभान्वित हुए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पोलियो उन्मूलन

2548. श्री अमर राय प्रधान : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान आज तक नकली पोलियो ड्राप्स के कारण कई बच्चों की मृत्यु हो गई,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस मामले में कोई जांच करवाई गई,

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले, और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

अशक्त लोगों के लिए रोजगार एजेंसियां

2549. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में रोजगार प्रदान करने हेतु अशक्त लोगों के लिए रोजगार एजेंसियां स्थापित करने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां ऐसी एजेंसियां स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है,

(ग) क्या इन एजेंसियों को गैर-सरकारी संगठनों या किसी व्यक्ति द्वारा चलाए जाने का प्रस्ताव है,

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक कितने प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने किसी देश के किसी संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (च) निःशक्त व्यक्तियों के लिए रोजगार एजेंसियां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि विकलांग व्यक्तियों को रोजगार की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों तथा विशेष सेलों को चलाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस समय देश में 40 विशेष रोजगार कार्यालय तथा सामान्य रोजगार कार्यालयों में 41 विशेष सेल कार्य कर रहे हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहन की योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों को विकलांग व्यक्तियों को मार्गदर्शन, परामर्श तथा स्थापन प्रदान करने के लिए 90 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1999-2000 के दौरान इस उद्देश्य के लिए 15 गैर सरकारी संगठनों को 38.28 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई थी। इसके अतिरिक्त देश में 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र हैं जो विकलांग व्यक्तियों की शेष क्षमता का मूल्यांकन करते हैं, उन्हें आवश्यक व्यावसायिक प्रशिक्षण और परामर्श देते हैं तथा उन्हें नौकरियां या उनकी क्षमता के अनुसार स्वरोजगार में लगाते हैं।

त्रिकोणीय सहयोग

2550. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक नई विश्व व्यवस्था लाने के बारे में रूस-चीन-भारत त्रिकोणीय सहयोग की आवश्यकता के संबंध में उभरते एशियाई जनमत पर सरकार का क्या रवैया है; और

(ख) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) भारत, रूसी परिसंघ और चीन लोक गणराज्य के बीच त्रिकोणीय सहायेाग के सम्बन्ध में कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है।

बच्चों को आवश्यक औषधियां देने से इंकार

2551. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 21 जनवरी 2001 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार 'चिल्ड्रेन डिनाइड असैन्शियल मेडिसन' से अवगत है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत शिशुओं/बच्चों को प्रत्येक छः मास में दी जाने वाली विटामिन 'ए' मिश्रण और लौह तत्व तथा फोलिक एसिड की गोलियों की राज्यों को आपूर्ति न करने के क्या कारण हैं, और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) उप केन्द्रों के लिए डुग किट 'ए' में विटामिन 'ए' घोल तथा आयरन और फालिक एसिड गोलियों (आई.एफ.ए.) की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की नियमित आपूर्ति की जाती है। ये मदें परिवार कल्याण विभाग द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आंगनवाडियों को प्रदान नहीं की जाती हैं। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे इन मदों के वितरण में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यकताओं को शामिल करें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आपूर्ति की गई डुग किट 'ए' की संख्या वर्ष 1995-96 के दौरान 215264, 1996-97 में 264570, 1997-98 में 267000 तथा 1998-99 में 303603 थी।

[हिन्दी]

रबी की फसल का समर्थन मूल्य

2552. **श्री अजय सिंह चौटाला :**
श्री राम नायडू दग्गुबाटि :
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री नवल किशोर राय :
डा० (श्रीमती) सुधा यादव :
श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2001-02 के लिए रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितनी वृद्धि की गई;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों की मांग के बावजूद गत दो वर्षों से गेहूं के समर्थन मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ङ) सरकार इस समय वर्ष 2001-02 में बेची जाने वाली 2000-01 की रबी फसलों के लिए मूल्य नीति पर सक्रियता से विचार कर रही है।

[अनुवाद]

सिंचित और असिंचित भूमि

2553. **कुंवर अखिलेश सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने हेक्टेयर सिंचित और असिंचित भूमि है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश के कौन-कौन से राज्यों में सबसे अधिक और सबसे कम सिंचित भूमि है; और

(ग) क्या सरकार का असिंचित क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र में बदलने हेतु कोई ठोस कार्यक्रम है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) देश में कुल सिंचित और असिंचित क्षेत्र क्रमशः 55,143,000 है० और 87,676,000 है० है। देश में सिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत राज्यवार क्षेत्र संलग्न विवरण-I में है।

(ग) सिंचाई राज्य का विषय है तथा अपने आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार सिंचित क्षेत्र बढ़ाने के लिए सभी प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा स्वयं ही विचार किया जाता है, उनके द्वारा ही योजनाएं बनाई जाती है तथा उन्हें क्रियान्वित किया जाता है। किन्तु सिंचाई के अधीन अतिरिक्त असिंचित क्षेत्रों को लाने के लिए भारत सरकार ने 500 करोड़ की लागत वाली बड़ी सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना को शीघ्र पूरा करने तथा राज्य की संसाधन क्षमता से बाहर तथा साथ ही ऐसी अन्य परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जो निर्माण की समाप्ति के चरण में, के लिए वर्ष 1996-97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया है। निधियां समान देयता आधार पर केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में जारी की गई थी। विभिन्न राज्यों को निर्मुक्त केन्द्रीय ऋण सहायता का ब्यौरा (31.12.2000 की स्थिति के अनुसार) संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1996-97 के दौरान राज्यवार सिंचित और असिंचित क्षेत्र का ब्यौरा

(क्षे०हजार है०)

क्र० सं०	राज्य	निवल बुवाई का क्षेत्र	निवल सिंचित क्षेत्र	असिंचित क्षेत्र	निवल असिंचित क्षेत्र%	असिंचित क्षेत्र%
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	10834	4395	6439	40.57	59.43
2.	अरूणाचल प्रदेश	185	36	149	19.46	80.54
3.	असम	2744	572	2172	20.85	79.15
4.	बिहार	7337	3624	3713	49.39	50.61
5.	गोवा	139	23	116	16.55	83.45
6.	गुजरात	9600	3042	6558	31.69	68.31
7.	हरियाणा	3615	2755	860	76.21	23.79
8.	हिमाचल प्रदेश	558	105	453	18.82	81.18
9.	जम्मू व कश्मीर	733	313	420	42.70	57.30
10.	कर्नाटक	10610	2325	8285	21.91	78.09
11.	केरल	2269	357	1912	15.73	84.27
12.	मध्य प्रदेश	19794	6399	13395	32.33	67.67
13.	महाराष्ट्र	17876	2567	15309	14.36	85.64
14.	मणिपुर	140	65	75	46.43	53.57
15.	मेघालय	216	45	171	20.83	79.17
16.	मिजोरम	109	7	102	6.42	93.58
17.	नागालैंड	225	62	163	27.56	72.44
18.	उड़ीसा	5968	2090	3878	35.02	64.98
19.	पंजाब	4139	3847	292	92.95	7.05
20.	राजस्थान	16790	5588	11202	33.28	66.72
21.	सिक्किम	95	16	79	16.84	83.16
22.	तमिलनाडु	5486	2892	2594	52.72	47.28
23.	त्रिपुरा	277	35	242	12.54	87.36
24.	उत्तर प्रदेश	17475	11999	5476	68.66	31.34
25.	प० बंगाल	5463	1911	3552	34.98	65.02
26.	अ०व नि०द्वीप	38	0	38	0.00	100.00
27.	चण्डीगढ़	2	2	0	100.00	0.00
28.	दादरा व नगर हवेली	23	4	19	17.39	82.61
29.	दमन व द्वीप	4	1	3	25.00	75.00
30.	दिल्ली	47	44	3	93.62	6.38
31.	लक्ष्यद्वीप	3	0	3	0.00	100.00
32.	पाण्डिचेरी	25	22	3	88.00	12.00
	अखिल भारत	142819	55143	87676	38.61	61.39

विवरण-II

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अधीन निर्मुक्त केन्द्रीय ऋण सहायता का ब्यौरा (1996-97) से (2000-2001)

(करोड़ रुपये)

क्र०सं०	राज्य का नाम	निर्मुक्त केन्द्रीय ऋण सहायता
1.	आंध्र प्रदेश	320.715
2.	असम	54.050
3.	बिहार	269.700
4.	गोवा	24.100
5.	गुजरात	1287.293
6.	हरियाणा	44.500
7.	हिमाल प्रदेश	25.955
8.	जम्मू व कश्मीर	5.980
9.	कर्नाटक	479.390
10.	केरल	18.750
11.	मध्य प्रदेश	483.738
12.	महाराष्ट्र	229.160
13.	मणिपुर	61.390
14.	मेघालय	1.280
15.	उडीसा	324.300
16.	पंजाब	209.500
17.	राजस्थान	302.792
18.	त्रिपुरा	23.993
19.	तमिलनाडु	20.000
20.	उत्तर प्रदेश	622.610
21.	पश्चिम बंगाल	61.225
	कुल	4870.421

सी०जी०एच०एस० सुविधा वापस लेना

2554. **श्री के० पी० सिंह देव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दी गई सी०जी०एच०एस० सुविधा वापस लेने का है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

काजू की खेती

2555. **श्री पी० सी० थामस : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू उत्पादक किसानों को उनकी फसल का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल रहा;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार काजू की उत्पादन लागत कितनी है और गत दो वर्षों के दौरान इसका मूल्य ढांचा कैसा है;

(ग) क्या काजू का निर्यात किया जा रहा है, यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किए गए निर्यात और उसके मूल्य का ब्यौरा क्या है और किन-किन देशों को निर्यात किया जाता है;

(घ) क्या काजू के लिए समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग या प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या काजू का आयात या तस्करी भी होती है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या आयात शुल्क बढ़ाने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) नौवीं योजना के प्रारंभ (1996-97) में यथानुमानित काजू उत्पादन लागत 2460/- रुपये प्रति क्विंटल थी। पिछले दो वर्षों के दौरान कच्चे काजू का औसत प्रचलित मूल्य इस प्रकार है :

वर्ष	मूल्य (रुपये/क्विंटल)
1999	3917/-
2000	4108/-

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान काजू के निर्यात का ब्यौरा इस प्रकार है :-

वर्ष	मात्रा (मी०टन)	मूल्य (करोड़ रुपये)
1997-98	76593	1396.10
1998-99	77076	1630.08
1999-2000	92461	2451.45

मुख्य देश जिन्हें काजू निर्यात किया जाता है, ये हैं : संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, ब्रिटेन, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा और सउदी अरब।

(घ) काजू के लिए समर्थन मूल्य घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु काजू के बागवानी फसल होने के कारण यह मंडी हस्तक्षेप स्कीम के अधीन शामिल की जाने वाली ऐसी फसल है जिसमें मंडी प्रचालन कार्य राज्य सरकार के अनुरोध पर किया जाता है।

(ङ) काजू प्रसंस्करण उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए काजू का आयात किया जा रहा है। वर्ष 1999-2000 के दौरान 1054.00 करोड़ रुपये मूल्य के 2.26 लाख मी० टन कच्चे काजू का आयात किया गया। किन्तु, भारत में काजू की तस्करी की कोई सूचना नहीं है।

(च) और (छ) काजू आयात पर आयात शुल्क बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी इकाइयों का केन्द्रीकरण

2556. **श्री जोरा सिंह मान :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक आधारभूत ढांचा और सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर व्यवसाय में लगी संस्थाएं महानगरों तक ही सीमित है;

(ख) यदि नहीं, तो देश में कार्यरत ऐसी कुल संस्थाओं में से कितने प्रतिशत दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलौर, हैदराबाद जैसे महानगरों में स्थित है;

(ग) क्या सरकार ने इस विशेष व्यवसाय के ऐसे केन्द्रीयकरण से होने वाली हानि का अनुमान लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के अन्य भागों में ऐसी संस्थाएं स्थापित करने हेतु क्या उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) जी हां। इस समय लगभग 80 प्रतिशत सॉफ्टवेयर/ सॉफ्वेयर सेवा कम्पनियां दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता, बंगलौर तथा हैदराबाद महानगरों में स्थित हैं।

(ग) और (घ) सॉफ्टवेयर का निर्यात करने वाली कम्पनियों के ऐसे केन्द्रीयकरण के कारण कोई हानि नहीं है। फिर भी सरकार इस कार्यकलाप को देश भर में व्यापक रूप मे फैलाने का प्रयास कर रही है। अत: भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) ने 18 केन्द्रों की स्थापना की है जो आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जिनमें बंगलौर, पुणे, भुवनेश्वर, हैदराबाद, नोएडा, गांधीनगर, तिरुवनन्तपुरम, चैन्नई, मोहाली, जयपुर, नवी मुम्बई, कोयम्बटूर, मणिपाल, मैसूर, गुवाहाटी, वाइजेग, इन्दौर और कोलकाता में द्रुतगति डेटा संचार (एचएसडीसी) सम्पर्क शामिल है।

[अनुवाद]

तिलहन का उत्पादन

2557. **श्री राजीव प्रताप रूडी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकी मिशन का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रौद्योगिकी मिशन में कौन-कौन से तिलहन सम्मिलित हैं और क्या इस सूची में नारियल भी शामिल है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक नारियल उत्पादक राज्य में नारियल की उत्पादकता बढ़ाने हेतु तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कुल कितना आवंटन किया गया और इस पर कितना व्यय हुआ ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी हां।

(ख) तिलहन का उत्पादन बढ़ाने तथा देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्ष 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का गठन किया गया।

(ग) प्रौद्योगिकी मिशन में शामिल तिलहन में मूंगफली, सुरजमुखी, तिल, कुसुम, सोयाबीन, तोरिया-सरसों, रामतिल, अलसी, आयल पॉम, और अरण्ड हैं। यद्यपि स्थायी सलाहकार समिति ने अपने निर्णय में नारियल को एक तिलहन के रूप में घोषित किया तथा साथ ही यह निर्णय लिया की नारियल वृक्ष मूल का तिलहन है और इसे फसल की तरह उगाये जाने वाले सामान्य तिलहन के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। इस घोषणा का आशय मूल्य समर्थन कार्य के लिए तिलहन के रूप में नारियल के महत्व पर जोर देना था और इसलिए इसे प्रौद्योगिकी मिशन में शामिल नहीं किया गया।

(घ) नारियल के महत्व को देखते हुए इसकी देख-रेख विशेष रूप से नारियल विकास बोर्ड द्वारा की जा रही है। बोर्ड पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक नारियल उत्पादक राज्य में नारियल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित स्कीमें क्रियान्वित करती रहा है :

I. गुणवत्ता पौध रोपण सामग्री का उत्पादन वितरण

II. नारियल के अधीन क्षेत्र विस्तार

III. उत्पादकता सुधार हेतु नारियल की जोतों में समेकित कृषि

(ङ) पिछले तीन वर्षों के लिए इन स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए कुल आवंटन पर किया गया खर्च निम्नवत है :

(रु० लाख में)

वर्ष	कुल आवंटन	खर्च
1997-1998	840.675	1027.734
1998-1999	1040.890	1053.140
1999-2000	814.675	799.952

मछुआरों का बचाव

2558. श्री राम नायडू दग्गुबाटि :
श्री के० येरननायडू :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा मछुआरों को राष्ट्रीय आपदाओं की विभीषिका से बचाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या मछुआरों को अनुग्रह राशि-सह-बीमा सुविधा देने सहित उनकी ऐसी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उन्हें विशेष पैकेज देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) प्राकृतिक आपदा आने के कारण मछुआरों सहित प्रभावित लोगों को राहत देने तथा आपदा जन्य स्थिति से निपटने हेतु तैयारी और जन जागरूकता पर जोर देते हुए उचित उपाय करने की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। केन्द्र सरकार (i) परम्परागत जलयानों के मोटरीकरण (ii) तटरक्षकों को केन्द्रीय अनुदान देकर तथा साथ ही विपत्ति में मछुआरों की सहायता हेतु भारत के समद्री क्षेत्र अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन (iii) सामूहिक दुर्घटना बीमा, बचत-सह-राहत और आदर्श मछुआरा गांवों के विकास संबंधी मछुआरों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम द्वारा राज्य के प्रयासों में सहायता करती है।

एड्स

2559. श्री रामचन्द्र पासवान :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम की उस ताजा रिपोर्ट से अवगत है जिसमें दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एड्स से संक्रमित आबादी होने के कारण देश की काली तस्वीर प्रस्तुत की गई है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार के आकलन के अनुसार इस बीमारी के मामलों में वृद्धि की वार्षिक दर और इस रोग के कारण होने वाली मौतों के आंकड़े क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) जी हां। जून 2000 में प्रकाशित विश्व एच आई वी/एड्स महामारी पर यूनेड्स रिपोर्ट में यह उल्लिखित है कि दक्षिण अफ्रीका के अलावा विश्व के अन्य किसी भी देश की तुलना में भारत में एच आई वी संक्रमणों की संख्या ज्यादा है।

वयस्कों में एच आई वी व्याप्तता दर 0.7 प्रतिशत है तथा इसका कारण देश में जनसंख्या का बड़ा आकार है। एड्स मामलों और इसके कारण होने वाली मौतों में वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. एड्स रोगी

वर्ष	एड्स के सूचित रोगी (संचयी योग)	प्रतिशत वृद्धि
1997	4730	
1998	6693	41.50 प्रतिशत
1999	9966	48.90 प्रतिशत
2000	17997	80.58 प्रतिशत

2. एड्स से हुई मौतें

वर्ष	एड्स से हुई सूचित मौतें (संचयी योग)	प्रतिशत वृद्धि
1997	1043	
1998	1228	17.73 प्रतिशत
1999	1366	11.23 प्रतिशत
2000	1722	26.06 प्रतिशत

[हिन्दी]

उपग्रह का प्रक्षेपण

2560. श्री उत्तमराव पाटील :
श्री मोहनुल हसन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक अंतरिक्ष में कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं;

(ख) प्रत्येक उपग्रह पर कुल कितना खर्च हुआ;

(ग) इन्हें अंतरिक्ष में भेजने की सफलता और असफलता दर कितनी है;

(घ) इनसे विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रवार कितना लाभ प्राप्त हुआ; और

(ङ) निकट भविष्य में उपग्रह प्रक्षेपित करने के संबंध में सरकार की क्या योजना है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) भारत ने अभी तक 30 उपग्रह प्रमोचित किए हैं। उपग्रहों का ब्यौरा, अलग-अलग उपग्रहों की लागत और उनकी सफलता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट), राष्ट्रीय अवसंरचना के महत्वपूर्ण अंक बन गए हैं, जोकि शैक्षिक दूरदर्शन, मौसमविज्ञान और आपदा प्रबंध सहित दूरसंचार, दूरदर्शन और रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसने अगम्य और सुदूर क्षेत्रों को जोड़ने में सहायता प्रदान की है। इसके साथ ही, वाणिज्यिक करारों के तहत अंतर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष एजेंसियों को उपग्रह क्षमताओं के भाग को लीज पर दिया गया है।

भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह कृषि, वानिकी, सतह और भूमिगत जल, खनिज, शहरी आयोजन, भू-उपयोग, भू-आवरण सर्वेक्षण, समुद्री संसाधन इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आवृत्त करते हुए देश में प्राकृतिक संसाधनों प्रबंध के मानीटरन और प्रबंध के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली (एन.एन.आर.एम.एस.) का मुख्य आधार बन गए हैं। वाणिज्यिक करारों के अंतर्गत कई अन्य देशों द्वारा भी उपग्रहों से आंकड़ें प्राप्त किए जा रहे हैं।

(ङ) इन्सैट और आई.आर.एस. उपग्रहों द्वारा प्रदान की जा रही अन्तरिक्ष सेवाओं को जारी रखने और उनके संवर्धन की योजनाएं हैं। इन्सैट-3 श्रृंखला में अन्य चार उपग्रह अर्थात् इन्सैट-3ए, इन्सैट-3सी, इन्सैट-3डी और इन्सैट-3ई को आगामी तीन वर्षों में प्रमोचित किया जाएगा।

एक अलग से मौसमविज्ञानीय उपग्रह (मेटसैट) को सन् 2001-02 में प्रमोचिन की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, प्रायोगिक संचार उपग्रहों, जीसैट, को भारत के भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी.) की विकासात्मक जांच उड़ानों में रखकर प्रमोचित किया जाएगा।

आई.आर.एस. श्रृंखला में रिसोर्ससैट (आई.आर.एस.-पी6), कार्टोसैट-(आई.आर.एस.-पी5) और कार्टोसैट-2 को आगामी तीन वर्षों में प्रमोचित करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही उन्नत सुदूर संवेदन और अन्य अन्तरिक्षयान संबंधी प्रौद्योगिकियों की जांच के लिए प्रौद्योगिकी प्रायोगिक उपग्रह (टी.ई.एस.) को प्रमोचित करने की भी योजना बनाई गई है।

विवरण

आज तक अन्तरिक्ष में प्रमोचित भारतीय उपग्रहों का ब्यौरा और प्रमोचन उपग्रह-वार ब्यौरे सहित उनकी कुल लागत

क्र० सं०	उपग्रह	लागत (करोड़ रु० में)	प्रमोचन तिथि	उपलब्धियां
1	2	3	4	5
1.	आर्यभट	5.09	19.04.1975	सफल। प्रथम भारतीय उपग्रह। इसने उपग्रह प्रणाली के निर्माण और प्रचालन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अनुभव प्रदान किया। इसे रूसी प्रगोचक राकैट इन्टरकॉस्मॉस द्वारा प्रमोचित किया गया। नि:शुल्क प्रमोचन।
2.	भास्कर I	*क	07.06.1979	सफल। प्रथम प्रायोगिक सुदूर संवदेन उपग्रह। यह दूरदर्शन और माइक्रोवेव कैमरे ले गया था। इसे रूसी प्रमोचक राकेट इन्टरकॉस्मॉस द्वारा प्रमोचित किया गया। नि:शुल्क प्रमोचन।
3.	भास्कर-II	*क	20.11.1981	सफल। भास्कर-I के समान द्वितीय प्रायोगिक सुदूर संवदेन उपग्रह। इसने सम्पूर्ण रूप से एक सुदूर संवदेन उपग्रह प्रणाली के निर्माण और प्रचलन के क्षेत्र में अनुभव प्रदान किया। इसे रूसी प्रमोचक राकेट इन्टकॉस्मॉस द्वारा प्रमोचित किया गया। नि:शुल्क प्रमोचन।
4.	एरियन पैसेंजर नीतभार परीक्षण (एप्पल)	17.97	19.06.1981	सफल। प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह। इसने तीन अक्षीय स्थिरीकृत संचार उपग्रह के निर्माण और प्रचालन के क्षेत्र में अनुभव प्रदान किया। इसे यूरोपियन एरियन प्रमोचक राकेट द्वारा प्रमोचित किया गया। नि:शुल्क प्रमोचन।

1	2	3	4	5
5.	रोहिणी प्रौद्योगिकी नीतभार (आर.टी.पी.)	**ख	10.08.1979	असफल। इसका उद्देश्य प्रथम भारतीय उपग्रह प्रमोचक राकेट, एस.एल.वी.-3 की प्रथम प्रायोगिक उड़ान के दौरान राकेट के कार्यनिष्पादन का मापन करना था। प्रमोचक राकेट की असफलता के कारण इसे कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। स्वदेशी विकासात्मक प्रमोचन।
6.	रोहिणी (आर.एस.-1)	**ख	18.07.1980	सफल। इसे एस.एल.वी.-3 की द्वितीय प्रायोगिक उड़ान के दौरान राकेट के कार्यनिष्पादन का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया गया। स्वदेशी विकासात्मक प्रमोचन।
7.	रोहिणी (आर.एस.-डी1)	**ख	31.05.1981	सफल। लैण्डमार्क संवेदक नीतभार का उपयोग करते हुए कुछ सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकीय अध्ययन के आयोजन के लिए प्रयुक्त किया गया। एस.एल.वी.-3 की प्रथम विकासात्मक उड़ान द्वारा प्रमोचित। स्वदेशी विकासात्मक प्रमोचन।
8.	रोहिणी(आर.एस.-डी2)	**ख	17.04.1983	सफल। आर.एस.-डी1 के समान। एस.एल.वी.-3 की दूसरी विकासात्मक उड़ान द्वारा प्रमोचित। स्वदेशी विकासात्मक प्रमोचन।
9.	विस्तृत रोहिणी उपग्रह श्रृंखला (श्रोस-1)	***ग	24.03.1987	असफल। यह प्रमोचक राकेट के कार्यनिष्पादन के मानीटरन तथा गामा किरण खगोलिकी के लिए नीतभार ले गया था। संबंधित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए.एस.एल.वी.) की प्रथम विकासात्मक उड़ान की असफलता के कारण इसे कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। स्वदेशी विकासात्मक प्रमोचन।
10.	विस्तृत रोहिणी उपग्रह श्रृंखला (श्रोस-2)	***ग	13.07.1988	असफल। गामा किरण खगोलिकी नीतभार के साथ साथ यह जर्मन अन्तरिक्ष एजेंसी का सुदूर संवदेन नीतभार ले गया था। संबंधित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए.एस.एल.वी.) की द्वितीय विकासात्मक उड़ान की असफलता के कारण इसे कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। स्वदेशी विकासात्मक प्रमोचन।
11.	विस्तृत रोहिणी उपग्रह श्रृंखला (श्रोस-सी)	***ग	20.5.1992	सफल। ए.एस.एल.वी. की तृतीय विकासात्मक उड़ान द्वारा प्रमोचित। यह गामा किरण खगोलिकी नीतभार ले गया था। स्वदेशी विकासात्मक प्रमोचन।
12.	विस्तृत रोहिणी उपग्रह श्रृंखला (श्रोस-सी2)	***ग	04.05.1994	सफल। ए.एस.एल.वी. की चतुर्थ विकासात्मक उड़ान द्वारा प्रमोचित। श्रोस-सी के समान। अभी भी कार्यरत। स्वदेशी विकासात्मक प्रमोचन।
13.	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट-1ए)	++घ	10.04.1982	यू.एस.ए. से प्राप्त प्रचालनात्मक बहु-उद्देशीय संचार और मौसम विज्ञानीय उपग्रह। इसने केवल छः माह तक कार्य किया। इसे अमरीकी डेल्टा प्रमोचक राकेट द्वारा छोड़ा गया था।
14.	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट-1बी)	++घ	30.08.1983	सफल। इन्सैट-1ए के समान। इसने अपनी सात वर्षीय निर्धारित कालावधि से अधिक समय तक कार्य किया। अमरीकी अंतरिक्ष शटल द्वारा प्रमोचित।
15.	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट-1सी)	++घ	21.07.1988	इन्सैट-1ए उपग्रह के समान। इसने केवल डेढ़ वर्षों तक कार्य किया। इसे यूरोपियन एरियन प्रमोचन राकेट द्वारा प्रमोचित किया गया।
16.	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट 1डी)	++घ	12.06.1990	सफल। इन्सैट-1ए के समान। अमरीकी डेल्टा प्रमोचक राकेट द्वारा प्रमोचित। अभी भी कार्यरत।

1	2	3	4	5
17.	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट-2ए)	$ङ	10.07.1992	सफल। भारत द्वारा निर्मित द्वितीय पीढ़ी की इन्सैट-2 श्रृंखला में प्रथम उपग्रह। इसमें इन्सैट-1 श्रृंखला की तुलना में अधिक सेवा क्षमता थी। इसे यूरोपियन एरियन प्रमोचक राकेट द्वारा प्रमोचित किया गया। अभी भी कार्यरत।
18.	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट 2बी)	$ङ	23.07.1993	सफल। इन्सैट-2 श्रृंखला में द्वितीय उपग्रह। इन्सैट-2ए के समान। यूरोपियन एरियन प्रमोचक राकेट द्वारा प्रमोचित। अभी भी कार्यरत।
19.	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट-2सी)	$$च	07.12.1995	सफल। इसमें मोबाइल उपग्रह सेवा, व्यवसायिक संचार तथा भारतीय भू-भाग से आगे दूरदर्शन की पहुंच जैसी अतिरिक्त क्षमताएं हैं। यूरोपियन प्रमोचक राकेट द्वारा प्रमोचित। अभी भी कार्यरत।
20.	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट-2डी)	$$च	04.06.1997	इन्सैट-2सी के समान। यूरोपियन प्रमोचक राकेट द्वारा प्रमोचित। यह एक पावर बस में आई खराबी के कारण अक्तूबर 4, 1997 को अकार्यशील हो गया।
	(इन्सैट-2डीटी)	40 मिलियन अमरीकी डालर	नवम्बर, 1997	इन्सैट-2डी की क्षति के परिणामस्वरूप इन्सैट क्षमता में आंशिक रूप से वृद्धि करने के लिए अरबसैट संगठन से एक कक्षीय उपग्रह (अरबसैट-1सी) को प्राप्त किया गया तथा इसे इन्सैट-2डीटी के रूप में पुन: नामित किया गया।
21.	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट-2ई)	$$च	03.04.1999	सफल। इसने दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसमविज्ञानीय सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस उपग्रह के ग्यारह प्रेषानुकरों को वाणिज्यिक आधार पर इन्टेलसैट संगठन को लीज पर दिया गया। अभी भी कार्यरत।
22.	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट-3बी)	#छ	22.03.2000	सफल। दूरसंचार और प्रसारण सेवाएं प्रदान कर रहा है। अभी भी कार्यरत।
23.	भारतीय सुदूर संवदेन उपग्रह (आई.आर.एस. 1ए)	^ज	17.03.1988	सफल। प्रथम प्रचलनात्मक सुदूर संवेदन उपग्रह। इसे रूसी प्रमोचक राकेट, वोस्तोक द्वारा प्रमोचित किया गया।
24.	भारतीय सुदूर संवदेन उपग्रह (आई.आर.एस. -1बी)	^ज	29.08.1991	सफल। आई.आर.एस.-1ए के समान। इसे रूसी प्रमोचक राकेट, वोस्तोक द्वारा प्रमोचित किया गया। अभी भी कार्यरत।
25.	भारतीय सुदूर संवदेन उपग्रह (आई.आर.एस. -1ई)	^ज	20.09.1993	असफल। यह सुदूर संवदेन नीतभार ले गया था। पी.एस.एल.वी. की प्रथम विकासात्मक उड़ान की असफलता के कारण इसे कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका।
26.	भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस. -पी2)	17.90	15.10.1994	सफल। यह सुदूर संवेदन नीतभार ले गया था। पी.एस.एल.वी. की द्वितीय विकासात्मक उड़ान द्वारा प्रमोचित।
27.	भारतीय सुदूर संवदेन उपग्रह (आई.आर.एस. -1सी)	^^झ	28.12.1995	सफल। यह उन्नत सुदूर संवेदन कैमरे ले गया था। इसे रूसी मोलनिया प्रमोचक राकेट द्वारा प्रमोचित किया गया। अभी भी कार्यरत।

1	2	3	4	5
28.	भारतीय सुदूर संवदेन उपग्रह (आई.आर.एस. -1डी)	^^झ	29.09.1997	सफल। आई.आर.एस.-1सी के समान। भारत के पी.एस.एल.वी. राकेट द्वारा प्रमोचित। अभी भी कार्यरत।
29.	भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस. -पी3)	28.75	21.031996	सफल। यह सुदूर संवेदन नीतभार और एक्सरे खगोलिकी नीतभार ले गया था। इसे पी.एस.एल.वी. की तृतीय विकासात्मक उड़ान द्वारा प्रमोचित किया गया। अभी भी कार्यरत।
30.	भारतीय सुदूर संवदेन उपग्रह (आई.आर.एस. -पी4) (ओशनसैट)	47.75	26.05.1999	सफल। यह महासागर संसाधन सर्वेक्षण के लिए तथा समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य के लिए सुदूर संवेदन नीतभार ले गया है।

*क) भास्कर-I और II की लागत 7.95 करोड़ रुपये है।

**ख) रोहिणी श्रृंखला की कुल लागत 2.62 करोड़ रुपये है।

***ग) श्रोस श्रृंखला की कुल लागत 13.26 करोड़ रुपये है।

++घ) इन्सैट-1 श्रृंखला की प्रमोचन सहित कुल लागत 468.57 करोड़ रुपये है।

$ङ) इन्सैट-2ए और 2बी की प्रमोचन सहित कुल लागत 527.94 करोड़ रुपये है।

$$च) इन्सैट-2सी, 2डी और 2ई की प्रमोचन सहित कुल लागत 1265.80 करोड़ रुपये है।

#छ) इन्सैट-3 श्रृंखला (इन्सैट 3ए, 3बी, 3सी, 3डी और 3ई) के लिए स्वीकृत राशि 2429.12 करोड़ रुपये है।

^ज) आई.आर.एस.-1ए, 1बी और 1ई की कुल लागत 105.29 करोड़ रुपये है।

^^झ) प्रमोचन सहित आई.आर.एस.-1सी और आई.आर.एस.-1डी की कुल लागत 246.50 करोड़ रुपये है।

[अनुवाद]

किसानों को प्रमाणित बीजों की आपूर्ति

2561. **वैद्य विष्णु दत्त शर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के किसानों को उनकी आवश्यकतानुसार विभिन्न फसलों के लिए राज्यवार प्रमाणित बीजों की कितनी मात्रा उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या किसानों को बीज उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न स्थानों पर केन्द्रों की स्थापना की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में राज्यवार ऐसे कितने केन्द्र है।

(ङ) देश में किसानों को उनकी आवश्यकतानुसार प्रमाणीकृत बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार ने किसानों को 2000-2001 तक प्रमाणित गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) प्रत्येक बुवाई मौसम के पहले आयोजित क्षेत्रीय बीज समीक्षा बैठकों के दौरान भारत सरकार द्वारा यथा मूल्यांकित पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न फसलों के प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों की राज्यवार आवश्यकता और उपलब्धता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) से (घ) जी, हां। भारत सरकार के दो राष्ट्रीय बीज निगम हैं, अर्थात राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम। दोनों ही निगम अपनी स्वयं की असरंचना, अर्थात बिक्री केन्द्रों, मंडलीय और क्षेत्रीय कार्यालयों तथा वितरक तंत्र के जरिए कार्य करते हैं। इसका राज्यवार ब्यौरा सलंग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) भारत सरकार द्वारा किसानों को प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किए उपाय इस प्रकार हैं :-

(i) विभिन्न राज्यों में प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों की उपलब्धता और आवश्यकता की स्थिति की बुवाई मौसम, खरीफ और रबी के पहले बुलाई गई क्षेत्रीय बीज समीक्षा बैठकों में केंद्र सरकार द्वारा जायजा लिया जाता है।

(ii) सरकार विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित फसल विकास कार्यक्रमों के जरिए बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए केन्द्रीय सहायता देती रही है।

(iii) सरकार द्वारा वर्ष 2000-2001 से शुरू वृहत् प्रबंधन स्कीम स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार बीजों को विकसित तथा उत्पादन करने के लिए राज्यों को लचीलापन प्रदान करती है।

(च) और (छ) किसानों को प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों के वितरण के लिए वर्ष 2000-2001 के लिए निर्धारित लक्ष्य 96.66 लाख क्विंटल है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों, अर्थात वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों की राज्यवार आवश्यकता और उपलब्धता

(2561) मात्रा लाख क्विंटल

क्र० सं०	राज्य/सं०शा० क्षेत्र	1998-99 आव०	1998-99 उप०	1999-2000 आव०	1999-2000 उप०	2000-2001 आव०	2000-2001 उप०
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अं० व नि० द्वीप	610	610	615	615	237	237
2.	आंध्र प्रदेश	1041802	2294806	1158481	1925708	1280150	2307026
3.	अरूणाचल प्रदेश	8580	8580	8730	8610	9360	9260
4.	असम	99606	93860	91969	91969	128250	128250
5.	बिहार	527610	527610	529820	339859	348900	142835
6.	दादरा एवं नगर हवेली	—	—	450	450	496	496
7.	गोवा	4766	4766	3740	3740	2865	2865
8.	गुजरात	335088	530201	350513	526765	374070	423260
9.	हरियाणा	344250	436342	366550	551743	378550	835269
10.	हिमाचल प्रदेश	60050	59950	62160	62160	73100	73100
11.	जम्मू व कश्मीर	70044	66559	61059	61072	61831	61626
12.	कर्नाटक	503268	578488	560815	549854	636495	496235
13.	केरल	32000	32000	34500	34830	32500	32825
14.	मध्य प्रदेश	688325	685209	789394	865325	779800	800030
15.	मेघालय	5812	5813	6680	6680	4190	4190
16.	महाराष्ट्र	944475	988577	994450	1108804	1017540	1220734
17.	मणिपुर	10801	10801	12165	12165	13119	13119
18.	मिजोरम	13550	7550	2316	2316	1835	1895

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	नागालैण्ड	10449	10449	17635	17195	34185	34185
20.	उडीसा	616465	705825	602335	739357	663760	514945
21.	पाण्डीचेरी	8520	8860	8420	8799	8620	9377
22.	पंजाब	333915	364628	377310	471739	596770	509520
23.	राजस्थान	376550	464154	407600	582196	438450	689950
24.	सिक्किम	8029	6385	6185	4977	5051	4952
25.	तमिलनाडु	346743	433980	333312	437348	325923	445232
26.	त्रिपुरा	9792	9329	7701	7701	9972	9971
27.	उत्तर प्रदेश	1499700	1481204	1438100	1318803	1570087	1546385
28.	पश्चिम बंगाल	61700	617094	745500	754598	766291	783601

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों, अर्थात वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान फसलवार प्रमाणित/गुणवत्ता बीज आवश्यकता और उपलब्धता

मात्रा लाख क्विंटल

क्र० सं०	फसल	1998-99		1999-2000		2000-2001	
		आव०	उप०	आव०	उप०	आव०	उप०
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गेहूँ	28.09	30.33	29.20	35.24	29.38	36.08
2.	धान	22.79	30.30	24.89	29.63	27.07	31.26
3.	मक्का	2.32	3.17	2.47	2.48	2.78	4.09
4.	ज्वार	3.05	5.66	2.94	3.75	3.07	4.31
5.	बाजरा	1.58	3.77	1.74	2.50	1.78	2.54
6.	रागी	0.21	0.31	0.23	0.29	0.24	0.26
7.	जौ	0.18	0.27	0.18	0.55	0.14	0.42
	वास्तविक योग	58.22	73.81	61.55	74.55	64.46	78.96
8.	चना	1.77	1.71	1.98	1.51	1.68	1.35
9.	मसूर	0.24	0.24	0.12	0.08	0.16	0.14
10.	मटर	0.41	0.41	0.30	0.32	0.27	0.32
11.	उड़द	1.30	1.27	1.10	1.27	1.22	1.12

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मूंग	0.92	0.34	0.90	1.14	0.96	1.34
13.	अरहर	0.69	0.90	0.72	0.71	0.85	0.79
14.	लोबिया	0.09	0.09	0.12	0.11	0.10	0.10
15.	मौथ	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
16.	अन्य	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.01
	कुल दलहन	5.47	6.01	5.27	5.18	5.31	5.23
17.	मूंगफली	7.79	9.18	8.16	8.86	8.73	8.41
18.	तोरिया/सरसों	0.84	1.10	0.85	1.10	0.86	1.26
19.	तिल	0.13	0.14	0.14	0.11	0.15	0.14
20.	सूरजमुखी	1.13	1.31	0.93	1.58	0.76	1.20
21.	सोयाबीन	4.63	4.55	4.98	5.30	5.43	6.94
22.	अल्सी	0.02	0.02	0.05	0.02	0.04	0.04
23.	अरण्ड पी पी	0.32	0.33	0.33	0.34	0.36	0.35
24.	कुसुम	0.20	0.20	0.12	0.12	0.11	0.12
25.	रामतिल	0.06	0.02	0.09	0.03	0.10	—
26.	अन्य	—	—	—	—	0.05	0.05
	कुल तिलहन	15.12	16.85	15.65	17.46	16.59	18.51
27.	कपास	2.62	3.65	2.58	3.00	2.67	3.75
28.	पटसन	0.27	0.64	0.27	0.57	0.26	0.22
29.	अन्य	0.4	0.4	0.5	0.1	0.4	0.4
	कुल	2.93	4.33	2.90	3.58	2.97	4.01
30.	आलू	3.04	3.04	3.80	3.80	3.82	3.82
31.	अन्य	0.39	0.34	0.50	0.49	0.40	0.43

विवरण-III

रा०बी०नि०, भा०रा०फार्म नि० के बिक्री केन्द्रों, क्षेत्रीय और क्षेत्र कार्यालयों तथा वितरण तंत्र का विवरण

क्र० सं०	राज्य	रा०बी०नि०			भा०रा०फा०नि०		
		क्षेत्रीय कार्यालय	क्षेत्र कार्यालय	वितरक नैटवर्क	क्षेत्रीय कार्यालय	क्षेत्र कार्यालय	वितरक नैटवर्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1	7	246	1	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	19	–	–	–
3.	असम	1*	–	59	–	2	–
4.	बिहार	1	8	443	–	–	2
5.	गुजरात	1	3	118	–	–	–
6.	हरियाणा	–	4	70	–	2	1
7.	हिमाचल प्रदेश	–	1	22	–	–	–
8.	जम्मू व कश्मीर	–	1	10	–	–	–
9.	कर्नाटक	1@	8	295	–	1	–
10.	करेल	–	1	20	–	1	–
11.	मध्य प्रदेश	–	4	113	1	1	2
12.	महाराष्ट्र	1	8	345	–	–	–
13.	मणिपुर	–	–	6	–	–	–
14.	मेघालय	–	–	10	–	–	–
15.	मिजोरम	–	–	1	–	–	–
16.	नागालैंड	–	–	8	–	–	–
17.	उड़ीसा	–	2	50	–	–	–
18.	पंजाब	1**	2	72	–	–	10
19.	राजस्थान	1	9	360	–	3	14
20.	सिक्किम	–	–	10	–	–	–
21.	तमिलनाडु	–	5	56	–	–	1
22.	त्रिपुरा	–	–	2	–	–	1
23.	उत्तर प्रदेश	1	13	202	1	3	7
24.	पश्चिम बंगाल	1***	5	306	–	–	–
25.	संघ शसित क्षेत्र चण्डीगढ़	1	–	3	–	–	–
26.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1	1	33	–	–	4

@ केरल तमिलनाडु और पाण्डिचेरी के लिए भी है

* सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी है

** हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के लिए भी है

*** उड़ीसा और सिक्किम के लिए भी है

रा०बी०नि०-राष्ट्रीय बीज निगम

भा०रा०फा०नि० भारतीय राज्य फार्म निगम

पशुधन की गणना

2562. डा० मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री हरिभाई चौधरी :
श्री मनसुखभाई डी० वसावा

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गुजरात और बिहार में पशुधन की गणना का कार्य शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पशुओं की विशेषकर दुधारू पशुओं की वर्तमान संख्या कितनी हैं;

(ग) राज्य में संकर पशुओं की संख्या कितनी है; और

(घ) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा राज्य में पशुओं की संख्या बढ़ाने और उनकी नस्ल सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) नवीनतम पशुधन संगणना (1997) चल रही है। अभी तक गुजरात और बिहार राज्यों में यह कार्य पूरा नहीं हो पाया है।

(ख) और (ग) (i) दुधारू पशुओं की संख्या (विवरण-I) और

(ii) संकर पुशओं की संख्या (विवरण-II) के विवरण संलग्न है।

(घ) सरकार की नीति पशुधन की संख्या बढ़ाने पर जोर देना नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य विभिन्न पशु प्रजातियों की नस्ल में सुधार करना, पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना, उनकी मृत्यु दर कम करना तथा उनकी शारीरिक रुग्णता को दूर करना है। इस क्षेत्र में कई स्कीमें चलायी जा रही हैं जैसे कि राष्ट्रीय पशुधन एवं भैंस प्रजनन परियोजना, जिसका उद्देश्य 10 वर्ष के भीतर गोपशुओं और भैंसों के मूलभूत आनुवांशिक सुधार लाना है, तथा राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना जिसके कारण देश को अनन्तिम रूप से पशुप्लेग मुक्त देश घोषित किया गया है।

विवरण-I

दुधारू पशुओं की संख्या 1992

(हजार में)

क्र०सं०	राज्य	गोपशु	भैंस	कुल योग
1	2	3	4	3
1.	बिहार	5013	2423	7436
2.	गुजरात	1999	2983	4982

नोट : 1992 की संगणना बिहार में नहीं करायी गयी थी। फिर भी भारत सरकार के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशक ने इसका प्रेक्षपण तैयार कर लिया है।

विवरण-II

संकर पशुओं की संख्या 1992

(हजार में)

		पशु (संकर–किस्म)		
क्र०सं०	राज्य	नर	मादा	योग
1	2	3	4	3
1.	बिहार	92	99	191
2.	गुजरात	37	193	233

गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्ति

2563. श्री अरूण कुमार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 में देश में गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की पूर्ण संख्या कितनी है;

(ख) मार्च, 1999 तक इनकी संख्या में कितनी कमी या वृद्धि हुई;

(ग) इस संख्या को मिटाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) इसके लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

विनिवेश विभाग के राज्यमंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्यमंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) योजना आयोग, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत का अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा लगभग 5 वर्ष के अन्तराल पर कराए जाने वाले उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से लगता है। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या तक पहुंचने के उद्देश्य से ये प्रतिशत अनुमानित जनसंख्या पर लागू किए जाते हैं। इस प्रकार के दो नवीनतम सर्वेक्षण वर्ष 1993-94 और 1999-2000 में किए गए थे। अत: वर्ष 1997-98 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे लोगों के प्रतिशत के अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ख) एन एस एस ओ द्वारा 1993-94 में कराए गए उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 50वें दौर से संगणित गरीबी से नीचे जीवन-यापन कर रहे लोगों की संख्या 320.4 मिलियन थी जो कुल जनसंख्या का 35.97 प्रतिशत है। 30 दिवस प्रत्याह्वान आधार पर 55वें दौर के नवीनतम वृहद सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े 1999-2000 में देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या 260.25 मिलियन दर्शाते हैं जो कुल जनसंख्या का 26.10 प्रतिशत है।

(ग) देश में गरीबी के उन्मूलन और उसमें कमी लाने के लिए त्रिपक्षीय कार्रवाई की जा रही है। वह है; (i) आर्थिक विकास की गति को तेज करना (ii) साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने, समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को उठाने आदि के माध्यम से मानव एवं सामाजिक विकास तथा (iii) रोजगार एवं आय-सृजन कार्यक्रमों तथा गरीबों के लिए परिसम्पत्ति निर्माण के माध्यम से गरीबी पर सीधा प्रहार।

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की आय में वृद्धि सामान्य विकास प्रक्रिया और गरीबों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर चलाए गए विभिन्न गरीबी विरोधी कार्यक्रमों से गरीबों को हुई प्रत्यक्ष आय सृजन के परिणामस्वरूप हुई। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) से सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहे लोगों के जीवनस्तर को ऊपर उठाने के लिए रोजगार एवं परिसम्पति सृजन स्कीमें कार्यान्वित करती आ रही है। ये स्कीमें मुख्यत: दो प्रकार की हैं : स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) एक प्रमुख स्वरोजगार कार्यक्रम रहा है तथा 1980 से ही यह देश के सभी ब्लाकों में प्रचालित किया जा रहा है। छठी योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (एनआरईपी) प्रारम्भ में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम था। सातवीं योजना में, ग्रामीण श्रम रोजगार कार्यक्रम (आरएलईजीपी) नाम से एक अन्य मजदूरी रोजगार कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। फिर 1989 में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण श्रम रोजगार गारण्टी कार्यक्रम को मिलाकर जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) शुरू की गई और यह एक प्रमुख मजदूरी रोजगार कार्यक्रम बन गया। इसके अतिरिक्त मार्च, 1999 तक गरीबों की मदद के लिए कई कार्यक्रम भी प्रचालन में थे। ये कार्यक्रम हैं : मिलयिन वैल्स स्कीम (एमडब्ल्यूएस), रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास (ड्वाकरा), स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण (ट्राइसेम) ग्रामीण दस्तकारों को सुधरे हुए टुलकिट्स की पूर्ति (सिट्रा)।

1 अप्रैल, 1999 से ईएएस और जेआरवाई को छोड़कर इन कार्यक्रमों की गरीबी उन्मूलन के संबंध में केंन्द्रित दृष्टिकोण, वर्ग उधार के लोगों के पूंजीकरण और कार्यक्रमों की बहुलता के साथ जुड़ी समस्याओं पर काबू पाने के प्राथमिक उद्देश्य सहित, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक एक स्व-रोजगार कार्यक्रम में पुन: संरचना की गई है। 1 अप्रैल, 1999 से ही जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) की भी, ग्राम स्तर पर टिकाऊ परिसंपतियों और सतत-रोजगार के लिए अवसर बढ़ाने के लिए ग्रामीण गरीबों को समर्थ बनाने की परिसंपत्तियों सहित, मांग आधारित सामुदायिक ग्राम आधारिक संरचना के प्राथमिक उद्देश्य से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) के रूप में पुन: संरचना की गई है। इसका गौण उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार गरीबों के लिए अनुपूरक रोजगार सृजन है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मजदूरी, रोजगार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को दिया जाता है।

दिनांक 1.12.1997 से, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार (एसजेएसआरवाई) शहरी क्षेत्रों में मुख्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। एसजेएसआरवाई, जिसमें पहले के सभी तीन शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नामत: नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई), गरीबों हेतु मूल शहरी सेवाएं (यूबीएसपी), प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पीएमआईयूपीडीपी) शामिल हो गए हैं; स्वरोजगार उद्यमों अथवा मजदूरी रोजगार के प्रावधान की स्थापना हेतु बेरोजगारों अथवा अल्परोजगार प्राप्त शहरी तथा नौवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त लोगों को लाभ-प्रद रोजगार मुहैया कराना चाहती है। एसजेएसआरवाई यूबीएसपी पैटर्न पर उपयुक्त सामुदायिक संरचनाओं पर आश्रित है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत इनपुटों की डिलीवरी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और ऐसी सामुदायिक संरचना के माध्यम से होती है।

(घ) सरकार द्वारा गरीबी पूरी तरह से हटाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, नौवीं पंचवर्षीय योजना में भावी अवधि (2011-12) के अन्त तक गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों के प्रतिशत के 5 प्रतिशत तक कम होने का अनुमान लगाया गया है।

उडीसा में सूखा

2564. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भयंकर सूखे की चपेट में आए उडीसा के क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को चालू वर्ष के दौरान उडीसा में सूखे की स्थिति का जायजा लेने हेतु गए दल की सिफारिशें मिल गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी गई है;

(घ) क्या सरकार द्वारा केन्द्रीय दल की सिफारिशों पर कार्यवाही की गई है और उक्त रिपोर्ट के अनुपालन में प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का राज्य द्वारा 1999 में महाचक्रवात और 2000 के सूखे के कारण राज्य सरकार के समक्ष गंभीर वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए एन०एफ०सी०आर० के अंतर्गत और अधिक केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(च) क्या सरकार का विचार राज्य सरकार की कठिनाइयों को दूर करने हेतु उसे महाचक्रवात और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सघन सिंचाई अभियान शुरू करने हेतु राज्य सरकार की कम से कम 30 प्रतिशत तक सहायता करने का है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) राज्य सरकार की शिकायतों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, उड़ीसा के 19 जिलों के 11914 गांव सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर, तथा राहत सहायता की वर्तमान शर्तों और मानकों के साथ-साथ अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए उड़ीसा सरकार को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से 35,00 करोड़ रुपये की सहायता दी गयी थी।

(ङ) मे (छ) इसके पहले महाचक्रवात के आने पर राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से लगभग 828 करोड़ रुपये की सहायता दी गयी थी। सूखा पड़ने के कारण चालू वर्ष में भी इस राज्य को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से सहायता जारी की गयी है।

(ज) महाचक्रवात के आने के कारण पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा किये जाने होते हैं। जहां तक सूखे की स्थिति का सवाल है, इसका सामना करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :-

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत 1 लाख टन खाद्यान्न का नि:शुल्क आवंटन तीन माह के लिए 20,100 टन खाद्यान्न का गरीबी रेखा से नीचे की दर पर आबंटन, पशुओं के चारे के लिए चारे वाले अनाज का आवंटन, रेलवे द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में पेय जल और चारे का नि:शुल्क परिवहन, पीने के पानी के लिए अन्वेषणात्मक नलकूपों की व्यवस्था।

संगठित अपराध के संबंध में सम्मेलन

2565. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमध्य सागर के तट पर स्थित सिसली के पालेरमो शहर में दिसम्बर, 2000 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के संबंध में एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस सम्मेलन में भाग लिया था;

(ग) यदि हां, तो किन-किन विषयों पर चर्चा हुई और इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस सम्मेलन से भारत को किस प्रकार लाभ होने जा रहा है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) जी हां। इटली के पलेरमो में 12-14 दिसम्बर, 2000 तक अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और इससे जुड़े प्रोतोकोलों के लिए एक उच्च स्तरीय राजनयिक सम्मेलन हुआ। भारत को आधिकारिक प्रतिनिधित्व दिया गया।

(ग) और (घ) यह उल्लेखनीय है कि यह अभिसमय न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है बल्कि राज्यों के विधानों और प्रक्रियाओं की उन विसंगतियों को भी दूर करने का प्रयास करता है जिसका दुरुपयोग आपराधिक नेटवर्क करते रहे हैं। भारत इस अभिसमय को अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के संपूर्ण विश्व के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम मानता है और आशा करता है कि इससे सभी देशों के लाभ के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि होगी।

बिहार के लिए धनराशि

2566. श्री मोइनुल हसन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में से झारखंड के अलग कर देने के पश्चात राज्य के समक्ष नई आर्थिक चुनौतियों का सामना करने हेतु संसद सदस्यों ने सरकार को 55,000 करोड़ रुपये की मांग संबंधी ज्ञापन दिया है; और

(ख) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

विनिवेश विभाग के राज्यमंत्री तथ योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्यमंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी हां, बिहार के लिए एक आर्थिक पैकेज हेतु बिहार के संसद सदस्यों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। तथापि, ज्ञापन में किसी विशिष्ट राशि का उल्लेख नहीं किया गया है।

(ख) ज्ञापन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विकास दर का लक्ष्य हासिल करना

2567. श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है जिससे कि उपरोक्त 9 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य हासिल किया जा सके;

(ग) इस लक्ष्य को हासिल करने हेतु उक्त प्रत्येक क्षेत्र में देश की कितनी प्रतिशत आबादी शामिल होगी; और

(घ) इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में अनुमानत: कितना शुरूआती पूंजी निवेश करना पड़ेगा ?

विनिवेश विभाग के राज्यमंत्री तथ योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत

विभाग में राज्यमंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रतिपादन का कार्य अभी शुरू ही किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

नैफेड

2568. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैफेड ने कर्नाटक राज्य में साबुत कोपरा की कोई खरीद नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान नैफेड द्वारा दक्षिणी राज्यों में राज्यवार की गई खरीद का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ द्वारा विगत दो वर्षों के दौरान दक्षिणी राज्यों में बॉल खोपरे की खरीद निम्नवत रही:

राज्य		खरीदी गई मात्रा (मी०टन)
	1999-2000	2000-2001
कर्नाटक	–	3423
	–	(18.3.2000 की स्थिति के अनुसार)
आंध्र प्रदेश	–	3

[हिन्दी]

विशिष्ट व्यक्तियों का दौरा

2569. श्री बाबूभाई छ० कटारा : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 दिसम्बर, 2000 से आज की तिथि तक भारत का दौरा करने वाले विदेशी शिष्टमंडल का ब्यौरा क्या है।

(ख) जिन भारतीय विशिष्ट व्यक्तियों के साथ उन्होंने मुलाकात की, जो बातचीत हुई और जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन वार्ताओं और समझोतों से देश को कितना लाभ होने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारत-रूस संबंध

2570. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस ने रक्षा मामलों पर आगे और वार्ता करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन की प्रगति के संबंध में भी वार्ता की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) भारत-रूसी संबंध अखण्डता, विश्वास और आपसी समझबूझ की विशेषताओं और अनुभवों के तथा परस्पर हितों के आदान-प्रदान पर आधारित है। इससे रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान अक्टूबर 2000 में भारत और रूसी परिसंघ के बीच सामरिक साझदारी से सम्बद्ध घोषणा के हस्ताक्षर करने से सामरिक भागीदारी में सुदृढ़ता मिली है।

भारत और रूसी परिसंघ के बीच सुरक्षा मामलों समेत व्यापक विषयों पर विचार-विमर्श नियमित रूप से होता रहता है। सामरिक भागीदारी संबंधी घोषणा के परस्पर हित के नियमित द्विपक्षीय, राजनीतिक और विदेश कार्यालय परामर्श संबंधी मसलों, अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अपने प्रयासों को और गहन करने, प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मसलों पर संयुक्त रूप से पहल करने पर विचार किया गया है। विदेश कार्यालय परामर्शों को भी सामरिक स्थिरता में शामिल किया गया है।

रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति की यात्रा के अनुसरण में, भारत-रूसी संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक 20-21 नवम्बर, 2000 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और रूसी परिसंघ की सुरक्षा परिषद के बीच सहयोग से सम्बद्ध प्रोतोकोल के अनुरूप अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा से सम्बद्ध संयुक्त समन्वय दल की पहली बैठक 19-21 फरवरी 2001 में मास्को में सम्पन्न हुई।

(ग) और (घ) भारत और रूसी परिसंघ दोनों संयुक्त राष्ट्र में घनिष्ठ सहयोग के लिए सहमत हुए हैं। भारत और रूसी परिसंघ के बीच नियमित रूप से विचार-विमर्श किए जाने वाले शीर्षकों में संयुक्त राष्ट्र सुधार, अपनी पुनर्संरचना समेत, का विषय भी शामिल है। अक्टूबर, 2000 में रूसी परिसंघ की यात्रा के अंत में जारी संयुक्त वक्तव्य में, दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का और उपयुक्त रूप से विस्तार करने के लिए सहमत हो गए हैं ताकि इसके प्रतिनिधित्व तथा इसके प्रमुख को अधिक बढ़ाया जा सके। रूस ने विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए अपना शर्तरहित समर्थन देने की बात सार्वजनिक रूप से व्यक्त की।

सूखा पड़ने के कारण आर्थिक पैकेज

2571. **श्री पुन्नू लाल मोहले :**
श्री पी०आर० खूंटे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छत्तीसगढ़ राज्य में भंयकर सूखे/अकाल के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सरकार को विशेष आर्थिक पैकेज देने या मौजूदा पैकेज में सुधार करने का है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) विशेष पैकेज कब तक दिए जाने की संभावना है;

(घ) दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता की अतिरिक्त राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ड.) इस राज्य को वर्ष 2000-2001 के लिए आपदा राहत कोष में से समग्र केन्द्रीय हिस्से के रूप में 20.60 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं। इसके अलावा, सूखे के कारण इसे राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से 40.00 करोड़ रुपये की सहायता दी गयी है। उठाये गये अन्य कदम इस प्रकार हैं :–

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत 1.60 लाख मी० टन खाद्यान्न का मुफ्त आवंटन; तीन माह के लिए 32000 टन खाद्यान्न की गरीबी-रेखा से नीचे की दर पर आपूर्ति, पशुओं के चारे के लिए 'चारे वाले अनाज' का आवंटन, रेलवे द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में पेय जल और चारे का नि:शुल्क परिवहन; पेयजल के लिये अन्वेषणात्मक टयूबवेलों की व्यवस्था।

[अनुवाद]

बिहार में नौवीं योजना के दौरान आवंटित राशि

2572. **श्री राजो सिंह** : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नौवीं योजना अवधि के दौरान ग्रामीण उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य-वार आवंटित राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या प्रगति हुई;

(ग) क्या देश में अगले दो वर्षों के दौरान ग्रामीण उद्योगों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) सरकार द्वारा राज्य सरकार को सीधे कोई निधि आवंटित नहीं की जाती है, तथापि यह खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के० वी० आई० सी०) को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो उसके पश्चात् राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों को दिए गए अनुदान एवं ऋण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग स्वयं उद्योगों की स्थापना नहीं करता है। तथापि, यह ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करता है इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 10 लाख रुपए तक की परियोजना लागत के 25 प्रतिशत की दर पर मार्जिन मनी सहायता प्रदान करता है और 10 लाख रुपए से अधिक परन्तु 25 लाख रुपए तक की परियोजना लागत के लिए परियोजना की शेष लागत पर 10 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त मार्जिन मनी प्रदान करता है।

विवरण

वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संवितरित किए गए ऋण

(लाख रु० में)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98		1998-99		1999-2000	
		खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग
1	2	3	4	5	6	7	8
राज्य							
1.	आंध्र प्रदेश	63.02	17.68	19.76	31.10	49.29	3.96
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	आसाम	19.43	0.37	0.79	2.00	106.17	13.02
4.	बिहार	30.17	0.14	53.83	7.02	26.37	—
5.	गोवा	0.00	31.32	0.00	1.55	—	—
6.	गुजरात	7.00	13.37	43.34	29.13	19.38	—
7.	हरियाणा	18.75	219.36	2.10	8.88	84.71	8.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	6.52	4.33	4.78	—
9.	जम्मू और कश्मीर	0.38	0.00	6.61	0.52	—	—
10.	कर्नाटक	170.75	68.05	102.75	61.58	43.16	0.68
11.	केरल	3.15	1.46	35.48	13.68	15.49	—
12.	मध्य प्रदेश	1.21	48.88	8.18	12.11	14.75	—
13.	महाराष्ट्र	10.84	48.68	7.62	41.96	8.77	15.66
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.34	11.86	0.42
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.86	0.23	—
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.10	0.00	—	—
17.	नागालैंड	0.00	2.00	0.00	0.00	15.41	—
18.	उड़ीसा	18.95	3.87	6.10	8.34	3.20	2.30
19.	पंजाब	0.00	2.50	11.45	1.21	60.94	5.00
20.	राजस्थान	28.59	26.21	19.70	23.60	34.69	1.49
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
22.	तमिलनाडु	0.25	26.57	42.27	37.41	22.45	8.06
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	61.81	135.90	332.88	191.10	64.25	36.54
25.	पश्चिमी बंगाल	43.15	4.97	36.28	48.54	13.92	1.00
सं०शा० प्रदेश							
26.	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
28.	दादरा और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
29.	नई दिल्ली	0.00	0.00	1.65	10.11	5.00	—
30.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
31.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	1.29	4.20	—
32.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	डिपार्टमैंटल	0.00	0.00	0.00	7.67	–	30.71
34.	अन्य स्कीम	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–
	कुल	477.45	651.33	737.41	544.33	609.02	126.84

वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संवितरित किए गए अनुदान

(लाख रुपये में)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98		1998-99		1999-2000	
		खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग
1	2	3	4	5	6	7	8
राज्य							
1.	आन्ध्र प्रदेश	174.29	737.29	275.35	340.75	627.53	705.15
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.87	0.00	0.00	0.00	5.40	0.50
3.	आसाम	35.06	6.30	59.79	6.72	86.87	0.77
4.	बिहार	748.45	4.00	1196.53	33.96	305.36	44.48
5.	गोवा	1.00	9.84	0.00	40.36	0.79	–
6.	गुजरात	1387.00	94.71	2554.96	268.56	1585.85	12.96
7.	हरियाणा	592.79	52.25	652.94	185.23	414.44	239.42
8.	हिमाचल प्रदेश	123.30	153.97	76.51	272.94	445.99	26.37
9.	जम्मू और कश्मीर	81.92	40.53	182.50	352.13	112.96	20.77
10.	कर्नाटक	438.63	561.35	1008.73	1228.32	426.31	756.44
11.	केरल	322.60	15.58	205.45	395.94	762.62	357.98
12.	मध्य प्रदेश	367.27	319.06	178.49	1319.02	595.37	23.32
13.	महाराष्ट्र	32.93	285.31	310.59	308.97	419.17	444.24
14.	मणिपुर	0.00	281.51	0.00	266.93	0.40	169.70
15.	मेघालय	0.00	0.00	2.36	44.93	7.42	6.50
16.	मिजोरम	0.00	49.63	0.02	344.39	0.99	155.74
17.	नागालैंड	7.18	90.00	5.37	396.94	17.48	5.38
18.	उड़ीसा	30.99	60.50	172.53	87.02	116.61	161.67
19.	पंजाब	619.41	127.79	345.73	605.12	967.26	158.33
20.	राजस्थान	105.26	314.15	1490.71	461.80	879.73	319.85

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
22.	तमिलनाडु	1268.80	58.77	2690.76	414.10	3874.13	262.07
23.	त्रिपुरा	0.02	0.00	0.50	0.00	—	1.91
24.	उत्तर प्रदेश	1947.68	77.71	4201.30	1454.00	5153.75	514.17
25.	पश्चिमी बंगाल	235.00	7.60	595.10	20.49	325.78	6.36
संoशाo प्रo							
26.	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	—	4.36
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
28.	दादरा और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
29.	नई दिल्ली	22.29	10.74	669.27	31.34	354.06	72.96
30.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
31.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	26.23	0.23	0.50
32.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.39	34.64	—	—
33.	डिपार्टमैन्टल	217.35	21567.01	752.48	7707.43	1169.63	10018.21
34.	अन्य स्कीम	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	कुल	8760.09	24922.60	17628.36	16648.26	18656.13	14485.11

[हिन्दी]

ग्राम स्तर पर लघु उद्योगों में पूंजी निवेश

2573. **श्री भाल चन्द्र यादव** : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम स्तर पर लघु उद्योगों की स्थापना हेतु अबतक कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(ख) राज्य-वार ऐसे उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार नए उद्योगों की स्थापना के लिए कोई योजना तैयार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) मार्च, 2000 के अंत तक स्थाई पंजीकृत लघु इकाइयों, जिसमें ग्रामीण स्तर की इकाइयां भी शामिल हैं, के संबंध में कुल नियत पूँजी निवेश अनुमानत: 82745 करोड़ रुपए हैं। ग्रामीण स्तर की इकाइयों की सूचना अलग से नहीं रखी जाती है।

(ख) 31.12.2000 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत लघु इकाइयों की संख्या 25,55,025 है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) भावी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार विभिन्न कदम उठा रही है। लघु अद्योग क्षेत्र के संवर्द्धन तथा सुदृढ़ीकरण करने हेतु 30 अगस्त, 2000 को प्रधानमंत्री ने नए नीतिगत उपायों की घोषणा की है। घोषित किए गए कुछ आवश्यक उपायों में शामिल हैं मिश्रित ऋण की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख करना, उद्योग सम्बद्ध सेवा तथा व्यवसाय उद्यमों को प्राथमिक क्षेत्र का उधार, चुने हुए क्षेत्रों में तकनीकी पूँजी निवेश हेतु 12% पूँजी सब्सिडी, इनकी प्रतियोगितात्मकता में सुधार हेतु उत्पाद शुल्क छूट सीमा को 50 लाख से एक करोड़ रुपए बढ़ाना आदि। इसके आगे यह भी निर्णय लिया गया है कि लघु इकाइयों की गणना कराई जाए।

विवरण

31.12.2000 तक पंजीकृत लघु इकाइयों की राज्य/संघ शासित प्रदेश वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	31.12.2000 तक
1	2	3
01.	आंध्र प्रदेश	129916 पी
02.	आसाम	24455 पी
03.	बिहार	124407 पी
04.	गुजरात	182233
05.	हरियाणा	54895
06.	हिमाचल प्रदेश	16969
07.	जम्मू कश्मीर	30289 पी
08.	कर्नाटक	166154
09.	केरल	210886 पी
10.	मध्य प्रदेश	273407 पी
11.	महाराष्ट्र	148100 पी
12.	मणिपुर	5588 पी
13.	मेघालय	2802
14.	नागालैंड	1276
15.	उड़ीसा	19861 पी
16.	पंजाब	153940
17.	राजस्थान	86071
18.	तमिलनाडु	330677 पी
19.	त्रिपुरा	6085 पी
20.	उत्तर प्रदेश	385042 पी
21.	पश्चिम बंगाल	152225 पी
22.	सिक्किम	336 पी
23.	अंडमान-निकोबार	1235
24.	अरूणाचल प्रदेश	974 पी
25.	चंडीगढ़	3058 पी
26.	दादरा और नागर हवेली	1185
27.	दिल्ली	25409
28.	गोआ	6038
29.	लक्षद्वीप	74 पी
30.	मिजोरम	4676
31.	पाण्डिचेरी	5033
32.	दमन एवं दीव	1729
	ऑल इण्डिया योग	2555025

पी: प्रोविजनल (अन्तिम)

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित रिक्तियां

2574. श्री रामजीलाल सुमन : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० अम्बेडकर जन्मशती समारोह समिति ने 1993 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित बकाया रिक्तियों को भरने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो 1993 के बाद से उनके मंत्रालय ने बकाया रिक्तियों के संबंध में की गई सिफारिश पर क्या कार्यवाही की और उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) 1 जनवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार उनके मंत्रालय और इसके स्वायत्तशासी/सांविधिक/संबद्ध कार्यालयों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित कितने पद रिक्त पड़े थे और इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित कितनी बकाया रिक्तियां हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) वर्ष 1993 में डा० अम्बेडकर जन्मशती समारोह समिति ने सेवाओं में आरक्षण में बैकलॉग हटाने की सिफारिश की थी। 1993 में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए 30259 आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों की पहचान की गई थी। 1993, 1995 और 1996 में भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियां भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए गए थे। इसके परिणामस्वरूप 15398, 13109 और 8571 बैकलॉग रिक्तियां क्रमश: 1993, 1995 और 1996 में भरी गई, जिसमें लघु उद्योग और कृषि

एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय (जो तब उद्योग मंत्रालय का भाग था) के भूतपूर्व विभाग द्वारा की गई विशेष भर्तियां शामिल हैं।

(घ) और (ङ.) लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय, अक्टूबर, 1999 में स्थापित किया गया था।

पाम ऑयल में बाजार हस्तक्षेप योजना

2575. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पाम ऑयल हेतु दिसम्बर, 1999 में एक बाजार हस्तक्षेप योजना (एम०आई०एस०) अनुमोदित की थी जो 1 जुलाई, 2000 तक प्रभावी रही थी और जिसे बाद में 30 सितम्बर, 2000 तक बढ़ाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या पाम ऑयल के मूल्यों में तेजी से आई गिरावट के मद्देनजर आंध्र प्रदेश सरकार ने एम० आई० एस० को दिसम्बर, 2000 तक बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार की मांग मान ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ.) पाम ऑयल के मूल्य में तेजी से आई गिरावट के मद्देनजर केन्द्र सरकार पाम ऑयल उत्पादकों की किस प्रकार सहायता करने जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) स्कीम की अवधि दिसम्बर, 2000 तक बढ़ाने की राज्य सरकार की मांग मान ली गई है।

(ङ.) भारत सरकार किसानों को समुचित मूल्य दिलाने के लिए संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर आयल पाम सहित मूल्य सहायता स्कीम के अंतर्गत शामिल न की गई कृषि जिंसों के लिए मण्डी हस्तक्षेप स्कीम कार्यान्वित करती है।

कृषि प्रौद्योगिकी

2576. **श्री सुबोध राय : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास प्रति एकड़ चार टन उत्पादन हासिल करने के लिए 300 एकड़ क्षेत्र में एक कृषि प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

क्रैडिट रेटिंग हेतु योजना

2577. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों की क्रैडिट रेटिंग हेतु एक योजना शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) सरकार का लघु उद्योग के लिए क्रैडिट रेटिंग स्कीम के प्रचालन का कोई आशय नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सी०जी०एच०एस० डिस्पेंसरियों की स्थापना

2578. **श्री पवन कुमार बंसल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंततः चंडीगढ़ में सी० जी० एच० एस० डिस्पेंसरी की स्थापना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो डिस्पेंसरी खोले जाने में अब तक हुए विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) अब इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

संकर नस्ल के दुष्प्रभाव

2579. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पशु संसाधन विकास प्रतिष्ठान ने गायों की संकर नस्ल के दुष्प्रभावों और अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्राप्त किए जा सकने वाले लाभों के संबंध में एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने प्रत्येक सुझाव पर क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) यह विभाग सभी मुद्दों पर भारतीय गोपशु संसाधन विकास फाउंडेशन के विचारों से सहमत नहीं है, उनमें से कुछ इस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र और अधिकार से बाहर हैं। फाउंडेशन के ज्ञापन में उल्लिखित बहुत से मुद्दों उदाहरण के लिए स्वदेशी नस्लों के संरक्षण पर पर्याप्त विचार विमर्श के साथ गोपशु प्रजनन नीति के प्रतिपादन की आवश्यकता को विभाग के चालू कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है जिसमें स्वदेशी नस्लों और उच्च पैदावार वाली वर्ण संकरित नस्लों पर समान रूप से ध्यान दिया जाएगा।

[हिन्दी]

उत्तरांचल में मेडिकल कालेज की स्थापना

2580. **श्री जय प्रकाश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरांचल राज्य सरकार से राज्य में मेडिकल कालेज की स्थापना के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, अगस्त, 2000 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए अनिवार्यता प्रमाण.पत्र पर आधारित उत्तर प्रदेश वन अस्पताल न्यास कार्यालय, हल्दवानी, नैनीताल से हल्दवानी में एक मेडिकल कालेज स्थापित करने की अनुमति के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। क्योंकि आवेदक न्यास भारतीय चिकित्सा परिषद विनियम, 1999 के अनुसार 25 एकड़ भूमि के स्वामित्व और 300 बिस्तरों वाले अस्पताल के प्रबन्धन सम्बन्धी योग्यता मानदण्डों को पूरा नहीं कर रहा था, अत: प्रस्ताव को अपूर्ण करार देते हुए लौटा दिया गया था।

[अनुवाद]

मशीनों द्वारा कृषि को बढ़ावा

2581. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने सितम्बर, 2000 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत छोटे किसानों में मशीनों द्वारा कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने इस योजना का लाभ 40 एच०पी० तक के ट्रैक्टरों तक देने के लिए भी केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं और इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) कर्नाटक सरकार द्वारा तैयार प्रस्ताव की जांच की गयी। तदनुसार यह उल्लेख करते हुए कि पहले चल रही "छोटे किसानों में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने संबंधी केन्द्रीय प्रयोजित सकीम" को "कृषि का वृहद प्रबंधन कार्ययोजनाओं के जरिये राज्यों के प्रयासों में मदद/सहायता" नामक एक नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में मिला लिया गया है, उत्तर भेज दिया गया है। इस नई स्कीम के अंतर्गत, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कार्य-योजना में निहित विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपों के लिये दी जाने वाली राजसहायता/सहायता के मानक/प्रतिमान, अत्यन्त अपवाद वाली परिस्थितियों को छोड़ कर, पूर्ववर्त्ती केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अनुरूप ही रहें। अत: यह विभाग कर्नाटक सरकार के अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है। उत्तर में यह भी कहा गया है कि राजसहायता देने के मंकसद से टैक्टरों की क्षमता को 30 हार्सपावर से बढ़ाकर 40 हार्स पावर किये जाने हेतु प्रस्ताव पर दसवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देते समय विचार किया जायेगा।

औने-पौने बिक्री संबंधी तंत्र

2582. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में किसानों द्वारा अपनी उपज को औने-पौने दामों पर बेचे जाने की समस्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें उनकी उपज का लाभकारी मूल्य देकर उनकी दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या किसानों द्वारा देश में औने-पौने की जाने वाली पूरी बिक्री की निगरानी रखने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो किसानों द्वारा औने-पौने की जाने वाली बिक्री पर निगरानी रखने के लिए क्या तंत्र बनाया गया है;

(ङ) क्या इस निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) देश के कुछ बिक्री केन्द्रों में कुछ कृषि जिंसों की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे चल रहीं थीं।

(ख) से (च) सरकार ने केन्द्रीय शीर्ष अभिकरण गठित किये हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य रहने पर खरीद कार्य करते हैं। सरकार ऐसा हर सम्भव उपाय कर रही है जिससे किसानों को अपने उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े। इस तरह से मजबूरी में की जाने

वाली बिक्री से संबंधित सभी शिकायतों पर संबंधित शीर्ष अभिकरण तुरंत ध्यान देते हैं। अधिकांशत: गेहूं और चावल की खरीद की जाती है। खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के नजदीकी से मानीटरन के लिए भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये हैं जो राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों तथा अन्य अधिप्राप्ति अभिकरणों से रोजाना खरीद के आंकडे प्राप्त करते हैं और उन्हें संकलित करते हैं। अधिप्राप्ति की चरम अवधि में ये कक्ष चौबीसों घन्टे काम करते हैं।

चावल की किस्में

2583. **श्री ए० ब्रह्मनैया** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मनीला में इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट (आई आर आर आई) की चावल की संकर किस्मों के प्रयोग का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने संकर किस्म के चावल की ऐसी नई किस्मों पर कोई प्रयोग किया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे;

(घ) क्या ऐसी किस्में भारत के लिए उपयुक्त रहेंगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के सहयोगात्मक कार्यक्रम के तहत अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मनीला से अन्त: प्रजात किस्में, संकरों के लिए पैतृक वंशक्रम तथा चावल की संकर किस्में नियमित रूप से उगाई जा रही है।

(ख) और (ग) अनतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान से पिछले वर्षों में लगभग 350 किस्में मंगाई गई और देश में 40 बहु-स्थानिक परीक्षणों के अधीन उनकी परख की गई। इनमें से 15 संकर किस्में आशाजनक पाई गई।

(घ) और (ड.) निम्नलिखित संकर किस्में भारत के मौसमों के अनुकूल पाई गई और राज्य किस्म निर्मुक्ति समिति द्वारा सामान्य बुवाई के लिए जारी की गई।

संकर किस्में	राज्यों के लिए जारी की गई
1. सी ओ आर एच-1	तमिलनाडु
2. के आर एच-1	कर्नाटक
3. डी आर आर एच-1	आंध्र प्रदेश
4. ए डी टी आर एच-1	तमिलनाडु
5. सहयाद्री	महाराष्ट्र

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम का द्विभाजन

2584. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को विभाजित कर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम बनाने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस विभाजन से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के समाधान में कितनी सहायता मिलने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम में विभाजित करने का निर्णय लिया गया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग निगमों की स्थापना अनुसूचित तातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास पर अधिक ध्यान देने तथा राष्ट्रीय निगमों के माध्यम से पर्याप्त निधियों का प्रवाह सुनिश्चत करते हुए सतत रूप से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास को तेज करने में समर्थ बनाएगी। सरकार के निर्णय के अनुसार, विद्यमान निगम की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं को 2 निगमों में विभाजित करने तथा नए निगमों के पंजीकरण की कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

केन्द्रीय राहत निधि

2585. **श्री वाई०वी० राव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में राहत कार्यों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार से 580 करोड़ रुपये की केन्द्रीय राहत निधि प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने आंध्र पदेश सरकार के अनुरोध को मान लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ड.) आपदा राहत कोष से केन्द्रीय अंश के रूप में वर्ष 2000-2001

के लिए इस राज्य को 148.54 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की जा चुकी है। इसके अलावा, बाढ़ आने पर 777.71 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता हेतु राज्य सरकार की मांग के प्रत्युत्तर में इस राज्य को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से 10.00 करोड़ रुपये की राशि जारी किये जाने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

[हिन्दी]

मधुमेह के रोगी

2586. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मधुमेह के रोगियों की संख्या बहुत अधिक है;

(ख) क्या मधुमेह के रोगियों के गुर्दे खराब हो जाते हैं और इनका प्रत्यारोपण करना अपेक्षित होता है;

(ग) क्या गुर्दा प्रत्यारोपण के साथ अग्न्याशय प्रत्यारोपण भी आवश्यक होता है।

(घ) क्या अब कृत्रिम अग्न्याश उपलब्ध है; और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) देश में किए गए सीमित अध्ययनों के अनुसार भारत में मधुमेह के 2.5 करोड़ रोगी हैं।

(ख) मधुमेह रोगियों के गुर्दे अवश्य ही क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और जब रोगी को गुर्दे का अन्तिम अवस्था का रोग हो जाता है, तब गुर्दे के प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है।

(ग) टाइप 2 के मधुमेह में गुर्दे के प्रत्यारोपण के साथ अग्न्याशय का प्रत्यारोपण आवश्यक नहीं है। तथापि, टाइप-1 मधुमेह में इसकी आवश्यकता हो सकती है।

(घ) और (ड.) इस समय संश्लिष्टि अग्न्याशय उपलब्ध नहीं है। संश्लिष्ट अग्न्याशय और अग्नयाशय के बेटा कोशिकाओं को इसी प्रकार का सम्याक विकासात्मक अवस्था में है।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों के लिए राज्य स्तरीय परामर्शदाता बोर्ड

2587. **डा० वी० सरोजा : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के लिए राज्य स्तर के परामर्शदाता बोर्डों के गठन का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों में राज्य स्तरीय परामर्शदाता बोर्डों का का गठन पहले ही कर लिया गया है, जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकारों, लघु उद्योग संवर्धन निकायों, वित्तीय संस्थानों, उद्योग एसोसिएशनों, व्यावसायिकों, विशिष्ट गैर-सरकारी संगठनों/व्यक्तियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये बोर्ड लघु उद्योगों के विकास के लिए उत्तरदायी अभिकरणों के बीच समन्वय सुनिश्चित करते हैं और ये लघु क्षेत्र के मामलों तथा विशेष रूप से राज्यों से संबंधित मामलों पर परामर्श देते हैं, जिनमें जिला उद्योग केन्द्र, लघु उद्योग सेवा संस्थान, संवर्धनात्मक एवं स्वायत निकायों और राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की कार्य प्रणाली तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन एवं क्रेडिट प्रवाह की निगरानी करना, आदि शामिल है।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में यांत्रिक और पशु ऊर्जा का सर्वेक्षण

2588. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त हो रही यांत्रिकी ऊर्जा और पशु ऊर्जा के अनुपात का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं। तथापि, भारतीय पशुधन गणना रिपोर्ट 1992 के आधार पर अनुमान लगाए गए हैं और तत्संबंधी प्रक्षेपन भारवाही पशुओं की संख्या को देखते हुए और ट्रैक्टर, पावर टिलर व डीजल इंजन के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं।

(ख) और (ग) सेकेंडरी-डाटा और भारवाही पशुओं, ट्रैक्टरों, पावर टिलर्स, डीजल इंजनों तथा इलैक्ट्रिक मोटरों की अनुमानित संख्या के आधार पर वर्ष 1971-72 से विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा की उपलब्धता का अवधि-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में वर्ष 2001 2002 में ऊर्जा की उपलब्धता 1.23 कि० वाट/है० होगी जिसमें 0.121 कि० वाट/है० (9.8%) भारवाही पशुओं से और 0.767 कि० वाट /है० (62.36%) यांत्रिक स्रोतों (ट्रैक्टर 41.96%, पावर टिलर 0.54% तथा डीजल इंजन 19.86%) से प्राप्त होगी। अत: पशु ऊर्जा और यांत्रिकी ऊर्जा का अनुमानित अनुपात 1:6.33 होगा।

विवरण

भारत की कुल ऊर्जा उपलब्धता में विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का योगदान

वर्ष	कुल ऊर्जा का भाग %						
	कृषि श्रमिक	भारवाही पशु	ट्रैक्टर	पावर टिलर	डीजल इंजन	इलैक्ट्रिक मोटर	कुल ऊर्जा कि० वाट/है०
1971 72	15.11	45.26	7.49	0.26	18.11	13.77	0.295
1981 82	10.92	27.23	19.95	0.33	23.79	17.78	0.471
1991-92	8.62	16.55	30.21	0.40	23.32	20.90	0.759
2001-02	6.49	9.89	41.96	0.54	19.86	21.26	1.231
2005-06	5.77	8.02	46.70	0.60	18.17	20.73	1.502

अनुमानित

संदर्भ : दिपांकर डे, आर० एस० सिंह व हुकुम चन्द्र (2000), भारतीय कृषि में ऊर्जा उपलब्धता। टेक्नीकल बुलेटिन सं० सी आई ए ई/2000/83, केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल-462038

[अनुवाद]

अनाथालय

2589. श्री बी०के० पार्थसारथी :
श्री चन्द्र नाथ सिंह :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा अनाथालयों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का अनाथालयों से संबंधित अपनी नीति की समीक्षा किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इस समय देश में अनाथ/बेघर बच्चों की संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा वर्ष 2000-2001 तक भारतीय और विदेशी दम्पत्तियों द्वारा कितने बच्चों को गोद लिए जाने का अनुमोदन किया गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनाथ, निराश्रित तथा उपेक्षित बच्चों को सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात "देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के कल्याण संबंधी योजना" के माध्यम से वर्ष 1974-75 से सहायतानुदान उपलब्ध करा रहा था। इस योजना में, स्वैच्छिक संगठनों को ऐसे बच्चों को सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के समान अंशदान सहित सहायता प्रदान की जाती थी राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार यह योजना दिनांक 01.04.1992 से राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरित कर दी गई है। तथापि, शिशुओं के देश के भीतर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए शिशु गृह योजना के अंतर्गत तथा विशेष परियोजनाओं के लिए सामान्य सहायतानुदान योजना के अंतर्गत सामान्य अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। समाज रक्षा के क्षेत्र में सहायता के लिए सामान्य सहायतानुदान कार्यक्रम के अंतर्गत अंडमान और निकोबार में प्रणव कन्या संघ, आकाशवाणी रोड, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह नामक एक कन्या अनाथालय को सहायता प्रदान की जा रही है।

(ग) इस समय इस नीति की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) यह मंत्रालय देश में अनाथों/निराश्रित बच्चों की संख्या के संबंध में कोई डाटा-बेस नहीं रखता क्योंकि अनाथालयों को राज्य सरकारों द्वारा पंजीकृत किया जाता है और मान्यता प्रदान की जाती है। तथापि, इस मंत्रालय में देश के भीतर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए शिशु गृहों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करने संबंधी एक योजना है, जिसके अंतर्गत अब तक की स्थिति के अनुसार ऐसे 48 गृह निराश्रित बच्चों को पूर्व-स्थापन सुविधा के रूप में देखभाल और अनुरक्षण प्रदान करते हैं। एक राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ.) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसियों के माध्यम से वर्ष 1995 तथा बाद में किए गए दत्तक ग्रहणों की संख्या निम्नलिखित है :-

वर्ष	देश के भीतर दत्तक ग्रहण	देश के बाहर दत्तक ग्रहण	कुल
1995	1424	1236	2660
1996	1623	990	2613
1997	1330	1026	2356
1998	1746	1406	3152
1999	1558	1293	2851
2000	1870	1364	3234
कुल	9551	7315	16866

विवरण

शिशु गृह के अंतर्गत पोषित बच्चे-2000-2001

राज्य का नाम	शिशु गृहों की संख्या	पोषित बच्चों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	3	40
अरूणाचल प्रदेश	1	20
दिल्ली	2	19
गुजरात	2	30
हरियाणा	2	20
हिमाचल प्रदेश	1	10
कर्नाटक	1	10
केरल	2	20
मध्य प्रदेश	1	20
महाराष्ट्र	15	200
मणिपुर	2	17
मिजोरम	1	10
उड़ीसा	8	120
राजस्थान	2	30
तमिलनाडु	2	40
त्रिपुरा	1	20
पश्चिम बंगाल	2	30
कुल	48	656

मिलावटी दूध

2590. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जनवरी, 2001 को 'स्टेट्समैन' में "70 सिक आफटर कंज्यूमिंग एडल्ट्रेटिड मिल्क" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजधानी में मिलावटी दूध की बिक्री और उत्पादन में वृद्धि हुई है और खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग मिलावट को रोकने में पूरी तरह असफल रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मंगाए जाने का प्रस्ताव है और क्या केन्द्र सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ नए निर्देश जारी करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी हां। समाचार में उल्लिखित दुकान से दूध का एक नमूना उठाया गया था। यह नमूना मिलावटी पाया गया है क्योंकि यह खाद्य एवं अपमिश्रण निवारण नियमों में निर्धारित किए गए मानकों के अनुरूप नहीं था। दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

(ख) से (घ) राज्य सरकार से प्राप्त हुई रिपोर्टों से पता चलता है कि प्रवर्तन तन्त्र को दुरुस्त कर दिया गया है और दूध तथा दूध के उत्पादों के न केवल दिल्ली के प्रवेश बिन्दु, इसके साथ लगे राज्यों, बल्कि दिल्ली-भर में जहां भी दूध बेचा जा रहा हो, से नमूने लेने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ समन्वित प्रयास किए गए हैं। खुले दूध और पोलीपैकों के नमूने लेने के अतिरिक्त मदर डेरी और दिल्ली दुग्ध योजना जैसे संगठनों से भी नमूने उठाए गए हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान लिए गए दूध के नमूनों के आंकड़े इस प्रकार हैं :–

वर्ष	उठाए गए नमूनों की संख्या	मिलावटी पाए गए नमूनों की संख्या
1999	305	50
2000	232	59
फरवरी, 2001 तक	48	10

नमूनों का जांच में खरे न उतरने का मुख्य कारण मानकों के अनुरूप दूध में वसा, एस एन एफ का न होना अथवा इनमें मलाई उतरे दूध का पाऊडर था।

समुद्री खाद्य उद्योग

2591. श्री अनन्त नायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में समुद्री खाद्य उद्योग के क्षेत्र में व्यापक संभावनाओं की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो समुद्र तटीय राज्यों में समुद्री खाद्य अद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्यमंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग की योजना स्कीमों के तहत समुद्री खाद्य उद्योग के संवर्धन के लिए अनुदान/ऋण के रूप में सहायता देने का प्रावधान है।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भी समुद्री खाद्य उद्योग के लिए विकासात्मक सहायता स्कीमें चला रहा है।

पशुपालन और डेरी विभाग भी समुद्री मात्स्यिकी के विकास के लिए स्कीमों के कार्यान्वयन के साथ-साथ 'प्रमुख एवं छोटे बंदरगाहों पर मत्स्यन बंदरगाह सुविधाओं' से संबंधित केंद्रीय रूप से प्रायोजित एक स्कीम चला रहा है।

फसल के लिए भूमि का कम होना

2592. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में प्रति व्यक्ति फसल योग्य भूमि कितनी है;

(ख) क्या 1960 से प्रति व्यक्ति फसल योग्य भूमि कम होती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और आज तक फसल योग्य भूमि में किस सीमा तक कमी आई है;

(घ) क्या फसल योग्य भूमि में कमी होने से भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(ड.) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से निवारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) जी, हां। प्रति व्यक्ति कृष्य भूमि में लगातार कमी आ रही है जो वर्ष 1960 61 के 0.410 हैक्टेअर से घटकर वर्ष 1996-97 में 0.195 हैक्टेअर प्रति व्यक्ति रह गई है क्योंकि कृषि भूमि विस्तार दर की अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही है।

(घ) और (ड.) प्रति व्यक्ति कृष्य भूमि में आयी कमी को भूमि की उत्पादकता बढ़ाकर उदासीन किया गया है। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता जो वर्ष 1960 में 450 ग्राम प्रति दिन थी, 1996 में बढ़कर 480 ग्राम प्रतिदिन हो गयी। सरकार खाद्यान्नों और गैर खाद्यान्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई सकीमें चला रही है।

[हिन्दी]

देश में केन्द्रीय अस्पताल

2593. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय अस्पतालों की संख्या कितनी है, और इन अस्पतालों में किन-किन रोगों के इलाज की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) केन्द्रीय अस्पताल खोले जाने के मानदंड दिशानिर्देश क्या हैं; और

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान केन्द्रीय अस्पताल खोले जाने संबंधी कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत राज्यों संघ-राज्य क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों तथा उन रोगों के नाम, जिनके उपचार की सुविधाएं इन अस्पतालों में उपलब्ध हैं, संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) भारत के संविधान के अन्तर्गत 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है। तथापि, केन्द्रीय सरकार के अस्पताल उस समय की जरूरतों के आधार पर खोले गए थे।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य का नाम	अस्पतालों की संख्या	रोगों के नाम, जिनके उपचार की सुविधाएं इन अस्पतालों में हैं
1	2	3	4
1.	दिल्ली	4	हृदय रोग, सी टी वी एस, तंत्रिका विज्ञान, सुपर सर्जरी, नेफ्रालाजी, यूरोलाजी, प्लास्टिक सर्जरी, रेडियोथिरेपी में विशेषज्ञ सुविधाओं सहित सभी रोगों के लिए तृतीयक स्तरीय व्यापक परिचर्या सुविधाएं उपलब्ध हैं।
2.	पांडिचेरी	1	हृदयरोग, सी टी वी एस और रेडियोथिरेपी में अति विशिष्ट सुविधाओं सहित सभी रोगों के लिए तृतीयक स्तरीय गहन परचिर्या सुविधाएं।
3.	तमिलनाडु	1	कुष्ठ रोगियों के लिए

1	2	3	4
4.	उड़ीसा	1	कुष्ठ रोगियों के लिए
5.	महाराष्ट्र	1	चिकित्सीय पुनर्वास सेवाएं
6.	पश्चिम बंगाल	1	कुष्ठ रोगियों के लिए
7.	झारखंड	1	मानसिक रूप से बीमार रोगियों के लिए तृतीयक स्तरीय गहन परिचर्या
8.	छत्तीसगढ़	1	कुष्ठ रोगियों के लिए

[अनुवाद]

असिंचित भूमि

2594. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्यवार कितना कृषि भूमि क्षेत्र असिंचित पड़ा है;

(ख) क्या खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए असिंचित भूमि को कृषि मजदूरों को आवंटित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि कृषि योग्य भूमि का उक्त क्षेत्र सिंचाई सुविधा उपलब्ध न होने के कारण असिंचित पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) देश में वर्ष 1996-97 के दौरान असिंचित पड़ी कृषि भूमि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) भूमि राज्य का विषय है। अतएव असिंचित भूमि खेतिहर मजदूरों को आवंटित करने का विषय राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) सिंचाई राज्य का विषय है। अत: राज्य सरकारें अपनी आवश्यकता एवं प्राथमिकता के अनुसार सिंचाई परियोजनाएं परिकल्पित, निर्मित तथा कार्यन्वित करती हैं। अतिरिक्त असिंचित क्षेत्र सिंचाई के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से 500 करोड़ रुपये अथवा अधिक लागत वाली तथा राज्य सरकारों की संसाधन क्षमता से बाहर वाली वृहद सिंचाई तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1996 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया गया है।

विवरण

राज्यवार असिंचित क्षेत्र

क्षेत्र हजार हेक्टेयर में

क्र०सं०	राज्य	असिंचित क्षेत्र
1	2	3
1.	आंध्र पदेश	6439
2.	अरूणाचल प्रदेश	149
3.	असम	2172
4.	बिहार	3713
5.	गोवा	116
6.	गुजरात	6558
7.	हरियाणा	860
8.	हिमाचल प्रदेश	453
9.	जम्मू व कश्मीर	420
10.	कर्नाटक	8285
11.	केरल	1912
12.	मध्य प्रदेश	13395
13.	महाराष्ट्र	15309
14.	मणिपुर	75
15.	मेघालय	171
16.	मिजोरम	102
17.	नगालैंड	163
18.	उड़ीसा	3878
19.	पंजाब	292
20.	राजस्थान	11202
21.	सिक्किम	79
22.	तमिलनाडु	2594
23.	त्रिपुरा	242
24.	उत्तर प्रदेश	5476
25.	पश्चिम बंगाल	3552
26.	अ०नि० द्वीप समूह	38
27.	चण्डीगढ़	0

1	2	3
28.	दादरा व नगर हवेली	19
29.	दमन एवं द्वीव	3
30.	दिल्ली	3
31.	लक्षद्वीप	3
32.	पांडीचेरी	3
	अखिल भारत	87676

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में कृषि उत्पादन

2595. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य कृषि उत्पादन के मामले में आत्म-निर्भर है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य के किसानों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) नई कृषि नीति से किसानों को कितना लाभ पहुंचने की सभावना है; और

(ङ.) जम्मू और कश्मीर में कृषि उत्पादन की मौजूदा प्रवृति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) जम्मू कश्मीर में खाद्यान्न का उत्पादन यहां की खपत संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार हेतु इस राज्य में कई केन्द्रीय क्षेत्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें चलायी जा रही हैं, जैसे कि अनाज और बागवानी उत्पादों के उत्पादन संवर्द्धन हेतु वृहद प्रबंधन और प्रौद्योगिकी मिशन कार्यक्रम जिसमें तिलहन और दलहन को कवर किया जाता है।

इन स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए हाल के वर्षों में जम्मू व कश्मीर राज्य को निर्मुक्त धनराशि का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है।

(लाख रु० में)

वर्ष	जारी धनराशि
1997-98	1528.00
1998-99	1064.74
1999-2000	1088.36
2000-2001 (31.12.2000 तक)	383.88

(घ) नई कृषि निति के क्रियान्वयन से जम्मू व कश्मीर राज्य को कितना लाभ पहुंचेगा इसकी प्रमात्रा निर्धारित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

(ङ) हाल के वर्षों में जम्मू व कश्मीर राज्य में होने वाले खाद्यान्न उत्पादन का रुख नीचे दर्शाया गया है।

(000 टन में)

वर्ष	उत्पादन
1996-97	1331.3
1997-98	1420.0
1998-99	1519.6
1999-2000	1271.1

[अनुवाद]

तारापुर पावर रिएक्टरों को आणविक ईंधन

2596. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या दिनांक 18 फरवरी, 2001 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने रूस द्वारा भारत के तारापुर पावर रिएक्टरों के लिए परमाणु ईंधन भेजे जाने के संबंध में कड़ी आपत्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का रुख क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) 16 फरवरी, 2001 को दिये गये एक वक्तव्य में अमरीकी विदेश विभाग के उप-प्रवक्ता ने इस बात पर गहरा खेद व्यक्त किया कि रूसी परिसंघ ने तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन (टैप्स) के लिए नाभिकीय ईंधन की आपूर्ति की। इस वक्तव्य में 39 देश वाले नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के तथाकथित ''दिशानिर्देशों'' की ओर भी ध्यान दिलाया गया जिसका कि रूस एक सदस्य है।

(ग) टैप्स के लिए ईंधन के सभी आयात हमेशा ही आई ए ई ए रक्षा व्यवस्था के भीतर रहे हैं। भारत ने निरंतर और स्पष्ट रूप से इन रक्षा उपायों का पालन किया है। रूस से किया गया हाल का आयात भी इसी प्रकार संरक्षित है और आई ए ई ए को इसकी सूचना दी गयी है पूर्व में टैप्स को अमरीका, फ्रांस और चीन से नाभिकीय ईंधन की आपूर्तियां की गयी हैं और ये सभी आपूर्तियां आई ए ई ए की रक्षा व्यवस्था के अंतर्गत ही थीं।

केन्द्र प्रायोजित योजना

2597. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 (जनवरी तक) के दौरान कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए महाराष्ट्र में शुरू की गयी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार विश्व व्यापार में चुनौती भरे तुलनात्मक लाभों से जूझने वाले थोड़े समय तक गरीब रहने वाले किसानों की मदद के लिए वृहत्तर ग्रामीण अवसंरचनात्मक निवेश हेतु कदम उठाने का प्रस्ताव रखती है; और

(ग) यदि हां, तो चालू तथा अगले वित्तीय वर्ष के दौरान निधियों के प्रावधानों के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) महाराष्ट्र में वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान कार्यान्वित केन्द्रीय प्रयोजित स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र में केन्द्रीय प्रायोजित वृहद प्रबंध स्कीम के अलावा अन्य कोई स्कीम लागू नहीं की गई है।

(ख) विश्व व्यापार में तुलनात्मक लाभों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में किसानों की सहायता के लिए ग्रामीण आधारभूत ढांचे में निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय निम्नवत् हैं :–

1. मौजूदा आधारभूत परियोजनाओं का कार्यान्वयन पूर्ण करने में राज्य सरकारों की मदद के लिए ''ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि'' का सृजन।
2. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में राष्ट्रीय पनधारा विकास कोष का सृजन।
3. शीतागारों तथा भण्डारों के लिए पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम लागू करना।
4. सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों को प्रोत्साहन देना।
5. भारत को एक आविष्कारशील तथा रचनात्मक समाज बनाने के लिए सहकारी समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत 20 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक कोष से ''राष्ट्रीय सृजनात्मक प्रतिष्ठान'' की स्थापना।
6. घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों तथा मण्डी प्रवृत्तियों का लगातार मानिटरन।
7. फसल बीमा के दायरे में और अधिक फसलों को शामिल करने की मांग को पूरा करने के लिए रबी 1999-2000 से ''राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना'' नामक स्कीम लागू की गई है।
8. वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लागू की गई है।
9. भारतीय साधारण बीमा निगम विभिन्न पशु बीमा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है।
10. भारतीय साधारण बीमा निगम के सहयोग से कुछ प्रमुख बीज उत्पादक राज्यों में चुनिंदा फसलों के लिए बीज फसल बीमा हेतु एक स्कीम शुरू की गई है।
11. राष्ट्रीय कृषि एवं गामीण विकास बैंक के सक्रिय सहयोग तथा सहायता से लघु वित्तीय संस्थाओं जैसे स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों, क्रेडिट यूनियनों आदि की स्थापना।
12. वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल वार्षिक ऋण राशि का 18% कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता आधार पर ऋण देने के लिए नियत करने का आदेश दिया गया है।

(ग) वृहद प्रबंध स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 के लिए महाराष्ट्र हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

विवरण

वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान महाराष्ट्र में कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें

क्र०सं०	स्कीम का नाम
1	2
1.	गहन कपास विकास कार्यक्रम/कपास प्रौद्योगिकी मिशन।
2.	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना।
3.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम।
4.	त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम।
5.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-मोटा अनाज।
6.	गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत विकास।
7.	वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना।
8.	उर्वरकों का संतुलित तथा समेकित उपयोग।
9.	लघु कृषकों के बीच कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देना।
10.	राज्य भू-उपयोग बोर्ड।
11.	नदी घाटी परियोजना के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।
12.	औषद्यीय तथा सुगन्धित पौधों का विकास।
13.	कृषि में प्लास्टिक का उपयोग।

1	2
14.	वाणिज्यिक पुष्पोत्पादन का विकास।
15.	खुम्बी का विकास।
16.	उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण तथा शुष्क क्षेत्रीय फलों का समेकित विकास।
17.	मूल तथा कन्द फसलों का विकास।
18.	सब्जियों का विकास।
19.	मसालों का समेकित विकास।
20.	काजू का समेकित विकास कार्यक्रम।
21.	कोको का विकास।
22.	मधुमक्खी पालन विकास।
23.	कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों को सहायता।

ऊपर क्रम सं० 5 से 23 तक उल्लिखित स्कीमों का कार्यान्वयन वर्ष 2000-2001 से वृहद प्रबंध/कार्य योजना दृष्टिकोण के तहत किया जा रहा है।

प्रसंस्कृत फलों के उत्पादन में कमी

2598. श्री किरीट सोमैया :
श्री रामशकल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रसंस्कृत फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में इस समय कितनी फल तथा सब्जी प्रसंस्करण इकाइयां हैं तथा राज्य-वार उनकी स्थापित क्षमता कितनी है;

(घ) देश में प्रसंकृत खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या कितनी है और यह किन-किन स्थानों पर स्थित है;

(च) स्थान के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(छ) विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए क्या भावी योजना है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्यमंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापित क्षमता संलग्न विवरण I में दी गई है।

(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग् खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/आधुनिकीकरण और सुसंगत बुनियादि सुविधाओं की स्थापना के वास्ते सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संयुक्त क्षेत्र, निजी/सहायताप्राप्त क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों सहकारिताओं आदि को अनुदान और ऋण प्रदान करता है।

सरकार ने ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए फल एवं सब्जी आधारित खाद्य मदों को उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करने और औद्योगिक पार्कों को 10 वर्षों के लिए कर अवकाश देने का प्रस्ताव रखा है।

(ङ.) स्कीम की शुरूआत से लेकर अब तक स्थापित 326 खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्रों की स्थान सहित एक सूची (महाराष्ट्र समेत) संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(च) खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्रों के वास्ते स्थान कार्यान्वयन एजेंसी चुनती है जोकि सामान्यत: ग्रामीण क्षेत्र में या उसके आसपास होता है।

(छ) पहले से सहायताप्राप्त ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों की बड़ी संख्या और स्कीम के विभिन्न पहलुओं की इस समय की जा रही समीक्षा को देखते हुए अब सहायता हेतु केवल अपवाद स्वरूप मामलों में ही विचार किया जाता है।

विवरण-I

1.1.2001 की स्थिति के अनुसार स्थापित क्षमता

क्रम सं०	राज्य का नाम	क्षमता मीट्रिक टन में
1	2	3
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	450
2.	आंध्र प्रदेश	305640
3.	अरूणाचल प्रदेश	520
4.	असम	1030
5.	बिहार	43170
6.	चण्डीगढ़	12640
7.	दादरा एवं नगर हवेली	3120
8.	दिल्ली	35380
9.	गोवा, दमण एवं दीव	6120
10.	गुजरात	161370
11.	हरियाणा	72220
12.	हिमाचल प्रदेश	11140
13.	जम्मू एवं कश्मीर	8220

1	2	3
14.	कर्नाटक	309200
15.	केरल	78230
16.	मध्य प्रदेश	39760
17.	महाराष्ट्र	373840
18.	मणिपुर	1330
19.	मेघालय	650
20.	मिजोरम	150
21.	नागालैण्ड	810
22.	उड़ीसा	2590
23.	राजस्थान	6970
24.	पाण्डिचेरी	350
25.	पंजाब	71510
26.	सिक्किम	2380
27.	तमिलनाडु	277690
28.	त्रिपुरा	2240
29.	उत्तर प्रदेश	200990
30.	पश्चिम बंगाल	70290
	कुल	2100000

विवरण

1992-93 से 2000-2001 (9.3.2001 तक) की अवधि के दौरान सहायता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केंद्रों का राज्यवार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य का नाम	सहायता प्राप्त खा०प्र० तथा प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या	स्थान
1	2	3	4
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1	डिगलीपुर (उत्तरी अंडमान)
2.	आंध्र प्रदेश	5	हैदराबाद, जडेचेरला (जिला महबूबनगर), गांधी नगर (हैदराबाद) करीमनगर, नगरकुरनूल (जिला महबूबनगर)
3.	अरूणाचल प्रदेश	1	जिला पश्चिमी सियांग
4.	असम	25	उलूबारी (जिला गुवाहाटी), नौगांव, जोरहाट, शिबसागर, तिनसुकिया, सिल्चर, कोकराझार, मंगलदोई, बोंडा, चन्द्रपुर, बगीचा (जिला कामरूप), तेजपुर, जगी रोड, नालबाड़ी, रांगिया, धुबरी, हाडली (जिला बेरपेट), बेलटोला (सेजनगर, जिला गुवाहटी) मजगांव (जिला नवगांव) तोपाटोली (जिला कामरूप), सोनापुर (जिला कामरूप चमटा (जि॰ नलबारी), मोरीगांव, मंगलदोई (जि॰ दर्रागा), खकपारा या जलुकबाड़ी।
5.	बिहार	28	वारियातू, अंगारा, गुमला, गोत्रा, तोरपा, दुमका, गुमला, साहिबगंज तोरपा, लुम्बई (जि॰ बंदगांव) वारद्वारी (जि॰ जमशेदपुर), चांदिल (जि॰ पूर्वी सिंभूम), भांद्रा (जि॰ लोहारडगा), चक्रधरपुर (जि॰ पश्चिमी सिंहभूम), आसनसौल (जि॰ दुमका), दानापुर रोड़ (जि॰ पटना), रामगढ़ कैंट दानापुर, देवघर, सुतिहार-नावादा (जि॰ सारन-छपरा), आरा का जयप्रकाश नगर (जि॰ भोजपुर), तिताउथर (जि॰ रोहतास), रघुनाथपुर का सिरीधर नगर (जि॰ मुजफ्फरपुर), बख्तियारपुर (जि॰ पटना), नायाटोला (जि॰ पटना) गुलजारबाग (जि॰ पटना), बेहाट, मंझौली (पटना)।

1	2	3	4
6.	दिल्ली	7	दिल्ली कैंट, बुराडी (दिल्ली का उत्तरी जि॰), हस्तसल (प॰ दिल्ली) बपरौला (प॰ दिल्ली) पडपडगंज (पूर्वी दिल्ली), कंझावला (उ॰ दिल्ली), लाडपुर (जि॰ उ॰ दिल्ली)।
7.	गुजरात	3	गंडवी, जूनागढ़, बरदोलाई (जि॰ सूरत)
8.	हरियाणा	9	करनाल, मुरथल (जि॰ सोनीपत), ताडरू (गुडगांव), अम्बाला, सिरसा नारनौल, सोनीपत, भुवनेशवर (जि॰ गुडगांव), फारूखनगर (जि॰ गुडगांव)।
9.	हिमाचल प्रदेश	7	शोगी, कतरैल (जि॰ कूल्लू), कल्पा (जि॰ किन्नौर), फागु (जि॰ शिमल सुबापू (शिमला हिल्स), तारादेवी, उदयपुर (जि॰ चम्बा)
10.	जम्मू और कश्मीर	8	कठुआ, कुपबाड़ा, श्रीनगर, रजौरी, अनंतनाग, फुलवामा, प॰ उदयवाला (जम्मू शहर), शालीमार कैम्पस।
11.	कर्नाटक	11	हब्बल, हलकोटी (जि॰ घारवाड़) गुलवर्गा, विदार, गोनीकोप्पल (जि॰ कुर्ग), मुदीगेरे (जि॰ चिकमगलूर) आरभावी (जि॰ बेलगांव), बेलगांव, बंगलौर का कृषि विज्ञान विश्वद्यिालय, हुदली (जि॰ बेलगांव) बेलगांव।
12.	केरल	6	वेल्लगानी, वेल्लानीकश, अल्यूवा (जि॰ कोचीन), चंगाचैरी, नरीकुन्नी (जि॰ कोजीकोड), मट्टूटनूर (जि॰ कन्नुर)।
13.	महाराष्ट्र	17	धानू, नासिक, वर्धा, लातूर, वर्ध, इंदिरानगर (लातूर), चक्कन (जि॰ पुणे), उमरी, खडगांव रोड़ (जि॰ लातूर) बम्बई विश्वविद्यालय (उपकेंद्र, रतनागिरिथीवा पैलेस रोड रत्नागिरि) बुधोदा (जि॰ लातूर) गुलेवाड़ी (जि॰ अहमदनगर) कंधार (जि॰ नांदेड) कस्तूरवा बाडी (पुजे), अष्टविनायक नगर (जि॰ नांदेड), औरंगाबाद, बाभालेश्वर (औरंगाबाद) नंदरबाद, (जि॰ धुले)।
14.	मध्य प्रदेश	5	सतपुडा,सागौर, जबलपुर, इंदौर, जबलपुर।
15.	मणिपुर	3	पोरम्पट (जि॰ इम्फाल), ताऊसेम, तमई।
16.	मिजोरम	6	सौरंग लांगेट-लाई, वेरंगेटा, ख्वाहज्वल, चियांगचिप, लंगलेई।
17.	मेघालय	1	शिलांग (हैप्पी वेली)।
18.	नागालैंड	2	दीमापुर, कोहिमा।
19.	उड़ीसा	62	नायागढ़, भुवनेश्वर, सुंदरगढ़, पुरी, किशोर नगर, (कटक), नयागढ़ पोटलमपुर (गंजम), पाडालेखमुडी गजपति, भुवनेश्वर, कटक, ढेंकनाल, कटक, केओंझार, बेकाला (खेनघर), नरला रोड(कालाहांडी), आश्रमगढ़ (गजपति), सबोलोंग (केंद्रपाडा), डेलांग (पुरी) ढेंकनाल, जे॰ एस॰ पुर, ढेंकनाल, कोरापुर, मयूरभंज, भापुर (जि॰ ढेंकनाल), ढेंकनाल, भुवनेश्वर, टिगरिआ (कटक) ढेअलासाही (कटक) सनकुमारी (जि॰ बालासौर), देवीद्वार (जि॰ जाजपुर) महिमागडी (जि॰ ढेंकनाल), देवगांव (जि॰ ढेंकनाल), बारिकपुर (जि॰ भद्रक), सनकुमारी (जि॰ बालासौर), किशोर नगर (कटक), बालाशाही (जि॰ जगदीशपुर), जटनी (जि॰ खर्दा), ओडेगांव (जि॰ नयागढ़), चांदीपुर (जि॰ बालासौर), राऊरकेला, बालीशाही:, नवपाडा, (जि॰ कटक), गांधी नगर (जि॰ कोरापुर), प्रधानपाली (जि॰ राउरकेला), होसंगा (जि॰ कटक), विरासत (जि॰

1	2	3	4
			ढेंकनाल), नीलगिरि (जि॰ बालासौर), वैधकेतनी (जि॰ ढेंकनाल), अनकोली बरहमपुर (जि॰ गंजम), बोरिदा कवि सूर्यनगर (जि॰ गंजम), कान्यू जमपोशी (जि॰ जाजपुर), सुकिंडा अरूहन, चिरौली (जि॰ ढेंकनाल), बेलापाडा-पटना (जि॰ नयागढ़), मंचेश्वर, रसूलगढ़ (जि॰ खुर्दा), सरिओन (जि॰ ढेंकनाल), रघुनाथपुर, बारीपाडा (जि॰ मयूरभंज) छतपुर (जि॰ गंजम) दयाविहार कालेज, कनास (जि॰ पुरी) खलारी (जि॰ अंगुल), बालभद्रप डाकघर ढेंकनाल, बनताला (जि॰ अंगुल), बालीपटना (जि॰ खुर्दा)।
20.	पंजाब	2	चोनीकलां (होशियारपुर), पटियाला।
21.	राजस्थान	3	उदयपुर, भरतपुर, उदयपुर
22.	तमिलनाडु	33	तिरूपतूर, समथुवापुरम गांव (जि॰ पुड्डूकोट्टई), पलानीअप्पानगर (जि॰ पुड्डूकोट्टई), त्रिची, गोमबुम वैली (जि॰ मदुरै), वेलिंगटन (जि॰ नीलगिरि ओमाचिकुलम (जि॰ मदुरै), तिरूमुल्लाईवायल (जि॰ चेंगईएम॰ जी॰ आर॰), शिव-गंगल (जि॰ मुथ्यूरामलिंगम थेवर), वर्धापल्ली (जि॰ कोयम्बटूर), वलायाथूर (जि॰ उत्तरीआरकोटअम्बेडकर जवाहरपुरम (जि॰ मदुरै), वेल्लूथारेड्डी (जी॰ विल्लूपुरम (जि॰ पुजहल), टी॰ कलुपति, मदुरै,। तिरूचनगोड्डू (जि॰ सलेम), नल्लामनार कोट्टई (जि॰ उंडीगल अन्ना), टूटीकोरिन, पोन्नूथू, पन्नीमडाई गांव के पास (जि॰ कायम्बटूर), रामावरम (जि॰ चैन्नई), विक्कीराममंगलग (जि॰ मदुरै), ओक्कूपट्टी (जि॰ शिवगंगई), तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कैम्पस, कोविलंगुलम (जि॰ विरूदनगर), केलमबकम् (जि॰ काशीपुरम), के॰ के॰ नगर (जि॰ त्रिची) करपगम (जि॰ कोयम्बटूर), कृष्णा नगरी (जि॰ धरमपुरी), कोयम्बटूर, नटराजपुरम (जि॰ शिवनगरी), थानक्सडिओमबू (जि॰ डंडीगुल), राजापल राजापलायम,
23.	त्रिपुरा	1	अगरतला
24.	उत्तर प्रदेश	67	देवरिया, इलाहाबाद, रामगढ़, रामनगर, अमेठी, हल्द्वानी, गाजीपुर, हरदोइ इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, लखनऊ, शारनपुर, लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, गोरखपुर, बस्ती, सीतापुर, पलिया (जि॰ अमेठी), सुलतानपुर, मधूपुर (जि॰ मिर्जापुर), इलिया (जि॰ बाराणासी), चैल (जि॰ इलाहाबाद), औतारपुर (जि॰ प्रतापगढ़), लैंसडाउन, रानीखेत, बरेली, फतेहगढ़, लखनऊ, फैजाबाद, लखनऊ, दहोलामऊ (जि॰ प्रतापगढ़), अशोकपुर (जि॰ गोंडा), फाफामहू (जि॰ इलाहाबाद), बैरवा (जि॰ सोनभद्र), लाल गोपालगंज (जि॰ प्रतापगढ़), तनखुईराज (जि॰ पदरौना) कालाकांक (जि॰ प्रतापगढ़), बारी (जि॰ सीतापुर), सिरदौ (जि॰ भीमताल), लोचनगंज (जि॰ इलाहाबाद), गोहनिया (जि॰ इलाहाबाद), आर्दशनगर (जि॰ उन्नाव), कपसेथी (जि॰ बनारस), कोधिआरा (जि॰ इलाहाबाद), प्रतापगढ़, रायबरेली मऊ (जि॰ शानोजी), आश्रम बिहार (जि॰ प्रतापगढ़), देवकाली (जि॰ फैजाबाद जमालपुर (जि॰ सुल्तानपुर), देदौर (जि॰ रायबरेली), हलद्वानी, वाराणासी, लखनऊ, साओरा-भरोसा (जि॰ लखनऊ), रायबरेली, विकासपुरम (जि॰ फैजाबाद), मोहदपुर, मलीहाबाद (जि॰ लखनऊ), सैदरपुर-सादत (जि॰ गाजीपुर), लोरहन (जि॰ बाराणसी), बीर-काजी, फूलपुर (जि॰ इलाहाबाद गुलेरिया, अमरोहा (जि॰ ज्योतिबा फुले नगर), हल्दिया (जि॰ इलाहाबाद), लकावली (जि॰ आगरा), भोपरा (जि॰ मुजफ्फरनगर)।

1	2	3	4
25.	पश्चिम बंगाल	13	बरूईपुर (जि॰ दाक्षिणी 24 परगना), मालदा, हाबड़ा, बर्दवान, हट्टूबा ग्राम (जि॰ उत्तरी 24 परगना), झारग्राम, बेलपहाडी दाक्षिणी 24 परगना इच्छापुर, कल्याण, विवेकानंद नगर (जि॰ पुरूलिया), कलगढ़छिया (जि॰ दाक्षिणी 24 परगना), सूजापुर (जि॰ मालदा), कृष्णानगर (जि॰ सियालदा)।
	कुल	326	

गर्भ निरोधक

2599. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं को अनचाहे गर्भ और उसके परिणामस्वरूप गर्भपात से बचाने के लिए सरकार द्वारा महिलाओं के लिए आपात गर्भ निरोधक (ई॰ सी॰) या 'मानिंग आफटर पिल्स' को परिवार कल्याण कार्यक्रम में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) ई॰ सी॰ का प्रयोग कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इसके लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए॰ राजा): (क) और (ख) प्रजनन विनियमन की उपलब्ध विधियां बिल्कुल सुरक्षित और प्रभावकारी हैं और उनका उपयोग दम्पतियों को यह निर्णय लेने में मदद कर सकता है कि वे कब और कैसे कितनी बार गर्भावस्था होने दें। इन नियमित गर्भनिरोधकों के अतिरिक्त ऐसी विधियां उपलब्ध हैं जिसका असुरक्षित सम्भोग के पश्चात् सम्भोग उपरान्त उपयोग किया जा सकता है और अनियोजित गर्भावस्था के खतरे में पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता प्रदान कर सकती हैं। इन विधियों को आपाती गर्भ-निरोधक अथवा जब उनका उपयोग 3 से 5 दिनों की अवधि के भीतर किया जाए तो इन्हें मोर्निंग आफटर पिल के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में आपाती गर्भनिरोधक को शामिल करने का मामला किंचित अपरिपक्व है। तथापि, यह उत्पाद वाणिज्यिक रूप से तत्काल उपलब्ध है।

(ग) और (घ) हमारे देश में इन विधियों के आंकड़े जरा से सीमित हैं। भारतीय आबादी के बड़े पैमाने पर ताजे आंकड़े तैयार करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा 5 केन्द्रों में एक बहुकेन्द्रिक अध्ययन शुरू किए जाने का प्रस्ताव है ताकि दो विभिन्न विकल्पों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और स्वीकार्यता के पहलूओं की जांच पड़ताल की जा सके।

(ङ) इस अध्ययन द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों के आधार पर एक विस्तृत कार्रवाई योजना तैयार की जायेगी और उसकी जांच की जाएगी।

घरेलू खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

2600. श्री जी॰एस॰ बसवराज :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी॰ मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री वाई॰एस॰ विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था के अंतर्गत घरेलू खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की रक्षा और साथ ही भारतीय उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य व्यापार महासंघ ने भारत में कृषि प्रसंस्करण की बहुलता और रुकावटें दूर करने और आयात को युक्तिसंगत बनाने के संबंध में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था;

(ग) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने व्यापक प्रोत्साहन पैकेज हेतु केंद्र से संपर्क किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या निर्णय है; और

(ङ) विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था की चुनौतियों का सरकार किस सीमा तक सामना करेगी?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच॰ चाओबा सिंह) : (क) भारतीय उद्योग को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए उपाय किए गए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) बजट 2001-2002 से पहले, उत्पाद शुल्क में राहत और अन्य करों में रियायतों के लिए ऑल इण्डिया फूड प्रोसेसर्स एसोसिएशन और अन्य उद्योग संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(घ) बजट 2001-2002 में प्रसंस्कृत फल और सब्जी उत्पादों पर शून्य उत्पाद शुल्क तथा औद्योगिक संपदाओं के लिए कर अवकाश का प्रस्ताव है।

(ङ) सरकार चुनौतियों का सामना करने के लिए लैवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करने के वास्ते एमआरपी पर आयात शुल्क लगाने, आयातित प्रसंस्कृत खाद्य मदों पर उपयुक्त शुल्क लगाने तथा सभी आयातों को भारतीय कानूनों की अपेक्षाओं का कड़ाई से अनुपालन करने जैसे जरूरी कदम उठा रही है।

अति लघु उद्यम

2601. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर अति लघु उद्यम कैपिटल स्थापित किए जाने की कोई योजना है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति सहायता राशि

2602. **श्री रामदास आठवले : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों, विशेष तौर पर दलित बाहुल्य क्षेत्रों में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए प्रति व्यक्ति कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ख) राज्य सरकारों ने इसके लिए कितनी राशि की मांग की है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान योजना आयोग ने इस कार्य के लिए कितनी राशि मंजूर की है; और

(घ) कम धनराशि आबंटित किए जाने के क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (घ) राज्यों के कुल योजना पख्यियों को, संसाधनों की समग्र उपलब्धता, जिसमें राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता और राज्य के स्वयं के संसाधन शामिल हैं, को ध्यान में रखते हुए उपाध्यक्ष, योजना आयोग और संबंधित मुख्य मंत्रियों के बीच परस्पर विचार-विमर्श के द्वारा निर्णित किया जाता है। केन्द्रीय सहायता, क्षेत्रक के संबंध में आबंटित नहीं की जाती बल्कि राज्य के लिए समग्र रूप से इसका आबंटन किया जाता है। कुल योजना परिव्यय के भीतर क्षेत्रक-वार आबंटनों के राज्यों द्वारा प्रस्ताव किए जाते हैं और राज्य की प्राथमिकताओं के मद्देनजर योजना आयोग के परामर्श से उन्हें अन्तिम रूप दिया जाता है। अतः योजना आयोग द्वारा विशिष्ट क्षेत्रकों के लिए अधिक अथवा कम परिव्ययों को मंजूरी देने का प्रश्न नहीं उठता। भारत सरकार जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत राज्य को अतिरिक्त सहायता देते हुए अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को सहायता भी प्रदान करती है। इसी प्रकार राज्यों को विशेष घटक योजना के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए उनके प्रयासों में भी सहायता देती है। राज्य विशेष में क्षेत्रों में क्षेत्रकीय आबंटनों का विारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य योजना में किसी क्षेत्रक के लिए अनुमोदित परिव्यय के भीतर विभिन्न क्षेत्रों के लिए किए गए आंबंटनों से संबंधित सूचना योजना आयोग में संकलित नहीं की जाती। कृषि और ग्रामीण विकास, विशेष घटक योजना के अतर्गत विशेष केन्द्रीय·सहायता, महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के लिए जनजातीय विकास हेतु संविधान के अनुच्छेद 275 (I) और जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत अनुदान क्रमशः विवरण I, II, III, IV पर संलग्न हैं। महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के लिए कृषि और ग्रामीण विकास हेतु परिव्ययों का प्रति व्यक्ति ब्यौरा मध्य वर्ष जनसंख्या के आधार पर संबंधित वर्षों के लिए तैयार कर लिया गया है।

विवरण-I

वार्षिक योजनाएं 1997-98 से 1999-2000 के दौरान कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रकों के लिए राज्य वार अनुमोदित परिव्यय

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	राज्य	कृषि और संबद्ध कार्यकलाप			ग्रामीण विकास		
		1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	6[illegible]59	72.77	70.69	230.00	363.92	334.08

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरूणाचल प्रदेश	43.53	35.27	36.14	23.93	29.24	25.16
3.	असम	133.00	134.28	169.00	131.28	154.18	173.16
4.	बिहार	72.13	92.21	70.65	826.41	1019.29	1158.82
5.	गोआ	6.58	6.30	7.15	2.70	3.34	5.28
6.	गुजरात	167.22	176.60	214.90	200.59	306.79	307.16
7.	हरियाणा	69.87	77.31	77.78	57.00	74.76	46.55
8.	हिमाचल प्रदेश	77.34	102.67	114.93	48.60	67.37	71.23
9.	जम्मू व कश्मीर	111.73	138.40	136.89	80.61	80.61	75.41
10.	कर्नाटक	194.81	173.56	169.00	232.18	253.40	244.19
11.	केरल	180.27	193.80	189.50	91.56	70.34	90.56
12.	मध्य प्रदेश	208.19	191.72	159.36	379.59	352.89	356.06
13.	महाराष्ट्र	213.06	234.75	283.70	717.42	774.46	1020.08
14.	मणिपुर	21.23	24.11	25.28	11.73	9.28	10.05
15.	मेघालय	32.87	36.10	38.00	21.57	22.53	23.57
16.	मिजोरम	22.28	36.88	33.29	38.45	51.81	41.56
17.	नागालैण्ड	17.41	19.53	23.23	41.12	44.05	52.55
18.	उड़ीसा	101.31	129.43	102.88	132.89	228.56	273.87
19.	पंजाब	66.06	73.28	82.40	109.33	116.53	150.03
20.	राजस्थान	222.77	245.63	172.34	287.25	301.93	324.40
21.	सिक्किम	33.55	14.85	14.59	10.04	9.47	8.12
22.	तमिलनाडु	248.08	266.83	222.20	437.55	470.98	458.40
23.	त्रिपुरा	28.83	29.46	29.41	72.79	32.64	26.62
24.	उत्तर प्रदेश	402.05	585.79	707.44	857.06	1066.87	1035.84
25.	पश्चिम बंगाल	114.63	135.87	195.84	254.95	279.03	387.26
	कुल (राज्य)	2852.39	3227.40	3346.59	2576.36	6184.27	6700.01

वार्षिक योजनाएं 1997-98 से 1999-2000 के दौरान कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रकों के लिए राज्य वार प्रतिव्यक्ति अनुमोदित परिव्यय

(रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	कृषि और संबंद्ध कार्यकलाप			ग्रामीण		
		1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	आन्ध्र प्रदेश	9	10	9	31	48	44
2.	अरूणाचल प्रदेश	431	340	340	237	282	237
3.	असम	52	51	64	51	59	65
4.	बिहार	7	9	7	84	101	113
5.	गोआ	50	47	52	20	25	38
6.	गुजरात	36	38	45	43	65	64
7.	हरियाणा	37	40	40	30	39	24
8.	हिमाचल प्रदेश	133	173	189	83	113	117
9.	जम्मू व कश्मीर	126	153	149	68	89	82
10.	कर्नाटक	39	35	33	47	51	48
11.	केरल	57	60	58	29	22	28
12.	मध्य प्रदेश	28	25	21	51	46	46
13.	महाराष्ट	24	26	31	80	85	110
14.	मणिपुर	100	111	113	55	43	45
15.	मेघालय	160	172	176	105	107	109
16.	मिजोरम	265	425	372	458	598	464
17.	नागालैण्ड	118	128	147	278	289	334
18.	उड़ीसा	29	36	28	37	63	75
19.	पंजाब	30	33	36	49	52	66
20.	राजस्थान	44	48	33	57	59	63
21.	सिक्किम	674	289	275	202	184	153
22.	तमिलनाडु	42	45	37	74	79	76
23.	त्रिपुरा	90	90	88	228	100	80
24.	उत्तर प्रदेश	26	37	44	55	68	65
25.	पश्चिम बंगाल	15	18	25	34	36	50
	कुल (राज्य)	58	60	59	83	93	96

विवरण-II

1997-98 से 1999-2000 के दौरान विशेष घटक योजना (एससीपी) के संबंध में विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) की राज्यवार जारी धनराशि

(करोड़ रुपये)

क्र०सं०	राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	आन्ध्र प्रदेश	26.80	33.89	41.35
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	1.42	5.97	6.95
4.	बिहार	28.08	36.20	34.71
5.	गोआ	0.04	0.03	0.05
6.	गुजरात	16.60	3.71	6.82
7.	हरियाणा	5.46	7.42	8.40
8.	हिमाचल प्रदेश	2.57	2.60	2.98
9.	जम्मू व कश्मीर	0.74	1.33	1.83
10.	कर्नाटक	13.89	18.20	20.97
11.	केरल	6.46	7.25	8.13
12.	मध्य प्रदेश	19.45	22.37	33.03
13.	महाराष्ट	19.22	16.74	20.67
14.	मणिपुर	0.07	0.11	0.13
15.	मेघालय	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—
17.	नागालैण्ड	—	—	—
18.	उड़ीसा	19.25	22.82	19.08
19.	पंजाब	0.00	11.20	12.80
20.	राजस्थान	22.80	25.75	27.93
21.	सिक्किम	0.04	0.04	0.22
22.	तमिलनाडु	17.57	32.37	40.37
23.	त्रिपुरा	1.06	1.09	1.59
24.	उत्तर प्रदेश	76.47	75.18	97.29
25.	पश्चिम बंगाल	28.49	33.78	49.62
	कुल	306.48	358 05	436.97

विवरण-III

वर्ष 19997-98,1998-99 और 1999-2000 के दौरान जनजातीय विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जारी राज्य-वार अनुदान

(करोड़ रुपये)

क्र०सं०	राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.53	7.07	8.09
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.20	0.40	0.80
3.	असम	3.05	2.10	2.80
4.	बिहार	6.42	4.83	6.45
5.	गोआ	—	—	—
6.	गुजरात	6.25	4.50	6.00
7.	हरियाणा	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	1.08	0.16	0.21
9.	जम्मू व कश्मीर	1.32	0.63	0.85
10.	कर्नाटक	2.70	1.40	1.87
11.	केरल	1.12	0.24	1.65
12.	मध्य प्रदेश	12.63	11.25	28.33
13.	महाराष्ट	6.67	5.35	7.13
14.	मणिपुर	1.23	0.46	0.92
15.	मेघालय	2.55	1.11	2.22
16.	मिजोरम	1.24	0.33	1.43
17.	नागालैण्ड	1.39	0.77	4.22
18.	उड़ीसा	6.57	5.14	6.85
19.	पंजाब	—	—	—
20.	राजस्थान	6.00	4.00	9.33
21.	सिक्किम	1.03	0.06	0.13
22.	तमिलनाडु	1.21	0.42	0.56
23.	त्रिपुरा	2.31	0.63	2.17
24.	उत्तर प्रदेश	1.11	0.21	0.28
25.	पश्चिम बंगाल	3.39	2.79	7.71
	कुल	75.00	53.85	100.00

विवरण-IV

वर्ष 19997-98 से 1999-2000 के दौरान जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के संबंध में विशेष केन्द्र सहायता (एससीए) की राज्य-वार जारी धनराशि

(करोड़ रुपये)

क्र०सं०	राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	आन्ध्र प्रदेश	25.82	27.28	21.83
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-
3.	असम	14.60	20.70	24.44
4.	बिहार	-	-	51.34
5.	गोआ			-
6.	गुजरात	26.33	36.90	31.40
7.	हरियाणा	-	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	5.22	6.89	5.14
9.	जम्मू व कश्मीर	5.22	7.39	7.76
10.	कर्नाटक	5.00	6.87	6.16
11.	केरल	1.96	4.08	2.19
12.	मध्य प्रदेश	92.08	94.79	99.52
13.	महाराष्ट	34.01	35.32	29.75
14.	मणिपुर	9.50	7.80	6.09
15.	मेघालय	-	-	-
16.	मिजोरम	-	-	-
17.	नागालैण्ड	-	-	-
18.	उड़ीसा	55.76	59.12	51.88
19.	पंजाब	-	-	-
20.	राजस्थान	23.41	34.76	29.15
21.	सिक्किम	0.60	0.60	0.86
22.	तमिलनाडु	2.44	2.96	2.58
23.	त्रिपुरा	8.85	9.78	8.32
24.	उत्तर प्रदेश	1.13	0.58	1.00
25.	पश्चिम बंगाल	16.00	22.22	17.51
	कुल	327.93	378.04	396.92

[अनुवाद]

गन्ना अनुसंधान संस्थान

2603. श्री रामशकल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गन्ना अनुसंधान संस्थाओं की राज्यवार व स्थानवार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों से प्रत्येक अनुसंधान संस्थान में कितने आरक्षित पद रिक्त हैं; और

(ग) इन संस्थानों, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश स्थित संस्थानों के लिए वर्ष 2000-2001 के दौरान कितनी धनराशी मंजूर की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कोई गन्ना अनुसंधान संस्थान नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्याज की खरीद

2604. श्री मोहन रावले : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 5.20 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीद में महाराष्ट्र सरकार को हुए घाटे को 50:50 के अनुपात में वहन करने की सहमति दे दी है:

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई धनराशि जारी की है:

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार ने केवल 65,000 मीटरी टन प्याज की खरीद के लिए मण्डी हस्तक्षेप स्कीम को मंजूरी दी है और यदि इसमें कोई हानि होती है तो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार 50:50 के आधार पर वहन करेगी।

[हिन्दी]

देश में एड्स नियंत्रण केन्द्र

2605. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :
श्रीमती सुशीला सरोज :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्य कर रहे 'एड्स' नियंत्रण केन्द्रों की राज्यवार, विशेषकर महाराष्ट्र में, संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा एड्स नियंत्रण के लिए प्रति व्यक्ति कितना खर्च किया गया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश में इस प्रकार के और केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या 'एड्स' नियंत्रण के लिए कुछ नई दवाएं विकसित की गई हैं;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में एड्स के कारण हुई मौतों की राज्यवार संख्या कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए 35 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियां बनाई गई हैं। अर्थात प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में एक-एक तथा मुम्बई, चेन्नई एवं अहमदाबाद में 3 नगर निगम सोसाइटी। महाराष्ट्र राज्य में दो सोसाइटियां नामत: वृहत: मुम्बई के लिए मुम्बई जिला एड्स नियंत्रण सोसाइटी और शेष राज्य के लिए महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी काम कर रही है।

(ख) वर्ष 2000-01 के दौरान प्रति व्यक्ति व्यय 1.80 रुपए अनुमानित है।

(ग) नए बनाए गए उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों में 3 और सोसाइटियों को बनाने का अनुमोदन किया गया है।

(घ) और (ड.) जी, नहीं।

(च) गत 3 वर्षों में एड्स से हुई मौतों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एच॰ आई॰ बी॰/एड्स से हुई मौतें

(दिसम्बर, 1999 से अब तक सूचित)

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997	1998	1999
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	6	—
2.	असम	—	1	—
3.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—
4.	अ॰ एंड नि॰ द्वीपसमूह	—	—	—
5.	बिहार	—	12	5
6.	चंडीगढ़	—	—	—
7.	पंजाब	5	4	—
8.	दिल्ली	—	—	—
9.	दमन और दीव	—	—	—
10.	दादरा एवं नगर हवेली	3	1	2
11.	गोवा	—	4	—
12.	गुजरात	—	—	12
13.	हरियाणा	1	—	—
14.	हिमाचल प्रदेश	29	34	6
15.	जम्मू एवं कश्मीर	13	4	—
16.	कर्नाटक	4	12	9
17.	केरल	110	82	13
18.	लक्षद्वीप	71	—	4
19.	मध्य प्रदेश	—	—	—
20.	महाराष्ट्र	—	—	—
21.	मणिपुर	7	—	2
22.	मिजोरम	2	—	—
23.	मेघालय	18	4	1
24.	नागालैंड	—	1	12
25.	उड़ीसा	—	—	—
26.	पांडिचेरी	—	18	71
27.	राजस्थान	—	—	—
28.	सिक्किम	24	—	1
29.	तमिलनाडु	—	2	—
30.	त्रिपुरा	—	—	—
31.	उत्तर प्रदेश	—	—	—
32.	प॰ बंगाल	—	—	—
	कुल	287	185	138 -610

डॉ० सतीश चन्द्र समिति

2606. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) बहुभाषा-प्रणाली आरंभ करने और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में अंग्रेजी भाषा में प्रश्न पत्रों को समाप्त करने के संबंध में डॉ० सतीश चन्द्र समिति की रिपोर्ट पर किन-किन राज्यों ने आपत्तियां उठाईं और इन आपत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने डॉ० सतीश चन्द्र समिति की सिफारिशें स्वीकार करने से इंकार कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा व्यक्त विचारों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है; और

(ङ) यदि नहीं, तो राज्य-सरकारों के बीच आम राय कायम करने हेतु केन्द्र-सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जहाँ तक संघ-लोक-सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं में अंग्रेजी का प्रश्न पत्र कायम रखे जाने का संबंध है, राज्यों/संघ-राज्य-क्षेत्रो में इस के पक्ष में आम सहमति थी और राज्यों/संघ-राज्य-क्षेत्रों से इस बारे में उनकी पुनर्विचारित राय हासिल किए जाने पर भी उनमें इसके पक्ष में आम सहमति रही। फिर भी, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं में माध्यम के रूप में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं का चलन आरम्भ करने देने के संबंध में राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों से मिली उन की पुनर्विचारित राय से यह प्रकट होता है कि उनमें से कुछ राज्य/संघ-क्षेत्र अर्थात् गोवा, नागालैण्ड, मिजोरम, केरल, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, पाँडिचेरी और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप-समूह, इस बारे में विशेषज्ञ-समिति की सिफारिशों से पूर्णत: सहमत नहीं हैं। इस बारे में आपत्तियाँ उठाए जाने के कारणों में, अन्य कारणों के साथ-साथ, राज्य-विशेष के लोगों द्वारा अंग्रेजी भाषा का प्रयुक्त किया जाना और उपर्युक्त परीक्षाओं की मौजूदा भाषायी प्रणाली की तुलना में उपर्युक्त परीक्षाओं की बहुभाषायी प्रणाली के चलन का राज्य विशेष के लोगों के लिए अलाभप्रद होना था।

(ख) और (ग) उपर्युक्त परीक्षाओं की बहुभाषायी प्रणाली का चयन शुरू किए जाने के बारे में दिनांक 26.05.1999 के पत्र द्वारा मिली, संघ-लोक-सेवा आयोग की राय, डॉ० सतीश चन्द्र समिति की सिफारिशों से भिन्न है। उपर्युक्त आयोग की यह राय है कि उपर्युक्त परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र अनेक भाषाओं में छपवाने से, बहुत से लोगों को इस काम-काज के समन्वयन में लगाया जाना होगा, जिससे सभी स्तरों पर गोपनीयता बनाए रखना जोखिम में पड़ जाएगा। इस प्रस्ताव से, परीक्षा-प्रक्रिया की गोपनीयता, गुप्तता और सत्यनिष्ठा से समझौता करना पडेगा। संघ-लोक-सेवा- आयोग के अनुसार, विभिन्न भाषाओं के उपयुक्त विशेषज्ञों और मूल्यांककों का पता लगाने में भी व्यावहारिक कठिनाइयाँ होंगी। उपर्युक्त आयोग का यह भी मत है कि उसके सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा संचालित करने के पिछले अनुभव से यह उजागर हुआ है कि उपर्युक्त परीक्षा के उम्मीदवार, सामान्यत: परीक्षा के माध्यम के रूप में, अंग्रेजी और कुछ सीमा तक हिन्दी को छोड़कर, अन्य सभी भारतीय भाषाओं में से किसी भी भाषा को नहीं चुनते। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कुछ भाषाएँ तो एक भी उम्मीदवार द्वारा परीक्षा के माध्यम के रूप में नहीं चुनी जाती।

(घ) जनवरी, 1968 में संसद के दोनों सदनों द्वारा अंगीकार किए गए -संकल्प में; अन्य बातों के साथ-साथ, यह संकल्प किया गया कि संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाएँ, अखिल भारतीय सेवाओं और उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रियात्मक पहलुओं और भारतीय भाषाओं का चलन शुरू किए जाने के समय के बारे में संघ-लोक-सेवा-आयोग का रुख जान लेने के बाद, वैकल्पिक माध्यम के रूप में प्रयुक्त करने दी जाएँ। इस तरह, जिस संकल्प से परीक्षाओं के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं के चलन का प्रस्ताव संबद्ध किया गया है, उसमें परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रियात्मक पहलुओं और ऐसा चलन शुरू किए जाने के समय के बारे में, सरकार से, संघ-लोक-सेवा-आयोग का रुख जान लेने की भी अपेक्षा की गई है।

(ङ) इस बारे में सरकार ने अगस्त, 1994 में राज्य-सरकारों की राय हासिल कर ली थी। चूँकि इस बारे में कोई आम राय उभरती नहीं लगी, अत: असहमति का दायरा कम करने की दृष्टि से दिसम्बर, 1996 में राज्यों/संघ-राज्य-क्षेत्रों से पुन:, इस बारे में अपनी पुनर्विचारित राय भेजने का अनुरोध किया गया।

आतंकवाद से निपटने के लिए भारत-इंडोनेशिया सहयोग

2607. डा० अशोक पटेल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद से निपटने के लिए कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समझौते के कब तक प्रभावी होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2608. श्री एम० चिन्नासामी : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बढ़ी हुई इक्विटी सीमा के भीतर लघु उद्योग क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वत: अनुमोदित व्यवस्था के अंतर्गत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) स्वत: (आटोमेटिक) रूट के अन्तर्गत लघु उद्योग क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ॰ डी॰ आई॰) की 25 प्रतिशत तक पहले ही अनुमेय किया गया है। इस इक्विटी कैप को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ओएसिस

2609. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 दिसम्बर, 2000 के दैनिक समाचार ''स्टेट्समैन'' में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार के पास वृद्धावस्था सामाजिक तथा आय सुरक्षा (ओल्ड एज सोशल एण्ड इनकम सेक्यूरिटी) परियोजना लम्बे समय से विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी मंजूरी में विलंब के क्या कारण है; और

(घ) इसके क्रियान्वयन के लिए क्या समय सीमा तय की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) जी, हां। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ओएसिस नामक एक परियोजना (वृद्धावस्था सामाजिक और आय सुरक्षा का एक परिवर्णी) शुरू की है और भारत में वृद्धावस्था आय सुरक्षा से संबंधित नीतिगत मुद्दों की जांच करने तथा सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए डा॰ एस॰ ए॰ दवे, यू॰ टी॰ आई के पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की है। इस समिति ने दिनांक 11.1.2000 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सरकार ने ओएसिस समिति की सिफारिशों पर इस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव की जांच के लिए एक मंत्रीदल का गठन किया है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष इस मंत्रीदल के अध्यक्ष हैं तथा वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग द्वारा सहायता दी जा रही है।

[हिन्दी]

संयुक्त राष्ट्र संघ की वित्त व्यवस्था में बदलाव

2610. श्री तूफानी सरोज : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की वित्तीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण रूप से बदलाव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत पर इसका क्या वित्तीय प्रभाव पड़ेगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 दिसंबर, 2000 को नियमित और शांति रक्षा बजटों के आकलन के मानदंडों से संबंधित संशोधित प्रणाली विज्ञान स्वीकार किया। नियमित बजट के लिए अमरीका के योगदान की उच्चतम सीमा को 25 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ग) नियमित बजट के लिए भारत का योगदान थोड़ा सा बढ़कर 2000 के लिए 0.299 प्रतिशत से 0.343 प्रतिशत, 2002 में 0.344 प्रतिशत और 2003 में 0.341 प्रतिशत हो जाएगी। शांति रक्षा बजट के लिए अपने योगदान में भारत को 80 प्रतिशत की छूट मिलती रहेगी।

[अनुवाद]

राजनयिकों और उनके परिवारों पर हमला

2611. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्लामाबाद में भारत उच्चायोग के कर्मचारियों और उनके परिवारों के उत्पीड़न, उनको डराने-धमकाने, पिटाई और डकैती की कुछ घटनाओं की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998,1999 और 2000 में घटित ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) पाकिस्तान के आसूचना अभिकरण, इस्लामाबाद स्थित भारत के हाई कमीशन के कार्मिकों और उनके परिवारों को नित्य प्रति उत्पीड़ित तथा त्रस्त करते रहते हैं। वर्ष 1998 में उत्पीड़न और त्रस्त से सम्बद्ध 23, वर्ष 1999 में 18 और वर्ष 2000 में 20 मामले थे। इन मामलों में, वाहनों को रोकना, आक्रामक और शत्रुतापूर्ण निगरानी, जोर से धमकियां और गालियां देना, मोटर-वाहनों से छेड़खानी, घुसपैठ, सेंध, चोरी, अपहरण, नजरबंदी तथा पीटना और एक घृणित कृत्य छोटे बच्चे को तंग करना जैसे मामले शामिल हैं।

(ग) हमारी सरकार ने, उत्पीड़न और त्रस्त करने तथा इन मामलों में पाकिस्तान के अभिकरणों की प्रत्यक्ष भूमिका के विरोध में पाकिस्तान की सरकार से बार-बार कड़ा विरोध प्रकट किया है। सरकार ने पाकिस्तान को 1961 के राजनयिक सम्बंधों से संबंधों वियना अभिसमय तथा भारत और पाकिस्तान में राजनयिक/कोंसुली कार्मिकों के प्रति व्यवहार के लिए द्विपक्षीय आचार-संहिता के अंतर्गत भारत से हाई कमीशन तथा उसके कार्मिकों की देखभाल और सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी का भी बार-बार स्मरण दिलाया है।

कृषि क्षेत्र में निवेश

2612. **श्री रामजीवन सिंह :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि क्षेत्र में अनुसंधान पर सरकार का कुल वार्षिक खर्च/निवेश कितना है;

(ख) क्या आबादी में वृद्धि के अनुपात में खाद्य उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्यों की पूर्ति के संबंध में वर्तमान अनुसंधान प्रणाली का कोई विश्लेषण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस प्रणाली का पुनर्गठन करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबंधित वर्ष 2000-2001 के लिए संशोधित अनुमान (योजना और गैर-योजना) 1362.33 करोड़ रु० है और वर्ष 2001-02 के लिए बजट अनुमान (योजना और गैर-योजना) 1389.51 करोड़ रु० है।

(ख) जी हां।

(ग) भारत ने खाद्यान्न, तिलहन और व्यावसायिक फसलों सहित विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में अभूतपूर्व प्रगति की है। वर्ष 1950-51 में खाद्यान्न उत्पादन 50.82 मिलियन टन था जो वर्ष 1999-2001 में बढ़कर 208.88 मिलियन टन हो गया है जो अब तक हुए उत्पादनों में सर्वाधिक है। उल्लेखनीय है कि पिछले 25 वर्षों से खाद्य फसलों को उगाए जाने वाला क्षेत्र लगभग 125 मिलियन हैक्टर ही रहा है। इस प्रकार फसल उत्पादकता में बढ़ोतरी मुख्य रूप से उत्पादन में वृद्धि होने के कारण ही हुई है। वर्ष 1950-51 में खाद्यान्नों की उत्पादकता 522 कि० ग्रा० प्रति हैक्टर थी जो वर्ष 1999-2000 में प्रति हैक्टर बढ़कर 1637 कि० ग्रा० प्रति हैक्टर हो गई। इसी प्रकार वर्ष 1950-51 में तिलहनों की उत्पादकता 481 कि० ग्रा० प्रति हैक्टर थी जो वर्ष 1999-2000 में बढ़कर 855 कि० ग्रा० प्रति हैक्टर हो गई और उपर्युक्त दोनों अवधियों में गन्ने की उत्पादकता क्रमशः 33422 कि० ग्रा० प्रति हैक्टर से बढ़कर 71989 कि० ग्रा० प्रति हैक्टर हो गई। जनसंख्या में 2.1 प्रतिशत की दर से हुई वृद्धि की तुलना में वर्ष 1949-50 से देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में 2.69 प्रतिशत की प्रभावी मिश्रित वृद्धि दर बनी रही है। इससे देश में काफी समय से हो रही अन्न की कमी दूर होने के साथ-साथ देश खाद्यान्न के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो गया है और 33 मिलियन टन के सुरक्षित भण्डार के अलावा निर्यात के लिए घरेलू मांग से 4 से 5 मिलियन टन तक की मात्रा का अतिरिक्त भण्डार मौजूद है।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने खाद्यान्नों के उत्पादन को बनाए रखने और इसकी भावी मांग को पूरा करने के प्रायोजन से एक दीर्घावधि महत्व वाला आदर्श पद्धति से संबंधित दस्तावेज तैयार किया है। इस दस्तावेज में सन् 2020 तक की संभावनाओं की जानकारी दी गई है और इसमें संशोधित अधिदेश, नई प्राथमिकताओं, नए कार्यक्रमों और सहभागी कार्य योजना तथा हमारे सम्मुख आयी चुनौतियां व अवसर तथा सदाबहार हरित क्रांति में प्रवेश करने के लिए संगठनात्मक समायोजन की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली में सुधार और नवीनीकरण के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम तैयार किया गया है :–

(i) अनुसंधान के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना व सही आकार देना।

(ii) 'बॉटम-अप' और सहभागिता 'मॉड' द्वारा अनुसंधान का प्राथमिकीकरण।

(iii) परियोजना-आधारित बजट की शुरूआत।

(iv) मैरिट से जुड़े कार्य-निष्पादन परक मानदेय व पुरस्कार।

(v) राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय विनिमय और 'नेटवर्किंग' के माध्यम से मानव संसाधन क्षमता का विकास।

(vi) निजी और स्वैच्छिक क्षेत्रों के साथ सहभागिता करना।

(vii) अनुसंधान-विस्तार-किसान के बीच सम्पर्क बढ़ाना।

(viii) विकेन्द्रीयकृत प्रशासन।

सुपारी की खेती

2613. **श्री पी०सी० थामस :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपारी की खेती करने वाले किसानों को उनके उत्पाद के लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तो आज की तारीख में सुपारी की उत्पादन लागत क्या है और गत दो वर्षों के दौरान इसकी मूल्य रचना क्या थी;

(ग) क्या सुपारी का निर्यात किया जा रहा है, यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इसके मूल्य सहित निर्यात का ब्यौरा क्या रहा है;

(घ) क्या सुपारी का समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग या प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सुपारी का आयात या तस्करी की जाती है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या आयात शुल्क में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) सुपारी उत्पादकों को वर्ष 1999-2000 के दौरान भारी लाभकारी मूल्य प्राप्त हुए। वर्ष 2000-2001 के दौरान इसके मूल्यों में गिरावट देखी गई। विगत दो वर्षों के दौरान सुपारी की उत्पादन लागत तथा मुल्य निम्नवत रहे :–

वर्ष	मूल्य (रुपये/क्विंटल)	उत्पादन लागत (रुपये प्रति क्विंटल)
1999-2000	13181	3500
2000-2001	8397	4000

(ग) जी, हां। भारत से सुपारी का निर्यात किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान इसके निर्यात तथा मूल्यों का ब्यौरा निम्नवत है :–

वर्ष	मात्रा मी० टन में	मूल्य '000 रुपये में
1996-97	513	41908
1997-98	664	36550
1998-99	533	46892

(घ) सुपारी के समर्थन मूल्य घोषित किए जाने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है। सुपारी के बागवानी फसल होने के कारण आवश्यकतानुसार इसके लिए मण्डी हस्तक्षेप स्कीम कार्यान्वित की जाती है।

(ङ) वर्ष 1998-99 के दौरान 6707 मी० टन वर्ष 1999-2000 के दौरान 3022 मी० टन तथा अप्रैल से अगस्त, 2000-2001 के दौरान 805 मी० टन सुपारी का आयात किया गया।

(च) और (छ) भारत सरकार ने जुलाई, 2000 से सुपारी पर आयात शुल्क पहले ही 35% से बढ़ाकर 100% कर दिया है।

सिंथेटिक औषधियां

2614. श्री विजय गोयल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटरपोल सेक्रेटेरिएट जनरल के एक विशेषज्ञ परामर्शदाता ने यह चेतावनी दी है कि हमारे देश को शीघ्र ही ऐम्फेटामिन्स और एक्सटैसी जैसी सिंथेटिक औषधियों से गंभीर खतरों का सामना करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या ये औषधियां पूर्वोत्तर राज्यों में पहले से ही उपलब्ध हैं; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान सी बी आई द्वारा ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

खेती योग्य भूमि

2615. श्री नवल किशोर राय :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व के अनुसार किसानों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है;

(ख) यदि हां, तो देश में पृथकत: कुल कितने छोटे सीमान्त और बड़े किसान हैं और भारत में खेती योग्य कुल भूमि में से इनके स्वामित्व में ऐसी कितनी प्रतिशत भूमि है; और

(ग) देश में कुल वार्षिक औसत कृषि उत्पादन में से इन किसानों द्वारा उत्पादन का श्रेणीवार प्रतिशत क्या है और इनके उत्पादन का औसत मूल्य क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) देश में किसानों को उनकी प्रचालन जोतों के आधार पर पांच प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है यथा सीमांत, छोटे, अर्ध मध्यम, मध्यम तथा बड़े किसान। इन वर्गों के अंतर्गत आने वाली प्रचालित जोतों की संख्या, प्रचालित क्षेत्र और कुल प्रचालित क्षेत्र की तुलना में प्रतिशत को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) सरकार सीमांत छोटे अर्धमध्यम, मध्यम और बड़ी श्रेणियों के अनुसार उत्पादन और मूल्य का अनुमान नहीं लगाती है।

विवरण

1990-91 के दौरान देश की आकार वार प्रचालन जोतों की संख्या और क्षेत्रफल

आकार वर्ग	प्रचालन जोतों की सं० (000 में)	कुल जोत का प्रतिशत (%)	प्रचालित क्षेत्र (000 हैक्टे)	कुल क्षेत्र का प्रतिशत (%)
सीमांत (1.0 है० से कम)	63389	59.4	24894	1.50
लघु (1.0-2.0 है०)	20092	18.8	28827	17.4
अर्ध मध्यम (2.0-4.0 है०)	13923	13.1	38375	23.2
मध्यम (4.0-10.0 है०)	7580	7.1	44752	27.1
बड़े (10.0 है० से अधिक)	1654	1.6	28659	17.3
सभी आकार वाले वर्ग	106637	100.0	165507	100.0

आंकड़े लगभग में दिये गये हैं अत: इनका मिलान न करें।

स्रोत : अखिल भारतीय कृषि संगणना रिपोर्ट, 1990-91, सारणी 3.2 पेज 17

[अनुवाद]

चिकित्सीय अध्ययन और अनुसंधान के क्षेत्र में निजीकरण

2616. श्री महबूब जहेदी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केन्द्र सरकार के उपक्रम हास्पिटल कन्सल्टेन्सी कार्पोरेशन के एक दल ने प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालयों के संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने हेतु राज्यों का दौरा किया था;

(ख) क्या सरकार महात्मा गांधी मेडिकल कालेज, जमशेदपुर के उन्नयन पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) हास्पिटल सर्विसेज कन्सल्टेंसी कारपोरेशन के एक दल ने दिसम्बर, 2000 को झारखंड का दौरा किया। दल ने :

I. नेत्र रोग विज्ञान और कैंसर के लिए उच्च (सुपर) विशेषज्ञता शुरू करने और क्षेत्रीय केन्द्र खोलने के लिए रांची मेडिकल कालेज और अस्पताल का दौरा किया।

II. कालेज एवं अस्पताल के एकीकरण पहलुओं की जांच करने; कालेज परिसरों में नए अस्पताल खेलने की संभावना का पता लगाने सहित अस्पताल सुविधाओं को अनुपूरित करने के लिए' उपाय सुझाने के लिए महात्मा गांधी मेडिकल कालेज जमशेदपुर का दौरा किया।

हास्पिटल सर्विसेज कन्सल्टेंसी कार्पोरेशन ने दल की रिपोर्टों से संबंधित कार्य अपने हाथ में ले रखा है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

मूंगफली की फसल को बचाया जाना

2617. श्री राम नायडू दग्गुबाटि :
श्री के० येरननायडू :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फसलों को प्रभावित करने वाले वायरल रोग "बड नेक्रोसिस" से मूंगफली की फसल को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाहि की गई है:

(ख) क्या सरकार के पास वर्षा पर आधारित कृषि प्रणाली के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी-परियोजना के वित्त पोषण करने का कोई प्रस्ताव लंबित पड़ा हुआ है।

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) सरकार ने मूंगफली की फसल को बड नेक्रोसिस वाइरस रोग से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

(i) किसानों में जागरुकता पैदा करने तथा उक्त रोग के नियंत्रण हेतु पौध संरक्षण अभियान चलाने के लिए सर्वेक्षण दलों का गठन;

(ii) इस रोग तथा रोगवाहक के समुचित निदान के बारे में किसानों तथा क्षेत्रीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण;

(iii) रोग के प्रबंध के बारे में आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा सिनेमाघरों मे स्लाइडों के प्रदर्शन तथा विवरण के पत्रों का वितरण के माध्यम से प्रचार; तथा

(iv) इस कीट के रोगवाहक के नियंत्रण हेतु कीटनाशियों अर्थात मोनोटोफॉस एवं नीम के कच्चे तेल के मिश्रण का अनुप्रयोग।

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के तहत वित्तपोषित "मूंगफली में तना मुरझान नियंत्रण हेतु समेकित दृष्टिकोण" संबंधी प्रस्ताव 42.574 लाख रुपये के साथ पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में कृषि-आधारित उद्योग

2618. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा में कृषि-आधारित उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) औद्योगिकीकरण करना विशेष रूप से संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के प्रयासों को अनुपूरित करती है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योग के सम्वर्धन और विकास के लिए अनुदान, ब्याज, आर्थिक सहायता, छुट, प्रशिक्षण, विपणन इत्यादि के रूप में सहायता प्रदान करता है।

आंतकवाद से निपटने हेतु भारत-रूस सहयोग

2619. श्री वरकला राधाकृष्णन :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रूस के राष्ट्रपति की नई दिल्ली यात्रा के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने हेतु सहयोग के किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके अनुपालन में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति महामहिम श्री व्लादिमीर पुतिन 2 से 5 अक्तूबर 2000 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे। राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के दौरान भारत रूस द्विपक्षीय सबंधों और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। इस यात्रा के दौरान भारत और रूसी परिसंघ के बीच सामरिक साझीदारी की एक घोषणा पर हस्ताक्षर हुए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दोनों देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद अलगाववाद संगठित अपराध और स्वापकों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संघर्ष में सहयोग का उल्लेख है। यात्रा के अन्त में 5 अक्तूबर 2000 को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में भारत और रूसी परिसंघ ने अन्तर्राष्ट्रीय आंतकवाद, उग्रवाद, जातीय अलगाववाद, सीमा पार संगठित अपराध और नशीली दवाओं के अवैध व्यापार के बढ़ते हुए डर को अन्तर्राष्ट्रीय शांति और स्थायित्व के लिए एक बड़ी धमकी के रूप में देखा। उन्होंने आतंकवाद और उग्रवाद की उसके सभी रूपों में भर्त्सना की चाहे वह राजनीतिक, दार्शनिक वैचारिक, धार्मिक, रंगभेदी, जातीय अथवा किसी ऐसे अन्य स्वरूप की क्यों न हो जिनकी उनका औचित्य ठहराने के लिए दुहाई दी जा सकती हो। दोनों पक्षों ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने में, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबद्ध व्यापक अभिसमय और नाभिकीय आतंकवाद के दमनकारी कृत्यों से संबद्ध अभिसमय का स्वीकार किया जाना शामिल है, मजबूत अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी आधार की स्थापना के लिए संयुक्त प्रयासों के महत्व का भी उल्लेख किया।

(ग) राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान लिए गए निर्णयों के अनुरूप अफगानिस्तान के संबंध में भारत-रूस संयुक्त कार्यकारी दल की पहली बैठक नई दिल्ली में 20-21 नवंबर, 2000 को हुई थी। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और रूसी परिसंघ की सुरक्षा परिषद के बीच सहयोग प्रोतोकोल के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबद्ध संयुक्त समन्वय ग्रुप की पहली बैठक 19-21 फरवरी, 2001 को मास्को में हुई थी।

घटिया चिकित्सीय मरहमपट्टी की खरीद

2620. श्री रघुनाथ झा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 22 नवम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या: 471 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक एकत्र कर लिया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) जी, हां। जहां तक डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल का संबंध है, विभिन्न मदों की आपूर्ति के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित की गई थी। लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और सम्बद्ध अस्पताल में कपड़े के सामान के लिए खुली निविदाएं नहीं आमंत्रित की गईं। लेकिन ये सामान केन्द्रीय भंडार, सुपर, बाजार, एन टी सी, के बी आई सी और डी एस आई डी सी जैसी सरकारी एजेंसियों के सीमित निविदाओं के आधार पर प्राप्त किए गए। ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल

वर्ष	निविदा खुलने की तारीख
1996-97	18.10.1996
1998-99	23.02.1998
1999-2000	21.06.1999 एवं 31.01.2000

सफदरजंग हास्पिटल

1997-98	8.8.1997
1998.99	2.2.1999
1999-2000	7.4.2000

टेंडरों को अंतिम रूप दे दिया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि खुली निविदा आमंत्रित करके कोई चादर नहीं खरीदी गई थी।

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों सहित, स्वास्थ्य विभाग में सभी खरीद उपयुक्त प्रक्रिया अपनाने के बाद की जाती है।

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सूचित किया है कि उनके नियंत्रणाधीन अस्पतालों द्वारा कोई निविदाएं आमंत्रित नहीं की गईं।

कपड़े के सामान की दर के ब्यौरे, जिसमें केन्द्रीय सरकार के अस्पताल, अर्थात् डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदजंग अस्पताल तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पताल के लिए खरीदी गई चादरें भी शामिल हैं, चादरों के आकार उनके मेक के साथ संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल द्वारा उच्चतर दरों पर मानक मदें नहीं खरीदी गईं। तथापि, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली की दो फर्मों और मेरठ की दो फर्मों तथा दोनों अस्पतालों के कुछ कर्मचारियों द्वारा दोनों अस्पतालों को गॉन-थान और कट बेंडेज की आपूर्ति के संबंध में दो मामले दर्ज किए हैं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सूचित किया है कि मामले सक्रिय रूप से अन्वेषणाधीन हैं और यथाशीघ्र जांच पूरी करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल

क्र० सं०	मद का नाम	विनिर्देश	वर्ष	दर (रुपए में)	आपूर्तिकर्ता
1	2	3	4	5	6
1.	चादर	2.5 x 1.75 मीटर की चादर में 4 से०मी० x 2.5 मीटर में डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल अंकित	1996-97	129	मैसर्स केन्द्रीय भंडार
			1998-99	130	मैसर्स सनबीम
			1999-00	154	मैसर्स रूडेक्स
2.	चेयर कुशन		1998-99	98	मैसर्स लायड
			1999-00	99	मैसर्स आर के सर्जिकल
3.	ड्रा शीट		1996-97	81	मैसर्स ब्लैक पार्टरीज
			1997-98	70	मैसर्स तरूण मेडिकल
			1999-00	85	मैसर्स जे एम डी हाउस
4.	काटन पिल्लो		1996-97	80	खादी ग्रामोद्योग
			1998-99	60	सोनी सर्जिकल
			1999.00	75	आर के सर्जिकल
5.	डाक्टर्स कोट		1996-97	227.91	कांटीनेन्टल इन०
			1998-99	158	गीता हास्पिटल
			1999-00	134	भारती टैक्स
6.	हैन्ड टावेल		1996-97	—	
			1998-99	17.75	सूर्या इन्टरप्राइजेज
			1999-00	22	कनवर इन्टरप्राइजेज
7.	पिल्लो कवर		1996-97	45-47	खादी ग्रामोद्योग
			1998-99	26	अनिल कुमार एंड क०
			1999-00	34	आर के सर्जिकल
8.	सर्जन कुर्त्ता		1996-97	61-80	तरूण मेडिकल
			1998-99	67	सनबीम
			1999-00	60	रुडेक्स
9.	सर्जन पायजामा		1996-60	60	तरूण मेडिकल
			1998-99	62	सनबीम
			1999-00	60	रूडेक्स
10.	सर्जिकल टावेल		1996-97	35-35	खादी ग्रामोद्योग
			1998-99	35-50	खादी ग्रामोद्योग
			1999-00	44	कंवर इटरप्राइजेज

1	2	3	4	5	6
11.	सर्जन गाऊन		1996-97	125	खादी ग्रामाद्योग
			1998-99	95	तरूण मेडिकल
			1999-00	87-90	भारती टैक्सटाइल
12.	बाथ टावेल		1996-97	106-25	तरूण मेडिकल
			1998-99	99	सोनी सर्जिकल
			1999-00	89	आर के सर्जिकल सनफेब
13.	डस्टर्स		1996-97	17.50	खादी ग्रामोद्योग
			1998-99	12	सोनी सर्जिकल
			1999-00	10.75	सनबीम
14.	डो कर्टेन		1996-97	47.27/मी०	हरियाणा एम्पार०
			1998-99	144/कर्टेन	सोनी सर्जिकल
			1999-00	136/कर्टेन	टीवीएसएम इन्टरप्राइज
15.	फलौर माप्स		1996-97	41.50	खादी ग्रामोद्योग
			1998-99	38	एनसीसीएफ
			1999-00	12.75	भारती टैक्सटाइल
16.	रेड ब्लैंकेट		1996-97	294.50	हरियाणा एम्पोरियम
			1998-99	330	खादी ग्रामोद्योग
			1999-00	290	टापटेक्स वूलेन्स
				236/-	सोनी सर्जिकल
17.	एबडोमिनल शीट		1996-97		
			1998-99	106	सनबीम
			1999-00	77	इन्डो सर्जिकल

सफदरजंग हास्पिटल

क्र० सं०	मद का नाम	विनिर्देश	वर्ष	दर (रुपए में)	आपूर्तिकर्ता
1	2	3	4	5	6
1.	चादर	260 × 150 से०मी०	1997-98	140	सोनी सर्जिकल
			1998-99	137.5	सोनी सर्जिकल
			1999-00	130	जे एम डी हाऊस
2.	हैंड टावेल		1997-98	19.40	अनिल कुमार
			1998-99		
			1999-00	17.50	अनिल कुमार
3.	ब्लैंकेट (लाल)		1997-98	223	टापटेक्स वूलेन
			1998-99	220	इन्डो सर्जिकल एजेंसी
			1999-00	210	सोनी सर्जिकल

1	2	3	4	5	6
4.	सर्जन गाऊन		1997-98	135	गीता हास्पिटल
			1998-99	129	इन्डो सर्जिकल
			1999-00	128	जे एम डी हाऊस
5.	टेबल शीट		1997-98	41.98	सनबीम
			1998-99	40	इन्डो सर्किल
			1999-00	35	जेएमडी हाऊस
6.	स्पिनल शीट		1997-98	43.98	सनबीम
			1998-99	44	सोनी सर्जिकल
			1999-00	37	जेएमडी हाऊस
7.	ग्रीन डोर कर्टेन		1997-98	75	आशी इन्टरप्राईजेज
			1998-99	77	इन्डो सर्जिकल एजेंसी
			1997-98	67	जेएमडी हाऊस
8.	डाक्टर्स अप्रोन		1997-98	184	सोनी सर्जिकल
			1998-99	184	सोनी सर्जिकल
			1999-00	119	सोनी सर्जिकल
9.	प्रिन्टेड डोर कर्टेन		1997-98	90	आशी इन्टरप्राइजेज
			1998-99		
			1999-00	110	सोनी सर्जिकल
10.	फिमेल मैक्सी		1997-98	74	गीता हास्पिटल
			1998-98	78	सोनी सर्जिकल
			1999-00	74	भारती टैक्सटाइल
11.	एबडोमिनल शीट		1997-98	92	गीता हास्पिटल
			1998-99		
			1999-00		सोनी सर्जिकल
12.	आई शीट		1997-98	29	सोनी सर्जिकल
			1998-99		
			1999-00		
13.	एबडोमिनल स्पांज		1997-98		
			1998-99	6.40	सोनी सर्जिकल
			1999-00	6.00	जेएमडी हाऊस
14	बाथ टावेल		1997-98		
			1998-99	82	गीता हास्पिटल
			1999-00		
15.	डाक्टर्स ब्लैकेट		1997-98		
			1998-99	280	सोनी सर्जिकल
			1999-00	227	सोनी सर्जिकल

1	2	3	4	5	6
16.	ड्रा शीट		1997-98		
			1998-99	53	गीता हास्पिटल
			1999-00	52.40	सोनी सर्जिकल
17.	लेगिंगस		1997-98		
			1998-99	60	इन्डो सर्जिकल एजेंसीज
			1999-00	31	भारती टैक्सटाइल
18.	सर्जनकोट एंड पायजामा		1997-98		
			1998-99	110	सोनी सर्जिकल
			1999-00	104	सोनी सर्जिकल

लेडी हार्डिग्स मेडिकल कालेज एवं एसोसिएटेड हास्पिटल्स

क्र० सं०	मद का नाम	विनिर्देश	वर्ष	दर (रुपए में)	आपूर्तिकर्ता
1.	चादर	1.50 x 2.74 मी०	1997-98	131.50 प्लस स्टिचिंग	खादी ग्राम उद्योग
			1998-99	153.44 प्लस स्टिचिंग	एन टी सी
			1999-00	155	डीएसआईडी सी
2.	वूलेन ब्लैंकेट		1997-98	390	खादी ग्रामोद्योग
			1998-99	390	खादी ग्रामोद्योग
3.	सर्जन गाऊन		1997-98	160	खादी ग्रामोद्योग
			1998-99	200	खादी ग्रामोद्योग
			1999-00	205	खादी ग्रामोद्योग
4.	कुर्ता सर्जनोन		1997-98	105	खादी ग्रामोद्योग
			1999-00	103	केन्द्रीय भंडार
5.	पायजामा		1997-98	105	खादी ग्रामोद्योग
			1999-00	90.60	केन्द्रीय भंडार
6.	ड्रा शीट		1999-00	75	केन्द्रीय भंडार
7.	गायने शीट		1999-00	45.60	केन्द्रीय भंडार
8.	ड्रेसिंग टावेल		1999-00	45.60	केन्द्रीय भंडार
9.	आई शीट		1999-00	45.60	केन्द्रीय भंडार
10.	आई शेड		1999-00	15	डीएसआईडीसी

डा० अम्बेडकर का स्मारक और संग्रहालय

2621. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1997 के दौरान उनके मंत्रालय ने 26-अलीपुर रोड, दिल्ली को डा० अम्बेडकर के स्मारक और संग्रहालय में परिवर्तित करने हेतु उसके अधिग्रहण के लिए 10 करोड़ रु० की स्वीकृति दी थी और संघ क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने मुआवजा राशि प्राप्त करने के बाद उक्त संपत्ति के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी की थी,

(ख) क्या इस संपति के मालिक ने इस संबध में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी अद्यतन स्थिति क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 10 करोड़ रुपये में से 26, अलीपुर रोड, दिल्ली स्थित भूमि और सम्पति का अधिग्रहण के लिए दिनांक 26 मार्च, 1997 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को 7.12 करोड़ रु० की राशि निर्मुक्त की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अंतर्गत भूमि तथा सम्पत्ति का अधिग्रहण करने के लिए दिनांक 17 अप्रैल, 1997 को एक अधिसूचना जारी की है। इस सम्पत्ति के मालिकों ने इस अधिग्रहण कार्रवाई को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में दिसम्बर, 1997 तथा जनवरी, 1998 में दो सिविल रिट याचिकाएं दायर की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 9.2.1998 को एक अंतरिम आदेश पारित किया हैं जिसके अंतर्गत इन दोनों रिट याचिकाओं का निपटान किए जाने तक भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को मुआवजे के भुगतान की घोषणा करने तथा मालिकों को बेदखल करने का प्रतिबन्ध है। यह मामला अभी भी न्यायालय में लम्बित है।

औद्योगिक और कृषि विकास

2622. **श्री तिरूनावकरसू :**
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कृषि और औद्योगिक विकास उत्साहजनक नहीं रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कृषि और औद्योगिक उत्पादन क्या था; और

(ग) कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के त्वरित अनुमान, उपभोग व्यय, बचत तथा पूंजी निर्माण 1999-2000 के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान कारक लागत पर कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रकों में वर्धित मूल्य, उनकी संगत वार्षिक वृद्धि दर के साथ नीचे दी गई सारणी में दर्शाये गये हैं :–

1993-94 के दरों पर वर्धित मूल्य (करोड़ रुपए में)
गत वर्ष के मुकाबले में वृद्धि दर (%)

	1993-94 के दरों पर वर्धित मूल्य (करोड़ रुपए में)			गत वर्ष के मुकाबले में वृद्धि दर (%)	
	1997-98	1998-99	1999-2000	1998-99	1999-2000
कृषि	269282	288401	290334	7.1	0.7
उद्योग	281863	291429	310162	3.4	6.4

(ग) नौवी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में सुझाए गए कुछ उपाय हैं-राजकोषीय घाटा व मुद्रा स्फीति दर को नीचे लाना, सार्वजनिक निवेश व सार्वजनिक बचत में संवर्धन सेवाओं का उचित मूल्य लगाना, प्रतियोगिता नीति, सब्सिडी का प्रभावी लक्ष्य आदि।

[हिन्दी]

परमाणु संयंत्रों से उत्पादित विद्युत की मात्रा

2623. **प्रो० रासासिंह रावत : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान आज तक देश के कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु संयंत्रों से उत्पादित विद्युत की मात्रा कितनी है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में बिजली का कुल जितना उत्पादन हुआ उसमें से परमाणु विद्युत का अंश नीचे दिया गया है :–

वित्तीय वर्ष	परमाणु विद्युत का अंश (कुल विद्युत की प्रतिशतता)
1997-1998	2.4
1998-1999	2.7
1999-2000	2.8

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज में घटिया किस्म का खाना

2624. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:**
श्री ए० नरेन्द्र :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 फरवरी, 2001 के 'राष्ट्रीय सहारा' में ''घटिया खाने के विरोध में लेडी हार्डिंग कालेज की छात्राओं ने रैली निकाली'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान घटिया किस्म के खाने से संबंधित कितनी शिकायतें छात्रों की ओर से मिली हैं; और

(ग) मेस की स्थिति में सुधार लाने और कालेज के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाए किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, हां। यह समाचार दिनांक 3.2.2001 के 'राष्ट्रीय सहारा' में छपा था।

(ख) और (ग) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज से प्राप्त सूचना के अनुसार, अस्पताल का भोजनालय संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए स्टाफ के साथ छात्रों द्वारा चलाया जा रहा था। पिछले एक वर्ष के दौरान, कालेज के प्राधिकारियों द्वारा सिर्फ दो संसूचनाएं प्राप्त की गई जिनमें भोजनालय में दिए गए घटिया किस्म के भोजन की जानकारी प्राधिकारियों को दी गई। उपचारी उपाए के रूप में, भोजनालय स्टाफ पर पर्यवेक्षण को सुदृढ़ कर दिया गया तथा जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, स्टाफ को बदलने सहित प्रशासनिक कार्रवाई की गई।

गाडगिल मुखर्जी फार्मूले में संशोधन

2625. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए गाडगिल और मुखर्जी फार्मूले में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इन संशोधनों को कब तक लागू करने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार पहाड़ी क्षेत्रों जैसे राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों को विशेष महत्व देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (ग) राज्यों की वार्षिक योजनाओं हेतु सामान्य केन्द्रीय सहायता (एनसीए), दिसम्बर, 1991 में राष्ट्रीय विकास परिषद् (एनडीसी) द्वारा यथा अनुमोदित गाडगिल फार्मूले पर आधारित है। फार्मूले में कोई भी परिवर्तन करने के लिए एनडीसी का अनुमोदन अपेक्षित है।

(घ) और (ङ) सामान्य केन्द्रीय (एनसीए) के अतिरिक्त, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) विशिष्ट क्षेत्रकों/क्षेत्रों/स्कीमों को विशेष महत्व देने के लिए विभिन्न क्षेत्र कार्यक्रमों के अंतर्गत राजस्थान सहित सभी राज्यों की वार्षिक योजनाओं हेतु आवंटित की जाती है। इसमें, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी), सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी), बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपीज) हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) इत्यादि शामिल हैं।

[अनुवाद]

चीन द्वारा सड़क का निर्माण

2626. **श्री माधवराव सिंधिया :**
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार भारतीय क्षेत्र में लगभग 5 किलोमीटर लम्बी सड़क का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले को चीन के साथ उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर चीनी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (घ) भारत और चीन शांतिपूर्ण विचार-विमर्श के माध्यम से सीमा संबंधी प्रश्न का न्यायोचित, तर्कसंगत और परस्पर स्वीकार्य हल निकालना चाहते हैं। भारत-चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अमन और शांति कायम करने से सम्बद्ध करार(1993) और भारत-चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य क्षेत्र में विश्वास कायम करने से सम्बद्ध करार (1996) भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में अमन और शांति बनाए रखने के लिए संस्थागत ढांचा प्रदान करते हैं।

भारत-चीन सीमा कुल मिलाकर शांतिपूर्ण है परंतु वास्तविक नियंत्रण रेखा की जानकारी के विषय में मतभेदों के कारण ऐसी स्थिति पैदा

हो जाती है, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा के स्पष्टीकरण के पश्चात टाला जा सकता हैं। वर्ष 1993 और 1996 के करारों के प्रावधानों के अनुरूप वास्तविक नियंत्रण रेखा के स्पष्टीकरण का कार्य आरंभ हो गया है।

सरकार वास्तविक नियंत्रण रेखा के उल्लघंन के मामलों को नियमित रूप से चीनी पक्ष के साथ उठाती है और दोनों पक्षों को वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करने की आवश्यकता पर बल देती है। ऐसे मामलों को संयुक्त कार्यदल और विशेषज्ञ दल, दोनों पक्षों के सीमा सुरक्षा बलों के कार्मिकों की बैठकों और झंडा बैठकों तथा साथ ही राजनयिक चैनलों के माध्यम से समय-समय पर स्थापित प्रक्रिया के द्वारा उठाया जाता है।

सरकार भारत की सुरक्षा के प्रति सदैव सतर्क रहती है और इसकी प्रभुसंपन्नता, क्षेत्रीय अखण्डता तथा सुरक्षा को कायम रखने के सभी आवश्यक एवं उपयुक्त उपाय करती है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग यूनिटों की संख्या

2627. **श्री अरूण कुमार :** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के पटना, जहानाबाद और नालन्दा जिलों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की यूनिटों में कितने व्यक्ति कार्यरत हैं;

(ख) इनमें से कितनी यूनिटें रुग्ण हैं;

(ग) ऐसी यूनिटों के पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाये गए हैं

(घ) क्या बैंकों के कंसोर्टियम से खादी और ग्रामोद्योग यूनिटों को ऋण के रूप में कम से कम 1000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने के लिए कहा गया; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों मे राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत पटना, जहानाबाद और नालन्दा में नियोजित व्यक्तियों की संख्या और इकाईयों की संख्या निम्नोक्त है :–

जिले का नाम	नियोजित व्यक्तियों की संख्या	इकाईयों की संख्या
पटना	9183	4481
जहानाबाद	1579	652
नालन्दा	10733	6452

(ख) और (ग) रुग्ण इकाईयों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है तथापि के वी आई सी खादी और ग्रामोद्योगों को प्रबंधकीय, तकनीकी विपणन और वित्तीय समर्थन के रूप में सहायता प्रदान करता है।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 में दी गई गारन्टी के आधार पर जीवनक्षम खादी ग्रामोद्योग परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग को 1000 करोड़ रुपये का कन्सोरटियम ऑफ बैंक क्रेडिट प्रदान किया गया है। के॰ वी॰ आई॰ सी॰ ने 31.3.2000 तक 704.00 करोड़ रु॰ की राशि का पहले ही वितरण कर दिया है

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर भूकंप का प्रभाव

2628. **श्री प्रभात सामन्तराय :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में आये भूकंप से देश के किसी परमाणु ऊर्जा संयंत्र को क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी क्षति हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये/करने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं,

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी केन्द्र की स्थापना

2629. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी की एक राष्ट्रीय संस्था खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक उच्च स्तरीय परामर्शदाता समूह ने इस संबंध में सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो समूह ने भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी को मुख्य धारा में लाने के लिए अन्य क्या सिफारिशें की हैं; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए॰ राजा) : (क) और (ख) सभी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और

होम्योपैथी के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि सरकार ने जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, बंगलौर में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, कोलकाता में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, पुणे में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान और नई दिल्ली में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की स्थापना पहले ही कर दी है।

(ग) से (ङ) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी को मुख्य धारा में लाने के क्षेत्र में विभिन्न सलाहकारी समूह कार्य कर रहे हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षा, अनुसंधान, क्लिनिकल प्रैक्टिस, औषधीय पादपों और औषध मानकीकरण के क्षेत्रों को कवर किया गया है। समय-समय पर प्राप्त हुई सिफारिशों की जांच की जाती है और जहां संभव हो उनको कार्यान्वित किया जाता है।

सूक्ष्मदर्शी की खरीद

2630. श्री पी०आर० खूंटे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि डी०डी०जी० (टी०बी०) ने 5 करोड़ रुपयों के सूक्ष्मदर्शियों की खरीद की है;

(ख) क्या इन सूक्ष्मदर्शियों का उपयोग किया जा रहा है;

(ग) या यह भी सत्य है कि इन सूक्ष्मदर्शियों की कीमत मुश्किल मे 1500/- रुपए है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस पूरे मामले की जांच करने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए आवश्यक बायनोकुलर सूक्ष्मदर्शी का प्रापण स्वास्थ्य विभाग द्वारा काम में लगाई गई एक स्वतंत्र प्रापण एजेंसी द्वारा किया जाता है तथा निविदाएं आमंत्रित करने से लेकर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान तक के सभी कार्य प्रापण एजेंसी द्वारा किए जाते हैं। प्रापण अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के जरिए किया जाता है।

(ख) इस कार्यक्रम के लिए प्राप्त किए गए सूक्ष्मदर्शियों का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम में गुणवत्ता वाले स्पूटम सूक्ष्मदर्शी द्वारा निदान पर जोर दिया जाता है। 1999-2000 के दौरान, देश में 40,09,727 स्पूटम जांचें की जाने की सूचना मिली थी जिसके लिए सूक्ष्मदर्शी सर्वाधिक अनिवार्य पूर्वापेक्षा है।

(ग) जी, नहीं। प्रापण एजेंसी सर्वाधिक प्रतियोगी किमतों पर उत्पाद को प्राप्त करने हेतु विश्व बैंक दिशानिर्देशों का पालन करते हुए अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के जरिए इन सूक्ष्मदर्शियों को प्राप्त करती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नारियल उत्पादन

2631. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री रमेश चेन्नितला :
श्री ए० ब्रह्मनैया :
श्री वी०एम० सुधीरन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी०डी०बी० और आई०सी०ए०आर० ने देश में नारियल की प्रति पेड़ की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथ्य क्या हैं और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में कम उत्पादन के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को नारियल का उत्पादन करने वाले किसानों के समक्ष विद्यमान गंभीर संकट से निपटने के लिए कोई पैकेज परियोजना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या कदम उठाये गये/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) प्रति वृक्ष नारियल की उपज में वृद्धि हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से अनुसंधान कर रही है और इसने अधिक पैदावार देनेवाली किस्म तथा संकरों, खेतीबारी के उन्नत तरीकों के पैकेज तथा नारियल वृक्ष के संरक्षण उपाय इजाद किए हैं। देश में नारियल के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु नारियल विकास बोर्ड निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है:-

(i) गुणवत्ता रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण;

(ii) चरम अवस्था में रोग ग्रस्त पामों की कटाई तथा छंटाई;

(iii) प्रदर्शन भूखंड तैयार करना;

(iv) जैविक खाद यूनिट की स्थापना;

(v) समेकित कीट प्रबंध के माध्यम से कीटों एव रोगों के छुट-पुट प्रकोप से बचाव का प्रबंध;

(ग) नारियल का उत्पादन वर्ष 1997-98 में 12717.3 मिलियन नग से बढ़कर वर्ष 1998-99 में 14924.8 मिलियन नग हो गया है। भारत में 7821 नारियल प्रति है० उत्पादकता विश्व में सर्वाधिक है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) केरल सरकार से 992.74 करोड़ रुपये की कुल लागत तथा पांच वर्ष की अवधि वाली केरल में नारियल प्रद्योगिकी मिशन से संबंधित परियोजना रूप रेखा प्राप्त हुई थी, जिसमें छः उप-

मिशन प्रस्तावित हैं। परियोजना लागत का प्रस्तावित वित्त पोषण निम्नलिखित है :–

स्रोत	परियोजना लागत का अंश
1. भारत सरकार	501.44
2. केरल सरकार	5.83
3. स्थानीय निकाय	41.26
4. प्रमोटर का अंश	139.75
5. ऋण	304.47
कुल	992.74

परियोजना की जांच की गई है और कृषि मंत्रालय की टिप्पणियां केरल सरकार को भेज दी गई हैं। राज्य सरकार से उक्त प्रस्ताव में तद्नुसार संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य योजनाएं

2632. डा० जसवंतसिंह यादव :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान चल रही स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो की गई समीक्षा के परिणामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 2001-2002 के लिए कोई नई स्वास्थ्य योजना शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन योजनाओं को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) जी, हां। जिन योजनाओं की अब आवश्यकता नहीं है, उन्हें समाप्त करने विभिन्न योजनाओं का अभिमुखीकरण करने और कार्यान्वयन तंत्र की विविधता से बचने के लिए चल रही स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा शुरू की गई है। समाप्त करने हेतु सात योजनाओं की पहचान की गई है, यद्यपि इनमें से कुछ को प्रतिबद्ध दायित्वों पर ध्यान देने के लिए 2001-2002 में जारी रखा जाएगा। अन्य बारह योजनाओं को उनका अन्य योजनाओं में विलय करने के लिए पहचान की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नारियल और काजू के विकास हेतु समेकित कार्यक्रम

2633. श्री अनंत गंगाराम गीते : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में नारियल और काजू के विकास हेतु समेकित कार्यक्रम में कितनी प्रगति हुई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (i) भारत में नारियल उद्योग का समेकित विकास तथा (ii) काजू विकास हेतु समेकित कार्यक्रम संबंधी स्कीमों का कार्यान्वयन करने वाले विभिन्न राज्यों एवं महाराष्ट्र में विगत 3 वर्षों के दौरान हासिल वित्तीय प्रगति निम्नवत है :-

(लाख रुपये में)

वर्ष	भारत में नारियल उद्योग का समेकित विकास		काजू विकास संबंधी समेकित कार्यक्रम	
	सभी राज्य	महाराष्ट्र	सभी राज्य	महाराष्ट्र
1997-98	3004.63	*	1311.04	544.38
1998-99	1902.84	3.58	1594.09	690.20
1999-2000	1699.74	1.50	1548.40	541.36

* महाराष्ट्र के लिए 2.68 लाख रुपये का आवंटन किया गया था, परन्तु राज्य सरकार इस स्कीम का कार्यान्वयन नहीं कर सकी।

[हिन्दी]

तम्बाकू उत्पादन

2634. श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में तम्बाकू का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में तम्बाकू की खपत को कम करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसकी क्षतिपूर्ति के रूप में तम्बाकू उत्पादकों को कितनी आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तम्बाकू का अनुमानित उत्पादन नीचे दर्शाया गया है :–

वर्ष	उत्पादन (मिलियन मी० टन)
1996-97	0.62
1997-98	0.64
1988-99	0.70

(ख) और (ग) तम्बाकू और इसके उत्पादों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए एक व्यापक कानून को मंत्रिमण्डल द्वारा पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है।

(घ) इस संबंध में प्रतिपूर्ति करने की कोई स्कीम नहीं है।

[अनुवाद]

खारे पानी का शोधन

2635. श्री ए० नरेन्द्र : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खारे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर कितना धन खर्च किये जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा समुद्री जल का विलवणीकरण करने के लिए दो प्रक्रियाएं नामत: मल्टी फ्लैश और रिवर्स ऑसमोमिस (आरओ) विकसित की गई है; तमिलनाडु में कलपाक्कम नामक स्थल पर एक प्रदर्श संयंत्र स्थापित किया जा रहा है,जो समुद्री जल से प्रतिदिन 6300 घनमीटर विलवणीकृत जल उत्पादित करेगा जिसमें से प्रतिदिन 4500 घनमीटर जल का उत्पादन मल्टी स्टेज फ्लैश प्रौद्योगिकी द्वारा और शेष 1800 घनमीटर जल का उत्पादन प्रतिदिन रिवर्स ऑसमोसिस प्रौद्योगिकी द्वारा किया जाएगा।

(ग) और (घ) इस संयंत्र पर 41.96 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और इसे मार्च, 2002 तक कमीशन किए जाने का कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

कृषि शिक्षा

2636. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कृषि शिक्षा के लिए कुल परिव्यय कितना रहा;

(ख) नौवीं योजना के दौरान पशु-पालन, मात्स्यिकी, कृषि और सहायक क्षेत्रों के लिए राज्यवार कितना आवंटन किया गया; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उन पर राज्यवार कितना खर्च हुआ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि शिक्षा के लिए कुल 416.97 करोड़ रु० का परिव्यय निर्धारण किया गया है।

(ख) हालांकि राज्यवार राशि आवंटित नहीं की जाती है किन्तु अनेक राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थित संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/परियोजना निदेशालयों/अ० भा० स० अ० प० तथा विश्व बैंक और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को क्षेत्र-वार राशि आवंटित की गई। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग द्वारा नौवीं योजना के दौरान पशु-पालन, मात्स्यिकी, कृषि और सहायक क्षेत्रों को आवंटित राशि का विवरण निम्नलिखित है:

(रु० करोड़ में)

फसल विज्ञान	616.81
बागवानी	264.24
प्राकृतिक संसाधन प्रबंध	281.99
कृषि अभियांत्रिकी	128.57
पशु-विज्ञान	348.44
मात्स्यिकी	157.72
कृषि आर्थिकी एवं सांख्यिकी	18.84
कृषि विस्तार	329.49
कृषि शिक्षा	416.97
प्रबंध एवं सूचना प्रणाली सहित नई पहल, मार्गस्थ परियोजनाएं	144.91
कपास पर मिनी-मिशन	30.00
विश्व बैंक/बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	638.97
कुल	3376.95

(ग) विभाग द्वारा राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है। अनुसंधान संस्थानों द्वारा तीन वर्षों के दौरान किया गया कुल व्यय निम्नलिखित है :–

(रु० करोड़ में)

वर्ष	योजना	गैर-योजना	कृषि उत्पाद उपकर निधि	कुल
1997-98	323.01	351.04	21.32	695.37
1998-99	427.72	516.54	28.22	972.48
1999-2000	455.00	790.63	30.22	1275.85

[अनुवाद]

एफ०पी०आई० में विदेशी निवेश

2637. **श्री अनंत गुढे :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में और अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु विदेशी निवेशकों की बाधाओं को दूर करने के लिए कोई पहल की है या पहल करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके निहितार्थों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित खाद्य प्रसंस्करण अधिनियम की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) प्रस्तावित खाद्य प्रसंस्करण अधिनियम के विभिन्न प्रावधान और प्रभाव क्या है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्यमंत्री (श्री टीएच० चाओबा सिंह) : (क) और (ख) बजट-2001-2002 में प्रसंस्कृत फल और सब्जियों पर लगने वाले मौजूदा 16% उत्पाद शुल्क को शून्य स्तर पर लाने का प्रस्ताव है। औद्योगिक संपदाओं को कर अवकाश देने का भी प्रस्ताव है। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति में इस क्षेत्र में पूंजी निवेश, इसमें विदेशी निवेश शामिल है, को बढ़ावा देने के लिए अनुरूप वातावरण तैयार करने का उल्लेख है।

(ग) और (घ) प्रस्तावित प्रसंस्कृत खाद्य विकास अधिनियम पर एक दृष्टिकोण पत्र तैयार करके सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य सरकारों और उद्योग संघों को वितरित किया गया है। इस समय इस मामले को संबंधित सरकारी विभागों से उनकी अंतिम टिप्पणियाँ मंगाने के लिए परिचालित किया गया है। प्रस्तावित अधिनियम में मौजूदा कानूनों के सुसंगतीकरण और सरलीकरण, विकासोन्मुखीकरण, एक विकास निधि के सृजन, एक प्रसंस्कृत खाद्य प्राधिकरण के जरिए मानकों की परिभाषा करने आदि का उल्लेख है।

राष्ट्रीय मछुआरा मंच

2638. **श्री के० येरननायडू :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मछुआरा मंच (नैशनल फिश वर्कर्स फोरम) ने जलचर प्राधिकरण विधेयक के विरोध में अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मछुआरा मंच ने जलकृषि प्राधिकरण विधेयक के विरोध में अभ्यावेदन दिए हैं जिनमें विधेयक में कुछ परिवर्तन करने की मांग की गई है। इसमें शामिल है- खारे क्षेत्रों में परम्परागत और उन्नत परम्परागत जलकृषि पद्धतियों को ही अनुमति देना, एक छोटे किसान तथा जलकृषि प्राधिकरण में परम्परागत मत्स्यन समुदाय में से एक प्रतिनिधि को शामिल करना, झींगा पालन उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि के परिवर्तन पर रोक लगाना, दीर्घावधि पारिस्थितिकी अनुकूल पालन पद्धतियों को अपनाना आदि।

(ग) जलकृषि प्राधिकरण विधेयक संबंधी राष्ट्रीय मछुआरा मंच के अभ्यावेदनों पर उनसे विचार-विमर्श किया गया और उनकी जांच की जा रही है।

असम में लघु उद्योग इकाइयों को बंद किया जाना

2639. **श्री विजय हान्दिक :** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में लघु उद्योग इकाइयों को दशकों से बंद किया हुआ है,

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इनके पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए हैं,

(ग) क्या लघु उद्योग इकाइयों के संबंध में कपूर समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं, और

(घ) यदि हां, तो इन सिफारिशों के कार्यन्वयन की अब क्या स्थिति है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) बंद इकाईयों के बारे में सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्त पोषित रुग्ण लघु उद्योग इकाईयों के बारे में आंकड़े संकलित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मार्च, 2000 के अंत में असम में 11.445 रुग्ण लघु उद्योग इकाईयाँ थी। सरकार को लघु उद्योग इकाइयों के बीच औद्योगिक रुग्णता के प्रभाव की पूर्ण जानकारी है और सम्भाव्य जीवनक्षम रुग्ण इकाईयों की समय पर पहचान करने तथा उनके पुनर्वास के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य-स्तर की अन्त: संस्थानिक समितियां, बैंकों और राज्य वित्तीय संस्थानों में विशेष पुनर्वास प्रकोष्ठों के रूप में संस्थानिक तन्त्र तथा पात्र इकाईयों को पुनर्वास सहायता देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विस्तृत मार्ग निर्देश शामिल हैं।

(ग) और (घ) कपूर समिति द्वारा की गई 126 सिफारिशों में से, 84 की जांच की गई है और उन्हें स्वीकार करने के लिए अथवा अन्यथा निर्णय लिए गए हैं। 70 सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और उन्हें कार्यान्वित किया गया है। शेष 42 सिफारिशों पर सरकार तथा अन्य अभिकरणों द्वारा जांच की जा रही है।

ऑप्टीकल फाइबर परियोजना

2640. श्री पी०आर० किन्डिया : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैण्डविड्थ का विस्तार करने और ऑप्टिकल फाइबर परियोजना को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाओं को शुरू करने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, हां। पूर्वोत्तर राज्यों में पहले ही से उपलब्ध ऑप्टीकल फाइबर रूटों तथा जिन्हें वर्ष 2001-02 में उपलब्ध कराने की योजना है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भारत सरकार ने गुवाहाटी में उपग्रह भू-केन्द्र सहित एक सॉफ्टवेयर प्रोद्यौगिकी पार्क की स्थापना की है और द्रुतगति डेटा संचार सम्पर्क तथा सांविधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए गंगटोक (सिक्किम) तथा अगरतला (त्रिपुरा) में हब केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र से सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऑप्टीकल फाइबर प्रणाली पर आधारित 622 मेगा बाइट प्रति सेकेण्ड एस डी एच प्रणाली

विद्यमान रूट

1. गुवाहाटी - पानबाजार मक्स - पानबाजार ओसीबी एक्सचेंज
2. गुवाहाटी - तेजपुर - नवगाँव - गुवाहाटी
3. गुवाहटी - बोगाइगाँव - गुवहाटी
4. गुवाहटी - बोगाइगाँव - गोइआलपाड़ा - गुवाहाटी

वर्ष 2001-02 के दौरान जिन रूटों की योजना है

1. तेजपुर - जोरहाट - गोलाघाट - दीमापुर - दीफू - नवगांव - तेजपुर
2. गुवाहाटी - बरपेटा - बोगाइगाँव - गोइलपाड़ा - क्रिशई - गुवाहाटी
3. गुवाहाटी - मंगलादाई - तेजपुर - नवगाँव गुवाहाटी
4. बोगाइगाँव - कोकराझाड़ - कूचबिहार - गौरीपुर - बोंगाइगाँव
5. गुवाहाटी - शिलाँग - नंगस्टोइन - विलिमनगर - तुरा - क्रिशई - गुवाहाटी
6. धर्म नगर - कैलसर - कुमारघाट - धर्म नगर
7. अम्बासा - तेलियामोरा - कल्याणपुर - खोवाई - कमलपुर अम्बासा

अन्य ऑप्टीकल फाइबर रूट

विद्यमान

1. सिलिगुड़ी - बोगाइगाँव - गुवाहाटी - सिलिगुड़ी
2. गुवाहाटी - तेजपुर - जोरहाट - तिनसुखिया
3. गोलाघाट - दीमापुर
4. गुवाहाटी - शिलाँग
5. शिलाँग - जोवई
6. सिलचर - बदरपुर - करीमनगर
7. इम्फाल - मोरे

वर्ष 2001-02 के दौरान चालू करने की योजना है

1. तेजपुर - उत्तरी लखीमपुर
2. उत्तरी लखीमपुर - ज़ीरो - दापोरिजो
3. गुवाहाटी - दीमापुर - कोहिमा - इम्फाल
4. कोहिमा - इम्फाल
5. शिलाँग - सिलचर
6. सिलचर - आइजाल
7. करीमनगर - अगरतला
8. आइजाल - लुंजागिच

उड़ीसा में भूख से मौतें

2641. श्रीमती मिनाती सेन :
डा० रामचन्द्र डोम :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 को "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "स्पैक्टर ऑफ स्टार्वेशन डैथ्स ओवर ड्रौट-हिट उड़ीसा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) यदिह हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने सूखा-प्रभावित जिलों के लिए केन्द्र सरकार से 443 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मांग की है, और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार को कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) भुखमरी के कारण हुई मौतों के बारे में उड़ीसा सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) सूखे के कारण 443.95 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की मांग संबंधी राज्य सरकार के अनुरोध के प्रत्युत्तर में राष्ट्र आपदा आकस्मिक निधि से उक्त राज्य को 35.00 करोड़ रुपये की

सहायता जारी की गई है। इसके अलावा, वर्ष 2000-01 के लिए आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश के रूप में 82.10 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2001-02 के लिए आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की 25% अग्रिम राशि, जो 21.55 करोड़ रूपये बनती है, भी उक्त राज्य को जारी कर दी गयी है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु सर्वेक्षण

2642. श्री राजो सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्तर के स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए बिहार में कोई व्यापक सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य के लिए कितनी राशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम की सफलता को प्रचारित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) जी, हां। 1999-2000 में बिहार सहित सभी राज्यों में संशोधित कुष्ठ उन्मूलन अभियान चलाया गया। वर्तमान में बिहार में वैशाली सहित देश के 13 जिलों में दृष्टिहीनता संबंधी राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया जा रहा है। राज्य में एच आईवी संक्रमण के रूझान का मूल्यांकन करने के लिए 1998, 1999 तथा 2000 के दौरान एच आई वी प्रहरी निगरानी की गई। 1998-99 के दौरान किया गया राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन एच एफ एस-II) जनसांख्यिकीय एवं स्वास्थ्य पैरामीटरों का राज्य स्तरीय आकलन तथा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारकों जो जनसांख्यिकीय तथा स्वास्थ्य स्थिति में वांछित परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, से संबंधित सूचनाएं प्रदान करता है। विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए सर्वेक्षण किए जाने हेतु राज्यों को निधियों का आबंटन उनकी तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(ग) से (ङ) सूचना, शिक्षा एवं संचार विभिन्न रोगों के निवारण एवं उपचार के बारे में लोगों में सामान्य जागरूकता पैदा करने हेतु स्वास्थ्य कार्यक्रमों का एक अभिन्न भाग है। प्राप्त की गई सफलता तथा इन कार्यक्रमों की भावी योजनाओं का विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए व्यापक रूप से प्रचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सी०जी०एच०एस० डिस्पेंसरियों/अस्पतालों में दवाओं की खरीद

2643. श्री टी० गोविन्दन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान सी०जी०एच०एस० डिस्पेंसरियों/अस्पतालों में दवाओं की खरीद के संबंध में कदाचार में लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) गत एक वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कृषि और पशुधन के विकास हेतु निधियां

2644. श्री एस०पी० लेपचा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष में कृषि और पशुधन के विकास के लिए राज्य वार कितनी निधियां आबंटित की गईं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में राज्य सरकारों का कार्य निष्पादन कैसा रहा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) वर्ष 1997/98, 1998/99 और 1999/2000 के दौरान पशुधन सहित कृषि विकास हेतु आबंटित/निर्मुक्त निधियों का राज्यवार विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) विभिन्न कृषि विकास स्कीमों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप अखिल भारत स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन और उत्पादकता में नीचे दर्शाये अनुसार वृद्धि हुई हैं :-

वर्ष	उत्पादन (मिलियन मी० टन)	उपज (कि०ग्रा०/है०)
1997/98	192.26	1552
1998/99	203.61	1627
1999/2000	208.87	1697

विवरण

कृषि और पशुधन विकास हेतु आंबटित/निर्मुक्त निधियों का विवरण

(लाख रु० में)

क्र०सं०	राज्य का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	9277.26	7961.81	8376.93

1	2	3	4	5
2.	अरूणाचल प्रदेश	639.35	557.00	702.17
3.	असम	450.92	965.70	634.31
4.	बिहार	1468.83	741.46	694.65
5.	गोआ	190.74	267.75	303.92
6.	गुजरात	1243.39	6532.83	6580.91
7.	हरियाणा	3045.54	3062.85	3609.40
8.	हिमाचल प्रदेश	1313.47	1720.70	1956.16
9.	जम्मू और कश्मीर	1762.60	1225.74	1653.36
10.	कर्नाटक	9033.24	10187.48	10001.89
11.	केरल	4701.01	4906.87	4005.89
12.	मध्य प्रदेश	7602.95	8905.85	8493.21
13.	महाराष्ट्र	12674.47	13597.74	13183.72
14.	मणिपुर	1341.53	725.19	1352.27
15.	मेघालय	358.87	604.71	829.08
16.	मिजोरम	1031.70	1705.04	1598.26
17.	नागालैण्ड	1112.54	1946.31	1933.27
18.	उड़ीसा	4601.09	3859.87	5440.17
19.	पंजाब	2938.78	3316.31	3521.32
20.	राजस्थान	10343.70	10296.52	9901.85
21.	सिक्किम	908.26	642.56	708.12
22.	तमिलनाडु	6727.11	7154.47	7591.53
23.	त्रिपुरा	826.94	864.06	1453.58
24.	उत्तर प्रदेश	11963.42	12906.06	11299.12
25.	पश्चिम बंगाल	2248.27	1915.65	2312.25
26.	अंडमान और नि० द्वीपसमूह	97.11	58.40	75.22
27.	चण्डीगढ़	4.00	0.00	3.00
28.	दादरा और नागर हवेली	2.60	1.50	1.00
29.	दमन और दीव	95.50	22.25	18.00
30.	दिल्ली	33.00	10.00	45.00
31.	लक्षद्वीप	12.40	6.00	11.93
32.	पाण्डिचेरी	117.59	141.18	191.22
	कुल	98168.18	106809.86	108482.71

सऊदी अरब में भारतीयों को मृत्युदंड

2645. श्री एस० अजय कुमार :
श्री टी० गोविन्दन :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में दिनांक 20 दिसंबर 2000 को यथा प्रकाशित पिछले कुछ समय में सऊदी अरब में बहुत से भारतीयों को मृत्युदंड दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले दो वर्षों में सऊदी अरब में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के सिलसिले में 30 भारतीयों को सजा सुनाई गई।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी संगठन तैयार करना

2646. श्री रामपाल सिंह : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के तहत अब ऐसे आतंकवादी संगठन बनाने की योजना बना रहा है जिसको जम्मू-कश्मीर से ही चलाया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान की इस कार्रवाई को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (घ) ऐसी कुछ रिपोर्टें हैं कि लश्कर ए तोयबा, हरकत उल मुजाहिदीन, जेस ए मुहम्मद और अल बदर जैसे कुछ आतंकवादी ग्रुप, जिनके अड्डे पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान की आसूचना एजेंसियों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं; जम्मू और कश्मीर के लोगों में से नए सदस्य भर्ती करने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसा पाकिस्तान के अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार को प्रमाणित करने के लिए किया जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद आतंरिक आंदोलन हैं तथापि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय भारत में जम्मू और कश्मीर तथा अन्य भागों में पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद को दिए जा रहे समर्थन और अलगाववादी तथा हिंसक विचारधाराओं को प्रचारित करने वाले ग्रुपों को उसके समर्थन को भी खुले रूप में स्वीकार करता है।

जम्मू और कश्मीर में आंतकवाद और अलगाववाद की ताकतों का सही स्वरूप और राज्य के लोगों से उनका अलग-थलग पड़ जाना अब पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट हो गया है। सरकार सीमापार आंतकवाद को पाकिस्तान के समर्थन को असफल बनाने के लिए दृढ़

संकल्प है और देश की सुरक्षा तथा क्षेत्रीय अखण्डता की संरक्षा के लिए निरंतर सभी आवश्यक उपाय करती रहेगी।

[अनुवाद]

भूकम्प के बाद आपरेशन में हुई गलतियां

2647. श्री विजय गोयल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में भूकम्प के बाद की स्थिति से निपटने में हुई गलतियों का पता चला है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी घटनाओं से सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है,

(घ) उन गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है जो पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आए;

(ङ) क्या देश में भूकम्प संभावित क्षेत्रों के लोगों को पूर्व सूचना देने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(च) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) राज्य सरकार जिसने सभी आवश्यक उपाय किए हैं से इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राहत तथा पुनर्वास कार्य में उन्हे स्वैचिछक संगठनों सहित राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक गैर सरकारी संगठनों से सहायता प्राप्त हुई है।

(ङ) और (च) भूकम्प आने के स्थान, समय तथा तीव्रता के बारे मे सही पूर्वानुमान लगाने की कोई वैज्ञानिक तकनीक अभी उपलब्ध नहीं हैं बहरहाल, केन्द्रीय सरकार ने भूकम्पीय क्षेत्र IV तथा V में स्थित सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से आपदा से निपटने हेतु तैयारी एवं जन जागरूकता पर जोर देते हुए अपनी आकस्मिक कार्य योजना को अद्यतन बनाने का अनुरोध किया है।

उड़ीसा में चक्रवात

2648. श्रीमती हेमा गमांग :
श्री के०पी० सिंह देव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में आए बड़े चक्रवात से प्रभावित बड़ी संख्या में तटीय लोग अभी भी पुनर्वास की प्रतीक्षा में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों और उड़ीसा के लोगों के पुनर्वास कार्यक्रम की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य सरकार को जितनी निधियों का आश्वासन दिया गया/राज्य सरकार द्वारा मांगी गई निधियों का ब्यौरा क्या है और इस कार्य के लिए कितनी निधियां जारी की गई और कितनी निधियों का उपयोग किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उड़ीसा में विशेषत: आदिवासी जिलों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) इस संबंध में पुनर्वास एवं पुनर्निमाण उपाय करने की जिम्मेवारी प्रथमत: राज्य सरकार की ही है। इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार ने उड़ीसा राज्य आपदा शमन प्राधिकरण का गठन किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार आवश्यक उपाय कर रही है।

(घ) बाढ़ तथा चक्रवात के बाद आधारभूत ढ़ांचे सहित राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निमाण हेतु 6200 करोड़ रुपये की प्रक्षेपित आवश्यकता के मुकाबले राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से, मानदण्डों के अनुसार, 828.15 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई। इसके उपयोग का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ङ) इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा की जानी अपेक्षित है। तथापि, उक्त राज्य को सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम हेतु 1 लाख मी. टन अनाज का नि:शुल्क आवंटन, 3 माह के लिए प्रति माह 20,100 मी.टन अनाज गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर, पशु आहार के रूप में उपयोग हेतु "फीड ग्रेड" अनाज का आवंटन प्रभावित क्षेत्रों में रेलवे द्वारा पेयजल तथा चारे का नि:शुल्क परिवहन तथा पेयजल प्रयोजनार्थ प्रायोगिक नलकूप सौंपा जाना शामिल है।

शोधित पेयजल की बाटलिंग

2649. श्री अनंत गुढे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 2000 की तारीख के अनुसार शोधित पेयजल इकाइयों की अधिष्ठापित क्षमता का राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) अगले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार मांग का अनुमान क्या होगा; और

(ग) उक्त को पूरा करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) अच्छी गुणवत्ता वाले पैकेजबन्द पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस उत्पाद के नए मानदण्डों को 29.3.2001 से भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन योजना के अन्तर्गत इसकी मानिटरिंग और कार्यान्वयन हेतु खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अधीन हाल ही में अधिसूचित किया गया है।

संस्थापित क्षमता की सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है। तथापि, प्रमाणन योजना के प्रभावी होने के पश्चात् इस सूचना को प्राप्त करना संभव होगा। इस उत्पाद की अनुमानित मांग के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

हैजे के टीके का विकास

2650. **श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औषध संस्थान या किसी अन्य संस्थान ने हैजे को पूरी तरह मिटाने के लिए इसका टीका विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा टीका विकसित करने वाला भारत पहला देश है;

(घ) क्या स्वयं सरकार ही उक्त टीके का विकास करेगी या कोई निजी कंपनी इसे विकसित करेगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में इस टीके के कब तक प्रयोग में आने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (च) केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा हैजा वैक्सीन का विकास अनुसंधान चरण में है तथा जीव जन्तु संबंधी प्रयोग किए जा रहे हैं। तथापि, माइक्रोबियल प्रौद्योगिकी संस्थान, चंडीगढ़, राष्ट्रीय हैजा एवं आंत्र रोग संस्थान, कोलकाता तथा भारतीय रसायन जीव विज्ञान संस्थान, कोलकाता द्वारा संयुक्त रूप से देशी मुखीय रिकम्बिनेंट हैजा कैंडीडेट वैक्सीन विकसित की गई है। चरण-I क्लिनिकल जांचों में कैंडीडेट वैक्सीन के निरापद पाए जाने के बाद विस्तारित चरण-I क्लिनिकल जांचें की जा रही हैं। कैंडीडेट वैक्सीन, यदि यह प्रभावी पायी जाती है, को चरण-II तथा चरण-III क्लिनिकल जाँचों से गुजरना पड़ेगा। यदि यह सफल पाई जाती है तो इस वैक्सीन को भारत के औषध महानियंत्रक से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् वाणिज्यिक उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है।

[अनुवाद]

लुब्रीकेंट के रूप में नारियल के तेल का प्रयोग

2651. **श्री रमेश चेन्नितला : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नारियल तेल बाजार में मंदी को देखते हुए कतिपय उद्यमियों ने आटोमोबाइल में नारियल तेल को लुब्रीकेंट के रूप में प्रयोग किया है जो सस्ता और कारगर साबित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अनुसंधान कराया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार शीघ्र कोई कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) केरल के समाचार पत्रों में केरल में ऑटो रिक्शा इंजिन ऑयल के रूप में नारियल के तेल के उपयोग की सूचना दी है। यह भी सूचित किया गया है कि नारियल तेल का प्रयोग 2 स्ट्रीक इंजिन में अपूर्ण दहन के कारण इंजिन/स्पार्क प्लग में कार्बन जमा करता है। किन्तु ऑटो उद्योग के लिए स्नेहक के रूप में नारियल तेल के किफायती होने और इसकी कुशलता के बारे में अनुसंधान आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अगरतला और ढाका के बीच बस सेवा

2652. **श्री समर चौधरी : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला और ढाका के बीच बस सेवा चलाने हेतु भारत और बांग्लादेश के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बस सेवा के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) अगरतला और ढाका के बीच यात्री बस सेवा शुरू करने के बारे में 28 फरवरी, 2001 को एक प्रारूप करार तथा प्रारूप प्रोतोकोल पर आद्याक्षर हुए। इस सेवा को शुरू करने के लिए दो आपरेटरों को परीक्षण यात्रा तथा किराये के साथ-साथ अन्य प्रचालन मुद्दों को हल करना है।

लघु उद्योग क्षेत्र में वित्तीय संकट

2653. **श्री हन्नान मोल्लाह : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योग वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति के सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) :

(क) और (ख) जी नहीं, लघु उद्योगों पर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों के बकाया ऋण में काफी वृद्धि हुई है ये मार्च, 1995 के अंत में 29,152 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2000 के अंत तक 55,973 करोड़ रुपये हो गया है।

(ग) लघु उद्योगों को ऋण प्रवाह में सुधार करने तथा उन्हें सुदृढ़ करने हेतु सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, अन्य बातों के साथ साथ इसमें शामिल हैं: कार्यकारी पूंजी ऋणों की संस्वीकृति हेतु सरल प्रक्रिया, 5 लाख रुपये तक के ऋणों हेतु संपार्श्विक को छोड़ना, ऋण गारन्टी योजना बनाना, मिश्रित ऋण सीमा को 25 लाख रू० तक बढ़ाना तथा राष्ट्रीय इक्विटी फंड योजना के अंर्तगत परियोजना लागत को 25 लाख रुपये तक बढ़ाना।

[हिन्दी]

यूरेनियम की चोरी

2654. **श्री मोहन रावले :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान खान क्षेत्र जादुगुडा से कितनी मात्रा में यूरेनियम की चोरी हुई है;

(ख) तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग का सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है, के जादुगुडा खदान क्षेत्र से यूरेनियम की कोई चोरी नहीं हुई है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

जबलपुर में आदिवासियों के लिए क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र

2655. **श्री राजनारायण पासी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अधीन जबलपुर स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र खाली पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आज की तारीख तक अनुसंधान केन्द्र पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित मुख्य प्रयोगशाला भवन को अब तक अधिगृहीत नहीं किया गया है क्योंकि निर्माण में कुछ कमियां देखी गई हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि इस भवन को "जैसा है और जहां है आधार" पर अधिगृहीत किया जाना चाहिए किन्तु उसके पहले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, जबलपुर की सहायता से सभी ऊपरी तलों के बीमों की मजबूती की जांच कराई जाए। तदनुसार यह कार्य राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, जबलपुर को सौंपा गया है। मुख्य प्रयोगशाला भवन के निर्माण पर 3,23,40,695 रुपए की राशि खर्च की गई है।

हरियाणा में सूखा

2656. **डा० (श्रीमती) सुधा यादव :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा राज्य में कुछ क्षेत्र और जिले हाल में सूखे से प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा उन क्षेत्रों को क्या वित्तीय और अन्य सहायता उपलब्ध करायी गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) हरियाणा सरकार से हाल ही में राज्य के सूखे से प्रभावित होने के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य के सूखे से प्रभावित होने के बारे में राज्य सरकार ने कोई अधिसूचना भी जारी नहीं की है।

(ग) राहत व्यय के वित्त पोषण की मौजूदा व्यवस्था के अन्तर्गत सूखे सहित सभी प्राकृतिक आपदाएं आने पर राहत एवं पुनर्वास उपाय करने की जिम्मेवारी प्रथमत: राज्य सरकारों की होती है। भारत सरकार आपदा राहत कोष से सहायता प्रदान करके राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करती है। वर्ष 2000-01 के लिए आपदा राहत कोष के 60.98 करोड़ रुपये के केन्द्रीय अंश में से हरियाणा सरकार को 15.68 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। केन्द्रीय अंश की शेष राशि हरियाणा सरकार को आपदा राहत कोष संबंधी स्कीम की यह शर्त पूरी करने अर्थात हरियाणा सरकार द्वारा आपदा राहत कोष में प्राप्त धनराशि का लेखा अलग से रखा गया है, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।

[हिन्दी]

आदिवासी क्षेत्रों में उच्च मृत्यु दर

2657. **श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर :**
श्रीमती सुशीला सरोज :
श्री प्रहलाद सिंह पटेल :
श्री चिंतामन वनगा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चर्म रोगों, एनीमिया, मलेरिया, संक्रामक रोगों तथा अतिसार बारंबारता, मस्तिष्क ज्वर आदि जैसी बीमारियों के कारण सभी राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच मृत्यु दर अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) सरकार द्वारा आदिवासियों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए विचार किए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात को बड़ौदा मेडिकल कालेज में मौलिकुलर और साइकोजेनेटिक प्रयोगशाला की स्थापना के लिए एक करोड़, वीस लाख रुपए प्रदान किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो प्रस्तावित प्रयोगशाला की स्थिति क्या है; और

(च) आज की तिथि के अनुसार केन्द्र सरकार के पास प्रत्येक राज्य से आदिवासी क्षेत्रों के लिए कितनी स्वास्थ्य योजनाएं मंजूरी हेतु लंबित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा): (क) और (ख) गरीबी, निरक्षरता, अज्ञानता, कम स्वच्छता, सफाई, कुपोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच की कमी, संचार सुविधाओं और शैक्षिक संस्थाओं की कमी जैसे विभिन्न कारकों के कारण अधिकांश आदिवासी जनसंख्या में स्वास्थ्य की खराब स्थिति है। इन कारकों के चलते गैर आदिवासी क्षेत्रों की तुलना में आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण, रक्ताल्पता और अतिसार, श्वसन संबंधी विकारों, त्वचा रोगों, मलेरिया, मेनिनजाइटिस आदि जैसी संक्रामक स्थितियों के कारण मौतों के साथ उच्चतर घटनाएं होती है। आदिवासियों के लिए अधिकांश रोगों के अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि मलेरिया के मामले में यह सत्य है कि मलेरिया से हुई 80 प्रतिशत से अधिक मौतों की सूचना आन्ध्र प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा राजस्थान और सात पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासी बहुल जिलों से मिल रही हैं।

(ग) आदिवासी निवास स्थानों की कठिनाइयों को देखते हुए आदिवासी, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने में उच्च प्राथमिकता दी जाती है। आदिवासी क्षेत्रों में उप-केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने हेतु जनसंख्या कवरेज मानदण्डों में छूट दी गई है ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्गों के लोगों के लिए जीवन का बुनियादी न्यूनतम मानदण्ड सुनिश्चित करने के लिए निवारक, संवर्धक, रोगहर तथा पुनर्वासी सेवाएं प्रदान करने हेतु देश भर में विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है उदाहरणार्थ, मलेरिया की समस्या पर ध्यान देने के लिए विश्व बैंक सहायता से 100 हार्डकोर जनजातीय जिलों को कवर करने वाली संविर्धित मलेरिया नियंत्रण परियोजना सितम्बर, 1997 से शुरू की गई है। सूचना, शिक्षा तथा संचार जो विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों का अभिन्न भाग है, को भी जनजातीय तथा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वालों सहित सभी के लिए तेज कर दिया गया है।

(घ) इस प्रयोजन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोई निधियां प्रदान नहीं की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) ऐसी कोई योजना लम्बित नहीं है।

मंत्रियों की जर्मनी यात्रा

2658. **श्री माणिकराव होडल्या गावित :**
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री एन० जनार्दन रेड्डी :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री कोडीकुनील सुरेश :
श्री शिवाजी माने :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जर्मनी और सऊदी अरब की हाल की उनकी यात्रा के दौरान की गई वार्ताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापनों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नशीले पदार्थों की तस्करी और अपराधियों के प्रत्यर्पण के बारे में भी समझौता पर हस्ताक्षर किए गए;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कश्मीर मुद्दे पर भी चर्चा की गई;

(च) यदि हां, तो इस पर जर्मनी और सऊदी अरब की प्रतिक्रिया सहित ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या गृह मंत्री और वित्त मंत्री ने भी हाल ही में जर्मनी की यात्रा की है; और

(ज) यदि हां, तो उनकी यात्रा का क्या प्रयोजन था और उसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) विदेश मंत्री की 17-18 जनवरी, 2001 की जर्मनी की यात्रा के दौरान उन्होंने चांसलर तथा विदेशमंत्री जोसका फिशर बर्लिन के शासी मेयर एबरहर्ड दिपगिन तथा जर्मनी के प्रसिद्ध संसद सदस्यों से मुलाकात

की। उनके विचार-विमर्श द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और भारत तथा जर्मनी दोनों की साझी हित चिंता के सार्वभौम मसलों पर केन्द्रित रहे। सऊदी अरब की 20-21 जनवरी, 2001 की यात्रा के दौरान उन्होंने महामान्य शाह फहद से मुलाकात की। राजकुल मान्य युवराज अब्बदुला, राजकुल मान्य युवराज साउद अल-फैसल, विदेश मंत्री तथा राजकुल मान्य युवराज सलमान, केन्द्रीय प्रदेश के गवर्नर के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। सभी मुलाकातों में भारत-सऊदी सबंधों को सुधारने पर जोर दिया गया ताकि आर्थिक सहयोग पर ध्यान देते हुए मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने का मार्ग प्रशस्त हो सके।

(ख) से (घ) इस यात्रा के दौरान जर्मनी के साथ कोई समझौता ज्ञापन अथवा करार संपन्न नहीं हुआ, तथापि सऊदी अरब के संदर्भ में अपराध को रोकने में सहयोग करने से सम्बद्ध एक समझौता ज्ञापन पर सिद्धांत रूप में सहमति हुई और जैसे ही सऊदी अरब की सरकार द्वारा क्रियाविधिक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती हैं, यह हस्ताक्षर के लिए तैयार हो जाएगा। नियमित विदेश कार्यालय परामर्शों से सम्बद्ध एक समझौता ज्ञापन भी संपन्न हुआ जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर राजनैतिक मामलों में विचारों का आदान-प्रदान करने की व्यवस्था है।

(ङ) और (च) जी, हां। जर्मनी के विदेश मंत्री जोसका फिशर तथा सऊदी अरब के युवराज दोंनों के साथ मुलाकातों के दौरान विदेश मंत्री ने जम्मू तथा कश्मीर में शांति तथा स्थायित्व को भारत के पड़ोस से चल रहे सीमा पार के आतंकवाद के खतरे का उल्लेख किया। इस दिशा में भारत सरकार के प्रयासों की सराहना हुई।

(छ) और (ज) भारत जर्मनी संयुक्त आयोग की 14वीं बैठक में सह अध्यक्ष की हैसियत से वित्त मंत्री 10-11 अप्रैल, 2000 को जर्मनी की यात्रा पर गए। संयुक्त आयोग ने द्विपक्षीय, आर्थिक तथा वाणिज्यिक हित के विभिन्न मुद्दों विशेषकर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश को बढ़ाने के तौर-तरीकों पर चर्चा की। इन चर्चाओं में नागर विमानन, अवसंरचना तथा ज्ञान आधारित उद्योगों पर भी मुख्य तौर पर चर्चा हुई। गृहमंत्री हाल में जर्मनी की यात्रा पर नहीं गए।

[अनुवाद]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में अनियमितताएं

2659. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **कृषि मंत्री** के बारे में 2 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1703 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवश्यक सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) जी, हां। प्रश्न संख्या 1703 के संबंध में संसद में दिए गए आश्वासन को दिनांक 9.3.2001 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 10-3/2000-आई.यू. द्वारा पहले ही पूरा किया जा चुका है। इसकी प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

फा०सं० 10-3/2000-आई०यू०
भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग
कृषि भवन : नई दिल्ली

दिनांक 9 मार्च,. 2001

कार्यालय ज्ञापन

विषय : श्री शीश राम सिंह रवि, संसद सदस्य द्वारा पूछे गये दिनांक 2.8.2000 को XIIIवीं लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1703 के IVवें सत्र के दौरान दिया गया आश्वासन।

संदर्भ : का०ज्ञा०सं० XIII-IV/कृषि(4) अता०प्रश्न सं० 1703-लोक सभा/2000 दिनांक 29.8.2000

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त संसदीय आश्वासन का हवाला देने का निदेश हुआ है।

कार्यान्वयन रिपोर्ट (अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में) की 15 प्रतियां निर्धारित प्रोफार्मा में एतद्द्वारा भेजी जा रही हैं।

यह माननीय कृषि राज्य मंत्री का अनुमोदन है।

ह०/-

(जी० चन्द्रशेखर)
अवर सचिव, भारत सरकार

श्री विजय खन्ना,
अवर सचिव,
संसदीय कार्य मंत्रालय,
संसद भवन, नई दिल्ली-1

प्रतिलिपि :–

1. लोक सभा सचिवालय, प्रश्न शाखा, संसदीय सौध, नई दिल्ली
2. संसद अनुभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद।

ह०/-

(जी० चन्द्रशेखर)
अवर सचिव, भारत सरकार

तेरहवीं लोकसभा का चौथा सत्र 2000

आश्वासन पूरा करने की तिथि 01-02-2001

कृषि मंत्रालय

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

प्रश्न संख्या तिथि तथा संसद सदस्य(यों) का नाम	विषय	दिया गया वचन	कैसे पूरा किया गया	विलम्ब का कारण
श्री शीश राम सिंह रवि द्वारा दिनांक 2.8.2000 को पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 1703	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में अनियमितताएं : निविदाएं आमंत्रित किए बगैर वस्तुओं की खरीद के बारे में दिनांक 26.4.2000 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4815 का हवाला देते हुए यह पूछा गया : ''यदि ऐसा है तो क्या इस बीच इस मामले की जांच कर ली गई है और अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है?''	अपेक्षित जानकारी अभी एकत्र की जा रही है।	अतारांकित प्रश्न सं० 4815 के संबंध में दिए गए आश्वासनों को कार्यालय ज्ञापन सं० 10-2/2000-आई०यू० दिनांक 8.3.2001 द्वारा पूरा कर लिया है और इसकी प्रति अनुबंध-''क'' के रूप में संलग्न है।	सम्पूर्ण भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 100 से ज्यादा संस्थान/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र/ परियोजना निदेशालय स्थित हैं और सूचना/ब्यौरा विभिन्न इकाइयों से एकत्र किया जाना था। इसलिए इस मामले की आगे सत्यापन करने हेतु आवश्यक सूचना/विवरण एकत्रित करने तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय में उचित कार्रवाई करने में अधिक समय लगा।

फा०सं० 10-2/2000-आई०यू०
भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग
कृषि भवन : नई दिल्ली

दिनांक 8 मार्च, 2001

कार्यालय ज्ञापन

विषय : श्री शीश राम सिंह रवि, संसद सदस्य द्वारा पूछे गये दिनांक 26.4.2000 को XIIIवीं लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4815 के IIIवें सत्र के दौरान दिया गया आश्वासन।

संदर्भ : का०ज्ञा०सं० XIII-III/कृषि(12) अता० प्रश्न सं० 4815-लोक सभा/2000 दिनांक 3.5.2000

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त संसदीय आश्वासन का हवाला देने का निदेश हुआ है।

कार्यान्वयन रिपोर्ट (अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में) की 15 प्रतियां निर्धारित प्रोफार्मा में एतद्द्वारा भेजी जा रही है।

यह माननीय कृषि राज्य मंत्री का अनुमोदन है।

ह०/-

(जी० चन्द्रशेखर)
अवर सचिव, भारत सरकार

श्री विजय खन्ना,
अवर सचिव,
संसदीय कार्य मंत्रालय,
संसद भवन, नई दिल्ली-110001

प्रतिलिपि :–

1. लोक सभा सचिवालय, प्रश्न शाखा, संसदीय सौध, नई दिल्ली
2. संसद अनुभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद।

ह०/-

(जी० चन्द्रशेखर)
अवर सचिव, भारत सरकार

तेरहवीं लोकसभा का तीसरा सत्र 2000

आश्वासन पूरा करने की तिथि 25-1-2001

कृषि मंत्रालय — कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

प्रश्न संख्या तिथि तथा संसद सदस्य(यों) का नाम	विषय	दिया गया वचन	कैसे पूरा किया गया	विलम्ब का कारण
1	2	3	4	5
श्री शीश राम सिंह रवि द्वारा दिनांक 26.4.2000 को पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 4815	निविदा आमंत्रित किये बगैर मदों की खरीद निविदा आमंत्रित किए बगैर खरीद करने से संबंधित अतारांकित प्रश्न संख्या 3215 दिनांक 17 मार्च, 1999 का हवाला देते हुए पूछा गया :– (क) क्या इस बीच संबंधित संस्थान से टिप्पणियां प्राप्त कर ली गई है; (ख) क्या रिकार्ड से इन टिप्पणियों को जांच तथा सत्यापन किया गया है; (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; (घ) क्या इस मामले में कोई कार्रवाई की गई है; (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; (च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और (छ) निविदा में निम्नतम बोली लगाने वाले से जहां मदों को नहीं खरीदा गया था, ऐसे सभी मामलों में की गई कार्रवाई सहित इस	(ख) से (च) तक : इस मामले की जांच की जा रही है (छ) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है।	(ख) से (च) : अतारांकित् प्रश्न सं० 3215 के संबंध में दिए गए आश्वासनों को कार्यालय ज्ञापन सं० 10-2/99-आई०यू०(पेल-I) दिनांक 8-6-2000 द्वारा पूरा कर लिया है। (छ) संसद को दिए गए आश्वासन के अनुसरण में 9 अनुसंधान केन्द्रों से, जिनमें खरीद के 7 मामले शामिल हैं जहां खुली-निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई और खरीद के 39 मामले जहां सबसे कम कीमत वाली निविदा के अलावा खरीददारी की गई, विस्तृत टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं। इन मामलों की पुन: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय के संबद्ध प्रभागों द्वारा जांच की जा रही है। उन मामलों में जहां खुली निविदाओं को आमंत्रित नहीं किया गया उनकी जांच करने पर यह पाया गया कि 6 मामलों में सामान्य वित्तीय नियमों का अनुपालन नहीं किया गया। इन मामलों में जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है। इसी प्रकार, सबसे कम राशि की निविदाओं के अलावा खरीद के	सम्पूर्ण भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 100 से ज्यादा संस्थान/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र/परियोजना निदेशालय स्थित है। इस प्रकार की खरीदों में भा०कृ० अ०प० की यूनिटों की दखल के संदर्भ में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं थी। अत: मामले में शामिल विशिष्ट संस्थानों तथा इन मामलों के ब्यौरे का पता लगाने के लिए यह मामला उठाया गया। इसलिए इस मामले की आगे सत्यापन करने हेतु आवश्यक सूचना/ विवरण एकत्रित करने तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय में उचित कार्रवाई करने में अधिक समय लगा।

1	2	3	4	5
	मंत्रालय में तथा इसके अधीन कार्यालयों/संस्थान में होने वाले अन्य ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है?		39 मामलों में से 3 मामलों में संस्थानों द्वारा दिया गया औचित्य स्वीकार्य नहीं पाया गया और जिम्मेदारी को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है। एक मामले में आर्डर नहीं दिया गया क्योंकि फर्म ने पहले कम निविदा वाले दो आर्डरों को पूरा नहीं किया था। इसी प्रकार एक मामले में कार्य की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए अधिक निविदा वाला आर्डर दिया गया था तथा यह भी तथ्य है कि सबसे कम निविदा वाले ने नियत तिथि के भीतर कार्य पूरा करने में अक्षमता दर्शायी थी। शेष मामलों में वैध तकनीकी कारणों से उच्च निविदाओं से खरीद की गई।	

फा०सं० 10-2/99-आई०यू० (भाग-II)

भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

कृषि भवन : नई दिल्ली

दिनांक 8 जून, 2000

कार्यालय ज्ञापन

विषय : श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, संसद सदस्य द्वारा पूछे गये दिनांक 17.3.99 को XIIIवीं लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3215 के IIवें सत्र के दौरान दिया गया आश्वासन।

संदर्भ : का०ज्ञा०सं० XIII-IV/कृषि(17) अता० प्रश्न सं० 3215-लोक सभा/99 दिनांक 7.4.1998

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त संसदीय आश्वासन का हवाला देने का निदेश हुआ है।

कार्यान्वयन रिपोर्ट (अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में) की 15 प्रतियां निर्धारित प्रोफार्मा में एतद्द्वारा भेजी जा रही हैं।

यह माननीय कृषि राज्य मंत्री का अनुमोदन है।

ह०/-

(आर०पी० सरोज)

अवर सचिव, भारत सरकार

श्री विजय खन्ना,

अवर सचिव,

संसदीय कार्य मंत्रालय,

संसद भवन, नई दिल्ली-110001

प्रतिलिपि :–

1. लोक सभा सचिवालय, प्रश्न शाखा, संसदीय सौध, नई दिल्ली
2. संसद अनुभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद।

ह०/-

(आर०पी० सरोज)

अवर सचिव, भारत सरकार

बारहवीं लोकसभा का तीसरा सत्र 1999

आश्वासन पूरा करने की तिथि 8.6.2000

कृषि मंत्रालय — कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

प्रश्न संख्या तिथि तथा संसद सदस्य(यों) का नाम	विषय	दिया गया वादा	कैसे पूरा किया गया	विलम्ब का कारण
1	2	3	4	5
श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा पूछा गया दिनांक 17.3.99 का अतारांकित प्रश्न संख्या 3215	निविदा आमंत्रित किये बगैर खरीद (क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, ऐसे अन्य संस्थानों ने खुली निविदाएं आमंत्रित किए बगैर 1.30 करोड़ रुपये की विभिन्न मदों की खरीद की है, (ख) यदि हां तो निविदाएं आमंत्रित किए बिना इस अवैध खरीद के क्या कारण हैं, और (ग) खरीद संबंधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?	(ख) एवं (ग): संबंद्ध संस्थानों से विस्तृत टिप्पणियां एकत्रित की जा रही हैं। उत्तरों को पूरी तरह से जांच तथा रिकार्ड के सत्यापन के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।	सदन में दिये गये आश्वासन के अनुसार 1.30 करोड रुपये (लगभग) की राशि के 35 खरीद के मामलों में शामिल 8 अनुसंधान संस्थानों के निदेशकों/ सतकर्ता अधिकारियों से ब्यौरेवार टिप्पणियां एकत्रित की गई थी। इन टिप्पणियों की भा०कृ०अ० प० मुख्यालय के संबंधित विषय वस्तु संभागों द्वारा आगे और जांच की गयी थी। जांच के दौरान यह देखा गया कि अनेक मामलों में सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। फिर भी कुछ मामलों में खुले निविदा आमंत्रित करने के जो औचित्य दिये गये वे सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 102(1) में उल्लिखित अनुबंध के अनुच्छेद 36 के अंतर्गत दी गई छूट में सम्मिलित है। 35 मामलों में से 15 मामलों में सामान्य वित्तीय नियमों का घोर उल्लंघन किया गया था। इसके लिए कर्मचारियों के विरुद्ध जिम्मेदारी निर्धारित करने की कार्रवाई की गई/शुरू की गई है। उपरोक्त के अलावा जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए 9 मामलों में कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकी, क्योंकि इनमें सम्मिलित अधिकारी पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं/मृत्यु हो गई है। इसी प्रकार दो मामलों में संबंधित संस्थानों/ कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है तथा 5 मामलों में संबंधित संस्थानों को विस्तृत अनुदेश जारी	पूरे भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 100 से ज्यादा संस्थान/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र/परियोजना निदेशालय स्थित है। इस प्रकार की खरीद में भा०कृ० अ०प० एककों की दखल के संदर्भ में सूचना तुरंत उपलब्ध नहीं थी अत: मामले में शामिल विशिष्ट संस्थानों तथा मामले के ब्यौरे का पता लगाने के लिए यह मामला उठाया गया। इस प्रकार इस मामले की कड़ी को जोडने तथा अपेक्षित सूचना जुटाने में पर्याप्त समय लगा।

1	2	3	4	5
			किये गये हैं। शेष 4 मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि यह खरीददारी सामान्य वित्त नियमों के प्रावधानों के तहत की गई थी। उपरोक्त के अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने दिनांक 12.4.99 को अनुदेश जारी किये थे जिनमें सभी संस्थानों/ राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/परियोजना निदेशालयों से जी०एफ०आर०/ भा०कृ०अ०प० की आडिट मैनुअल में दी गई खरीद प्रक्रिया/नियमों का कड़ाई से अनुपालन करें।	

केरल में गुणवत्ता नियत्रंण और मानकीकरण कार्यक्रम

2660. **श्री वी० एम० सुधीरन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से केरल स्टेट होमियोपैथिक को-आपरेटिव फार्मेसी लिमिटेड, अलापुजा में गुणवत्ता नियत्रंण और मानकीकरण के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सबंध में क्या कदम उठाए गए हैं / उठाए जाने का प्रस्ताव है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मत्रांलय में राज्यमंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां सरकार ने केरल राज्य होमियोपैथिक को-आपरेटिव फार्मेसी लिमिटेड, अलापुजा में राज्य औषध जांच प्रयोगशालाओं और फार्मेसियों को सुदृढ बनानें की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत फार्मेसी को सुदृढ़ बनाने के लिए और बाह्य अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत गुणवत्ता नियंत्रण तथा मानकीकरण तथा औषद प्रमाणन के लिए केन्द्रीय सहायता की अपेक्षा वाले दो प्रस्ताव केरल सरकार से प्राप्त किए हैं।

(ख) चूंकि सहायता मागंने वाली संबंधित फार्मेसी एक व्यावसायिक सगंठन है, इसलिए यह उस योजना की सीमा में नहीं आती जो केवल राज्य फार्मेसियों और राज्य औषध जांच प्रयोगशालाओं कें लिए अभिष्ट हैं। दुसरे प्रस्ताव पर निर्धारित जाँच समिति द्वारा गुणवगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

दमन एवं दीव में ग्रामीण रोजगार सृजन

2661. **श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल :** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर० ई० जी० पी०) के अतंर्गत संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं दीव में कृषि और ग्रामीण उद्योग की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा दमन एवं दीव में ग्रामीण और कृषि उद्योगों की स्थापना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पैशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पैशन और पैशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अतंरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी) अपनी कोई इकाई स्थापित नहीं करता है तथापि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर० ई० जी० पी०) के अतंर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग इकाईयों की स्थापना करने के लिए (के.वी.आई.सी) सहायता प्रदान करता हैं। आर० ई० जी० पी० का कार्यान्वयन देश भर में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 लाख रु० तक की परियोजना लागत के लिए के.वी.आई.सी. द्वारा परियोजनाओं की स्थापना के लिए 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत की दर से मार्जिन-मनी प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

महिलाओं और लड़कियों को वेश्यालयों को बेचना

2662. **श्री ब्रहमानन्द मंडल :**
श्री दिन्शा पटेल :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 26 जनवरी, 2001 को गुजरात में आए विनाशकारी भुकम्प से बडी संख्या में महिलाएं विधवा और बच्चे अनाथ हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए आकलनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इन अनाथ महिलाओं और लड़कियों को वेश्यालयों में विशेषकर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बेचा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अमानवीय और जघन्य अपराध को रोकने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक वेश्यालयों से कितनी भूकम्प प्रभावित महिलाओं और लड़कियों को बचाया गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मत्रांलय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गाँधी) : (क) से (ङ) मानव संसाधन विकास मत्रांलय में महिला एवं बाल विकास विभाग, जो महिला एवं बाल कल्याण से सबंधित कार्य देख रहा है तथा कृषि मत्रांलय, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन से सबंधित है, से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आम अनुसंधान सस्थान

2663 **श्री अबुल हसनत खां** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में आम अनुंसधान सस्थान की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस सस्थान की स्थापना करने के लिए किसी जगह का चयन कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मत्रांलय में राज्यमंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। पश्चिम बंगाल के कृषि विभाग के मालदा स्थित जिला बीज फार्म की भूमि को केन्द्रीय उप-उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ के श्रेत्रिय केन्द्र की स्थापना करने के लिए चुना गया है। पश्चिमी बंगाल सरकार इस भूमि को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सौपने के लिए सहमत हो गई है।

रूस द्वारा नाभिकीय रिएक्टरों की आपूर्ति

2664. **श्री चन्द्र भूषण सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस द्वारा भारत को कुडानकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए आपूर्ति किए जा रहे दो रिएक्टरों के अलावा और अधिक नाभिकीय रिएक्टरों की आपूर्ति करने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पैशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अतंरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु विद्युत कार्यक्रम के अतंर्गत देश में परमाणु बिजली के अंश को और बढ़ाने के लिए अतिरिक्त रूप में हलके पानी रिएक्टरों का आयात करने की परिकल्पना की गई थी। वर्तमान में, रूस की सहायता से कुडनकुलम में अतिरिक्त यूनिट स्थापित करने के बारे में भारत सरकार के पास कोई औपचारिक प्रस्ताव लम्बित नहीं हैं।

लैंड कॉरिडोर की स्थिति

2665. **श्री चन्द्र विजय सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने बांग्लादेश और नेपाल के बीच मालों को ढोए जाने के लिए लैंड कॉरिडोर की सुविधा दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कॉरिडोर बुरी हालत में है; और

(ग) यदि हां, तो यातायात के सुचारू रूप से प्रवाह के लिए कॉरिडोर में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि नेपाल और बांग्लादेश के साथ बेहतर संबंध स्थापित हो सकें?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) जी, हां। जून 1997 में भारत सरकार ने नेपाल के बंगलादेश के साथ ककरबीटा फुलवाड़ी के रास्ते से व्यापार करने के लिए एक अतिरिक्त मार्गस्थ सुविधा प्रदान करने की नेपाल महामहिम सरकार के अनुरोध पर सहमति दी है यह सुविधा 1 सितंबर 1997 से कार्यरूप में प्रभावी हो गई। इस मार्ग की प्रचालनीय व्यवस्था को उदारीकृत कर दिया गया है। मार्ग की सड़कें अच्छी हैं। इससे भी अधिक अधिकतर नेपाली यातायात, मार्गस्थ संबंधी मौजूदा भारत-नेपाल संधि के अंतर्गत नेपाल में भारत सरकार द्वारा 15 अन्य मार्गस्थ रास्तों से होकर गुजरता है।

[हिन्दी]

धन के प्रवाह में उदारीकरण

2666. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल** :
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के निर्यात में लघु उद्योग इकाइयों का योगदान 30 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो क्या बड़े औद्योगिक इकाइयों को उनके उत्पादन मूल्य के 19 प्रतिशत के बराबर ऋण लेने की अनुमति है जबकि लघु उद्योग इकाइयों को उनके उत्पादन मूल्य के मात्र 8 प्रतिशत के बराबर ऋण लेने की अनुमति है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों के लिए धन के प्रवाह को उदार बनाने हेतु विसंगति दूर करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान देश के कुल निर्यातों में लघु उद्योग इकाईयों का योगदान 30 प्रतिशत से अधिक का था।

(ख) से (ङ) नायक समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने निर्देशित किया है कि लघु उद्योग क्षेत्र को उनकी वार्षिक प्रक्षेपित कुल बिक्री के 20 प्रतिशत का कार्यशील पूँजी ऋण के रूप में प्राप्त होना चाहिए। लघु उद्योग क्षेत्र को कार्यशील पूँजी का प्रसार नियामक अपेक्षाओं से कम पड़ रहा था, आर.बी.आई. ने समय समय पर बैंकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे इन मानदण्डों का अनुपालन करें। आर.बी.आई. ने 15 सितम्बर, 2000 को सभी वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे इन पर पुन: बल दें। कुल मिलाकर कार्यशील पूँजी की गणना हेतु सीमा को मार्च, 1999 से 4 करोड़ रु. से बढ़ाकर 5 करोड़ रु. कर दिया है।

[अनुवाद]

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम में संशोधन

2667. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने की इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया है जिसमें सरकारी और निजी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे रोगियों के चिकित्सा रिकार्डों की सत्यापित कापी रोगियों के संबंधियों को उपलब्ध कराएं;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संशोधन को ससंद में विचारार्थ कब तक लाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) रोगियों के संबंधियों को रोगियों के चिकित्सा रिकार्डों की सत्यापित कॉपी उपलब्ध करवाने के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों को निर्देश देने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि सरकार ने नैदानिक प्रतिष्ठानों में रिकार्डों के रख-रखाव और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु एक प्रारूप विधान तैयार किया है। प्रारूप विधान को सभी राज्य सरकारों को उस पर उनकी टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए परिचालित कर दिया गया है।

बोन बैंकिग सुविधा की स्थापना

2668. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बोन ग्राम की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बढ़े अस्पतालों में बोन बैंकिग सुविधा की स्थापना का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) जी हां। सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज व संबद्ध अस्पतालों में बोन बैंकिग सुविधाओं की स्थापना विचाराधीन हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सूचित किया है कि विकलांग विज्ञान विभाग वर्तमान में बोन बैंकिग पर डी एस टी की अनुसंधान परियोजना पर कार्य कर रहा है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि उसके पास विचारार्थ ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

दुग्ध और पशुपालन विकास

2669. श्री पदमसेन चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी सहायता से उत्तर प्रदेश में दुग्ध और पशुपालन विकास संबंधी कतिपय योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मुहैया कराई गई विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड द्वारा कितनी धनराशि मुहैया कराई गई हैं; और

(घ) दुग्ध और पशुपालन विकास क्षेत्र में अब तक हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) भारत सरकार ने विदेशों की सहायता से उत्तर प्रदेश में डेयरी और पशुपालन विकास के लिए कोई भी स्कीम शुरू नहीं की है।

(ग) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने उत्तर प्रदेश मे ऑपरेशन फ्लड और अन्य योजनाओं के तहत 31 मार्च, 2000 तक लगभग 13,646 लाख रुपए मुहैया कराए हैं।

(घ) डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में नौवीं योजना के दौरान आबंटन और व्यय के संबंध में उपलब्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

नौवीं योजना के दौरान आबंटन और व्यय

क्र० सं०	विवरण	9वीं योजना आबंटन	1997-98 बजट प्राक्कलन	1997-98 व्यय	कमी	1998-99 बजट प्राक्कलन	1998-99 व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	सचिवालय एवं आर्थिक सेवाएं		0.85	0.67	0.18	1.00	1.31
II.	पशुपालन क्षेत्र						
	कार्य योजना स्कीमें						
1.	**राष्ट्रीय गोपशु प्रजनन परियोजना**	402.20	31.50	31.71	-0.21	40.90	6.18
	(i) हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी और पीटीपी का विस्तार	320.00	26.50	26.71	-0.21	30.90	6.10
	(ii) राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम	82.20	5.00	5.00	0.00	10.00	0.08
2.	राष्ट्रीय मृग/मेढ़ा उत्पादन कार्यक्रम	21.05	3.00	2.55	0.45	3.00	1.17
3.	समेकित सुअर पालन विकास के लिए राज्यों को सहायता	44.00	4.00	4.00	0.00	5.00	4.00
4.	राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता	16.20	0.10	0.00	0.10	5.94	0.00
5.	चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता	50.00	5.00	3.70	1.30	5.40	3.50
6.	पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	119.00	11.50	7.63	3.87	13.50	5.16
7.	रोग युक्त क्षेत्र का सृजन	48.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
	उप-जोड़	700.45	55.10	49.59	5.51	74.24	20.01
	अन्य योजनाएं						
8.	केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन	68.00	8.69	7.85	0.84	8.97	7.65
	(i) केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म	49.53	5.70	5.35	0.35	6.33	5.41
	(ii) केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन संस्थान	8.28	1.49	1.21	0.28	1.14	0.79
	(iii) केन्द्रीय पशुयूथ पंजीकरण	10.24	1.50	1.29	0.21	1.50	1.45
9.	केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म	15.65	3.00	0.59	2.41	3.00	0.45
10.	केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन	30.00	4.50	4.33	0.17	5.50	4.92

(करोड़ रुपए में)

1999-2000			2000-2001			2001-02		प्रथम 4 वर्षों के दौरान कुल व्यय (1997-2000)	
कमी	बजट प्राक्कलन	व्यय	कमी	बजट प्राक्कलन	व्यय	कमी	बजट प्राक्कलन	कुल व्यय	9वीं योजना परिव्यय का %
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-0.31	2.00	1.62	0.38	3.40	2.20	1.20	2.20	5.80	
34.72	47.00	33.06	13.94	44.00	26.35	17.65	46.00	97.30	24.19
24.80	35.00	25.96	9.04	32.00		32.00		58.77	18.37
9.92	12.00	7.10	4.90	12.00		12.00		12.18	14.82
1.83	3.00	0.50	2.50	2.50	1.25	1.25	1.25	5.47	25.99
1.00	6.00	2.50	3.50	3.00	2.00	1.00 0.00	2.00	12.50	28.41
5.94	8.00	4.50	3.50	3.00	2.70	0.30	2.70	7.20	44.44
1.90	6.50	4.40	2.10	4.00	3.00	1.00	3.00	14.60	29.20
8.34	17.00	7.79	9.21	13.00	8.00	5.00 0.00	12.00	28.58	24.02
0.50	1.00	0.00	1.00	0.01	0.01	0.00	27.00	0.01	0.02
54.23	88.50	52.75	35.75	69.51	43.31	26.20	93.95	165.66	23.65
1.32	9.00	7.99	1.01	9.00	8.85	0.15	8.85	32.34	47.56
0.92	6.35	5.58	0.77	6.35	6.35	0.00	6.35	22.69	45.81
0.35	1.15	1.03	0.12	1.15	1.00	0.15	1.00	4.03	48.67
0.05	1.50	1.38	0.12	1.50	1.50	0.00	1.50	5.62	54.88
2.55	8.22	6.34	1.88	3.50	1.50	2.00	1.50	8.88	56.74
0.58	6.50	4.49	2.01	6.00	5.71	0.29	5.71	19.45	64.83

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	केन्द्रीय चारा विकास संगठन	30.04	3.98	3.64	0.34	3.92	4.33
12.	पशु स्वास्थ्य निदेशालय	48.00	4.50	0.86	3.64	6.00	0.55
13.	व्यावसायिक दक्षता विकास	21.00	2.00	1.50	0.50	5.00	1.27
14.	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	48.00	41.00	9.46	31.54	36.00	2.69
15.	बूचड़खानों/सी०यू०सी० का सुधार	55.00	20.00	10.00	10.00	20.00	6.87
16.	समेकित नमूना सर्वेक्षण	20.00	2.50	2.54	-0.04	3.50	2.62
17.	भारवाही पशुओं का विकास	5.00	1.00	0.69	0.31	1.00	0.05
18.	पशुपालन विस्तार कार्यक्रम	20.00	8.00	2.87	5.13	2.00	1.26
19.	पशुपालन प्रभाग का सुदृढ़ीकरण	1.85	0.10	0.07	0.03	0.10	0.04
20.	पशु प्रणाली संबंधी परियोजना	5.00	2.00	0.32	1.68	1.00	0.32
21.	गोपशु बीमा	5.10	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00
	उप-जोड़	372.64	101.32	44.72	56.60	96.04	33.02
	पूरी हो चुकी योजनाएं	3.03	3.73	0.53	3.20	0.12	0.00
	कुल (पशुपालन क्षेत्र)	1076.12	160.15	94.84	65.31	170.40	53.03
III	डेयरी विकास						
	कार्य योजना स्कीमें						
22.	समेकित डेयरी विकास परियोजना	25.00	25.00	23.65	1.35	25.60	21.26
23.	सहकारिताओं को सहायता	150.00	2.00	0.00	2.00	13.00	0.51
24.	नई डेयरी सहकारिताएं	20.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
	उप-जोड़	42.00	27.00	23.65	3.35	42.60	21.77
	अन्य योजनाएं						
25.	दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश	5.00	1.00	0.85	0.15	1.00	0.85
26.	दिल्ली दुग्ध योजना	5.52	1.00	0.76	0.24	1.00	0.85
	उप-जोड़	10.52	2.00	1.61	0.39	2.00	1.70
	पूरी हो चुकी योजनाएं	39.00	10.00	3.98	6.02	6.00	0.50
	कुल (डेयरी विकास क्षेत्र)	469.52	39.00	29.24	9.76	50.60	23.97
	कुल (पशुपालन एवं डेयरी विकास क्षेत्र)	1545.64	119.15	124.08	75.07	221.00	77.00

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-0.41	4.50	4.02	0.48	4.83	4.53	0.30	4.53	16.52	54.99
5.45	6.00	1.47	4.53	4.75	4.10	0.65	10.00	6.98	14.54
3.73	4.00	2.41	1.59	3.00	2.50	0.50	6.00	7.68	36.57
33.31	10.00	4.92	5.08	15.00	13.00	2.00	13.00	30.07	62.65
13.31	15.00	1.50	13.50	2.50	2.00	0.50	6.00	20.37	37.04
0.88	4.00	3.35	0.65	4.00	3.65	0.35	4.40	12.16	60.80
0.95	0.80	0.28	0.52	0.40	0.30	0.10	0.30	1.32	26.40
0.74	2.50	2.44	0.06	2.00	2.00	0.00	2.00	8.57	42.85
0.06	0.16	0.06	0.10	0.16	0.02	0.14	0.00	0.19	10.27
0.68	0.75	0.24	0.51	0.25	0.25	0.00	0.25	1.13	22.60
0.05	0.05	5.00	-4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	94.04
63.02	71.48	44.51	26.97	55.39	48.41	6.98	62.54	170.66	45.80
0.12	0.10		0.10					0.53	17.49
117.37	160.08	97.26	62.82	124.90	91.72	33.18	156.49	336.85	31.30
4.34	45.00	10.71	34.29	20.00	19.50	0.50	19.50	75.12	30.05
12.49	16.00	3.80	12.20	25.00	17.00	8.00	15.00	21.31	14.21
4.00	4.40	0.00	4.40	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20.83	65.40	14.51	50.89	49.00	36.50	12.50	34.50	96.43	22.96
0.15	1.00	0.85	0.15	1.00	1.00	0.00	1.00	3.55	71.00
0.15	1.00	1.09	-0.09	1.00	1.95	-0.95	1.95	4.65	84.24
0.30	2.00	1.94	0.06	2.00	2.95	-0.95	2.95	8.20	77.95
5.50	6.50		6.50					4.48	11.49
26.63	73.90	16.45	57.45	51.00	39.45	11.55	37.45	109.11	23.24
144.00	233.98	113.71	120.27	175.90	131.17	44.73	193.94	445.96	28.85

[अनुवाद]

कृषि फसलों का उत्पादन

2670. श्री पी०एस० गढवी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में अपर्याप्त वर्षा के कारण वहां प्रमुख कृषि फसलों का उत्पादन अन्य राज्यों की तुलाना में कम हुआ है; और

(ख) गुजरात में कृषि उत्पादन बढाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं / उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) गुजरात में वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रमुख कृषि फसलों का प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन (उत्पादकता)कुछ अन्य राज्यों की तुलना में कम रही। वर्ष 1999-2000 के दौरान अखिल भारतीय स्तर की तुलना में गुजरात में कुछ महत्वपूर्ण फसलों को उत्पादकता निम्नवत् रही है :–

कि०ग्रा०/हेक्टेयर

फसलें	गुजरात	अखिल भारत
चावल	1482	1990
गेहूँ	2116	2755
अनाज	1186	1697
तिलहन	619	856
गन्ना	69980	70825
कपास	230	226

उपर्युक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि सामान्य तौर पर गुजरात में प्रमुख कृषि फसलों की उत्पादकता अखिल भारतीय औसत से कम है। हालांकि उदाहरणार्थ कपास के मामले में यह अखिल भारतीय औसत से अधिक है।

फसलों की उत्पादकता अनेक कारकों जैसे कृषि जलवायु परिस्थितियां, खेत के आकार, आदानों के अनुप्रयोग, निवेश के स्तर तथा प्रबंधकीय कुशलता पर निर्भर करती है। विभिन्न राज्यों में इन कारकों में काफी भिन्नता के कारण उनमें फसलों की उत्पादकता भी भिन्न-भिन्न पाई जाती है।

(ख) गुजरात सहित देश के विभिन्न भागों में उत्पादन बढाने तथा कृषि विकास के लिए सरकार ने राज्यों को सहायता देकर परम्परागत स्कीम आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर वृहत प्रबंध पद्धति अपनाने का निर्णय लिया है। इस स्कीम में राज्यों के प्रयासों में मदद/सहायता के लिए 27 स्कीमों का विलय एक स्कीम में करने की कल्पना की गई है, ताकि कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों को अपनी विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना सुविधाजनक हो, विभिन्न स्कीमों की विषयवस्तु में दोहराव से बचा जा सके और कृषि के चहुंमुखी विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

[हिन्दी]

मलेरिया के रोगी

2671. श्री सुरेश चन्देल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों से मलेरिया के रोगियों की संख्या प्रतिवर्ष बढती जा रही है;

(ख) यदि हाँ तो गत दो वर्षों के दौरान प्रकाश में आए मलेरिया के मामलों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा किया है;

(ग) मलेरिया के मामलों में वृद्धि के क्या कारण हैं और इसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गए हैं; और

(घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य विदेशी ऐजेंसियों से प्राप्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) जी नहीं। राज्यों द्वारा सूचित किए अनुसार 1999 और 2000 के लिए राज्य वार मलेरिया की घटनाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं जो मलेरिया की घटनाओं में कमी दर्शाती हैं।

(घ) अन्तरराज्य सीमा बैठकें बुलाने, सुग्राहिता जांच करने के लिए जांच पेपर और लेपटोप सुविधाओं के साथ एक प्रोजेक्टर प्रदान करने के लिए द्विवर्ष 2000-2001 के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम को आज तक 10,85,500/- रुपए का आबंटन प्रदान किया गया है।

विवरण

1999 और 2000(अनंतिम) के दौरान सूचित मलेरिया के रोगियों की कुल संख्या*

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999	2000* (अंतिम)
1	2	3
आंध प्रदेश	129020	61320
अरूणाचल प्रदेश	58243	23691
असम	131048	79589
बिहार	131898	36562
गोवा	15380	7598
गुजरात	64130	32013
हरियाणा	2604	1017
हिमाचल प्रदेश	700	486
जम्मू और कश्मीर	3574	3022
कर्नाटक	97274	90011

1	2	3
केरल	5141	2681
मध्य प्रदेश	527510	189033
महाराष्ट्र	137712	74126
मणिपुर	2662	1012
मेघालय	14798	11153
मिजोरम	14437	9293
नागालैंड	4396	2739
उड़ीसा	483095	387553
पंजाब	1113	459
राजस्थान	53154	20572
सिक्किम	14	16
तमिलनाडु	56366	40077
त्रिपुरा	14408	11620
उत्तर प्रदेश	99362	54890
पश्चिम बंगाल	227480	115116
कुल	2275519	1255649
संघ राज्य क्षेत्र		
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	937	1120
चंडीगढ़	456	253
दादरा और नगर हवेली	3303	2341
दमण और द्वीव	352	127
दिल्ली	3996	1897
लक्षद्वीप	1	5
पांडिचेरी	149	120
कुल	2284713	1261512

(*)25.01.2001 तक प्राप्त महामारिक रिपोर्टों के अनुसार।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग

2672. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का उड़ीसा में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए विशेष सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है क्योंकि वहाँ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशतता सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उड़ीसा में इस योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आवंटन देश में सबसे कम है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार को इस संबध में मदद देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और क्रार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) ग्रामीण गरीबी के उपशमन के लिए विभिन्न स्कीमों, जैसे कि स्वर्णजयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजेएसवाई), जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई), रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) और शहरी गरीबी के उपशमन के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत वित्त पोषण के अतिरिक्त 1998-99 से उड़ीसा सरकार को प्रत्येक वर्ष कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रकों, जैसेकि वानिकीकरण, आपात भोजन, चल स्वास्थ्य यूनिटों, बालिकाओं के लिए स्कूलों में छात्रावास आदि, के लिए केबीके जिलों हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है।

(ख) 1998-99 में, 46.00 करोड़ रुपये की और 1999-2000 में 57.60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की गई थी। जबकि चालू वर्ष में, 40.35 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। इसके अलावा सिंचाई को प्रोत्साहन देने हेतु त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) से संबधित दिशा निर्देशों को सूखा संभावित केबीके जिलों के पक्ष में संशोधित किया गया है। यद्यपि, सामान्यतया केवल निर्माण के अग्रिम चरण में पहुँच चुकी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को कार्यक्रम में शामिल करने पर विचार किया जाता है, अब केबीके ज़िलों को लाभ पहुँचाने वाली वे सिंचाई परियोजनाएं जो निर्माण के शुरूआती चरण में है, सहायता की पात्र हैं। आगे, यद्यपि लघु सिंचाई परियोजनाएं सहायता की पात्र नहीं हैं, केबीके जिलों की लघु सतही सिंचाई परियोजनाओं को अब कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषित किया जा सकता है। इससे आगे कि, गैर-विशेष श्रेणी राज्यों को केन्द्रीय ऋण सहायता 2:1 (केन्द्र : राज्य) के सामान्य अनुपात की तुलना में एआईबीपी के अन्तर्गत 3:1 (केन्द्र : राज्य) के अनुपात में उपलब्ध कराई जा रही है।

(ग) जी नहीं। गत 3 वर्षों में उड़ीसा का प्रतिव्यक्ति योजना परिव्यय 713 रुपये (1997-98), 855 रु० (1998-99) और 902 रुपये (1999-2000) रहा है जो बिहार , मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों से उच्चतर है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

सिद्ध चिकित्सक

2673. श्री कोलुर बसवनागौड : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कितने सिद्ध चिकित्सक हैं;

(ख) क्या कर्नाटक की ओर से इन सिद्ध चिकित्सकों को पंजीकृत मेडिकल चिकित्सक का दर्जा प्रदान करने का कोई अनुरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) कर्नाटक राज्य आयुर्वेदिक और युनानी प्रैक्टिशनर्स बोर्ड, बंगलौर ने सूचित किया है कि ऐसे दो सिद्ध व्यवसायी हैं जिनको राज्य में पहले ही पंजीकरण दिया जा चुका है। राज्य सरकार ने सुचित किया है कि राज्य में कोई भी गैर-संस्थागत अर्हता-प्राप्त व्यवसायी नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अनुसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रवेश

2674. श्री ए०के०एस० विजयन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के नेतृत्व वाला डा. अम्बेडकर जन्मशती समारोह समिति ने वर्ष 1993 में सभी शैक्षिक/शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसुचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित सीटों के पूरे कोटे पर इस समुदाय के विद्यार्थियों के प्रवेश को सुनिश्चित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गयी;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सभी नर्सिंग विद्यालयों, संस्थाओं (भारत सरकार से सहायता-अनुदान प्राप्त) के विभिन्न संकायों में (1) पूर्व-स्नातक (2) स्नातक (3) स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में कितनी सीटें दी गई हैं;

(घ) विभिन्न संकायों/पाठ्यक्रमों में उपरोक्त संदर्भित पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया और गत तीन वर्षों के दौरान कुल सीटों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या था; और

(ङ) उपरोक्त सिफारिश को अगर संतोषजनक रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी हां।

(ख) निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत सभी मेडिकल /परा-मेडिकल संस्थाओं में स्नातक पूर्व/स्नातक /स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में कुल सीटों का 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत क्रमश: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं और इन निर्देशों का पूर्णरूप से पालन किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे स्कूलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती क्योंकि संस्थाएं राज्य सरकारों की आरक्षण नीति अपना रही हैं। तथापि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्कूलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान दाखिल किए गए छात्रों की पाठ्यक्रम-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रमांक	कार्यक्रम का नाम	दाखिले का वर्ष	पाठ्यक्रम में सीटों की कुल संख्या	दाखिल किए गए छात्र		सीटों की कुल संख्या के संदर्भ में प्रतिशत	
				अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8
राजकुमारी अमृतकौर नर्सिंग कालेज							
1.	बी०एस०सी०(एच०) नर्सिंग	1998	45	07	03	15.5	6.6
		1999	45	07	03	15.5	6.6
		2000	45	07	03	15.5	6.6
2.	मास्टर आफ नर्सिंग	1998	15	01	01	6.6	6.6
		1999	15	01	01	6.6	6.6
		2000	15	01	01	6.6	6.6

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	नर्सिंग शिक्षा और प्रशासन में डिप्लोमा	1998	50	—	03*	—	6.0
		1999	50	06*	01*	12.0	2.0
		2000	50	04*	01*	8.0	2.0

*आरक्षित श्रेणी से केवल इन्ही छात्रों ने दाखिले के लिए आवेदन किया था।

लेडी रीडिंग हैल्थ स्कूल

1.	नर्सिंग शिक्षा और प्रशासन में डिप्लोमा	1998	30	—	3*	—	10.0
		1999	30	—	2**	—	6.6
		2000	30	—	6***	10.0	20.0
2.	प्रोमेशनल कोर्स	1998	40	8	5	20.0	12.5
		1999	40	5	7	12.5	17.5
		2000	40	10	10	25.0	25.0
3.	सहायक नर्स धात्री	1998	20	6	—****	30.0	—
		1999	20	3	2	15.0	10.0
		2000	20	5	1*****	25.0	5.0

*दाखिले के लिए कम छात्रों ने आवेदन किया

**किसी भी अनुसूचित जाति के छात्र ने आवेदन नही किया

***अनुसूचित जाति के कम छात्रों ने आवेदन किया

****किसी भी अनुसूचित जनजाति के छात्र ने आवेदन नहीं किया

*****अनुसूचित जाति उम्मीदवारों को अनुसूचित जनजाति सीट देने का प्रस्ताव किया गया

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल

1.	सामान्य नर्सिंग और धात्री विद्या	1998	26	4	2	15.3	7.7
		1999	30	5	3	16.6	10.0
		2000	22	4	2	18.0	9.0

सफदरजंग अस्पताल

1.	सामान्य नर्सिंग और धात्री विद्या	1998	35	5	2	14.0	5.7
		1999	35	5	2	14.0	5.7
		2000	35	5	2	14.0	5.7

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और सुचेता कृपलानी अस्पताल

1.	सामान्य नर्सिंग और धात्री विद्या	1998	55	7*	5	12.7	9.0
		1999	54	7**	4	13.0	7.0
		2000	55	8	4	13.0	7.0

*55 सीटों में से 5 सीटें सिक्किम उम्मीदवारों से भरी गई जिनमें से एक अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार था। इसलिए कुल सीटों को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या कम है।

**1999 से नामित सिक्किम उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है।पात्र उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एक सीट खाली पड़ी है।

[हिन्दी]

एम०बी०बी०एस० और एम०डी० के छात्रों पर खर्च

2675. डा० मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कॉलेजों में एम.बी.बी.एस और एम.डी के अध्ययनरत प्रत्येक छात्र पर सरकार द्वारा कितना खर्च किया जा रहा है;

(ख) उक्त खर्च में से कितना छात्रों से लिया जा रहा है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से कितने डॉक्टर विदेश चले गये हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार सरकारी कॉलेजों से पास करने वाले डॉक्टरों पर एक निश्चित अवधि तक ग्रामीण और पिछडे इलाकों में काम करने की शर्त लगाने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर आयुर्विज्ञान शिक्षा पर सरकार द्वारा प्रति छात्र किए गये व्यय में एक रूपता नहीं होती है क्योंकि प्रत्येक राज्य में यह राशि अलग अलग होती है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा 1998 में किए गए अध्ययन के अनुसार 1994-95 से 1996-97 तक की अविध के दौरान स्नातकपूर्व स्तर पर सरकारी मेडिकल कालेज में आयुर्विज्ञान शिक्षा की औसत लागत प्रति छात्र लगभग 3.15 लाख रुपए प्रति वर्ष है। स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा की लागत संबंधी कोई नया अध्ययन नहीं कराया गया है। तथापि, 1994 की एक पूर्व रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी मेडिकल कालेजों में आयुर्विज्ञान शिक्षा की लागत प्रति स्नातकोत्तर छात्र 71,000/- रुपये से लेकर 1.46 लाख रुपये तक है। इन पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क बहुत ही नाममात्र का है।

(ग) डॉक्टरों, जिनके मामलों में 1998, 1999 तथा 2000 के दौरान उच्च अध्ययन/रेजिडेंसी/प्रशिक्षण हेतु विदेश जाने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए गये हैं, कि संख्या क्रमश: 1688, 1593 तथा 1107 है।

(घ) केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद ने अप्रैल 1999 में हुई बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्ताव पारित किया है कि कम से कम 25 प्रतिशत स्नातकोत्तर सीटों को उन सेवारत चिकित्सा अधिकारियों के लिए आरक्षित किया जाए जिन्होंने इस बंधपत्र के साथ कि वे सरकार की सेवा पांच वर्षों तक करेंगे, कम से कम तीन वर्षों की सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में की है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद के इस संकल्प को राज्य सरकारों को उनकी ओर से की जाने वाली उपयुक्त कार्रवाई हेतु संप्रेषित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

प्रत्यर्पण संधियां

2676. श्री श्रीनिवास पाटील :
श्री पी०डी० एलानगोवन :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ अन्य देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत कौन कौन से देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि पर पहले ही हस्ताक्षर कर चुका है; और

(घ) अन्य देशों के साथ चल रहे प्रत्यर्पण संबधी मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) निम्नलिखित 6 देशों के साथ अधिकारिक स्तर पर प्रत्यर्पण संधियों पर आद्याक्षर हुए : बल्गारिया, फ्रांस, ओमन, पोलैंड, फिलिपीन्स और तुर्की।

इसके अलावा निम्नलिखित 26 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों को अंतिम रूप देने के संबंध में बातचीत शुरू की गई है :—

बहरीन, बेलारूस, ब्राजील, क्रोएशिया, क्यूबा, चेक गणराज्य, मिस्र, जर्मनी, यूनान, ईरान, ईटली, जापान, कजाकस्तान, कुवैत, किर्गीजस्तान, लिथुआनिया, मलेशिया, नेपाल (नयी संधि), न्यूजीलैंड, कतर, रोमानिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका, थाईलेंड, उगाण्डा तथा उक्रेन।

(ग) भारत ने अब तक निम्नलिखित 14 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां संपन्न की हैं: बेल्जियम, भूटान, कनाडा, हांगकांग, मंगोलिया, नेपाल, नीदरलैंड, रूसी परिसंध, स्विटजरलैंड, ट्युनिशिया, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, अमरीका तथा उजबेकिस्तान।

(घ) भारत की सरकार द्वारा प्रत्यर्पण का अनुरोध पेश करने के बाद अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य के घरेलू तथा अंतराष्ट्रीय कानूनों एवं द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि की शर्तों के अनुसार उसके संबंधित प्रशासनिक एवं विधि प्राधिकारियों द्वारा उसकी जांच की जाती है। हालांकि सरकार इन मानदंडों के भीतर प्रत्येक मामले को आगे बढ़ाती है, फिर प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में प्राय: समय लग जाता है क्योंकि वह व्यक्ति जिसके प्रत्यर्पण की मांग की गई है, अनुरोध प्राप्तकर्त्ता राज्य के घरेलू कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध कानूनी अवसरों का सहारा लेते हुए प्रत्यर्पण में देरी करने का प्रयास कर सकता है। सरकार इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए सभी संभव प्रयास करती है जिसमें राजनयिक माध्यमों का उपयोग, अंतर सरकारी परामर्श तथा जहां कहीं आवश्यक हो, विशेषज्ञ व्यवसायिक सहायता लेना भी शमिल है।

कृषि क्षेत्र में सुधार

2677. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या कृषि मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शरद जोशी की अध्यक्षता में कृषि मामलों से संबधित कृतिक बल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है इसने जिसमें प्याज तथा सोयाबीन की फसलों के विदर्भ और सौराष्ट्र में निगमीकरण सहित वृहद नीतिगत पहल करने की सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो कृतिक बल द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी/करने का प्रस्ताव है; और

(घ) कृषि क्षेत्र में नयी नीतिगत पहल/सुधार को कार्यान्वित करने के लिए प्रस्तावित कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

स्वास्थ्य क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठन

2678. श्री सुनील खाँ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री स्वास्थ्य क्षेत्र में गैर सरकारी संगठन के बारे में 13.12.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3791 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) भारी-भरकम सूचना एकत्र और संकलित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता

2679. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार से हाल ही में आयी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को कितनी राशि जारी की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में सितम्बर, 2000 के तीसरे सप्ताह में आयी भारी बाढ़ से निपटने के लिए 1487 करोड़ रुपये की सहायता की मांग करते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था।

(ख) एक केन्द्रीय दल ने स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से सहायता स्वीकृति हेतु गठित अंतरिम समिति ने पश्चिम बंगाल सरकार को 103.25 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की है, जो उक्त राज्य को निर्गत कर दी गयी है। इसके अलावा, ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्णित आवंटन के अनुसरण में पश्चिम बंगाल को वर्ष 2000-2001 के लिए आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की समस्त राशि, जो 75.83 करोड़ रुपये है, जारी कर दी गयी है।

पर्वतीय विकास योजना के अन्तर्गत धनराशि

2680. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत तमिलनाडु को आबंटित की गयी धनराशि पर्याप्त नहीं है क्योंकि तमिलनाडु में विशाल पहाड़ी क्षेत्र है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य के लिए आवंटित धनराशि में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) सामान्य राज्य योजना धनराशि में योज्य है और इसका आबंटन विनिर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों के पारिस्थिति की रूप से सतत् समाजार्थिक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने के लिए किया जाता है।

(ख) किसी विशेष विनिर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्र/पश्चिमी घाट तालुका को किये जाने वाला आवंटन पूर्णत: कार्यक्रम के लिए किये जाने वाले आवंटन पर निर्भर करता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के लिए आवंटन वर्ष 1997-98 में 352.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2000-01 में 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार तमिलनाडु के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए आवंटन 19.62 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 22.01 करोड़ रुपये कर दिया गया जबकि तमिलनाडु में पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट तालुकों के लिए आबंटन 8.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10.94 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

लैप्रोस्कोप

2681. श्री रामसिंह राठवा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में लाखों महिलाओं के सुरक्षित बंध्यीकरण में लैप्रोस्पोक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है कि सिर्फ सर्वोत्तम लैप्रोस्कोप परिवार नियोजन कार्यक्रम में प्रयोग किये जाएं; और

(ग) वे कौन-कौन से प्रतिष्ठित विनिर्माता हैं जिनका लैप्रोस्कोप भारतीय परिवार नियोजन कार्यक्रम में प्रयोग किया जा रहा है और वर्ष 1991 से तीन प्रमुख विनिर्माताओं में प्रत्येक द्वारा कितनी मात्रा में इनकी आपूर्ति की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग दो दशकों तक केवल दो ब्रान्डों के लेपरोस्कोपों का राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रापण किया गया। यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में केवल सर्वोत्कृष्ठ लेपरोस्कोपों का ही प्रयोग किया जाए, सरकार ने हाल में लेपरोस्कोप के विशेषज्ञों से सलाह करके मानदण्ड तथा विनिदेशन निर्धारित किये हैं। लेपरोस्कोपों का आगे प्रापण उन ब्राण्डों तक ही सीमित रहेगा जो निर्धारित मानदण्ड तथा विनिर्देशन को पूरा करते हैं।

(ग) लेपरोस्कोपों के केवल दो ब्राण्ड अर्थात जर्मनी का कार्ल स्टोर्ज और यू एस ए का "सिरकॉन" 1999-2000 तक खरीदे गए थे। इन दो विनिर्माताओं द्वारा की गई कुल आपूर्तियां इस प्रकार हैं :–

1990-91	मैसर्स कार्ल स्टोर्ज, जर्मनी	:	75
	यू एन डी पी	:	306
1991-92	–		–
1992-93	मैसर्स केबोट मेडिकल कार्पोरेशन, यू एस ए "सिरकॉन"		90
	मैसर्स कार्ल स्टोर्ज, जर्मनी		90
1993-94	–		–
1994-95	–		–
1995-96	मैसर्स कार्ल स्टोर्ज	:	400
1996-97	–		–
1997-98	मैसर्स सिरकॉन कार्पोरेशन, यू एस ए		100
1998-99	मैसर्स सिरकॉन, यू एस ए	:	50
	मैसर्स कार्ल स्टोर्ज, जर्मनी	:	50
1999-2000	मैसर्स कार्ल स्टोर्ज, जर्मनी	:	450
	मैसर्स सिरकॉन कार्पोरेशन यू एस ए	:	250

डी०डी०टी० के प्रयोग पर प्रतिबन्ध

2682. श्री दिग्गा पटेल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के कारण डी०डी०टी० के प्रयोग पर लगा प्रतिबन्ध हाल में वापस ले लिया है। जबकि अनेक देशों में इस पर पहले से ही प्रतिबन्ध है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने खोज की है कि मानव जीवन की संरक्षा किये जाने की आवश्यकता है और डी०डी०टी० के कम प्रभावरी/अधिक लागत वाले विकल्प उपलब्ध हैं जिनका दुष्प्रभाव कम होता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मलेरिया के नियंत्रण हेतु सस्ते और प्रभावकारी कीटनाशकों को अपनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जो डी०डी०टी० की अपेक्षा कम विषैले हैं और पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) "मलेरिया और अन्य मच्छर जनित रोगों" पर विश्व स्वास्थ्य संगठन अध्ययन समूह और मलेरिया पर विशेषज्ञ समिति ने वेक्टर नियंत्रण के लिए आन्तरिक अवशिष्ट छिड़काव में डी०डी०टी० के प्रयोग की सिफारिश की है। जन स्वास्थ्य के लिए डी०डी०टी० के प्रयोग पर विश्व स्वास्थ्य की तरफ से कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग

2683. श्री जे०एस० बराड़ : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित कौन-कौन सी योजनाएं इस समय चलाई जा रही हैं;

(ख) इस संबंध में विचार किए जा रहे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में ऊर्जा उत्पादन हेतु दीर्घकालिक आधार यूरेनियम का आयात करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) भारत में परमाणु ऊर्जा का शांतिमय प्रयोजनों के लिए उपयोग परमाणु बिजली का उत्पादन करने के अलावा उद्योग, चिकित्सा और कृषि के क्षेत्रों में किया जा रहा है;

(ख) बिजली का उत्पादन करने के लिए अतिरिक्त परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के अलावा शांतिमय प्रयोजनों हेतु परमाणु ऊर्जा

के और नए अनुप्रयोगों का पता लगाने के लिए अनुसंधान और विकास संबंधी प्रयास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है;

(ग) देश के अनुमोदित परमाणु विद्युत उत्पादन कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूरेनियम के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं;

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता;

सी०जी०एच०एस० में वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के पद

2684. **श्री ए० वेंकटेश नायक :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली स्थिति केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अस्पतालों में एस०ए०जी० (वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) पदों की मौजूदा संख्या कितनी है;

(ख) वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर के चिकित्सकों को प्रदान की जा रही अवसंरचनात्मक सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन चिकित्सकों को प्रदान की गई सुविधाएं पर्याप्त हैं और मंत्रालयों में पदासीन सदृश पदों की तुलना में सही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर के चिकित्सकों के लिए सुविधाओं को बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड पदों की कुल स्वीकृत संख्या 26 है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली में अध्यापनेतर विशेषज्ञ उप-संवर्ग में 13 वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के अधिकारी भी कार्यरत हैं।

(ख) से (घ) कार्य की आवश्यकताओं और ड्यूटी की प्रकृति पर निर्भर करते हुए आवश्यकता के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के डाक्टरों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और इसलिए मंत्रालय में सदृश पदों पर कार्यरत अधिकारियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं से तुलना नहीं की जा सकती।

(ङ) उपरोक्त (ख) से (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बुनियादी ढाँचा संबंधी कृतक बल

2685. **श्री गुनीपाटी रामैया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुनियादी ढांचा संबंधी कृतक बल एक समन्वित परिवहन नीति को तैयार करने में कठिनाई महसूस कर रही है जिसके कारण सरकार को एक परिवहन नीति तैयार करने में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अंतिम प्रारूप रिपोर्ट को कब तक तैयार किए जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एकीकृत परिवहन नीति की प्रारूप रिपोर्ट अभी आधारिक संरचना संबंधी कृतिक बल के विचाराधीन है और अंतिम प्रारूप रिपोर्ट को शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

अफगानिस्तान के संबंध में राजनयिक पहल

2686. **श्री बी०के० पार्थसारथी :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कंधार प्रकरण के बाद अफगानिस्तान को राजनयिक मान्यता प्रदान करने के संबंध में कोई पहल की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग)(i) भारत राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी की सरकार को अफगानिस्तान की वैद्य सरकार मानता है। इंडियन एअर लाइंस के विमान आई सी 814 के अपहरण की घटना से, जिसे कंधार ले जाया गया था, राष्ट्रपति रब्बानी की सरकार को हमारी मान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(2) तालिबान दकियानूसी तथा हिंसक विचारधारा के समर्थक हैं ऐसा उन्होंने हाल ही में अफगानिस्तान में सभी प्रतिमाओं को नष्ट करने के बर्बर निर्णय द्वारा प्रदर्शित कर दिया है। उनके नियंत्रणाधीन अफगानिस्तान के प्रदेश के भीतर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार मानवाधिकारों का विशेष तौर पर महिलाओं के विरुद्ध उल्लंघन उग्र रूप से जारी है। भारत ने जोर देकर इन सभी गति-विधियों तथा कृत्यों की निंदा की है।

सफदरजंग अस्पताल के शवगृह की निराशाजनक स्थिति

2687. **श्री सुरेश रामराव जाधव :**
डा० जसवंतसिंह यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सफदरजंग अस्पताल के शवगृह में बुनियादी सुविधाओं के अभाव में व्याप्त निराशाजनक स्थिति के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने हेतू क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने सूचित किया है कि सफदरजंग अस्पताल के शवगृह में सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

प्रति व्यक्ति निवेश

2688. श्री सुबोध राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रति व्यक्ति समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) जवाहर रोजगार योजना निवेश कितना है;

(ख) देश में राज्यवार इस समय गरीबी रेखा से नीचे कितनी जनसंख्या है; और

(ग) गरीबी उपशमन योजना के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत राज्यों हेतु निधियों के आबंटन के संबंध में क्या मानदंड/मापदंड हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) (जिसे 1999-2000 से स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजेएसवाई)के रूप में पुन: संरचित) के अंतर्गत गत तीन वर्षों के लिए राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रति परिवार निवेश संलग्न विवरण-I में दिया गया है। जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई)(1999-2000 से जवाहर ग्राम समृद्वि योजना (जेजीएसवाई) के रूप में पुन: संरचित) वैयक्तिक परिवार/लाभग्राही आधार पर कार्यान्वित नहीं की जाती है। अत: प्रति व्यक्ति निवेश की अवधारणा स्कीम पर लागू नहीं होती। तथापि, गत तीन वर्षों के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल आबंटन (केन्द्र और राज्य) संलग्न विवरण-II में देखे जा सकते हैं।

(ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण सगंठन (एनएसएसओ)के 55 वें दौर के आधार पर (30 दिन की प्रत्याह्वान अवधि पर आधारित) योजना आयोग द्वारा 1999-2000 के लिए अनुमानित गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली राज्य-वार ग्रामीण जनसंख्या संलग्न विवरण-III पर प्रस्तुत है।

(ग) प्रमुख ग्रामीण गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्रीय निधियों के राज्य-वार आबंटन देश में कुल ग्रामीण गरीबों की तुलना में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ग्रामीण गरीबों के अनुपात के मानदंड अथवा समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य मानदण्डों के आधार पर किए जाते हैं। 1997-98 तक प्रमुख ग्रामीण गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियां "1987-88 के गरीबी के कृतिक बल अनुमानों" के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित की गई थीं। चूंकि 1993-94 के आंकडे उपलब्ध हो गए थे, इन आंकडों के आधार पर गरीबी के अनुमान कृतिक बल प्रणाली और विशेषज्ञ दल प्रणाली का उपयोग करते हुए परिकलित किए गए थे। 1993-94 के लिए कृतिक बल पद्धति और विशेषज्ञ दल पद्धति के अनुसार गरीबों के राज्य-वार हिस्से की तुलना ने सूचित किया है कि विशेषज्ञ दल अनुमान अपनाते हुए कुछ राज्यों पर विभिन्न गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के अंतर्गत आबंटनों के उनके हिस्से के संबंध में प्रतिकूल प्रभाव पडा था। जिन राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पडा था उनमें से कुछेक ने इस मुद्दे पर संघ सरकार को अभ्यावेदन दिया था। परिणामस्वरूप, 1993-94 के लिए विशेषज्ञ दल अनुमानों के अंतर्गत होने वाली हानि को कृतिक बल प्रणाली के आधार पर उनकी प्रत्याशित पात्रता के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होने देने के लिए एक समायोजन फार्मूला तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। 1998-99 से आबंटन प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में पूर्ण योजना आयोग द्वारा यथा-अनुमोदित इन समायोजित हिस्सों के आधार पर किए जा रहें हैं।

विवरण-I

आई०आर०डी०पी०/एस०जे०एस०वाई० के अंतर्गत प्रति परिवार निवेश

(रुपये में)

क्रं० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	14932.00	14917.00	9511.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	5261.00	4742.00	7521.00
3.	असम	12830.00	13223.00	7747.00
4.	बिहार	15621.00	19851.00	15634.00
5.	गोआ	9300.00	11441.00	एन०ए०
6.	गुजरात	17325.00	18332.00	18414.00
7.	हरियाणा	19921.00	21667.00	23924.00
8.	हिमाचल प्रदेश	25752.00	31596.00	32275.00
9.	जम्मू व कश्मीर	11696.00	13723.00	19111.00
10.	कर्नाटक	13961.00	14796.00	29084.00
11.	केरल	20489.00	21812.00	24336.00

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश	21644.00	22481.00	14938.00
13.	महाराष्ट्र	17564.00	20006.00	24866.00
14.	मणिपुर	4937.00	7405.00	एन०ए०
15.	मेघालय	9592.00	11539.00	14123.00
16.	मिजोरम	7226.00	6727.00	एन०ए०
17.	नागालैण्ड	12447.00	8512.00	6134.00
18.	उड़ीसा	20313.00	17919.00	19370.00
19.	पंजाब	19125.00	20425.00	19340.00
20.	राजस्थान	26809.00	30002.00	25556.00
21.	सिक्किम	17459.00	17784.00	24530.00
22.	तमिलनाडु	12338.00	14447.00	18099.00
23.	त्रिपुरा	15251.00	14277.00	16176.00
24.	उत्तर प्रदेश	18374.00	18778.00	24514.00
25.	पश्चिम बंगाल	12249.00	13527.00	11970.00
26.	अंडमान व निकोबार	9882.00	10225.00	3053.00
27.	दादरा व नगर हवेली	20123.00	13697.00	एन०ए०
28.	दमन व द्वीव	13404.00	14873.00	25167.00
29.	लक्ष्यद्वीप	15889.00	32889.00	20000.00
30.	पांडिचेरी	10360.00	9057.00	8712.00
	अखिल भारत	16757.00	18219.00	17113.00

* आई०आर०डी०पी० को इसके सम्बद्ध कार्यक्रमों सहित 1999-2000 से एस०जी०एस०वाई० के रूप में पुन: संरचित किया गया था।

एन०ए० – उपलब्ध नहीं

स्रोत – ग्रामीण विकास मंत्रालय

विवरण-II

जे०आर०वाई०/जे०जी०एस०वाई० के अंतर्गत कुल आबंटन (केन्द्र + राज्य)

(रु० लाख में)

क्रं० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	19410.49	14629.93	12426.03
2.	अरूणाचल प्रदेश	199.21	321.65	273.20
3.	असम	6389.03	8357.73	7098.69
4.	बिहार	38073.25	47925.96	40706.24
5.	गोआ	215.25	215.25	182.82
6.	गुजरात	7124.30	5506.98	4677.39
7.	हरियाणा	1711.53	3239.85	2751.79
8.	हिमाचल प्रदेश	683.98	1364.43	1158.88
9.	जम्मू व कश्मीर	1389.86	1688.66	1434.28
10.	कर्नाटक	13033.90	11047.66	9383.41
11.	केरल	4742.08	4957.05	4210.30
12.	मध्य प्रदेश	24597.23	24292.41	20632.92
13.	महाराष्ट्र	21159.28	21838.53	18548.70
14.	मणिपुर	255.34	560.30	475.89
15.	मेघालय	298.78	627.74	533.17
16.	मिजोरम	125.86	145.26	123.38
17.	नागालैण्ड	320.26	430.60	365.73
18.	उड़ीसा	15746.50	16733.63	14212.82
19.	पंजाब	1217.19	1574.54	1337.34
20.	राजस्थान	10219.44	8388.86	7125.14
21.	सिक्किम	116.60	160.83	136.60
22.	तमिलनाडु	17547.45	12936.06	10987.33
23.	त्रिपुरा	331.65	1011.64	859.24
24.	उत्तर प्रदेश	47301.56	52742.94	44797.57
25.	पश्चिम बंगाल	17395.93	18596.09	15794.71
26.	अंडमान व निकोबार	94.31	117.89	93.87
27.	दादरा व नगर हवेली	51.18	77.81	61.96
28.	दमन व द्वीव	30.16	37.70	30.02
29.	लक्ष्यद्वीप	47.28	59.10	47.06
30.	पांडिचेरी	92.34	115.42	91.91
	अखिल भारत	249921.18	259702.47	220558.40

* जे आर वाई को 1999-2000 से जेजीएसवाई के रूप में पुन: संरचित किया गया था।

स्रोत - ग्रामीण विकास मंत्रालय

विवरण-III

1999-2000 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रही राज्य-वार ग्रामीण जनसंख्या (30 दिवस प्रत्याह्वान अवधि)

क्रं०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाख व्यक्ति
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	58.13
2.	अरूणाचल प्रदेश	3.8
3.	असम	92.17
4.	बिहार	376.51
5.	गोआ	0.11
6.	गुजरात	39.80
7.	हरियाणा	11.94
8.	हिमाचल प्रदेश	4.84
9.	जम्मू व कश्मीर	2.97
10.	कर्नाटक	59.91
11.	केरल	20.97
12.	मध्य प्रदेश	217.32
13.	महाराष्ट्र	125.12
14.	मणिपुर	6.53
15.	मेघालय	7.89
16.	मिजोरम	1.40
17.	नागालैण्ड	5.21
18.	उड़ीसा	143.69
19.	पंजाब	10.20
20.	राजस्थान	55.06
21.	सिक्किम	2.00
22.	तमिलनाडु	80.51
23.	त्रिपुरा	12.53
24.	उत्तर प्रदेश	412.01
25.	पश्चिम बंगाल	180.11
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.58
27.	चण्डीगढ़	0.06
28.	दादरा व नगर हवेली	0.30
29.	दमन व द्वीव	0.01
30.	दिल्ली	0.07
31.	लक्ष्यद्वीप	0.03
32.	पांडिचेरी	0.64
	अखिल भारत	1932.43

समुद्री झींगा मछली का उत्पादन

2689. श्री सी० श्रीनिवासुलु :
श्री तिरूनावकरसू :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान, देश में समुद्री झींगा मछली का राज्य-वार कुल उत्पादन कितना रहा;

(ख) क्या देश में समुद्री झींगा मछली के उत्पादन में गिरावट का रुख आ रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गिरावट के इस रुख को थामने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) विगत दो वर्षों के दौरान देश में समुद्री झींगा के कुल उत्पादन को दर्शाने वाला राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पूरे देश में, समुद्री झींगा का कुल उत्पादन 1998-99 में 3.46 लाख टन से बढ़कर 1999-2000 में 3.56 लाख टन हो गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1998-99 और 1999-2000 के दौरान देश में समुद्री झींगा के कुल उत्पादन

(टन में)

राज्य/संघ/शासित प्रदेश	1998-99	1999-2000
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	19877	16720
2. गोआ	3424	2056
3. गुजरात	63887	64159
4. कर्नाटक	4812	6929

	1	2	3
5.	केरल	67215	76241
6.	महाराष्ट्र	103656	107565
7.	उड़ीसा	14285	13170
8.	तमिलनाडु	24168	23100
9.	पश्चिम बंगाल	39300	40750
10.	अंडमान निकोबार	204	541
11.	दमन एवं द्वीव	414	291
12.	पांडिचेरी	4562	4570
	कुल	345804	356092

फसल पूर्वानुमान केन्द्र

2690. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्र सहित राज्य स्तर पर भी फसलों के संबंध में पूर्वानुमान करने वाले केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो फसल संबंधी पूर्वानुमान केन्द्रों की प्रमुख विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) सरकार ने निर्णय प्रक्रिया तथा कृषि क्षेत्र के प्रबंध को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ दल तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर युक्त बुनियादी सुविधाओं के साथ कृषि मंत्रालय में एक राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र की स्थापना की है। राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र ने कृषि एवं सहकारिता विभाग के मौजूदा संसाधनों में से बनाए गए एक छोटे विशेषज्ञ दल की मदद से 3.12.98 से कार्य प्रारंभ कर दिया है। प्रारंभ में तेरह प्रमुख फसलों अर्थात चावल गेहूं मक्का, बाजरा, तुअर, चना, मूंगफली, रेपसीड एवं सरसों, सोयाबीन, गन्ना, कपास, आलू तथा प्याज की फसलों की संभावनाओं का पता लगाकर उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्हें प्राथमिकता क्रम में व्यवस्थित किया गया है।

राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र का कार्य विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आंकडों की सहायता से फसल पूर्वानुमान के लिए एकीकृत संस्थागत ढांचा तैयार करना तथा आधुनिकतम विधियों एवं तकनीकों की सहायता से उनका संकलन एवं विश्लेषण करना है।

राज्य सरकारों से एक कम्प्यूटरीकृत नेटवर्क पर संबंधित आंकड़े/जानकारी यथासमय उपलब्ध कराकर समेकित करने के लिए एक शीर्ष अभीकरण नामित करने को कहा गया है। मानव संसाधन विकास को भी इस प्रयास में सम्मिलित किया गया है।

[हिन्दी]

विशेष श्रेणी दर्जा

2691. श्री ए० नरेन्द्र :
श्रीमती कुमुदिनी पटनायक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को विशेष श्रेणी दर्जा देने के लिए क्या मापदण्ड रखे गए हैं;

(ख) किन-किन राज्यों को विशेष श्रेणी दर्जा प्रदान किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तरांचल और उड़ीसा को विशेष श्रेणी राज्यों का दर्जा देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा;

(च) क्या सरकार राज्यों की समस्यांए सुलझाने के प्रति कृत संकल्प है; और

(छ) यदि हां, तो इस योजना को अंतिम रूप कब तक दिये जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) विशेष श्रेणी दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है जो काफी बड़ी जनजातीय जनसंख्या सहित प्रमुख रूप से पर्वतीय क्षेत्र हैं, अल्प-विकसित समाजार्थिक आधारिक संरचना तथा समग्र आर्थिक पिछड़ेपन सहित सीमा क्षेत्रों पर स्थित हैं।

(ख) जिन राज्यों को विशेष श्रेणी दर्जा दिया गया है वे हैं, अरूणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिकिम्म और त्रिपुरा।

(ग) से (ङ) चूंकि, उत्तरांचल विशेष श्रेणी राज्यों की अधिकतर विशेषताओं के अनुकूल है, अत: उत्तरांचल को विशेष श्रेणी दर्जा प्रदान करने का मामला विचाराधीन है और अन्तिम निर्णय के लिए इसे राष्ट्रीय विकास परिषद (एन०डी०सी०) के समक्ष शीघ्र रखा जाएगा।

(च) और (छ) सरकार योजना प्रक्रिया के भाग के रूप में इस दिशा में निरन्तर प्रयास कर रही है।

[अनुवाद]

निजी चिकित्सकों का पंजीकरण

2692. श्रीमती कान्ति सिंह :
डॉ० रघुवंशप्रसाद सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चिकित्सा के पेशे में लगे नीम-हकीमों (गैर-अर्हताप्राप्त चिकित्सकों) की सख्या तेजी से बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य में निजी चिकित्सकों को चिकित्सा परिषद् में पंजीकृत करने और उनके लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् ने कोई आचार-संहिता निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) देश में व्यवसाय कर रहे (गैर-अर्हताप्राप्त डाक्टरों) नीम-हकीमों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

(ग) से (ङ) परिषद् ने चिकित्सा आचार-संहिता निर्धारित की है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 15(1) के उपबन्ध के अनुसार, अनुसूची में शमिल की गई चिकित्सा अर्हताएं किसी भी राज्य मेडिकल रजिस्टर में नाम दर्ज कराने हेतु पर्याप्त अर्हता होगी। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 15(2) के उपबन्धों के अनुसार राज्य मेडिकल रजिस्टर में दर्ज चिकित्सा व्यवसायी से भिन्न कोई भी व्यक्ति :–

(क) सरकारी या किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही किसी संस्था में काय चिकित्सक अथवा सर्जन का पद अथवा कोई और अन्य पद (किसी भी पदनाम से) ग्रहण नहीं करेगा;

(ख) किसी भी राज्य में चिकित्सा व्यवसाय नहीं करेगा;

(ग) किसी चिकित्सा अथवा स्वस्थता प्रमाणपत्र अथवा किसी उचित अर्हताप्राप्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित/अधिप्रमाणित किए जाने के लिए किसी कानून द्वारा अपेक्षित किसी अन्य प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने अथवा उसे अधिप्रमाणित करने का पात्र नहीं होगा:

(घ) चिकित्सा से संबंधित किसी भी मामले पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 के तहत किसी भी जाँच पड़ताल में अथवा किसी भी न्यायालय में विशेषज्ञ के रूप में साक्ष्य देने के लिए पात्र नहीं होगा।

आपदा प्रबंधन अधिनियम

2693. डा० (श्रीमती) सुधा यादव :
श्री विनय कुमार सोराके :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1999 में उड़ीसा में आए महाचक्रवात की विभीषिका को देखते हुए, आपदा प्रबंधन संबंधी एक समिति ने "आपदा प्रबंधन अधिनियम" का एक प्रारूप बनाकर इसे केन्द्र के विचारार्थ प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रारूप को सभी राज्यों की टिप्पणियां जानने के लिए उनको भेजा गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी राष्ट्रीय आपदा की स्थिति का सामना करने के लिए सरकार का एक विधान तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) आपदा प्रबंध योजनाओं के बारे में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन अगस्त, 1999 में किया गया था। समिति ने एक आदर्श राज्य आपदा प्रबंध अधिनियम तैयार किया है, जिसे राज्य सरकारों एंव केन्द्र शासित प्रदेशों को आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित कर दिया गया है।

(घ) से (च) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा

2694. श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री टी० गोविन्दन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक वर्ष में दिसंबर 2000 की अवधि तक के दौरान प्रधान मंत्री कतिपय विदेशी राष्ट्रों की यात्रा पर गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस यात्रा का क्या परिणाम रहा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग)

क्रम सं०	जिस देश की यात्रा की उसका नाम	यात्रा की तारीख (तारीखें)	यात्रा का प्रयोजन/परिणाम
1	2	3	4
1.	मारीशस	10-13 मार्च, 2000	प्रधान मंत्री ने मारीशस की द्विपक्षीय यात्रा की थी। भारत के प्रधान मंत्री और मारीशस के प्रधान मंत्री दोनों ने मिलकर इंदिरा गांधी भारतीय संस्कृति केन्द्र के नए परिसर का उद्घाटन किया। दोनों प्रधान मंत्रियों ने संयुक्त रूप से रवीन्द्रनाथ टैगोर केन्द्र नामक एक नई शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की आधारशिला भी रखी। मारीशस सरकार ने मारीशस में कार्य शुरू करने के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन के प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया। मारीशस सरकार को पोर्ट लुई में भारत के हाई कमीशन की चांसरी के निर्माण के लिए निशुल्क 2.4 हेक्टेयर भूमि खण्ड आबंटित किया है। दोनों प्रधान मंत्रियों की उपस्थिति में निम्नलिखित चार करारों पर हस्ताक्षर हुए : (i) व्यापार करार; (ii) सूचना प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन; (iii) महासागर विकास में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन और (iv) ऋण श्रृंखला बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन। द्विपक्षीय नागर विमानन वार्ता के पश्चात मारीशस द्वारा दो अतिरिक्त उड़ानें-चेन्नई के लिए सप्ताह में दो उड़ान और नई दिल्ली के लिए एक-अनुमोदित की गई हैं। आशा है कि इन उड़ानों से भारत और मारीशस के बीच पर्यटन और वाणिज्यिक गतिविधियां और बढेगी। यह यात्रा अत्यंत उपयोगी थी और उम्मीद है कि मारीशस के साथ उच्चस्तरीय आदान-प्रदान की प्रक्रिया जारी रहेगी।
2.	इटली	25-27 जून, 2000	प्रधान मंत्री ने द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर इटली के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के साथ विचार विनिमय किया। उन्होंने इटालियन और भारतीय उद्योगपतियों एंव व्यापारियों की एक बैठक को संबोधित किया और उनसे भारत और इटली के बीच विद्यमान निवेश व्यापार और प्रौद्योगिकीय सहयोग का सदुपयोग करने का आह्वान किया। परिणामस्वरूप दोनों देशों के संबंध पर्याप्त रूप से मजबूत हुए हैं। 26 जून, 2000 को पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध एक करार संपन्न किया गया। प्रधान मंत्री ने पोप से भी भेंट की और उनके साथ आपसी हित के मामलों पर चर्चा की।
3.	पुर्तगाल	27-28 जून, 2000	प्रथम भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस शिखर सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 21वीं सदी में भारत और यूरोपीय संघ के बीच सामरिक भागीदारी बनाने के लिए आपसी सहमति थी। शिखर सम्मेलन के अवसर पर पारित की गयी संयुक्त घोषणा में संबंधों को गुणात्मक उच्च स्तर तक ले जाने से संबंधित व्यापक दिशा निदेशों का प्रावधान है। राजनैतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में संयुक्त पहलों को शामिल करने वाली एक "कार्यसूची" पर भी सहमति हुई। दोनों पक्ष आतंकवाद को रोकने और इसका मुकाबला करने में सहयोग करने और क्षेत्रीय एंव अंतर्राष्ट्रीय सदर्भ में इससे उत्पन्न

1	2	3	4
			होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए सहमत हुए। यह भी सहमति हुई कि भारत और यूरोपीय संघ अंतर्राष्ट्रीय आंतकवाद पर एक व्यापक अभिसमय के लिए प्रयास करेंगे। इस यात्रा से हम व्यापार से जुड़े संरक्षणवादी उपायों पर अपनी चिंताओं से अवगत कराने और डब्ल्यू टी ओ से जुड़े मसलों पर विचार विनिमय करने में समर्थ हो सके। दोनों पक्ष व्यापार के उत्तरोत्तर उदारीकरण संरक्षणवादी प्रवृत्तियों का विरोध तथा एक खुली, न्यायोचित और भेदभाव रहित नियमों पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए कार्य करने पर सहमत हुए। नागर विमानन क्षेत्र के वित्त पोषण पर भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक करार भी संपन्न किया गया।
		28-29 जून, 2001	प्रधान मंत्री की द्विपक्षीय यात्रा भारत- यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के समापन पर शुरू हुई और यह यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पुर्तगाल की पहली यात्रा थी। प्रधानमंत्री ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा की । द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मसलों पर आपसी समझ-बूझ तथा स्थिति की अभिव्यक्ति इन चर्चाओं की विशेषता रही। हमारे बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री गुतरस ने 28 जून, 2000 को एक सयुक्त प्रेस सम्मेलन में कहा कि पुर्तगाल को सयुंक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी के प्रति सहानुभूति है। अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से सम्बद्ध व्यापक अभिसमय के लिए भारत की पहल के लिए भी उसी प्रकार का ठोस समर्थन था। इस यात्रा के दौरान निवेश संवर्धन तथा संरक्षण करार सम्पन्न हुआ। दोनों पक्ष सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध संयुक्त कार्य दल का गठन करने पर सहमत हुए।
4.	अमरीका	6-8 सितंबर, 2000	सयुंक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दि शिखर सम्मलेन में भाग लेने के लिए इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत की ओर से "आतंकवाद के वित्त पोषण के दमन से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय" पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने राष्ट्रपति क्लिंटन के साथ परस्पर हित के द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय मसलों पर व्यापक चर्चा की जिनमें व्यापार तथा आर्थिक क्षेत्र, ऊर्जा और पर्यावरण, विज्ञान और प्रोद्योगिकी, स्वास्थ्य, आंतकवाद का प्रतिकार करने जिसमें स्वापकों का गैर-कानूनी व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा एंव संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सहयोग करना शामिल है। दोनों पक्षों ने अपनी चर्चाओं के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जिसमें मार्च, 2000 में राष्ट्रपति क्लिंटन की भारत यात्रा के दौरान रेखांकित दृष्टिकोण की पुन: पुष्टि की। द्विपक्षीय ऊर्जा परामर्शों से समबद्ध समझौता ज्ञापन तथा भारतीय विद्युत क्षेत्र में मानव संसाधन विकास से सम्बद्ध आशय के प्रोतोकोल पर विद्युत मंत्रालय और अमरीकी ऊर्जा विभाग ने हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के फलस्वरूप आपसी हित-चिंता के मसलों पर एक दूसरे के विचारों की बेहतर समझ-बूझ हुई।

मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति

2695. श्री आर०एल० जालप्पा :
श्री रतन लाल कटारिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार, अनुमानत: कितने लोग अपस्मार (मिर्गी)रोग से पीड़ित हैं;

(ख) क्या भारत के तंत्रिका रोग विज्ञानियों ने विद्युत-तरंगों के माध्यम से मिर्गी का उपचार करने की कोई विधि विकसित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार मिर्गी के संबंध एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर द्वारा एक व्यापक जनसंख्या अध्ययन सहित, देश के विभिन्न भागों में घर-घर जाकर किए गए कुछ सामुदायिक सर्वेक्षणों के आधार पर, यह अनुमान किया गया है कि 5-10 व्यक्ति प्रति 1000 जनसंख्या की दर से भारत में 6-8 मिलियन लोग मिरगी से ग्रस्त हैं। यद्यपि राज्य-वार आंकडें उपलब्ध नहीं हैं, तथापि उपर्युक्त सर्वेक्षण के आंकडें संकेत देते हैं कि राज्यों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं हैं।

(ख) और (ग) भारत में अथवा विदेशों में मिर्गी का कोई इलेक्ट्रिक वेव उपचार नहीं हैं। मिरगी के उपचार में सतत तथा नियमित आधार पर 2 से 3 वर्षों की अवधि के लिए मिरगी-रोधी औषधें देनी होती हैं। ऐसा प्रमाणित किया गया है कि मिरगी रोग से ग्रस्त 80 प्रतिशत लोग मिरगी से छुटकारा पा सकते हैं और एक सामान्य तथा उपयोगी जीवन जी सकते हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी मिरगी की घटना को कम करने में मदद कर रहा है।

(घ) और (ङ) इस समय मिरगी पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

पी०जी०आई०एम०ई०आर० में रिक्त पद

2696. श्री सुरेश चन्देल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एंव अनुसंधान संस्थान, (पी०जी०आई०एम०ई०आर०) चण्डीगढ़ में नेत्र, नासिका तथा मुख (ई०एन०टी०) विभाग में प्राध्यापकों के अनेक पद काफी समय से रिक्त पडे हैं;

(ख) यदि हां, तो ये पद कब से रिक्त हैं तथा रिक्त पदों की कुल संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों को कब तक भर लिया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) इस समय स्नोतकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एंव अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ में कान नाक गला के प्रोफेसर के ग्रेड में दो अस्थायी रिक्तियां; एक 16.3.2000 से और दूसरी 15.11.2000 से हैं। ये रिक्तियां पदधारियों के अन्य सस्थानों जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान/गवर्नमेंट मेडिकल कालेज अस्पताल, चंडीगढ़ में कार्यभार ग्रहण करने के कारण हुई हैं। स्नाकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एंव अनुसंधान संस्थान द्वारा कान नाक गला के प्रोफेसर का एक पद भरे जाने हेतु पहले ही दिनांक 23.2.2001 को विज्ञापित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

फलों और सब्जियों का उत्पादन

2697. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री एस०पी० लेपचा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फलों और सब्जियों का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान फलों और सब्जियों का राज्यवार वार्षिक उत्पादन कितना था;

(ग) देश में फलों और सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या फलों और सब्जियों के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने फलों और सब्जियों, विशेष तौर पर आलू और प्याज का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है;

(च) फलों और सब्जियों के क्षेत्र में आत्म निर्भरता हासिल करने के लिए किन राज्यों ने वित्तीय सहायता की मांग की है;

(छ) फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन सी सब्जियां कितनी मात्रा में निर्यात की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) वर्ष 1998-99 के लिए उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तथा पश्चिम बंगाल सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।

(ख) वर्ष 1996-97 से तीन वर्षों के दौरान फलों एंव सब्जियों के उत्पादन के बारे मे उपलब्ध जानकारी क्रमश: सैलग्न विवरण-I और II में दी गई हैं।

(ग) फलों तथा सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्रमश: 85 ग्राम/दिवस तथा 175 ग्राम/दिवस आंकी गई है।

(घ) फलों व सब्जियों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि होने के बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) फलों व सब्जियों के कोई समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, फल व सब्जियों सहित बागवानी फसलें मण्डी हस्तक्षेप स्कीम में शामिल हैं, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों के अनुरोध पर मण्डी प्रचालन कार्य किए जाते हैं।

(च) और (छ) फलों व सब्जियों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान करने के बारे में किसी भी राज्य से कोई विशिष्ट मांग प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में मदद/सहायता के लिए कृषि के वृहद प्रबंध से सबंधित केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम के अन्तर्गत फलों एवं सब्जियों के उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान सब्जियों के निर्यात का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

भारत में फलों का उत्पादन

(000 मीटरी टन)

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	5657.7	5899.1	4589.6
अरूणाचल प्रदेश	87.9	87.9	91.6
असम	1229.0	1220.4	1249.5
बिहार	2752.2	3755.4	3797.2
दिल्ली	0.3	0.3	1.0
गोआ	93.5	84.6	96.9
गुजरात	1820.0	2267.8	2293.5
हरियाणा	150.9	176.0	192.4
हिमाचल प्रदेश	375.1	303.2	448.0
जम्मू और कश्मीर	945.4	1047.4	881.1
कर्नाटक	5133.6	5446.3	5446.3
केरल	1826.0	1826.0	1621.2
मध्य प्रदेश	1127.0	1184.0	1374.4
महाराष्ट्र	6333.1	6473.2	7521.7
मणिपुर	111.0	111.0	115.3
मेघालय	239.0	186.4	186.4
मिजोरम	66.0	69.0	76.8
नागालैण्ड	168.8	189.7	152.0
उड़ीसा	1342.4	1511.8	1718.4
पंजाब	813.5	813.5	844.7
राजस्थान	267.2	277.9	310.3
सिक्किम	12.5	13.2	8.3
तमिलनाडु	3862.7	3683.8	5447.6
त्रिपुरा	400.9	400.9	372.1
उत्तर प्रदेश(पहाड़ी)	510.2	515.3	520.4
उत्तर प्रदेश(मैदानी)	4045.1	4293.0	3097.8
पश्चिम बंगाल	1035.1	1373.6	1536.0
अन्दमान और निकोबार	16.7	16.7	16.7
चण्डीगढ़	3.3	3.2	3.2
दादरा और नगर हवेली	7.1	7.7	7.1
दमण और दीव	3.4	3.4	3.4
लक्षद्वीप	0.7	0.7	0.7
पाण्डिचेरी	20.8	20.8	20.8
कुल	40458.1	43263.2	44042.4

विवरण-II

भारत में सब्जियों का उत्पादन

(000 मीटरी टन)

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	1895.0	2252.2	3541.2
अरुणाचल प्रदेश	80.5	80.9	80.9
असम	2074.1	2180.2	2834.8
बिहार	8235.7	8266.2	9418.4

1	2	3	4
दिल्ली	470.7	329.0	651.9
गोआ	68.0	69.4	70.0
गुजरात	2179.4	2176.9	3255.0
हरियाणा	1385.5	1290.4	1850.0
हिमाचल प्रदेश	569.0	606.4	606.4
जम्मू और कश्मीर	328.9	395.1	606.9
कर्नाटक	4978.7	4944.9	4944.9
केरल	2790.0	2789.5	2857.2
मध्य प्रदेश	2889.5	2748.7	3276.2
महाराष्ट्र	4275.4	3317.2	4479.5
मणिपुर	53.1	53.1	45.0
मेघालय	412.2	308.6	308.7
मिजोरम	49.6	47.5	62.4
नागालैण्ड	188.4	204.2	313.3
उड़ीसा	8746.0	9656.6	10087.1
पंजाब	1612.9	1634.6	1906.3
राजस्थान	389.0	321.9	396.1
सिक्किम	54.0	57.6	42.2
तमिलनाडु	3990.3	4085.4	5704.8
त्रिपुरा	358.4	358.6	232.8
उत्तर प्रदेश(पहाड़ी)	807.8	792.6	840.7
उत्तर प्रदेश(मैदानी)	12446.8	8623.4	12680.6
पश्चिम बंगाल	13670.8	15016.0	16367.4
अन्दमान और निकोबार	15.8	15.8	15.8
चण्डीगढ़	10.2	11.5	11.5
दादरा और नगर हवेली	13.5	13.5	13.5
दमण और दीव	1.0	1.0	1.0
लक्षद्वीप	0.7	0.7	
पाण्डिचेरी	33.5	33.5	33.5
कुल	75074.4	72683.1	87536.0

विवरण-III

भारत से सब्जियों का निर्यात

(दिनांक 14.03.2001 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं० 2697 के उत्तर के भाग (ज) में उल्लिखित विवरण)

मात्रा: 000 मी० टन
मूल्य: लाख रुपये

मद	निर्यात की मात्रा तथा मूल्य					
	1997-98		1998-99		1999-2000	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
ताजे प्याज	33.35	20246.09	215.69	17604.72	उ०न०	19755.21
अन्य ताजी सब्जियां	98.35	11407.08	64.65	10233.37	उ०न०	14968.19

उ०न० - उपलब्ध नहीं

दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों में आपात सेवाएं

2698. **श्री कोलुर बसवनागौड :**
श्री वी०एस० शिवकुमार :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के सर्वाधिक दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों में आने वाले चुनिंदा राजकीय अस्पतालों में दुर्घटना और आपात सेवाओं को सुधारने और उनके उन्नयन की दृष्टि से पाइलट परियोजना के अन्तर्गत जनरल हास्पिटल एर्नाकुलम और "विमहांस" बगंलौर का उन्नयन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा.): (क) और (ख) सामान्य अस्पताल, एर्णाकुलम में आपाती सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 1.50 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की अपेक्षा वाला केरल सरकार का एक प्रस्ताव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को फरवरी, 2000 में प्राप्त हुआ था। जब कभी भी पर्याप्त निधियां उपलब्ध होंगी तब अन्य प्रस्तावों के साथ वित्तीय सहायता के लिए इस पर विचार किया जायेगा। तथापि इस संबंध में निमहान्स, बगंलौर से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क

2699. श्री अमर राय प्रधान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय की स्टाफ निरीक्षण यूनिट ने केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा के स्टापिंग संबंधी मानदंडों के विषय में अपनी रिपोर्ट नवंबर, 1999 में मंत्रालय/केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) क्या उसके बाद केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा रिपोर्ट की सिफारिशों की जांच कर रहे हैं और उसने इन सिफारिशों पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सभांवना है;

(घ) स्टाफ निरीक्षण यूनिट की रिपोर्ट की सिफारिशों पर निर्णय लेने में होने वाले विलंब के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। सरकार ने नवबंर, 1999 की केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (एलोपैथिक) औषधालयों के मानक संबंधी अध्ययन पर स्टाफ निरीक्षण एकक की रिपोर्ट को इसकी सम्पूर्णता में दिनांक 16.02.2001 के पत्र संख्या 4-70/97-सी एण्ड पी/सीजीएचएस/सीजीएचएस(पी) द्वारा तत्काल प्रभाव से स्वीकार करने का निर्णय लिया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चूंकि सरकार को स्टाफ निरीक्षण एकक की रिपोर्ट के विभिन्न पहलुओं की जांच करनी थी इसलिए इस मामले पर निर्णय लेने में समय लगा।

भूकंप प्रभावित व्यक्तियों को मनोचिकित्सा सहायता

2700. श्री श्रीनिवास पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में कौन-कौन सी बीमारियां फैली हैं;

(ख) इन रोगों का इलाज उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या भूंकप से प्रभावित लोगों ने मनोचिकित्सा संबंधी सहायता की इच्छा/आवश्यकता व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा उठाए गए पर्याप्त जन स्वास्थ्य उपायों से गुजरात के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी रोग के प्रकोप को रोक दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों के लोगों द्वारा मनोविकार संबधी मदद का कोई विशेष अनुरोध नहीं किया गया। तथापि, इस तथ्य को देखते हुए कि इस भूकम्प से बचे लोगों को मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या की आवश्यकता पड़ सकती है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एंव तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बगंलौर, मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, महाराष्ट्र मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, पूणे के विशेषज्ञों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और उपचार तथा परामर्श दिया। गुजरात सरकार रोगियों का मूल्याकंन करने तथा उन्हें उपचार प्रदान करने हेतु मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का एक दल क्रमवार भुज भेज रही है और वह इस उद्देश्य हेतु सामाजिक कार्यकर्ताओं/सरकारी चिकित्सा स्टाफ को प्रशिक्षण भी दे रहा है।

[हिन्दी]

आई०सी०ए०आर० में कंप्यूटरों की खरीद

2701. डा० बलिराम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने हाल में आई०सी०ए०आर० में कंप्यूटर की खरीद में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में कोई जानकारी मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अपेक्षित सूचना उपलब्ध करा दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने समय समय पर जो भी कागजात और फाइलें मांगी हैं, उनमें से सभी उपलब्ध फाइलें एवं कागजात ब्यूरो को उपलब्ध कराए गए हैं।

[अनुवाद]

अवारा और लावारिस पशुओं के लिए आश्रय

2702. श्री पी०डी० एल्लनगोवन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आवारा और लावारिस पशुओं के लिए और अधिक आश्रय तथा चिकित्सा देखभाल केन्द्र बनाए जाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है और देश में मौजूदा आश्रयों और पशु स्वास्थय केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि आबंटित की गई और ऐसे आश्रय और पशुचिकित्सा केन्द्र चलाने के लिए केन्द्र या राज्य सरकारों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची क्या है; और

(घ) इन आश्रयों और पशु स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन पर निगरानी रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) पशुओं की देख रेख करने के लिए आश्रय गृहों के प्रावधान संबंधी एक योजना है जिसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना का संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान योजना के अंतर्गत जारी की गई राज्यवार राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) 1998-99 के लिए 2.05 करोड़ रुपये तथा 1999-2000 के लिए 2.50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था। वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची क्रमशः संलग्न विवरण–III और IV में दी गई है।

(घ) योजना की आवधिक निगरानी, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चैन्नई के अधिकारियों, मंत्रालय द्वारा तैनात की गई पदनामित एजेंसी/प्राधिकरण तथा मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा संगठनों के नियमित निरीक्षणों के माध्यम से की जाती है। प्रभाग ने अनुदान लेने वाले संस्थानों से अनुरोध किया है कि वे अपने माध्यम से शुरू की गई योजना की नियमित प्रगति/निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करे। सहायता अनुदान के रूप में कोई राशि तब तक जारी नहीं की जाती है जब तक उक्त उल्लिखित प्राधिकारियों द्वारा पूर्व-निरीक्षण न किया जाए। सभी स्रोतों से प्राप्त की गई निरीक्षण रिपोर्टों के अनुसार योजना का सम्पूर्ण निष्पादन अत्यन्त संतोषजनक है।

विवरण-I

पशु देख रेख करने के लिए आश्रय गृहों के प्रावधान की योजना

वर्ष 1998-99 में इस योजना का प्रारंभ किया गया था।

पशुओं की देख रेख करने के लिए आश्रय गृहों के प्रावधान के संबंध में योजना का उद्देश्य, पशुओं की देख भाल तथा सुरक्षा के लिए देश के सभी जिलों में आश्रय गृहों की स्थापना तथा रख रखाव के लिए प्रावधान तैयार करना है। योजना के घटकों में आश्रय गृहों के प्रत्येक आश्रय गृह के लिए छोटे स्वास्थ्य देख रेख केन्द्र के निर्माण, पानी की नालियों के निर्माण तथा चिकित्सा उपकरणों की खरीद शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत, स्वैच्छिक संगठनों/संस्थानों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, स्कूलों, पंचायत राज संस्थानों जैसे सांविधिक निकायों, नगर पालिकाओं, टाउन एरीआ समितियों, रेड क्रास समितियों तथा उनकी शाखाओं को अनुदान दिए जा सकते हैं। यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है तथा 25 लाख रुपए की सीमा सहित एक आश्रय गृह के निर्माण की अधिकतम 90 प्रतिशत परियोजना लागत तक गैर-सरकारी संगठनों को सहायता दी जाती है जिसमें 10 प्रतिशत अंशदान शामिल है जिसकी व्यवस्था गैर-सरकारी संगठनों द्वारा की जाती है। सहायता अनुदान संबंधी राशि दो समान किश्तों में जारी की जाती है।

2. वर्ष 1998-99 के दौरान 2.05 करोड़ रुपए तथा 1999-2000 के दौरान 2.50 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

विवरण-II

1998-99 एवं 1999-2000 के दौरान आश्रय गृह के प्रावधान संबंधी योजना के तहत राज्यवार जारी धनराशि

क्र० सं०	राज्य	1998-99		1999-2000	
		संगठनों की संख्या	राशि (रुपए में)	संगठनों की संख्या	राशि (रुपए में)
1	2	3	4	5	6
1	आन्ध्र प्रदेश	1	450000	1	470000
2	असम	1	1125000	1	1125000
3	बिहार	1	527000	2	1652000
4	गोवा	0	0	2	1171000
5	गुजरात	0	0	8	4830000
6	हरियाणा	5	2940000	7	4574000
7	जम्मू व कश्मीर	0	0	1	851000
8	कर्नाटक	3	2427000	4	3478000
9	मध्य प्रदेश	2	1463000	2	1575000
10	महाराष्ट्र	1	1125000	5	4719000
11	मणिपुर	1	495000	2	746000
12	दिल्ली	4	3013000	8	9334000
13	उड़ीसा	1	500000	1	1125000
14	पांडिचारी	0	0	1	315000

1	2	3	4	5	6
15	पंजाब	0	0	4	2996000
16	राजस्थान	1	1125000	9	5385000
17	तमिलनाडु	4	3525000	3	285000
18	त्रिपुरा	0	0	1	325000
19	उत्तर प्रदेश	1	630000	5	3494000
20	पश्चिम बंगाल	3	1092000	6	5073000
	कुल	29	20437000	73	56088000

विवरण-III

वर्ष 1998-99 के दौरान पशुओं की देखरेख के लिए आश्रय गृहों के प्रावधान संबंधी योजना के तहत सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठन

क्र०सं०	संगठन का नाम तथा पता	जारी धनराशि
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	ब्ल्यू क्रास, हैदराबाद	450000
	असम	
2.	पी एफ ए, असम	1125000
	बिहार	
3.	टाटा नगर गौशाला, जमशेदपुर	526500
	हरियाणा	
4.	कृष्णन गौशाला, अम्बाला	455850
5.	राष्ट्रीय गौशाला, धरोली, जिंद	675000
6.	अर्श महाविद्यालय गुरुकुल, गौशाला, कल्वा, जिंद	540000
7.	पी एफ एस. गुड़गांव	531900
8.	कृष्णन गौशाला, तोहाना, जिला फतेहाबाद	737000
	कर्नाटक	
9.	बंगलौर एस पी सी ए, बंगलौर	177300
10.	सी यू पी ए, बंगलौर	1125000
11.	मैसूर पिंजरापोल, मैसूर	1125000
	मध्य प्रदेश	
12.	पीपुल फोर एनिमल्स ग्वालियर	1125000
13.	बृजमोहन गौशाला, भोपाल	337500
	महाराष्ट्र	
14.	उज्जवल गोरक्षण ट्रस्ट, नागपुर	1125000
	मणिपुर	
15.	स्वेच्छिक पशु कल्याण संगठन, थौबल	495000
	दिल्ली	
16.	फ्रिडेकोइश, एस ई सी ए, डिफेंस कालोनी	1125000
17.	रुथकोवैल फाउंडेशन, नई दिल्ली	581850
18.	आचार्य सुशील गौ सदन, नई दिल्ली	500000
19.	सर्कल फोर एनिमल लवर्स, नई दिल्ली	806400
	उड़ीसा	
20.	अश्रेश्वर गोमांगाला समिति, कटक	500000
	राजस्थान	
21.	आचार्य काकासाहेब कालेलकर बूंदी	1125000
	तमिलनाडु	
22.	ब्ल्यू क्रास आफ इंडिया, चेन्नई	600300
23.	पी एफ ए, चेन्नई	1125000
24.	मरूधर केसरीजरी गौशाला, टी. नगर, चेन्नई	675000
25.	साईं राघव शैल्टर फोर एनिमल्स, चेन्नई	1125000
	उत्तर प्रदेश	
26.	एस पी सी ए, पीलीभत	630000
	पश्चिम बंगाल	
27.	कम्पसनेट क्रूसेडर्स ट्रस्ट, कलकत्ता	146250
28.	पी एफ ए, कलकत्ता	855000
29.	हितलजोरे किशोरीवाला दाताम्या, चिकित्सालय मिदनापुर	90775

विवरण-IV

वर्ष 1999-2000 के दौरान पशुओं की देख-रेख के लिए आश्रय गृहों के प्रावधान संबंधी योजना के तहत सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठन

क्र० सं०	राज्य तथा गैर सरकारी संगठन का नाम	1999-2000 (लाख रुपए में)
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	श्री गोसंरक्षण पुण्याश्रम, सत्तेनपल्ली, जिला गुंटूर	4.70
	असम	
2.	पी एफ ए "गोस्वामीज" नौजन रोड, उजान बाजार, गुवाहटी	11.25
	बिहार	
3.	महर्षि विश्विामित्र जी पी एन, बंगाली टोला, वार्ड नं० 3, हाउस नं० 151, बक्सर	11.25
4.	टाटा नगर गौशाली, जुगसलाई, जमशेदपुर	5.27
	दिल्ली	
5.	आचार्य काका साहेब कालेलकर लोक सेवा केन्द्र राजघाट, दिल्ली	11.25
6.	आचार्य सुशील गौ सदन, सी 599, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली	5.00
7.	एनिमल फार्म, 16, ईस्टर्न एवेन्यू, महारानी बाग, नई दिल्ली	22.50
8.	सक्रिल आफ एनिमल लवर्स, ई-67, डी डी फ्लैट्स, साकेत, नई दिल्ली	13.10
9.	पी एफ ए (एनिमल अस्पताल), गुड़गांव ए-4, महारानी बाग, नई दिल्ली	5.32
10.	रुथ कोवेल फाउंडेशन, बारखम्बा रोड, नई दिल्ली	5.82
11.	रुथ कोवेल फाउंडेशन (पी एफ ए बवाना) दिल्ली	22.50
12.	सोसायटी फोर एनिमल वैलफेयर ऑर्गेनाईजेशन, 539, सेक्टर-9, आर०के० पुरम, नई दिल्ली	2.48
13.	वाइल्ड लाइफ एस ओ एस, डी 210 डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली	7.75
14.	वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पोस्ट बॉक्स नं० 3150, नई दिल्ली	10.69
	गोवा	
15.	इंटरनेशनल एनिमल रेसक्यू, ऐनिमल ट्रैक्स मुरडॉगो वाडो आसागावो वार्डेज, गोवा	7.88
16.	पी एफ ए गोवा 3/4 बीच नेस्ट आपर्टमैंटस, मीरामार पणजी	3.83
	गुजरात	
17.	राजकोट महाजन पंजरापोल, अपोजिट रिवर बैंक	5.85
18.	श्रीभावनगर पंजरापोल, दूनापेट, भावनगर	2.75
19.	श्री बोटाट महाजन पनरापोल एंड गौशाला, बोटार्ड, भावनगर	5.85
20.	श्री धरंगतरा पंजरापोल नानी बाजार धनरागजरा सुरेन्द्रनगर	9.61
21.	श्री गौ सेवा पिंजरापोल ट्रस्ट शिवराजगढ़ वाया गोंडल राजकोट	6.42
22.	श्री गधादा महाजन पंजरापोल और गौशाला, गधादा भावनगर	5.85
23.	श्री कच्छ मुद्रा पंजरापोल और गौशाला मुंदरा कच्छ	6.21
24.	श्री वृंदावन गौशाला जिबदया ट्रस्ट एट पोस्ट ऑफिस जीवापुर वाया अटकोट, तालुक जसदान, जिला राजकोट	5.76
	हरियाणा	
25.	अखिल भारतीय गौशाला वी एंड पी पेहरावार जिला रोहतक	8.69
26.	अर्स महाविद्यालय गुरुकुल गौशाला वी पी ओ काल्वा जींद	5.40
27.	राष्ट्रीय गौशाला धरौली जिला जींद	6.75
28.	श्री गौशाला सलाडेरी एट पोस्ट ऑफिस दाता तहसील हांसी जिला हिसार	4.46
29.	श्री कृष्ण गौशाला वार्ड नं० 12, पतिया रोड, तोहाना. फतेहाबाद	7.37

1	2	3
जम्मू एवं कश्मीर		
30.	एस पी सी ए जम्मू अपोजिट करनबाग आर एस पुरा रोड, गाडीगढ़, जम्मू	8.51
कर्नाटक		
31.	कम्पेसन अनलिमिटेड प्लस एक्शन 257, फ्रस्ट क्रास, एच ए एल टू स्टेज, इंदरानगर, बंगलौर	11.25
32.	मैसूर पिंजरापोल सोसायटी, फुट ऑफ चामुंडी हिल, मैसूर	11.25
33.	पी एफ ए 27 क्रीसेंट रोड क्रास, हाइग्राउंड्स, बंगलौर	10.51
34.	एस पी सी ए कस्तूरबा रोड, बंगलौर	1.77
मध्यप्रदेश		
35.	पी एफ ए के एस विलास, सी-23, वसंत बिहार ग्वालियर	11.25
36.	श्रीगोपाल कृष्ण गौशाला विदिशा सेवा न्यास 193, साईं सदन तलैया, विदिशा मध्य प्रदेश	4.50
महाराष्ट्र		
37.	ब्ल्यू क्रॉस सोसायटी आफ पुणे, 24/1, कोरेगांव पार्क, पुणे	7.90
38.	इंडियन हर पेट्रोलोजिकल सोसायटी उसंत, नव महाराष्ट्रा सोसायटी, ऑफ पूना सतारा रोड, पुणे	11.25
39.	नागपुर एस पी सी ए मंदर फ्लैट्स नार्थ बाजार रोड, शिवाजी नगर नागपुर	9.29
40.	पी एफ ए मार्फत डा० एम ए सोइतकर, विवेकनगर, चन्द्रापुर	7.50
41.	उज्जवल गोरक्ष ट्रस्ट सुदामा भवन, गांधी बाढ, नागपुर	11.25
मणिपुर		
42.	मणिपुर स्टेट एनिमल वेलफेयर सोसायटी लालमबंग मखोंग इम्फाल	3.55
43.	नोडाखोंग वाई एस एंड सी, आर्गेनाइजेशन बांगू नोडाखोंग, पोस्ट ऑफिस मोरेंगे जिला विष्णुपुर	3.91

1	2	3
उड़ीसा		
44.	पी एफ ए, 11, स्टेशन स्क्वायर भुवनेश्वर पांडिचेरी	11.25
45.	पांडिचेरी पी सी ए और वेलफेयर एसोसिएशन 19, अरूथ्वा नगर गवुनंदोनापलयम बैकसाइड थटाचोवेडी पोस्ट पांडिचेरी	3.15
पंजाब		
46.	बाबा भोरे वाला गौशाला सेवा समिति, मकान नं० 4412 गली नं० 4, रणजीतपुरा, अमृतसर	6.37
47.	महावीर गौशाला माल आउट, डिस्ट्रिक्ट मुक्तेवश्वर	8.78
48.	श्री गौशाला प्रबंधक कमेटी वी पी ओ भवानीगढ़, संगरूर	6.14
49.	एस पी सी ए आउट साइड हाथी गेट, अमृतसर	8.67
राजस्थान		
50.	श्री गौरी शंकर गौशाला सेवा समिति रामपुरा भर्तीयान तहसील ओसियन जोधपुर	4.46
51.	श्री भगवान महावीर जैन गौशाला ट्रस्ट जैतारन जिला पाली	5.13
52.	श्री ब्रहमचारी रामकुमार जी पन्ना लाल जी गौशाला धर्मार्थ ट्रस्ट मंदौर से रॉयल्टी कांटामार्ग पोस्ट आफिस बी एस एफ जिला जोधपुर	8.35
53.	श्रीगोपाल गौशाला स्टेशन रोड बाडमेर	10.00
54.	श्री कल्याणभूमि गो सेवा सदन पदमपुर रोड श्रीगंगानगर	2.30
55.	श्री कृष्णा गौशाला ट्रस्ट, गांव मंडा जिला पाली	5.85
56.	श्री राम गौशाला सेवा समिति, बारानी खुर्द भोपालगढ़ जिला जोधपुर	4.46
57.	श्री राम गौशाला ट्रस्ट, उम्मेदनगर (मथानिया) तहसील ओसियान, जोधपुर	6.54
तमिल नाडू		
58.	ब्ल्यू क्रॉस आफ इंडिया, 1, एल्डम्स रोड, चेन्नई (कांची पुरम के लिए)	11.25
59.	ब्ल्यू क्रॉस आफ इंडिया, 1, एल्डम्स रोड, एलवारपेट, चेन्नई	6.00

1	2	3
60.	पी एफ ए (चेन्नई) चेरिटेबल ट्रस्ट नं॰ 11, पोनपा लेन ट्रिप्लीकेन	11.25
61.	श्री मरूधर केसरी जैन गौशाला, 16, लक्ष्मण चेटी स्ट्रीट, टी नगर चेन्नई	6.75
	त्रिपुरा	
62.	पी एफ ए, स्मृति बिला धलेश्वर रोड नं० 6, अगरतला	3.25
	उत्तर प्रदेश	
63.	जय श्री कृष्ण गौशाला समिति, गांव डिगरा, पोस्ट कोछभावर, झांसी	5.77
64.	करूणा गौशाला सेवा समिति, सिसवा, पोस्ट जितलानी, तहसील मानकपुर, जिला गोण्डा	5.00
65.	पी एफ ए लखनऊ मानसरोवर आई हॉस्पिटल, आकाशवाणी के सामने विधान सभा मार्ग, लखनऊ	9.45
66.	श्री पंजरपोल गौशाला, पकारिया नोगवान, रामलीला ग्राउंड पीलीभीत के पास	7.30
67.	विनोवा सेवा आश्रम, गांव बरतारा, जिला शाहजंहापुर	7.42
	पश्चिम बंगाल	
68.	पशु एवं पक्षी कल्याण समिति, वी पी ओ सिंगटी, उदयनारायण पुर जिला हावड़ा	16.57
69.	कम्पसनेट क्रूसेडर ट्रस्ट, 15 बी क्लाइब रोड, कलकत्ता	12.76
70.	हितालजोर किशोरीवाला दाताब्या चिकित्सालय, मिदनापुर कलकत्ता	0.91
71.	पशुओं के लिए लव एंड केयर 96/1 डा॰ एन जी शाह रोड, कलकत्ता	8.18
72.	पी एफ ए कलकत्ता, 6/1, वूडस्ट्रीट, कलकत्ता	8.55
73.	साउथ कलकत्ता एनिमल वेलफेयर सोसायटी 21 साउथ रोड, संतोषपुर	3.76

मछली पकड़ने वाले विदेशी जहाजों के लाइसेंस रद्द करना

2703. श्री वसुदेव आचार्य : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मछली पकड़ने वाले विदेशी जहाजों को जारी किए गए लाइसेंस रद्द करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय भारतीय समुद्र में कोई भी विदेशी मत्स्यन जलयान कार्य नहीं कर रहे हैं। तथापि, गहरे समुद्र में मत्स्यन पालन संबंधी पूर्व नीतियों के अनुसार अक्तूबर, 2000 तक विदेशी जलयान कार्य कर रहे थे जिनमें से सभी को उनकी अनुमति पत्र समाप्त होने के बाद विदेश वापस भेज दिया गया।

जीवन रक्षक दवाओं के मूल्य

2704. श्रीमती मिनाती सेन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भेषज उत्पादों, विशेष तौर पर जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों पर कोई विनियामक नियंत्रण है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे नियंत्रण का स्वरूप क्या है;

(ग) क्या निर्माता और खुदरा विक्रेता अपनी इच्छानुसार कोई भी मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं जैसा कि जीवन रक्षक दवाओं के मामले में देखा जाता है जिन पर थोक मूल्य से तीन गुना तक अधिक मूल्य अंकित होता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग के जरिए समय-समय पर औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश (डी पी सी ओ) प्रख्यापित करती रही है। मौजूदा औषध कीमत नियंत्रण आदेश अर्थात् औषध कीमत नियंत्रण आदेश, 1995 को 6 जनवरी, 1995 से लागू किया गया है। औषध कीमत नियंत्रण आदेश में इन औषधों की पहचान जीवन रक्षक के रूप में या अन्यथा नहीं की गई है।

औषध कीमत नियंत्रण आदेश, 1995 के अंतर्गत, इस समय इसकी पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई 74 बल्क औषधें तथा उनके फार्मूलेशन कीमत नियंत्रण के अधीन हैं।

नियंत्रणाधीन फार्मूलेशन की खुदरा कीमतें औषध कीमत नियंत्रण आदेश के पैरा-7 में दिए गए मानदण्ड/फार्मूले के अनुसार निर्धारित की जाती है। औषध कीमत नियंत्रण आदेश के उपबंधों के अनुसार, राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल कीमत निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) दो तरह

की फार्मूलेशन कीमतें नियत करता है अर्थात् उच्चतम कीमत तथा गैर-उच्चतम कीमत। उच्चतम कीमतें सामान्य तरीके से विपणन किए गए मानक पैक आकार के फार्मूलेशनों के लिए निर्यात की जाती है जो लघु उद्योगों सहित सभी विनिर्माण एककों के लिए लागू होती हैं। गैर उच्चतम कीमतें किसी खास कम्पनी के निर्धारित विनिर्देशनों के विशेष पैक आकार के लिए नियत की जाती हैं और यह कम्पनी विशिष्ट होती हैं।

सरकार/एनपीपीए द्वारा नियत की गई कीमतों का सभी विनिर्माताओं द्वारा पालन किया जाता है। डीपीसीओ के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति कीमत नियंत्रण श्रेणी के किसी फार्मूलेशन को सरकार/एनपीपीए द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित कीमत से अधिक कीमत पर नहीं बेच सकता है। यदि कोई कम्पनी नियत कीमत से अधिक कीमत पर बिक्री करती हुई पायी जाती है तो उसके खिलाफ डीपीसीओ के उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। ऐसी स्थिति में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं :–

(1) अधिसूचित कीमतों को लागू करने और नियंत्रण रहित दवाइयों की कीमतों की मानिटरिंग के लिए राज्य औषध नियंत्रक, विनियामक/प्रवर्तक एजेंसी होती हैं।

(2) डीपीसीओ के पैरा 13 के अंतर्गत एनपीपीए को अधिसूचित कीमत से उच्चतर कीमत पर अनुसूचित फार्मूलेशनों की बिक्री में जनता से ली गई अधिक कीमत की राशि भारत सरकार के पास जमा करने हेतु कम्पनी को निर्देश देने का अधिकर दिया गया है।

(3) इसके अलावा, ऐसी कम्पनी को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7(क) के तहत 15 प्रतिशत की दर से ब्याज का भी भुगतान करना पड़ेगा।

कीमत नियंत्रण के बाहर की दवाइयों की कीमतों को खुद विनिर्माताओं द्वारा नियत किया जाता है। तथापि, उनकी कीमतों की एनपीपीए और राज्य औषध नियंत्रकों द्वारा मानिटरिंग की जाती है। नियंत्रण रहित दवाइयों की कीमतों को जनहित में उचित लगने पर सरकार द्वारा विनियमित किया जा सकता है।

जब आई वी फ्लूड (एक नियंत्रण रहित औषध) की अधिकतम खुदरा कीमतों को काफी ज्यादा पाया गया तो एनपीपीए ने डीपीसीओ के प्रावाधानों का प्रयोग करके उनकी कीमतों को कम कर दिया।

(घ) विनिर्माताओं की कीमत और औषधों/फार्मूलेशनों पर अंकित खुदरा मूल्य के बीच अनुमत्य व्यापार अंतर (ट्रेड मार्जिन) को विनियमित करने के प्रश्न को एनपीपीए के परामर्श से जांच की गई है। गैर-अनुसूचित फार्मूलेशन/जेनेरिक उत्पादों की एक सूची को, उपयुक्त ट्रेड मार्जिन की अनुमति के पश्चात डीपीसीओ 1995 के पैरा 10 (ख) के अधीन उनकी खुदरा किमतों को नियत करने हेतु एनपीपीए द्वारा पहचान की गई है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 1.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न् 11:02 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 1.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.01 बजे

लोक सभा अपराह्न 1.01 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

अपराह्न 1.01½ बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह, श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, श्री रामदास आठवले, श्री सुनील खां, श्रीमती कान्ति सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ को अपनी बात कहने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं तो आप सूचनाएं क्यों दे रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज आप सूचनाएँ क्यों दे रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। श्री प्रमोद महाजन।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

अपराह्न् 1.02 1/2 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 3380/2001]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा कल पूर्वाह्न् ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न् 1.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 15 मार्च, 2001/24 फाल्गुन, 1922 के पूर्वाह्न् ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।